लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी सस्करण

(सातवां सत्र)

Preservation Unit
On 14-10-92
Parliament Library

6th Lok Sabha

(खंड 26 में अंक 41 से 50 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 47, सोमवार, 30 अप्रैल, 1979/10 वैशाख, 1901 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—20
* तारांकित प्रश्न संख्या : 928, 930, 932, 933 और 940	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	20—194
तारांकित प्रश्न संख्या : 929, 931, 934 से 939 और 941 से 948	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 9001,9002,9004,9005,9007 से 9131,9133 से 9144,9146 से 9168,9171 से 9173,9175 से 9191 और 9193 से 9200	
अतारांकित प्रश्न संख्या 7190 दिनांक 16-4-79 में शुद्धि करने वाला विवरण	195

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

गोआ में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में 195—197

सभा पटल पर रखे गए पत्र 197—198

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति 198

कार्यवाही सारांश

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 198—208

मद्रास हवाई अड्डे पर एयरलाइन्स के बोइंग-737 के क्षतिग्रस्त होकर उतरने का समाचार

श्री ज्योतिर्मय बसु 198

श्री पुरुषोत्तम कौशिक 199

श्री विजय कुमार मल्होत्रा 203

श्री श्याम सुन्दर लाल 205

डा० विजय मंडल 206

लोक लेखा समिति 208—209

134वां, 135वां, 136वां, 137वां, 138वां, 139वां, 145वां, 146वां, 147वां, 148वां, और 149वां प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति 209—210

134वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 210

51वां और 55वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति 210—211

31वां, 39वां 40वां और 41वां प्रतिवेदन

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संस्थान द्वारा नई प्रौद्योगिकियों के लाभों से लघु क्षेत्र को लाभान्वित करने के बारे में दिनांक 25-4-1979 के तारांकित प्रश्न संख्या 869 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य 211

प्रो० शेर सिंह 211

नियम 377 के अधीन मामले 211—213

(एक) भारत-सोवियत संघ संयुक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय अन्तरिक्ष यात्री को अन्तरिक्ष में भेजने का समाचार

श्री के० लकप्पा 211

(दो) इम्फाल में सीमा सुरक्षा बल के कुछ जवानों के मारे जाने का समाचार

श्रीमती चन्द्रावती 212

(तीन) प्लाटधारियों द्वारा प्लाटों को अपने नामों में पंजीकृत न करा सकने के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों पर उनके स्वामित्व को रद्द करने का समाचार

श्री श्याम सुन्दर लाल 212

हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) विधेयक 213—223

विचार करने का प्रस्ताव

श्री वयालार रवि 213

श्री गंगा सिंह 216

श्री पी० वेंकटासुब्बैया 217

श्री लक्ष्मी नारायण नायक 218

श्री धनिक लाल मण्डल 220

खण्ड 2 से 36 और 1 221—223

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

श्री धनिक लाल मण्डल 221

कोसनगैस कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन) विधेयक

और

परेल इन्वेस्टमैंट एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड और डोमेस्टिक गैस प्राईवेट लिमिटेड (प्रबन्ध अधिग्रहण) विधेयक 223—237, 238—243

विचार करने का प्रस्ताव

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा 223

श्री वयालार रवि 225

श्री पवित्र मोहन प्रधान 227

श्री विजय कुमार एन० पाटिल 229

श्री एन्थु साहू 229

श्री के० मायातेवर 231

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा 233

श्री पी० राजगोपाल नायडू 234

श्री सौगत राय 235

कोसनगैस कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन) विधेयक 243

खण्ड 2 से 20 और 1
पारित करने का प्रस्ताव

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा 243

परेल इन्वेस्टमैंट एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रबन्ध अधिग्रहण) विधेयक 244

खंड 2 से 16 और 1

प्रधान मन्त्री और भूतपूर्व गृह मन्त्री के परिवारों के सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के सम्बन्ध में वक्तव्य 237

श्री एच० एम० पटेल 237

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 244--275
विचार करने का प्रस्ताव

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र 249

श्री सौगतराय 268

श्री हरिकेश बहादुर 272

श्री सईद मुर्तजा 275

लोक सभा

सोमवार, 30 अप्रैल, 1979/10 वैशाख, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर 4 मिनट पर समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे हमारे भूतपूर्व सहयोगी राजा महेन्द्र प्रताप की दुखद मृत्यु की सूचना इस सभा को देनी है जिनका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में 29 अप्रैल, 1979 को 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ ।

राजा महेन्द्र प्रताप 1957 से 1962 तक द्वितीय लोक सभा के उत्तर प्रदेश के मथुरा निर्वाचनक्षेत्र से सदस्य रहे ।

राजा महेन्द्र प्रताप ने अपना जीवन भारत की स्वतन्त्रता और भारत के लोगों के लिए सतत संघर्ष करके अर्पण कर दिया । वे भारत की आजादी के लिए दलीलें पेश करने के लिए अनेक बार विश्व भ्रमण के लिए गये ।

वह 1915 में काबुल में स्थापित प्रथम अन्तरिम हिन्द सरकार के अध्यक्ष रहे । उन्होंने 1940 में जापान में स्थापित भारतीय कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता भी की ।

वह बहुत बड़े लेखक थे । उन्होंने कई विषयों पर किताबें लिखी हैं । वह विश्व सरकार के आदर्श के लिए जाने जाते थे ।

हम अपने इस साथी के निधन पर हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और मैं और यह सभा शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं भेजते हैं ।

अब सभा कुछ क्षणों के लिए अपनी संवेदना अभिव्यक्त करने के लिए मौन खड़ी रहेगी ।

(तत्पश्चात सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे ।)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वित्त देने की पद्धति

*928. **श्री निहार लास्कर** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दैनिक सामान्य कार्यों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से और आगे निधियां न देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निधियां देने की पद्धति के पुनर्निरुपण के पश्चात् उक्त निधियां अब अनुसंधान कार्यों की बजाय खोज किए जा चुके क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए ही दी जायेगी;

(ग) यदि हां, तो निधियों के नियतन के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान कितने राज्यों में विश्वविद्यालयों को निधियां प्रदान की गई हैं; और

(ङ) विश्वविद्यालयों ने इन निधियों का किस प्रकार उपयोग किया ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र, चंद्र) : (क) से (ङ) विश्वविद्यालयीय शिक्षा को प्रोत्साहित और समन्वित करने के अपने दायित्व को निभाने के लिए तथा विश्वविद्यालयों में अध्यापन, परीक्षाओं, और अनुसंधान के स्तरों का निर्धारण करने एवं उन्हें बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनायें तैयार करता है और इनके लिए विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करता है। विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित उन कार्यक्रमों के लिए, जो इन योजनाओं के अनुरूप होते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा धन की उपलब्धता की शर्त पर अनुदान मंजूर किए जाते हैं। पांचवीं योजना के दौरान आयोग 75 राज्य विश्वविद्यालयों को उनके विकास के लिये सहायता देता रहा है। इन विश्वविद्यालयों को पहले ही से अनुमोदित कार्यक्रमों तथा किए गए खर्चे की प्रगति के आधार पर अनुदान प्रदान किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छठी योजना के दौरान आरम्भ किए जाने वाले कार्यक्रमों और कार्यकलापों के लिए सहायता की पद्धति को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया है।

श्री निहार लास्कर : मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में जरूरतमन्द कालेजों की वस्तुतः मदद करने में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्णतः असफल रहा है ? यदि हां, चूंकि आपने अभी मानदण्डों को अन्तिम रूप नहीं दिया है तो क्या आप इन पिछड़े क्षेत्रों के जरूरतमन्द कालेजों की मदद करने के उद्देश्य से इन मानदण्डों/नीति तथा प्रतिमानों को बदलेंगे ?

डा० प्रताप चंद्र चन्द्र : यह प्रश्न इस सभा में पहले भी उठाया गया था। मैंने यह बताने के लिए विवरण दिया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जरूरतमन्द कालेजों की सहायता करने में असफल नहीं रहा है और उसने इनकी सहायतार्थ कुछ विशेष नियम बनाए हैं। छात्रों की संख्या तथा अन्य मामलों में इन कालेजों को काफी रियायतें दी गई हैं।

श्री निहार लास्कर : क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कम से कम तीन सौ छात्रों के दाखिले सम्बन्धी शर्त पर आग्रह करता है और इसके उपरान्त ही आप सहायता

देते हैं। क्या आपने इसको लचीला बनाया है या इसमें परिवर्तन किया है ? इस आग्रह के कारण पिछड़े क्षेत्रों के कई कालेजों को सहायता नहीं मिल पा रही है।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मेरा सविनय निवेदन है कि यह प्रश्न, प्रश्न के दिए गए उत्तर से उत्पन्न नहीं होता। यदि आप सूचना दें तो मैं अवश्य विवरण पेश करूंगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या आपका ध्यान लोक लेखा समिति की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें उसने अपनी इस सिफारिश को दुहराया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विकास अनुदान पर आधारित मानदण्डों की पुनः समीक्षा की जाये और क्या यह सच है कि उसने यह सिफारिश भी की है कि इस बारे में गहनता से अध्ययन किया जाए कि अनुदान किस आधार पर और किस प्रकार दिया जाता है ? यदि हां तो सरकार इस बारे में कौन से विशेष कदम उठायेगी ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : लोक लेखा समिति के विचारों को बड़े सम्मान के साथ स्वीकार किया जाता है और सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विभिन्न अनुदानों के बारे में समीक्षा समितियां गठित करने के लिए निदेश दिए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ये समितियां बना ली हैं और समग्र मामले पर विचार हो रहा है।

चौधरी बलबीर सिंह : क्या मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात आई है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कोई ऐसी पाबन्दी लगाई है कि 1971 के बाद जो कालेजिज बनाये गये हैं, उनको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से ग्रांट नहीं मिलेगी और सिर्फ उससे पहले बने हुए कालेजों को ग्रांट मिलेगी; यदि यह कोई शर्त नहीं है, तो ऐसी बंदिश क्यों लगाई गई है ? क्या मंत्री महोदय इस बदिश को हटाने की कोशिश करेंगे, ताकि सब कालेजों को ग्रांट मिल सके ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : प्रश्न साधारण कार्यों के लिये धन के बारे में था। मेरा अनुरोध है कि अनुदान देने का प्रश्न पूछे गए प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

श्री पी० वेंकट्सुब्बया : क्या मन्त्री जी का ध्यान आन्ध्र प्रदेश के शिक्षा मन्त्री के इस बयान की ओर दिलाया गया है कि दक्षिण के विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भेदभाव बरतता है। क्या यह सच है कि उन्होंने दक्षिण के विश्वविद्यालयों के लिए अलग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठित करने की मांग की है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मेरे ध्यान में ऐसा कोई वक्तव्य नहीं आया है। मैं यह नहीं मानता कि दक्षिण के विश्वविद्यालयों के साथ भेदभाव बरता जाता है। इस बारे में बहुत से आंकड़े उपलब्ध हैं और यदि आप चाहें तो मैं उन्हें सभा के विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री तेज प्रताप सिंह : मन्त्री जी ने विभिन्न विश्वविद्यालयों को दी गई सहायता के आंकड़े बताए। इसमें बुन्देलखन्ड विश्वविद्यालय का नाम कहीं भी नहीं है। यह पिछड़ा क्षेत्र है और इसे मदद की जरूरत है। क्या मन्त्री जी बुन्देलखन्ड विश्वविद्यालय को पर्याप्त अनुदान उपलब्ध कराएंगे क्योंकि उस क्षेत्र में वही एक विश्वविद्यालय है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं इस प्रश्न पर विचार करूंगा। मेरे पास इस समय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

भारत के पारम्परिक कच्चे मकान

*930. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गांवों के पारम्परिक कच्चे मकानों में सुधार करने के लिये कोई अनुसंधान किया गया है; और

(ख) इन मकानों को कम असुविधाजनक और अधिक उपयोगी बनाने के लिए सुझाये गये परिवर्तनों और उपायों का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) (i) कच्ची दीवारों के लिये जल-रोधक उपचार की व्यवस्था करना ।

(ii) घास-फूस की छत को अग्नि रोधक बनाना ।

(iii) कच्ची दीवार की निचली सतह को वर्षा से क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए भूमि से लगभग दो फुट की ऊंचाई तक आधी ईंट की चिनाई की व्यवस्था ।

श्री वेदव्रत बरुआ : आज देश में मकानों की विकट समस्या को देखते हुए बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास ऐसे घर नहीं हैं जिन्हें मकान कहा जा सकता है । मुझे खुशी है कि सरकार ने इस विषय में कुछ अनुसंधान किए हैं और कुछ अनुसंधान काफी समय से चल रहे हैं । इनके जो अच्छे परिणाम निकले हैं उन्हें लोगों तक पहुँचाना चाहिए । योजना आयोग इस बारे में क्या कुछ कर रहा है ? क्या इस मद के लिये धन की व्यवस्था की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : यह पहली बार प्रस्ताव किया गया है कि आवास के लिए सुरक्षित धन में से 500 करोड़ रुपया ग्रामीण क्षेत्रों की आवास योजनाओं के लिए सुरक्षित रखा जाये । परिणाम व्यापक रूप से राज्यों में परिचालित किये गये हैं । उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के तत्वावधान में कुछ काम हो चुका है । पश्चिम बंगाल भी इस योजना के अन्तर्गत 2 करोड़ रुपये की योजनाएं आरम्भ करने वाला है । उड़ीसा सरकार भी इस प्रकार के मकान बनाने की बात सोच रही है ।

श्री वेदव्रत बरुआ : क्या आप इन उपायों से गांव के लोगों को परिचित कराते हैं ?

श्री सिकन्दर बख्त : मैंने कहा कि इन मकानों के डिजाईन राज्य सरकारों को परिचालित किए गए हैं और इन्हें कई राज्य सरकारों ने कुछ रूपभेदों के साथ स्वीकार कर लिया है ।

श्री बेदव्रत बरुआ : क्या आपने इन मकानों की निर्माण लागत का अनुमान लगाया है ? क्या वे स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता की दृष्टि से उपयुक्त हैं ? अनुसंधान कहां चल रहे हैं ? क्या उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी कोई अनुसंधान चल रहा है जहां भारी वर्षा होती है और मिट्टी के बने मकान नहीं टिक सकते ?

श्री सिकन्दर बख्त : इसकी लागत पन्द्रह सौ रुपये आंकी गई है । इसमें मजदूरी शामिल नहीं है । भूखंड का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर होगा । इसमें एक कमरा, छत वाली रसोई, आंगन, शौचालय और गोसलखाना होगा जिनका प्लिन्थ क्षेत्र 20 वर्ग मीटर होगा इसमें भावी आवश्यकता

के लिए एक और कमरा बनाने की व्यवस्था होगी। इस मकान की कीमत अपनी स्वयं की मजदूरी से बनाने पर 1,500 रुपये से भी कम बैठती है। मकान के पीछे पशुओं को बांधने के लिए जगह की व्यवस्था है।

वन अनुसंधान संस्थान तथा केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गये अनुसंधान का यह परिणाम है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : वर्तमान समय में जो सरकार की घरों को निर्माण करने की योजना है और लोगों को शहर व नगरों में योजनाबद्ध तरीके से बसाने की है, यह सब शहरों तक ही सीमित है, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, उनके मकान इस प्रकार के हैं कि उनमें जानवर भी नहीं रह सकते हैं। गांवों में भी नक्शे के अनुसार जो मकान बनाने की बात आपने अभी बताई, यह अभी कागज पर ही है, यह क्रियात्मक रूप में किसी भी गांव में कहीं नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि गांवों में भी योजनाबद्ध तरीके से मकान बनाने और उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से रहने लायक बनाने की क्या कोई आपकी योजना है, क्या आप कोई रिवाल्विंग फंड बनाने के लिये तैयार हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र में गांवों का पुनर्वास हो और योजनाबद्ध तरीके से जैसे शहरों में कार्य हो रहा है, वैसे ही गांवों में हो सके ?

श्री सिकन्दर बख्त : मुझे अफसोस है कि आनरेबल मेम्बर की खबर दुरुस्त नहीं है। पहले ही मैंने अर्ज किया था कि यह पहली दफा हुआ है छठी पंचवर्षीय योजना में 500 करोड़ रुपया खालिसन रूरल हाउसिंग के लिये रखा गया है। उसके अलावा जो हडको की अर्गेनाइजेशन है, जो मकान बनाने के लिए स्टेट्स को लीन देती है, उसने भी पहली मर्तबा रूरल हाउसिंग स्कीम को फ्लोट किया है और कामयाब हुई है और काफी अच्छी तरीके से काम हो रहा है। मेम्बर साहब के जहन में जो मौजूद क्लस्टर है गांव का उसको रिप्लेस करने की योजना के बारे में जो बात है, ऐसा कोई इरादा नहीं है, अलबत्ता जो नये मकानात बनाये गये हैं वह सेहतमन्द, खुले और अच्छे हों, इस बात का ध्यान रखा गया है।

डा० सुशीला नायर : महोदय, मैं मन्त्री जी को केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की द्वारा आग तथा भारी वर्षा से रक्षा के बारे में किए गए बहुत ही उत्तम अनुसंधान के कार्य के लिए बधाई देती हूँ। जो भी आविष्कार किए गए हैं बहुत ही उत्तम हैं। किन्तु मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या यह सच है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग इन सुझावों को अमल में लाने और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए आविष्कारों के अनुरूप काम करने का तीव्र विरोध कर रहा है ? वह पुराने तरीके से ही काम करना चाहता है और इन नए विचारों को स्वीकार करने में आनाकानी कर रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे इस विरोध को दूर करने के लिए मन्त्री जी क्या कर रहे हैं ?

श्री सिकंन्दर बख्त : महोदय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। आज का प्रश्न ग्रामीण आवासन से सम्बन्धित है। मैं निश्चित तो नहीं कह सकता पर मैं समझता हूं कि केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के निष्कर्षों और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बीच किसी प्रकार का कोई संघर्ष है।

श्री सुभाष चन्द्र बोस (अल्लूरी) : श्री बरुआ का मूल प्रश्न मिट्टी के मकानों के निर्माण के बारे में है। देश में सीमेंट और इस्पात की कमी को देखते हुए यह एक अच्छा विकल्प है। मैंने मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वह देखा है। इसमें जो अनुसंधान हो चुका है उसके बारे में जानकारी दी गई है। क्या कोई ऐसा अनुसंधान चल रहा है जिसमें सीमेंट और इस्पात का प्रतिस्थापन खोजा जा रहा है। इस दिशा में क्या प्रगति हुई है? क्या मिट्टी से बड़े बड़े मकान बनाना भी सम्भव होगा? क्या इस बारे में भी खोज की जा रही है?

श्री सिकन्दर बख्त : ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के मकानों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की विशिष्टियां हैं। इस प्रणाली को लागू करने से सीमेंट या किसी अन्य वस्तु का प्रतिस्थापन नहीं होता। इस योजना के अन्तर्गत सीमेंट या इस्पात की बात नहीं सोची गई। हमने तो मिट्टी के मकानों की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर तीन से पांच वर्ष करने का प्रयास किया है।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : अनुसंधानों के परिणामों को आम जनता तक कैसे पहुँचाया जा रहा है? इस योजना से समस्या का एक अंश भी हल नहीं होगा। यदि अनुसंधान को वस्तुतः उपयोगी बनाना है तो गैर सरकारी निर्माण का उपयोग किया जा सकता है और हजारों-लाखों लोगों को इसका लाभ हो सकता है। आम लोगों के भले के लिए अनुसंधान के निष्कर्षों को प्रचारित करने और उनको अमल में लाने की दिशा में क्या किया जा रहा है।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं यह नहीं कहता कि हम समग्र समस्या का समाधान कर लेंगे। यह हमारा दावा नहीं है। हमने शुरूआत की है और यह पहली बार किया गया है। जैसा मैंने पहले कहा हमने इन निष्कर्षों को राज्य सरकारों को भेजा है क्योंकि आवास अनिवार्य रूप से राज्य विषय है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नेपाल स्थित कर्मचारी

*932. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नेपाल स्थित लगभग 1500 कर्मचारी असन्तोषजनक कार्य/सेवा स्थितियों के कारण आन्दोलन कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनकी मांगें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार किया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त).: (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

भारत सरकार अपनी अनुदान-सहायता में से नेपाल में मार्गों के निर्माण के लिए वर्ष 1960

के दशक के आरम्भिक वर्षों से वित्त-व्यवस्था कर रहा है। ये निर्माण-कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण और आवास मन्त्रालय के जरिये किये जा रहे हैं। इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने स्थानीय तौर पर कई कर्मचारी नियुक्त किए जिनमें नेपाल तथा भारत के नागरिक भी थे। ऐसे 1100 कर्मचारियों में से लगभग 340 कर्मचारी नेपाल में रहने वाले भारतीय नागरिक हैं।

2 आई० सी० एम० हाईवे प्रोजेक्ट, नेपाल के स्थानीय तौर पर भर्ती किए गये स्टाफ ने आरम्भ में भारतीय दूतावास के स्टाफ के बराबर वेतनमानों के लिये आन्दोलन शुरू किया लेकिन बाद में उनका यह आन्दोलन भारत में उनके समान स्टाफ के ऊपर लागू वेतनमानों की मांग में बदल गया। उनकी मांगों पर विचार करने के बाद उनके वेतनमान 1-3-1977 से संशोधित किए गए थे। वेतनमानों में संशोधन किए जाने के साथ-साथ और लाभ भी मंजूर किए गए थे। लेकिन फिर भी वे लोग इस संशोधन से सन्तुष्ट नहीं हुए और मांग की कि उक्त संशोधन को पिछली तारीख से लागू किया जाये और अधिक लाभों की मांग की।

3. सम्भवतः उनके ध्यान में यह तथ्य था कि मौजूदा हाईवे प्रोजेक्टों का कार्य वर्ष 1982 तक पूरा हो जायेगा। इन कर्मचारियों ने पहले तो नवम्बर, 1978 में एक सप्ताह के लिए काम रोक दिया। उसके बाद उन्होंने अपने आन्दोलन को और मजबूत किया तथा 21 फरवरी, 1979 से काम बन्द कर दिया। उनकी मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं :—

(i) स्थानीय तौर पर भर्ती किये गये स्टाफ को वही वेतनमान दिया जाय जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नियमित तथा कार्यप्रभारित स्टाफ को देय हैं।

(ii) उनकी सेवा-शर्तें वही होनी चाहिए जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-प्रभारित तथा नियमित स्टाफ पर लागू हैं।

(iii) नेपाल में इन प्रोजेक्टों के पूरा होने पर इस स्टाफ को भारत में समकक्ष पदों पर रख लिया जाये।

(iv) भारतीय दूतावास तथा आई० सी० एम० के स्थानीय तौर पर भर्ती किये गए स्टाफ के वेतनमानों में समानता।

(v) आई० सी० एम० तथा भारतीय दूतावास के स्थानीय तौर पर भर्ती किये गये स्टाफ को जो सुविधायें उपलब्ध हैं, वे सुविधायें उन्हें भी दी जाएं।

4. सरकार इस समस्या पर विचार कर रही है तथा इन कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के अपने प्रयत्नों के फलस्वरूप निम्नलिखित लाभ देने के लिए सरकार सहमत हो गई है :—

(1) 1-3-1977 से मंजूर किए संशोधित वेतनमानों को 1-3-1975 से लागू करना।

(2) 1-3-1977 से वेतनमान की औसत के 15 प्र० श० के बराबर मंजूर किया गया प्रतिपूर्ति भत्ता 1-3-1975 से लागू करना है।

(3) उपर्युक्त मद (1) और (2) पर दिये जाने वाली बकाया धनराशि की गणना 1 मार्च, 1975 से 28 फरवरी, 1977 तक की जानी है तथा 1-1-1979 से प्रत्येक

कर्मचारी के हिसाब में 8 प्र० श० प्रति वर्ष की दर से ब्याज पर जमा रखे जाने हैं।

(4) प्रतिपूर्ति भत्ते को 1 मार्च, 1979 से औसतन वेतनमान के 15 प्र० श० से बढ़ाकर 30 प्र० श० तक कर दिया जाना है।

(5) सेवा समाप्त होने पर देय ग्रेच्युटी की गणना सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अन्त में प्राप्त किये गए अर्धमासिक वेतन तथा प्रतिपूर्ति भत्ते के आधार पर की जानी चाहिए।

(6) स्टाफ की नियमित श्रेणियों के लिए मूल वेतन के 7½ प्र० श० के बराबर मकान किराया भत्ता 1 मार्च, 1977 की बजाय 1 मई, 1974 से दिया जायेगा।

(7) नेपाल के स्थानीय स्टाफ की सभी श्रेणियों को सर्दी से बचाने के कपड़े जारी किए जाने हैं।

(8) शेष बची छुट्टियों को आगे ले जाने तथा वेतन वृद्धि की तारीख को सुरक्षित रखने के लिए सेवा में हुए व्यवधान से छूट भी उपलब्ध होगी।

(9) चिट्ठे की मजदूरी को लगभग 15 प्र० श० और बढ़ाया जाना है।

5. उपर्युक्त बातों को स्वीकार कर लेने से कुल मिला कर यह प्रभाव होगा कि हाईवे में काम कर रहे स्थानीय तौर पर भर्ती किए गए कर्मचारी अब भारत सरकार द्वारा नेपाल में भारतीय दूतावास में तथा नेपाल में अन्यत्र काम कर रहे स्थानीय तौर पर भर्ती किए गए कर्मचारियों के बराबर समझा जायेगा।

6. यह सूचित किया गया है कि अधिकांश कर्मचारी अब ड्यूटी पर वापस आ गए हैं तथा स्थिति सामान्य होती जा रही है।

श्री भानु कुमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो सदन के पटल पर इन्होंने स्टेटमेंट रखा है उसमें कई बातें तो बिल्कुल तथ्यों से दूर हैं। माननीय प्रधान मन्त्री जी भी यहां हैं। मैं उनसे पूछने से पहले आपसे एक व्यवस्था चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में मैंने पांच-सात क्वेश्चन पूछे हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने को कहा गया है।

श्री भानु कुमार शास्त्री : लेकिन एक प्रोप्राइटी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसी महीने में मैंने चार-पांच प्रश्न इस बारे में पूछे हैं जिसके बारे में मन्त्री महोदय ने जो जवाब है वह आप देखें। मैंने सीधा प्रश्न पूछा है कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुए तो उत्तर दिया गया कि इन्फार्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड। बड़े आश्चर्य की बात है कि 15-15, 17-17 और 14-14 साल से जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके लिए यह उत्तर मिले 21 दिन की नोटिस के बाद और यह सीधा प्रश्न मैंने पूछा था कि—

"केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने वर्ष 1964-65 के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और नेपाल से जुड़े क्षेत्रों में अपनी परियोजनाओं के लिए कुल कितने कर्मचारी भर्ती किए ?"

मेरा क्वेश्चन था और श्री लकप्पा का था।···(**व्यवधान**) मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इससे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस प्रकार का उत्तर मिले तो हमें क्या करना चाहिए? मैंने पूछा है :

"ये सभी परियोजनाएं कब आरम्भ की गई?"

इसके बारे में मिनिस्टर को भी संदेह नहीं है, यह पुराना चल रहा है और उसका उत्तर दिया है माननीय मन्त्री महोदय ने कि :

"सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।"

अब यह कौन सी प्रोप्राइटी है? इसका मतलब है कि जो 1500 वर्कर्स नेपाल में काम कर रहे हैं उनके बारे में मन्त्री महोदय उत्तर देना नहीं चाहते। मैं इसकी प्रोप्राइटी के बारे में पूछना चाहता हूं कि क्या यह विशेषाधिकार का प्रश्न होगा कि मैं किसी की समस्या के बारे में प्रश्न पूंछू और मन्त्री महोदय आर्डर निकाल दें कि मैं उनको मिलता नहीं और उनको सस्पेंड कर दो क्योंकि वह माननीय सदस्यों से जा कर मिलते हैं और मिलकर प्रश्न पुट अप करते हैं, इस प्रकार का यदि आर्डर निकाल दिया जाय और उनको आर्डर दिया जाय कि दो घन्टे के अन्दर ड्यूटी ज्वाइन करो, नहीं तो तुम्हें टर्मिनेट कर दिया जायगा। क्या यह ठीक है?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। (**व्यवधान**)···

मेरा कैटेगारिकल प्रश्न है, क्या यह सही है कि इंडिया और नेपाल की बेस पर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं—1964-65 से लेकर आज तक नेपाली सीमा पर 6 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं—उन पर काम करने वाले एम्प्लाई 6 वर्षों तक सी०पी०डब्लू०डी० का ग्रेड लेते रहे थे लेकिन 1970 में उनका यह ग्रेडेशन हटाकर, मनमाने तरीके पर नेपाली करेंसी में स्केल्स दिए गए। 1970 से 1979 तक उनकी प्रार्थना पर हमारे आवास विभाग ने कुछ भी नहीं किया। इन्हीं प्रश्नों को लेकर 15 सौ वर्कर्स हड़ताल पर हैं। हमारे सरसूनिया साहब यहां बैठे हैं, ये वहां पर स्थिति देख आए हैं और उसको आपके सामने रखा है। हमारे ओम प्रकाश त्यागी जी भी यहां बैठे हैं, उन्होंने भी सारी बातें रखी हैं। श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी जी ने भी इसको रखा है और लकप्पा जी ने भी प्रश्न किया है। इसके बाद हमारे मन्त्री श्री धनिक लाल मण्डल जी ने भी आपको पत्र लिखा है लेकिन इन सारी बातों के बावजूद इसका कोई इलाज नहीं हुआ, कोई विचार नहीं हुआ। 21 फरवरी से वे भूख हड़ताल पर हैं। कई लोगों के घर वाले मर गए हैं। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि जो लोग भारत के इस काम पर लगे हुए हैं क्या उनसे आप नेगोशिएट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे? आपने तो ऐसा आर्डर निकाल दिया कि हम बात भी नहीं करेंगे, जाओ ड्यूटी ज्वाइन करो।··· (**व्यवधान**)

श्री सिकन्दर बख्त : पहली बात तो यह है कि यह बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि किसी भी समय वर्कर्स से मिलने में कोई एतराज किया गया हो या बचा गया हो। मैं आनरेबल मेम्बर्स के साथ भी उनसे मिला हूँ और अकेले भी मिला हूँ, उनसे नेगोशिएसंन भी की हैं, इसकी पूरी क्रोनोलाजिकल तारीखें भी दे सकता हूँ। यह बात भी दुरुस्त नहीं है कि कभी इस किस्म की कोई धमकी दी गई कि चूंकि आप मेम्बर्स से मिले हैं इसलिए आप के हक में किसी किस्म के कदम नहीं उठायेंगे।

ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि दी हुई वेजेज को वापिस लिया गया हो। तारीख दरअसल मुख्तलिफ हैं। पहले 1 नवम्बर, 1968 को इंडियन करेन्सी पे-स्केल्स को लोकली रेक्रूटेड स्टाफ, इंडियन एम्बैसी वगैरह में नेपाली करेंसी में कन्वर्ट किया गया। आई० सी० एम० हाईवे प्रोजेक्ट के स्टाफ को आप्शन दिया गया कि वे चाहें तो इंडियन करेंसी में जारी रखें या कन्वर्टेड करेंसी कबूल कर लें। आज भी 46 ऐसे लोग हैं जोकि इंडियन स्केल्स के साथ चल रहे हैं। 1971-72 में पहली दफा एजिटेट करने का सिलसिला शुरू हुआ। पहली नवम्बर, 1970 को एक तबदीली यह हुई कि इंडियन इम्बैसी के स्टाफ का रिवीजन आफ पे-स्केल्स हुआ। आई० सी० एम० वालों का नहीं हुआ। 1971-72 में उन्होंने एजिटेट किया तो नेगोसिएशन्स हुए और उसके बाद उनको नम्बर आफ बेनिफिट्स दिए गए। उसके बाद दोबारा फिर सिलसिला चला, उनके दूसरे एजिटेशन के बाद यहां मीटिंग हुई जिसमें विदेश मिनिस्ट्री के लोग, हमारे आफिसर्स और वर्कर्स शामिल थे। वे चाहते यह थे कि उनको यह अश्योरेन्स दिया जाए कि मार्च 1982 जबकि प्रोजेक्ट का काम खत्म होने वाला है, उसके बाद हिन्दुस्तान में दूसरे प्रोजेक्ट्स में एबजार्ब किया जाए। ऐसा कहा गया कि जो लोग एम्पलायमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं उनके इन्ट्रेस्ट्स जियोपर्डाइज होंगे। लेकिन उनको मश्विरा दिया गया कि आप भी एम्पलायमेंट एक्सचेंज में नाम रजिस्टर करायें। यह सिलसिला चल रहा था और अभी हाल ही में मैंने सीनियर आफिसर्स को वहां भेजा, उनसे बातचीत हुई। यह कोई पुरानी बात नहीं, जनवरी, 1979 की बात है। उसके बाद नयी सहूलियतों का एलान किया गया है। जिनकी तादाद 9 है, आप चाहें तो मैं उनको दे सकता हूं। जो इम्पोर्टेन्ट बात है, वह यह है :

> "साधारण नीति के तौर पर भारत सरकार स्थानीय तौर पर भर्ती किए गए कर्मचारियों के वेतन और भत्ते उतने ही रखने की कोशिश करती है जितने कि इसी श्रेणी के कर्मचारियों को मेजमान देश में मिलते हैं। यही आवश्यक है।"

श्री भानु कुमार शास्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो मेरे सवाल के उत्तर में कहा कि इस तरह का कोई आर्डर नहीं निकाला है कि हम उनसे नहीं मिलेंगे, मेरे पास आर्डर की कापी है और मैं उसमें से पढ़ कर आप को सुना देता हूं। यह 12 अप्रैल, 1979 का इनके विभाग से निकला हुआ आर्डर है और उसमें यह लिखा है :

> "नेताओं के साथ कोई बैठक नहीं की जा रही है, कर्मचारियों को शीघ्र काम पर वापस आना चाहिए। अन्यथा जो 13-4-1979 अन्तिम रूप से 15-4-1979 तक काम पर नहीं आएंगे उन्हें सेवा से निकाल दिया जाएगा।"

यह आर्डर की कापी मेरे पास है।

श्री सिकन्दर बख्त : इन्होंने जो यह कहा कि मेम्बर्स के पास जाते हैं, इसलिए मिलने से मना किया गया है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि स्ट्राइकर्स से बातचीत की और उनके कुछ मतालबात मान भी लिये गये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं आर्डर की कापी रख रहा हूं।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं मंजूर कर रहा हूं। मैं इसको नामंजूर नहीं कर रहा हूँ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसके साथ-साथ आप यह देखें कि यह प्रोजेक्ट कितने वर्षों का था। आज 15 वर्ष से वे काम कर रहे हैं और 1982 में उसके समाप्त होने की सम्भावना है। 15 वर्ष और वे काम करेंगे। तो 30 वर्षों तक वे टेम्पोरेरी रहेंगे, मुझे आश्चर्य होता है। कुछ लोगों को इन्होंने सस्पेंड और डिसमिस कर दिया है। मेरे पास उनकी लिस्ट है। मैं उसको पढ़कर सुना सकता हूं। ये हैं बलदेव सिंह, सीनियर आपरेटर, प्रताप मोहन झा, सुरेश सिंह, सीनियर मैकेनिक, बाबु काजी महाजन और श्रीराम।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सभी नाम पढ़कर सुनाने चाहिए।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उनको ससपेंड कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। क्योंकि यह डिमान्ड थी कि हमें इसका वेतन मिलना चाहिए। मन्त्री महोदय ने कहा कि इनको बेनीफिट्स दे दिये गये हैं। तो मैं मन्त्री महोदय के दो लेटर पढ़कर सुनाता हूं। दोनों लेटर्स में इन्होंने कान्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिये हैं। एक लेटर में यह लिखा है :

> "सरकार ने जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं उन्हें प्रत्येक वर्ष की लगातार सेवा के लिए माह के वेतन के बराबर के उपदान जैसे लाभ पहले ही दे रही है।"

और इसके साथ ही साथ मन्त्री महोदय ने जो दूसरा पत्र स्वामी सुब्रह्मण्यम जी को लिखा है, उसके अन्दर इन्होंने लिखा है कि हम बेनीफिट दे रहे हैं। यह पत्र इन्होंने लिखा है जनवरी में।

उपाध्यक्ष महोदय : शायद आप सुब्रह्मण्यम स्वामी हैं न कि स्वामी सुब्रह्मण्यम।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सुब्रह्मण्यम स्वामी।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें काफी अन्तर है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : और इनके आफिस ने अभी घोषणा की है कुछ दिन पहले घोषणा के बाद।

यह लेटर 18-4-79 का है :

के० लो० नि० वि० अधिसूचना संख्या एम० आर० एम० सी०/ Iभूटा सं० 9 (5479), दिनांक 18-4-1979

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी आपको प्रश्न पूछना होगा।

श्री भानु कुमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन केवल यह है कि मंत्री महोदय ने यह कहा कि ये बेनीफिट्स दे दिये गये हैं और 1982 में यह काम समाप्त हो जायेगा। मेरा कहना यह है कि आप ने जो पत्र में लिखा है कि बेनीफिट्स दे दिये जायेंगे तो उससे कई महीने बाद एक नोटीफिकेशन निकलता है और उस नोटीफिकेशन में आफिस का आर्डर निकलता है :

> दिनांक 9 अप्रैल, 1979 को दिए गए लाभ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं।

श्रीभानु कुमार शास्त्री : मैं पढ़ नहीं रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सीधा प्रश्न पूछिए।

आप ने कहा कि हम बेनीफिट्स दे रहे हैं, तो जिस तारीख से बेनीफिट्स देने की बात थी, उस तारीख से आज तक आपने नहीं दिये। 9 अप्रैल का आप का नोटीफिकेशन है और उसमें

कहा गया है कि हम अभी दे रहे हैं। तो विरोधाभास ठीक निकला है। मेरा सीधा क्वेश्चन यह है कि क्या अभी भी माननीय मंत्री जी 15, 17 वर्ष के बाद उनकी सर्विसेज रेगूलेराइज करेंगे और जो लेबरर्स अभी स्ट्राइक पर हैं, उनको विक्टेमाइज न करते हुए···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने हाथ खड़े न रखें। अन्यथा मैं उन्हें देख नहीं पाऊंगा।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बड़ा गम्भीर है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उनसे निगोशियेट करके इस समस्या का समाधान करें ताकि वहां पर 1700 मजदूरों का जीवन निर्वाह आसानी से हो सके।

श्री सिकन्दर बख्त : अव्वल तो आनरेबिल मेम्बर ने जो फीगर्स दिये हैं, वे गलत हैं। उनकी तादाद 1100 है और उनमें से 311 इन्डियन नेशनल्स हैं जो लोकली रिक्रूट किये गये हैं।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करूंगा कि जो बेनीफिट्स दिये गये हैं, वे निगोशियेट करने के बाद बातचीत करने के बाद दिये गये हैं और दिये जाने के बाद उनके वापस लेने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। उनको रेगुलराइज करने का जहां तक ताल्लुक है, वे टेम्परेरी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट रिक्रूट किए गये थे और उस प्रोजेक्ट के साथ-साथ उनकी नियुक्ति समाप्त हो गई है।

डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या यह सही है कि बातचीत पूर्ण होने के बाद भी स्वीकार की गई शर्तें पूरी नहीं की गई और कर्मचारियों में काफी असंतोष व्याप्त है? क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि छंटनी नहीं की जाएगी और बदले की कार्यवाही नहीं होगी तथा करार की शर्तें शीघ्र पूरी की जाएंगी? मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितने कर्मचारी काम पर वापस आए हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : उनमें से काफी लोग वापस आ गए हैं।

श्री राज नारायण : श्रीमान् यह जो सवाल 932 है, जरा इसकी गंभीरता का ख्याल किया जाए। मैं समझता हूं कि केवल निवास मंत्री जी ही नहीं, प्रधान मन्त्री जी भी यहां विद्यमान हैं, पूरी सरकार यहां विद्यमान है। 15 सौ कर्मचारी असन्तोषजनक सेवा स्थितियों के कारण आन्दोलन कर रहे हैं। वहां का सारा का सारा विश्वविद्यालय बन्द है। श्री बी० पी० कोइराला जेल में बंद कर दिये गये हैं। नेपाल की स्थिति बड़ी विस्फोटक हो रही है। अगर भारत सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके तत्काल उसके बारे में कदम नहीं उठाती है तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, नेपाल के आन्दोलन से आप अच्छी तरह से परिचित हैं और हम लोग भी उसमें खूब जूझे हैं। हम लोग वहां के जन-जन के जीवन से परिचित हैं। अगर श्री बी० पी० कोइराला और गणेशमान सिंह जी को कुछ हो गया, अगर उनको गोली से मार दिया गया तो उसका भारत की जनता पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा और उसे भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। केवल यह कह कर कि यह विदेशी मामला है, सरकार कुछ बोलेगी नहीं (व्यवधान)।

श्री सिकन्दर बख्त : सर, आनरेबल मेम्बर की गंभीरता का पैमाना क्या है, उस से तो

मैं वाकिफ नहीं हूँ लेकिन यह यकीन दिलाता हूँ कि सरकार को कुछ भी काम करती है, पूरी गंभीरता को ध्यान में रख कर करती है।

श्री मनीराम बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, 15 सौ आदमियों को वहां पर बेकारी का सामना करना पड़ा, वहां उन मजदूरों के नेताओं को नेपाल की राणाशाही फौज से पिटवाया गया और वे उस वक्त वहां राणाशाही फौज द्वारा पीटे गये जबकि वहां के मजदूरों के नेता और हिन्दुस्तान की आजादी के लिए संघर्षशील श्री बी०पी० कोइराला ने आवाज उठायी। इसका सारे नेपाल के मजदूरों पर रिएक्शन हुआ। वहां पर विद्यार्थियों ने हड़तालें कीं, वहां पर गोलियां चलीं। आज सारा नेपाल जल रहा है, हिमालय जल रहा है। आज तिब्बत की क्या हालत हो रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछें ।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं सवाल की तरफ आ रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, नेपाल के सवाल पर एक समय आया था जबकि नेपाल के राजा भाग कर यहां आये थे। भारत की सरकार ने उनकी मदद की थी। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस पर अवश्य प्रश्न पूछें ।

श्री मनीराम बागड़ी : आज वहां पर वही राणाशाही की फौज ने हमारे मजदूरों को पीटा। (**व्यवधान**) इसमें से यह सवाल आता है। जब हमारे हिन्दुस्तानी मजदूरों को विदेशी फौज से पिटवाया जाए तो क्या यह हमारे लिए शर्म की बात नहीं है ? इसके बुरे नतीजे निकलेंगे। इसके बारे में मन्त्री महोदय का क्या जवाब है ?

भारत के लोग दौड़ते हुए यहां आ गए.....

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी, आपने पहले ही प्रश्न पूछ लिया है। उन्हें उत्तर देने दीजिए ।

श्री मनीराम बागड़ी : सवाल मेरा यह है कि नेपाल की फौज ने वहां पर मजदूरों को पीटा और कितनी बार पीटा ? क्या यह सही नहीं है कि ये सब राणाशाही के शिकार हुए हैं .....।

श्री सिकन्दर बख्त : नेपाल के बारे में उन्होंने जो कहा है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं ।

श्री मनीराम बागड़ी : यह क्या जनतन्त्रीय सरकार का जवाब है ? क्या जवाब दिया है ? हिन्दुस्तान के आदमियों को वहां पर फौज पीटे और ये उसके बारे में कुछ न बताएं यह कैसे हो सकता है ? इनसे जवाब दिलवाइये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय यह बड़े शर्म और खेद की बात है कि भारतीय मजदूरों को जिन्हें भर्ती के समय यह आश्वासन दिया गया था कि उनके साथ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मजदूरों की बराबरी का बर्ताव किया जायेगा, पीटने के लिए नेपाली सेना का प्रयोग किया गया है। क्या यह एक बड़े शर्म की बात नहीं है कि भारतीय मजदूरों को जो वहां रोजी कमाने के लिए जाते हैं नेपाली सेना के द्वारा पीटा जाए ? उन्हें इस तरीके से क्यों पीटा जाना चाहिए ?

महोदय, जब नियुक्ति की गई थी तो उन्हें आश्वासन दिया गया था कि भारत में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की तरह उन्हें पूरे अधिकार दिये जाएंगे। किन्तु अब उनकी नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है उनके मजदूर संघ के कोई अधिकार नहीं हैं तथा उनके लिये चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं और लगभग सौ मजदूरों की सेवाएं समाप्त की गई हैं जबकि वे लगातार 15 वर्षों से काम कर रहे हैं हर एक समय प्रत्येक परियोजना के लिए, जिसे शुरू किया जाता है, नई नियुक्ति की जाती है और उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। महोदय, क्या लोक तान्त्रिक देश से ऐसे देश को जहां राजा का शासन है रोजी कमाने के लिए जाने वाले किसी मजदूर को वहां की राजशाही की बुराइयों को सहन करना पड़ेगा। यही मेरा मुख्य प्रश्न है इसके उत्तर में उन्होंने कहा है .....

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय मेरा प्रश्न यह है : व्यक्तव्य के पृष्ठ दो के पैरा तीन के उप-पैरा तीन में मन्त्री महोदय ने कहा है :

"नेपाल में परियोजनाओं के पूरे होने पर कर्मचारियों को भारत में समान पदों पर लिया जाना चाहिए।"

यह एक मांग है। अब वे कहते हैं "सरकार को इस समस्या की जानकारी है और इन मजदूरों की सेवा की शर्तों में सुधार करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सरकार निम्नलिखित लाभ देने पर सहमत हुई है।"

किन्तु उन्हें नौकरी देने का कोई प्रश्न नहीं है।

अब यदि आप स्वयं अपने दिनांक 14 जनवरी 1973 के परिपत्र संख्या 28/8/70-डब्ल्यू० सी० एस० II (डब्ल्यू० सी० एस०I) को देखेंगे तो उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है और इस पर श्री घनराज, उपनिदेशक (कृते मुख्य इंजीनियर) के हस्ताक्षर किये गये हैं :

"यह निर्णय किया गया है कि उन व्यक्तियों की नियुक्तियां (सूची संलग्न) जिन्हें नेपाल में अन्य परियोजनाओं में काम पर नहीं लगाया सका भारत में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अन्य एककों में उन पदों पर जिन पर वे पहले थे या उनकी योग्यता तथा प्रत्यक्ष भर्ती के कोटे में उपलब्ध रिक्त स्थानों के अनुसार निचले पदों पर उनके अधिशेष घोषित किये जाने के कारण छटनी में आने के 6 महीने के अन्तर्गत बिना रोजगार कार्यालय के नियुक्ति की जा सकती है।"

यह 14 जनवरी 1973 को जारी किया गया था। 6 महीने बीतने के बाद आज वे कहते हैं कि उन्हें इस मामले की जानकारी है और वे नौकरी दिलाने के इस प्रश्न पर बिलकुल चुप हैं मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं क्या वे भर्ती के समय दिए गए सभी आश्वासनों को पूरा करेंगे तथा सभा में यह स्पष्ट आश्वासन देंगे कि नेपाल की परियोजनाओं में जिन्हें अधिशेष घोषित किया जाए उन्हें भारत में नियमित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया जाए।

श्री सिकन्दर बख्त : सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना नहीं है कि नेपाल में परियोजनाओं के पूरा होने पर उन्हें नौकरी दी जाएगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय यह एक स्पष्ट·····**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है।

श्री सिकन्दर बख्त : महोदय, यह कहा गया था कि उन्हें नौकरी पर लगाया जा सकता है और वह स्थिति अभी भी है और जब भी सम्भव होगा उन्हें नौकरी पर लगाया जा सकता है। किन्तु वह उन्हें नौकरी पर लगाने के बारे में स्पष्ट आश्वासन देना चाहते हैं जो सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, यह निर्णय लिया जा चुका है·····

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं तो आप आधे घण्टे की चर्चा कर सकते हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : श्री बसु आपको इसे फिर पढ़ना है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने इसे ध्यानपूर्वक पढ़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने दूसरे सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, एक ओर वे उन्हें धोका दे रहे हैं और दूसरी ओर·····

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु आप लगातार न बोलें। आपने पहले ही अपना प्रश्न पूछ लिया है।

श्री लालजी भाई : मैं जानना चाहता हूँ कि इस विषय को लेकर वहां के लोगों ने कितनी बार हड़ताल की है और कितनी बार सरकार ने उनके साथ बातचीत की है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उन हड़तालों के दौरान कितने लोगों को ससपैंड किया गया है, उनकी संख्या क्या है ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि उन लोगों की सम्पूर्ण मांगें क्या-क्या थीं और उन मांगों को मानने के रास्ते में सरकार के सामने क्या अड़चनें थीं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उनकी सम्पूर्ण मांगों को कब तक मान लिया जाएगा, क्या सरकार इसके बारे में कोई आश्वासन दे सकती है ?

श्री सिकन्दर बख्त : मुझे यह अर्ज करना है कि नवम्बर 78 में एक बार और एक बार फरवरी 79 में स्ट्राइक हुई। एजीटेशन की मुख्तलिफ शक्ल में 1971-72 में हुई। यह तो उसकी शक्ल है साहब। सम्पूर्ण मांग मानने का सवाल नहीं है। वर्कर्स से बातचीत करने के बाद कुछ मागें मानी गई हैं जिसमें 27 लाख रु० सालाना का ऐक्स्ट्रा बेनीफिट, ऐडीशनल बेनीफिट उनको मिला है।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : दूसरी ओर के सदस्य इस प्रश्न के बारे में लगातार मांग कर रहे हैं। यह आपका कर्त्तव्य है कि आप यह सुनिश्चित करें कि मन्त्री महोदय की भर्तसना की जाये क्योंकि वह टालमटोल उत्तर दे रहे हैं। यह उन साधारण मजदूरों के बारे में सीधा प्रश्न है जो लम्बे समय से वहां धूप और बारिस की परवाह किये बिना काम कर रहे हैं। उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। इसे सरकार के ध्यान में एक बार नहीं किन्तु कई बार प्रश्नों और प्रतिवेदनों के माध्यम से लाया गया है। मजदूर और उनके नेता संसद सदस्यों को उनकी शिकायतों को दूर

करवाने के लिए कहते रहे हैं। मंत्री महोदय को तत्काल वहां जाना चाहिए और उनकी कठिनाइयों के बारे में मालूम करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मजदूरों को सहानुभूति के आधार पर कम से कम कुछ सुविधाएं देनी चाहिए। मंत्री महोदय को स्थिति की गम्भीरता महसूस करनी चाहिए। यदि उन्हें संसद और संसद सदस्यों के प्रति कुछ आदर की भावना है तो उन्हें इस प्रश्न को तत्काल निपटाना चाहिए और सभा को प्रतिवेदित करना चाहिए। क्या मंत्री महोदय मजदूरों के प्रति कुछ सहानुभूति दिखएंगे ?

श्री सिकन्दर बख्त : जैसा कि मैंने पहले ही कहा है हमने इस प्रश्न का यथाशक्ति समाधान करने का प्रयत्न किया है। मजदूरों को 27 लाख रुपये प्रतिवर्ष का लाभ हुआ है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : हमारी सरकार का यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह अपने कर्मचारियों के प्रति ऐसा व्यवहार करे कि जिस देश में वे काम कर रहे हैं वहां के स्थानीय कर्मचारियों पर इसका प्रभाव पड़े। मैं इस सारे मामले का कानूनी अथवा पूरी तरह से प्रशासनिक दृष्टिकोण नहीं लूंगा। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इन मजदूरों की मांगों के प्रति व्यापक समर्थन है। हमारा काम यह देखना है कि मंत्री महोदय के पास जो सूचना पहुँचती है वह सही है। इससे प्रति-पुष्टि हो जाती है। अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है :

> "ऐसा समाचार है कि अधिकांश मजदूर अपने काम पर वापस आ गये हैं और स्थिति सामान्य होती जा रही है।"

यह सही नहीं है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस मामले को बातचीत से निपटाने के लिए तत्काल कदम उठायेंगे। मैं हड़ताल के पक्ष में नहीं हूं या कर्मचारी काम न करें इसके पक्ष में नहीं हूं। यदि मंत्री महोदय का दृष्टिकोण अनुकूल है तो हम इस मामले का समाधान कर सकते हैं ताकि भारतीय मजदूरों की इज्जत नेपाल जैसे गैर-लोकतांत्रिक देश में बढ़े और इसका प्रभाव भी पड़ेगा।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं 26 अप्रैल, 1979 को उपस्थिति की ताजा स्थिति के बारे में बताऊंगा :

केन्द्रीय क्षेत्र— एम० आर० एम० मण्डल
I बुटवाल— 95 प्रतिशत
एम० आर० एम० मण्डल
II नेपाल गंज— 60 प्रतिशत उपस्थिति

सेन्ट्रल क्षेत्र में उपस्थिति 95 प्रतिशत है। कुल मिलाकर उपस्थिति 75 प्रतिशत है। मोटर गाड़ियों ने चलना शुरू कर दिया है।

पुनर्वास उद्योग निगम, पश्चिम बंगाल

*933. **डा० विजय मण्डल** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में पुनर्वास उद्योग निगम को इस बीच विघटित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डा० विजय मन्डल : मैं सरकार की सराहना करता हूं कि सरकार ने पश्चिम बंगाल में पुनर्वास उद्योग निगम को समाप्त नहीं किया है, यह पाया गया है कि लोग वित्तीय सहायता की कमी, विपणन सुविधाओं की कमी तथा कच्चे माल की सप्लाई की कमी के कारण रोजगार खो रहे हैं । क्या मैं यह जान सकता हूँ कि उन लोगों में से जो ऐसे उद्योगों में काम कर रहे हैं जिन्हें पुनर्वास उद्योग निगम से वित्तीय सहायता मिल रही है, कितने लोगों की नौकरी खत्म हुई हैं ?

श्री सिकन्दर बख्त : पुनर्वास मंत्रालय का काम एक निगम की व्यवस्था करना था जिसके द्वारा इन बंगाली शरणार्थियों को नौकरियां मिलें । यह 1959 में बनाया गया था और इसकी जारी और चुकता पूंजी, जिसमें सरकार ने अंशदान किया है, 3.53 करोड़ रुपये थी और इस सारी अवधि के दौरान 12.34 करोड़ रुपये की संचयी हानि हुई है । गत पांच वर्षों के दौरान 1974-75 में 125.34 लाख रुपये की हानि हुई तथा 1975-76 में 150.92 लाख रुपये की हानि, 1976-77 में 160.64 लाख रुपये की हानि और 1977-78 में 182.55 लाख रुपये की हानि हुई । 1978-79 के लेखों का अभी संकलन नहीं किया गया है । यह एक औद्योगिक निगम है जिससे प्रगति करनी चाहिए थी किन्तु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है और हम कब तक हानि उठाते रहेंगे ?

डा० विजय मण्डल : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि उद्योगों में हर साल घाटा हो रहा है और इसके परिणामस्वरूप रोजगार की, विशेष रूप से पूर्व पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के लिए रोजगार की कमी हो रही है, तो सरकार इस घाटे को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है जिससे शरणार्थियों को जो अभी भी शरणार्थी हैं, रोजगार के अवसर मिलें ?

श्री सिकन्दर बख्त : हम चाहते हैं कि घाटा बन्द हो । अत: इस मामले की जांच करने के लिए समितियां नियुक्त की गई हैं और एक समिति ने पश्चिम बंगाल सरकार को सिफारिश की है और तीन वैकल्पिक सुझाव दिये गये हैं । एक सुझाव यह था कि पश्चिम बंगाल सरकार निगम को अपने हाथ में ले ले, दूसरा सुझाव यह था कि हथकरघा एकक के मजदूरों को एक सहकारी संस्था बनाने के लिए कहा जाये ताकि वे एक कुटीर उद्योग के रूप में न कि एक कारखाने के रूप में काम कर सके । मजदूरों ने सहकारी संस्था बनाने से इन्कार कर दिया है । तीसरा सुझाव यह था कि जिन यूनिटों में घाटा हो रहा है उन्हें बन्द किया जाये । हम पश्चिम बंगाल सरकार से बातचीत कर रहे हैं । पश्चिम बंगाल सरकार पहले और दूसरे विकल्प को नहीं मान रही है वे चाहते हैं कि भारत सरकार घाटे को पूरा करे । अत: ऐसा कुछ किया जाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो जाये कि निगम को घाटा न हो ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : यह खुशी की बात है कि निगम को समाप्त नहीं किया गया है तथापि मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या इस निगम के कार्यकरण के बारे में कई शिका-

यतें आई हैं और क्या यह भी सच है कि यह निगम सरकार की आशाओं के अनुकूल नहीं रहा है जिसके परिणामस्वरूप सरकार इसे समाप्त करने का विचार कर रही है।

श्री सिकन्दर बख्त : ऐसे बहुत से कारण रहे हैं जिनका समितियों ने पता लगाया है। समितियों ने बार-बार कहा है कि उत्पादन नहीं हो रहा है। दूसरा कारण निगम की गैर वाणिज्यिक गति-विधियां हैं। निगम स्वयं यह घाटा कर रहा है और वह अन्य व्यवसायों को ऋण दे रहा है। हथकरघा यूनिटों को कुटीर उद्योग माना जाना चाहिए किन्तु दुर्भाग्य से वे एक कारखाने के रूप में कार्य कर रहे हैं अर्थात् मजदूरों को अतिरिक्त लाभ और ऋण आदि दे रहे हैं। इसके कई कारण हैं। सरकार इस पर सक्रिय रूप से ध्यान दे रही है हम पश्चिम बंगाल सरकार से बातचीत कर रहे हैं और इसका कुछ उपयुक्त समाधान ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री चित्त बसु : उत्तर के दौरान यह उल्लेख किया गया है कि इस निगम की प्रारम्भिक निवेश पूंजी 3.5 करोड़ रुपये थी और यह निगम हर साल घाटा उठा रहा है।

क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार को पता है कि खुद प्रबन्धक इस उद्योग निगम को अच्छी तरह से नहीं चला पाये हैं और लगातार हर साल घाटा होने का यह भी एक कारण है ?

इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या वह पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श कर इस संगठन का पुनर्गठन करने के लिए उचित कदम उठायेंगे, जिससे रोजगार के साधन, जिसके लिए यह बनाया गया था, वास्तव में बढ़ाये जायें ?

श्री सिकन्दर बख्त : सरकार इसे पश्चिम बंगाल सरकार ने पूरी तरह से देने के लिए तैयार है ताकि वे इसका प्रबन्ध जैसा चाहें वैसा करें।

श्री चित्त बसु : मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप यह पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कर सकते हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : पश्चिम बंगाल सरकार के पूरे सहयोग से।

श्री सौगत राय : प्रश्न यह नहीं है कि हम इस बात की मांग करें, प्रश्न यह है कि भारत सरकार की पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की जिम्मेदारी है और वह सारी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार पर डालना चाहते हैं। यह पहला अवसर नहीं है कि पुनर्वास उद्योग निगम को चलाने का प्रश्न उठा है। पिछली सरकार के समय भी यह प्रश्न उठा था और बार-बार कहने पर तथा प्रतिवेदन देने पर सरकार इसे बनाये रखने पर सहमत हुई।

प्रश्न इस निगम के कुप्रबन्ध का है। जिसके परिणामस्वरूप यह निगम घाटे में चल रहा है। किन्तु फिर भी बड़ी संख्या में शरणार्थी परिवारों को इसमें रोजगार मिला हुआ है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इस वर्ष भारत सरकार निगम को कितनी धनराशि देना चाहती है जिससे यह चल सके, निगम से कितने विस्थापितों को लाभ हो रहा है और प्रबन्ध को सुदृढ़ करने के लिए सरकार कौन से अन्य कदम उठा रही है तथा क्या सरकार, बजाय निगम को समाप्त करने के जिससे कई विस्थापितों का रोजगार समाप्त हो जायेगा और वे फिर विस्थापित हो जायेंगे, इसे इस वर्ष अपने हाथ में लेना चाहती है ?

श्री सिकन्दर बख्त : महोदय, प्रारम्भिक योजना के अनुसार पुनर्वास मंत्रालय का काम उस समय समाप्त हो गया था जब उसने यह निगम बनाया था। मैं यही कहूँगा कि माननीय सदस्यों के लिए यह संतोष की बात होनी चाहिए कि पुनर्वास मंत्रालय ने पुनर्वास निगम से सम्बन्ध नहीं तोड़े हैं। इसमें घाटा होने के बावजूद भी यह एक औद्योगिक एकक है में और इसे समाप्त नहीं किया गया है। यह सच है कि भारत सरकार को पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की बड़ी चिन्ता है। हमें इन लोगों के कल्याण की चिन्ता है जिनकी दशा देश में बहुत ही खराब है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के छोटे प्लाटों की बिक्री

*940. **श्री जी० एस० बनातवाला** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग के लिए फ्लेटों की बजाय छोटे प्लाट वेचने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, नहीं। फ्लेटों की बजाय प्लाट नहीं।

(ख) टेनामेन्टो / फ्लेटों के आबंटन के अतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आरम्भ किये जा रहे स्थल और सेवा कार्यक्रम के अधीन निम्न आय वर्ग तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के प्लाटों के विक्रय का भी प्रस्ताव है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रिहायशी प्लाटों का एक रिहायशी काम्पलेक्स भी तैयार किया जा रहा है जिसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्ग के प्लाट अधिक संख्या में होंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं हुकूमत का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन साथ ही वजाहत के तौर पर चन्द बातें मालूम करना चाहता हूँ।

ये जो प्लाट्स दिये जायेंगे, उनके बारे में शायद हुकूमत ने कुछ रूल्ज बनाये होंगे। इन प्लाट्स का ज्यादा से ज्यादा या कम से कम रकबा या एरिया क्या होगा ?

दूसरी चीज यह है कि क्या आपने उस की निर्ख के बारे में या रेट के बारे में सोचा है ? तकरीबन क्या रेट्स उस की होंगी ? मुझे उम्मीद है कि कम से कम इन दो अहम नुक्तों पर जरा साफ तौर से मन्त्री महोदय बताएंगे।

सिकन्दर बख्त : साइट्स एण्ड सर्विसेज का प्रोग्राम मैं आनरेबल मेम्बर की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ बुनियादी तौर पर वीकर सेक्शंस के लिए है। मौजूदा जिस प्रोजेक्ट का जिक्र मेरे साथी ने किया है वह प्रोजेक्ट करीब करीब 3780 एकड़ के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि करीब करीब 59 हजार प्लाट्स हम बनवा सकेंगे। अब उन 59 हजार प्लाट्स के डेवलपमेंट की कास्ट क्या आएगी यह उसी वक्त बताया जा सकता है लेकिन इतना बता सकता हूं इस वक्त कि इसकी तकसीम चार पांच सेक्शंस में होगी—ई० डब्ल्यू० एस०, एल० आई० जी०, एम० आइ० जी० और एच० आइ० जी०। उस की परसेंटेज क्या होंगी उन

59 हजार प्लाट्स के तकसीम की वह मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जिस दर पर कि कमजोर वर्ग के लोगों को मिलेगा वह दर कम होगी। एच आइ जी के लोगों को ज्यादा दर पर मिलेगा। इन 59 हजार में से 36500 तो वीकर सेक्शन के लिए होंगे, 10 हजार 700 एल आइ जी के लिए होंगे, 8,150 एम आइ जी के लिये होंगे और 2950 एच आइ फ्लैट्स होंगे। 79-80 में हम ई डब्लू एस को 5 हजार, एल आइ जी को 3 हजार, एम आइ जी को 1500 और एच आइ जी को 507 फ्लैट्स देने का इरादा रखते हैं। इसी तरीके से बाकी की तकसीम 80-81 में भी है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध, घी आदि का त्रुटिपूर्ण वितरण

929. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर में दिल्ली दुग्ध योजना के डिपुओं को की जाने वाली दूध की सप्लाई बहुत अनियमित हो गई है जिसके परिणामस्वरूप जनता को बहुत असुविधा हो रही है;

(ख) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जाने वाले मक्खन और घी जैसे दुग्ध उत्पाद भी उपलब्ध नहीं होते हैं; और

(ग) त्रुटिपूर्ण वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा परिष्कृत दूध की सक्षम संभाल सुनिश्चित करने के दीर्घकालीन उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय डेरी कम्पलेक्स में व्यापक पुनर्नवीकरण कार्य शुरू करना पड़ा। बोतलों में दूध भरने वाले संयंत्रों का भी पुनर्नवीकरण किया जा रहा है। अत: दिल्ली दुग्ध योजना से दूध की सप्लाई केवल पुनर्नवीकरण की अवधि के लिए कुछ सीमा तक कम कर दी गई है।

(ख) जी नहीं। दिल्ली दुग्ध योजना ने मक्खन और घी की बिक्री जारी रखी है।

(ग) जैसा कि भाग (क) में उल्लेख कर दिया गया है, दूध की सप्लाई में अस्थायी कटौती वितरण की किसी त्रुटि के कारण नहीं की गई है। तथापि, दिल्ली दुग्ध योजना के डेरी संयंत्र के पुनर्नवीकरण के कारण दूध की सप्लाई में कमी को मदर डेरी के बल्क बेन्डिंग बूथों के जरिये दुग्ध वितरण में वृद्धि करके और चुनींदा प्रावीजन स्टोरों के जरिए पोलीपैक में दूध की बिक्री करके दूर किया जा रहा है।

"एगोनी आफ ए कालोनी विदाऊट मेल्स" शीर्षक के प्रकाशित समाचार

*931. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 4 अप्रैल, 1979 के 'पेट्रियट' में 'एगोनी आफ ए कालोनी विदाउट मेल्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि चितरंजन पार्क क्षेत्र में झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले परिवारों के सभी पुरुषों को दो सप्ताह से अधिक समय से जेल में नजरबन्द रखा हुआ है जिससे उन परिवारों के सदस्यों को मुसीबतें पेश आ रही हैं; और

(ग) क्या सरकार इन परिवारों का पुनर्वास करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) यह सही नहीं है, जैसा कि समाचार में आरोप लगाया गया है कि चितरंजन पार्क क्षेत्र में झुग्गी झोंपड़ी परिवारों के सभी पुरुषों को दो सप्ताह के लिए जेल में बन्द कर दिया गया था। पुलिस से स्थिति की पुष्टि करने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 302 उन परिवारों में से जो क्षेत्र में सरकारी भूमि पर झुग्गियों का अनधिकृत तौर पर पुनः निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे, केवल 39 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। सिवाए 11 के सभी व्यक्तियों को 5 या 6 दिन के भीतर जमानत पर छोड़ दिया गया था। 11 व्यक्तियों को जिन्होंने जमानत प्रस्तुत नहीं की थी, 12 अप्रैल, 1979 को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया और आपराधिक अतिक्रमण के अपराध को स्वीकार कर लेने पर न्यायालय के उठने तक की कैद की सजा सुनाई गई।

(ग) सरकारी भूमि पर नए अतिक्रमणों के ऐसे मामलों में कोई पुनर्वास सुविधाएं अनुमेय नहीं हैं।

पंचायतों, सहकारिताओं तथा अन्य एजेंसियों द्वारा भंडारण केन्द्रों के निर्माण और संचालन के बारे में कार्यकारी दल की सिफारिश

*934 **श्री सी० के० जाफर शरीफ**
श्री डी० डी० देसाई } : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय के कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि पंचायतों, सहकारिताओं या राज्य सरकार द्वारा चुनी गई अन्य उपयुक्त एजेंसियों द्वारा भंडारण केन्द्रों का निर्माण और संचालन किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो दल द्वारा सरकार को दिए गये अन्य सुझाव का ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) कार्यकारी दल द्वारा दिए गए सुझावों के बारे में विस्तृत ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर, ग्रामीण गोदामों के निर्माण की एक योजना को वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण

कार्यकारी दल के अन्य सुझाव निम्नलिखित है :—

(1) फार्म उपज की घनाभाव बिक्री को दूर करने तथा अपर्याप्त एवं दोषपूर्ण भंडारण सुविधाओं के कारण अपव्यय तथा क्षति को रोकने के लिए प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण भंडार केन्द्रों के जाल का गठन करना अनिवार्य है। चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे इस वर्ष प्रायोगिक परियोजनाओं के रूप में प्रारम्भ करते हुए इस योजना के अन्तर्गत 2 से 3 मिलियन मीटरी टन की क्षमता सृजित की जाए।

(2) ग्रामीण भंडार केन्द्रों का निर्माण और प्रबन्ध पंचायतों, सहकारी सोसायटियों अथवा राज्य सरकार द्वारा चुनी गई, किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी द्वारा किया जाए।

(3) ग्रामीण भण्डार केन्द्रों की 109 से 250 मीटरी टन की क्षमता होनी चाहिए तथा उनसे मुख्यरूप से खाद्यान्नों और अन्य कृषि उपज के लिए भण्डारण सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। जहां व्यवहार्य हो, वे उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों, बीजों तथा अन्य कृषि निवेशों को भी संग्रह करें।

(4) निर्माण की लागत बैंकों से लिए 50 प्रतिशत उपदान तथा 50 प्रतिशत ऋण द्वारा पूरी की जा सकती है। केन्द्रीय सरकार निर्माण की लागत का 33 प्रतिशत वहन करे, तथा राज्य सरकार उपदान के जरिए निर्माण की लागत का 15 प्रतिशत उपलब्ध करे। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार काम के बदले अनाज कार्यक्रम के माध्यम से कुल लागत के 20 प्रतिशत तक निर्माण की लागत के श्रम घटक को भी वहन करे। तब मजदूरी की अदायगी वस्तु के रूप में की जा सकती है।

(5) ग्रामीण भण्डार केन्द्रों में एक मैनेजर अधिमानतः केन्द्र द्वारा सेविक क्षेत्रों से होगा तथा इस मैनेजर को केन्द्र/राज्य भण्डागारण निगम के मालगोदाम से सम्बद्ध करते हुए मालगोदाम मूल आवश्यकताओं के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा।

(6) केन्द्रीय/राज्य भण्डागारण निगमों द्वारा ग्रामीण भण्डार केन्द्रों के अभिकल्प, निर्माण तथा प्रबन्ध करने में तकनीकी मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण और सहायता निःशुल्क अथवा नाममात्र के शुल्क पर सुलभ की जाएगी।

(7) उत्पादकों को ग्रामभंडार केन्द्रों में जमा किए गए स्टाक की रसीदें सुलभ की जाएगी तथा ये रसीदें विनिमेय-पत्र होंगी, ताकि उत्पादक बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकें।

(8) किसान और उनके द्वारा ग्रामीण मंडारण केन्द्रों में जमा किए गए स्टाकों के मूल्य के 90 प्रतिशत की सीमा तक ऋण सुलभ किए जाएं तथा बैंक उससे रियायती ब्याज की दर वसूल करें, जैसा कि कृषि उत्पादन प्रयोजनों हेतु वित्त के मामले में किया जाता है।

(9) ग्रामीण भण्डार केन्द्रों की योजना की खाद्यान्नों आदि के वसूली तंत्र से सम्बद्ध कर देना चाहिए तथा इसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली से निकट सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए।

(10) इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा समन्वित किया

जाना चाहिए जिसमें केन्द्रीय/राज्य भंडागारण निगम, भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीकृत बैंकों आदि के प्रतिनिधियों के साथ-साथ राज्य सरकार के कृषि ग्राम विकास, सहकारिता, पंचायत, राज्य भंडागारण निगम आदि विभागों के प्रतिनिधि भी हों

राष्ट्रीय जीन बैंक और अनुसंधान केन्द्रों पर चावल की एकत्र की गई किस्मों का समाप्त होना

*935. **श्री कुमारी अनन्तन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राष्ट्रीय जीन बैंक कार्यक्रम के भाग के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर एकत्र की गई चावल की 14,970 किस्मों और देश के 40 विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों में रखी हुई 43,000 चावल की किस्मों के अधिक उपज देने वाली चावल की नई किस्मों के प्रसार के कारण समाप्त होने का खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या विशेष गुणों वाली ये हजारों परम्परागत किस्मे समय के साथ-साथ ऐतिहासिक बन कर रह जायेंगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ख) जी नहीं, श्रीमान । चावल की 14.970 किस्में जो फिलहाल राष्ट्रीय जीन पूल में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक में रखी हुई हैं और 43,000 किस्में जो चावल अनुसंधान के विभिन्न केन्द्रों पर रखी है, उनके लुप्त होने का कोई खतरा नहीं है । जो सामग्री पहले ही एकत्रित की जा चुकी है,उसे इन संस्थानों में सावधानीपूर्वक रखा जाता है तथा उनका संरक्षण किया जाता है।

अनेक वांछनीय गुण युक्त परम्परागत किस्मों की बड़ी संख्या में अब भी देश के विभिन्न भागों में बोया जाता है । इन किस्मों को एकत्रित करने तथा उनके आनुवंशिक मूल्यांकन का एक कार्यक्रम कृषि विश्वविद्यालयों, अन्य संस्थानों तथा पौध अनुवंशिक स्रोत के राष्ट्रीय ब्यूरों के सहयोग के साथ चल रहा है। अत: अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रसार के कारण इस मूल्यवान सामग्री का समाप्त होने का कोई खतरा नहीं है । मूल्यवान पौधों के बीजों को दीर्घ अवधि तक सुरक्षित रखने के लिये पौध आनुवंशिक स्रोत के राष्ट्रीय ब्यूरों की क्षमता को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । अन्तर्राष्ट्रीयस्तर पर भावी पीढ़ियों के लिए हजारों वर्ष की सामग्री तथा मानवीय चयन के परिणामों के संरक्षणार्थ एक चावल आनुवंशिक स्रोत बैंकको स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, फिलीपाइन में की गई है ।

सम्बलपुर, उड़ीसा में स्वचालित एक्सचेंज प्रणाली के लिये प्रस्ताव

*936. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को सम्बलपुर (उड़ीसा) में विद्यमान टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली स्वचालित एक्सचेंज प्रणाली में बदलने के लिए कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए सहमत होगी; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साग्र) : (क) जी, हां ।

(ख) सिद्धान्त रूप से सम्बलपुर में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव मान लिया गया है।

(ग) आशा की जाती है कि वर्ष 1984 तक सम्बलपुर में स्वचालित एक्सचेंज चालू हो जायगा।

प्राचीन मूर्तियों की चोरी

* 937.† **श्री एस० एस० सोमानी : क्या शिक्षा समाज, कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1977 से दिसम्बर, 1978 की अवधि के दौरान कितनी प्राचीन मूर्तियों की चोरी की गई; और

(ख) ऐतिहासिक महत्व की राष्ट्रीय आस्तियों की चोरी रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अभिलेख के अनुसार अप्रैल, 1977 से दिसम्बर, 1978 की अवधि के दौरान 1704 मूर्तियों की चोरी हुई थी।

(ख) हमने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 लागू किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान हैं :—

(क) पंजीकरण अधिकारी के पास खास किस्म के पुरावशेषों का अनिवार्य पंजीकरण;

(ख) ऐसे पंजीकृत पुरावशेषों की गतिविधि के बारे में पंजीकरण अधिकारी को सूचित कराना;

(ग) पुरावशेषों का व्यापार अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों तक सीमित रखना;

(घ) पुरावशेशों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना।

(2) भारत ने सांस्कृतिक सम्पत्तियों के अवैध आयात, निर्यात और स्थानान्तरण को रोकने के उपायों पर यूनेस्को-सम्मेलन को अनुसमर्थन दिया है। इस समझौते में अन्य बातों के साथ यह प्रावधान है कि समझौता करने वाली पार्टियां, अपने-अपने राज्य क्षेत्रों में चुराई गई सांस्कृतिक सम्पत्तियों के अवैध आयात को रोकने तथा चुराई गई ऐसी सम्पत्तियों का पता लगाने और सम्बद्ध देशों को सुपुर्द करने के लिए कदम उठायेगी।

(3) पुरावशेषों की चोरी और लुप्त होने के मामलों की छानबीन करने के लिए केन्द्रीय-अन्वेषण ब्यूरो में पुरावशेष कक्ष खोला गया है।

(4) बिखरी हुई मूर्तियों, चित्रकारियों, सचित्र पाण्डुलिपियों आदि के प्रलेखन के लिए पहले ही कदम उठाए गए हैं।

(5) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पुरावशेषों को पहचानकर उनके अवैध निर्यात को रोकने में सीमाशुल्क प्राधिकारियों की सहायता के लिये महत्वपूर्ण सीमाशुल्क स्थलों पर पुरातत्वीय अधिकारी तैनात किये हैं। तदुपरान्त भारत के महत्वपूर्ण नगरों में विशेषज्ञ सलाहकार समितियों का गठन किया गया है ताकि पुरावशेषों का अवैध निर्यात रोका जा सके।

बिहार में चीनी मिलों का आधुनिकीकरण

*938. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में चीनी मिलों का अभी तक आधुनिकीकरण नहीं किया गया है जैसा कि अन्य राज्यों में चीनी मिलों का किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) बिहार की चीनी फैक्ट्रियों, जिनमें से अधिकांश लगभग 40 वर्ष पूर्व स्थापित की गई थीं, का विधिवत आधुनिकीकरण अथवा पुनर्वासन नहीं किया गया है। सरकार केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऐसी फैक्ट्रियों, जिनकी क्षमता अलाभकारी है तथा जिनकी मशीनरी पुरानी है, की मदद करने के लिए सुगम ऋण योजना को कार्यान्वित कर रही है लेकिन मुख्यतया कुछेक शर्तों को पूरा करने में तथाकथित कठिनाइयों के कारण इस सहायता का लाभ उठाने से सम्बन्धित प्रगति बहुत ही धीमी है।

भूमि कटाव के खतरे से कृषि योग्य भूमि को बचाने सम्बन्धी योजना

*939. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 99 लाख हैक्टेयर भूमि को, जिसके कटाव का खतरा है, बचाने के लिए केन्द्रीय भू तथा जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बनाई गयी योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) केन्द्रीय मृदा तथा जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून ने कोई ऐसी योजना तैयार नहीं की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशों में गेहूं

*941. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा**
श्री एफ० पी० गायकवाड़ } : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जो भारत से गेहूं मांग रहे हैं तथा क्या सरकार ने उनकी मांग पर उन्हें गेहूं देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो गेहूं किन देशों को भेजा जाएगा; और

(ग) सरकार ने किन कारणों से सोवियत संघ को चावल देने की पेशकश की जबकि उस देश के प्रधान मन्त्री ने गेहूं के लिए कहा था ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) पहले किए गए वायदों के प्रति सोवियत रूस, वियतनाम और अफगानिस्तान को निर्यात किए जा रहे गेहूं/गेहूं के आटे के अलावा, भारत सरकार ने बंगलादेश सरकार के अनुरोध पर बंगलादेश को 2 लाख मी० टन गेहूं और चावल सप्लाई करना मान लिया है ताकि उनकी वर्तमान कठिन खाद्य स्थिति को निपटने के लिये उस देश की सहायता की जा सके । इन अनाजों की ठीक-ठीक मात्रा के बारे में इस समय बातचीत चल रही है । किसी अन्य देश को गेहूं का निर्यात करने के लिए कोई वायदा नहीं किया गया है ।

(ग) प्रारम्भ में सोवियत संघ ने कच्चे तेल के बदले में गेहूं की मांग की थी लेकिन बाद में गेहूं की तुलना में निर्यात हेतु चावल की अपेक्षाकृत अधिक उपलब्धता और इस कारण भारत की तरजीह की दृष्टि में उन्होंने चावल की पेशकश को स्वीकार कर लिया ।

"एन० डी० डी० बी० क्रेज फार इम्पोर्ट्स"
शीर्षक से समाचार

942. **श्री वसन्त साठे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले दिनांक 28 मार्च, 1979 "बिजनेस स्टैंडर्ड" में "एन० डी० डी० बी० (राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड) क्रेज फार इम्पोर्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें कन्टेनरों के आयात के बारे में की गई विभिन्न टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले के तथ्य क्या हैं और क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) आपरेशन फ्लड-2 में एक व्यापक संकर प्रजनन कार्यक्रम शामिल है जिसमें हिमित वीर्य तकनोलोजी का उपयोग किया जाता है । इस परियोजना के लिए लगभग 7 वर्ष की अवधि के लिए 57,000 तरल नाईट्रोजन के कन्टेनरों की आवश्यकता है । अपेक्षित नमूनों के कन्टेनरों का उत्पादन करने के लिए अभी पर्याप्त स्वदेशी क्षमता उपलब्ध नहीं है । स्वदेशी उत्पादित कन्टेनरों में वाष्पीकरण से होने वाली हानि, विदेशों में निर्मित श्रेष्ठ ऊस्मा-रोधी कन्टेनरों से कहीं अधिक होती है । तथापि, स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय डेरी निगम ने, इंडो-वर्मा पेट्रोलियम के परामर्श से, तथा बाद में एल "एयर लिक्विड" नामक विदेशी सहयोगी से, लगभग दो वर्ष की अवधि के लिये आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल

11,700 कन्टेनरों के निर्यात की सीमा निर्धारित की है। इतनी अवधि में पर्याप्त स्वदेशी क्षमता तैयार कर लेने की सम्भावना है।

इसका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

1. मैसर्स एल "एयर लिक्विड" फ्रांस	20 लिटर की क्षमता के 10,000 कन्टेनर
2. मैसर्स एम० वी० ई० अमरीका	50 से 250 लिटर तक के आकार वाले 1200 कन्टेनर
3. मैसर्स यूनियन कारबाईड, अमरीका	30 लिटर की क्षमता के 500 कन्टेनर

भारतीय डेरी निगम ने इंडो वर्मा पेट्रोलियम को 5000 कन्टेनरों के लिए भी प्रारम्भिक आदेश दिये हैं। भारतीय डेरी निगम ने अक्तूबर, 1978 में इस मंत्रालय को विश्व बैंक, जो आपरेशन फ्लड परियोजना को सहायता दे रहा है, के करार के अन्तर्गत मशीन एवं उपकरण की अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित की गई प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात्, 11700 कन्टेनरों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा तथा आयात लाईसेन्स के लिए अनुरोध किया था। इन परिस्थितियों में सरकार ने भारतीय डेरी निगम के प्रस्ताव में कोई बात आपत्तिजनक नहीं पाई तथा सरकार महसूस करती है कि सम्बन्धित प्रेस रिपोर्ट एक गलत धारणा पैदा करती है।

कलकत्ता टेलीफोन्स द्वारा टेलीफोन कालों को गलत रिकार्ड करना व गलत बिल बनाना

*943. **प्रो० समर गुह**
श्री चित्त बसु } : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता टेलीफोन के महा प्रबन्धक टेलीफोन कालों, फोनोग्रामों आदि के गलत रिकार्ड करने तथा टेलीफोन प्रभारों के गलत बिल बनाने के सम्बन्ध में अनेक शिकायतें की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान इस सम्बन्ध में कितनी शिकायतें की गई;

(ग) क्या कलकत्ता के टेलीफोन प्रयोक्ताओं और कलकत्ता के समाचार-पत्रों ने कलकत्ता टेलीफोन्स के विभिन्न प्रकार के अकुशल कार्यकरण के विरुद्ध अनेक शिकायतें की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और कलकत्ता महानगर के टेलीफोन प्रयोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां, बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) दो वर्षों अर्थात् 1977-78 और 1978-79 के लिए प्रत्येक श्रेणी के सम्बन्ध में शिकायतों की संख्या दी जा रही है :—

	1977-78	1978-79
गलत रिकार्ड किया जाना :		
(i) टेलीफोन कालों का	(i) 13,823	7,269
(ii) फोनोग्रामों का	(ii) 890	994
(iii) गलत बिल बनाने का	(iii) 30,819	36,878

(ग) और (घ) शिकायतें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई हैं। सुधार लाने के लिए बहुत से उपाय खोजे गये हैं तथा उनका कार्यान्वियन शुरू कर दिया गया है। बहुत से क्षेत्रों में सुधार देखा गया है।

उर्वरक का प्रति व्यक्ति उपयोग

944. **श्री सुधीर घोषाल :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977—79 के दौरान उर्वरकों का प्रति व्यक्ति उपयोग कितना हुआ;

(ख) इनमें से कितने उर्वरक का उपयोग छोटे किसानों द्वारा किया जा रहा है; और

(ग) इस बात के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि उत्पादित उर्वरक का उपयोग छोटे एवं मध्यम किसानों द्वारा किया जाये ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) वर्ष 1977-78 के दौरान पोषक तत्वों (अर्थात् नाइट्रोजन+फास्फेट+पोटाश) के रूप में उर्वरकों की प्रति व्यक्ति खपत तथा 1978-79 के लिए उसके अनन्तिम अनुमान क्रमशः 6.84 किलोग्राम और 7.96 किलोग्राम हैं।

(ख) फार्म जनसंख्या के लगभग 70 प्रतिशत के बराबर छोटे और सीमांत किसान हैं। ये किसान बोये जाने वाले कुल क्षेत्र के लगभग 21 प्रतिशत भाग में खेती करते हैं। राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थ अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षण के अनुसार इन किसानों ने 1976-77 के दौरान देश में उर्वरकों की कुल खपत के 30.7 प्रतिशत मांग की खपत की। इस प्रकार यद्यपि छोटे और सीमांत किसानों के पास कुल क्षेत्र का केवल 21 प्रतिशत है, फिर भी वे उर्वरकों की कुल खपत के 30.7 प्रतिशत भाग की खपत करते हैं।

(ग) छोटे तथा सीमांत कृषकों द्वारा उर्वरक की खपत में वृद्धि करने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) देश में विशेषकर भीतरी भाग में खुदरा तथा संचयन केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करना ताकि उर्वरक को खपत के निकटतम स्थान पर उपलब्ध कराया जा सके।

(2) ऋण की मात्रा में वृद्धि करना। छठी योजना के दौरान सहकारी बैंकिंग प्रणाली में छोटे तथा सीमांत कृषकों के लिए ऋण की 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना है।

(3) छोटे तथा सीमांत कृषकों को भी कुछ विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के तहत कुछ किस्मों के उर्वरकों की खरीद के लिए निर्धारित मानदण्डों और शर्तों के अनुसार राज-सहायता दी जाती है।

आलू विकास बोर्ड

*945. **श्री इकबाल सिंह ढिल्लों** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्तर पर आलू विकास बोर्ड स्थापित करने की बड़ी आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) भारत सरकार ने आलू विकास बोर्ड की स्थापना करने के लिये अब तक किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है क्योंकि वर्तमान अवस्थापनाएं उत्पादन की आवश्यकताएं पूरी करने लिये पर्याप्त समझी गई हैं । भारत सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से आलू के उत्पादन के लिए किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी सहायता करने हेतु सभी उपाय करती है । भारत सरकार उन्नत बीजों के उत्पादन तथा वितरण के कार्य का समन्वय अखिल भारतीय बीज उत्पादन सम्बन्धी समिति के माध्यम से करती है, जिसकी वर्ष में दो बार बैठक होती है । किसानों के उत्पाद का निपटान करने में उनकी सहायता करने के लिये विशेष उपाय किये जाते हैं। चालू आलू के मौसम के दौरान नीचे लिखे उपाय किये गये थे :—

1. सरकार ने नाफेड के माध्यम से विभिन्न सहकारी समितियों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा भारत से आलू के निर्यात की स्वीकृति दे दी है ।
2. सरकार ने निर्यात को बढ़ाने के लिये 3 फरवरी, 1979 से ओ० जी० एल० के आधार के अन्तर्गत आलू के और निर्यात की स्वीकृति दे दी है ।
3. पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने अपने राज्यों की नाफेड तथा सहकारी एजेंसियों से राज्य में आलू की खरीद करने तथा उनको बाहर भेजने के लिए सहायता मांगी है । पंजाब सरकार ने मार्कफेड तथा नाफेड से कहा है कि वे कृषकों को 50 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम मूल्य दें और उसने सरकारी अनुदेशों के अनुसार इन कार्यों से होने वाली किसी प्रकार की हानि को वहन करना स्वीकार कर लिया है । आलू के क्रय केन्द्र भी बढ़ाये गये हैं । हरियाणा राज्य में नाफेड ने हाफैड के सहयोग से वाणिज्यिक आधार पर आलू की खरीद करने के लिए संयुक्त प्रयास किया है ।

   उत्तर प्रदेश में आलू की वाणिज्यिक खरीद करने के लिए भी नाफेड तथा शीर्ष सहकारी विपणन संघ में एक संयुक्त प्रयास पर सहमति व्यक्त की गई है । उन्होंने आलू की खरीद के लिये क्रय-केन्द्रों की संख्या में भी वृद्धि की है ।
4. रेल मंत्रालय से आलू उत्पादक केन्द्रों से खपत वाले केन्द्रों में आलू ले जाने के लिए रेल-वैगनों की सप्लाई को बढ़ाने के लिए समय-समय पर अनुरोध किया गया है ।
5. कृषि मन्त्रालय ने उच्च स्तर पर राज्य सरकारों को लिखा है कि वे आलू के मूल्यों

में गिरावट आने से आलू के उत्पादकों को होने वाली कठिनाई दूर करने के लिए इस जिंस के विपणन के लिए सहायता देने हेतु एक क्रेश कार्यक्रम तैयार करें।

राष्ट्रीय स्तर पर एक भारतीय आलू विकास परिषद भी है, जिसमें उत्पादकों, राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों, संसद सदस्यों, शीतागार उद्योग, व्यापारियों आदि को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इस परिषद के कार्य नीचे दिए गए हैं :—

(1) आलू के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों पर विचार करना, समय-समय पर उनकी प्रगति का पुनरीक्षण करना और आलू के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उपायों को सुझाना।

(2) आलू के उत्पादन तथा विपणन तथा आलू के उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करना और इन मामलों पर सरकार को सलाह देना।

(3) घरेलू तथा निर्यात की मंडियों में विभिन्न किस्मों के आलू की मांगों पर विचार करना और उचित विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उक्त मांग को पूरा करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में सरकार को सलाह देना।

(4) आलू के उत्पादन के सम्बन्ध में छोटे तथा सीमांत कृषकों की विशेष जरूरतों पर विचार करना और उसे पूरा करने के लिये उचित उपायों का सुझाव देना।

(5) आलू के सम्बन्ध में अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों में समन्वय को सरल बनाना और आलू के गुण तथा उत्पादकता में सुधार की आवश्यकताओं के बारे में सलाह देना।

(6) समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे अन्य सम्बन्धित मामलों पर सरकार को सलाह देना।

इसके अतिरिक्त, भारतीय आलू विकास परिषद को स्थायी समिति, तकनीकी समिति और विशेष मामलों की देखरेख के लिए तदर्थ समिति गठित करने और विशेष प्रयोजनों के लिए आवश्यकता होने पर, कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य विशेष हितों के प्रतिनिधियों जैसे सदस्यों को सहयोजित करने का भी अधिकार है।

अखिल भारतीय डाक तार कर्मचारी संघ, श्रेणी III से ज्ञापन

*946. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय डाक-तार कर्मचारी संघ श्रेणी III ने अपनी समस्याओं के संबंध में उनके विभाग को कोई ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) माननीय सदस्या जिस ज्ञापन का उल्लेख करना चाहती हैं उसके उन्होंने विवरण नहीं दिये हैं जैसे संदर्भ, तारीख, विषय आदि। इनके न होने से उस ज्ञापन के बारे में जानकारी देना संभव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रामीण विकास कार्य के अन्तर्गत उड़ीसा को खाद्यान्न

*947. **श्री सरत कार** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से आगामी वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विकास कार्य के लिए राज्य को खाद्यान्न सप्लाई करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1979-80 के दौरान 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' के अन्तर्गत कुल 3 लाख मीटर टन खाद्यान्नों की मात्रा सप्लाई करने के लिए अनुरोध किया है ।

(ख) राज्य सरकारों की मांगों तथा इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध किए जाने वाले खाद्यान्नों की कुल मात्रा को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष उड़ीसा को इतनी अधिक मात्रा की सप्लाई करना सम्भव नहीं है ।

चिलगोजे का उत्पादन

*948. **श्री गंगा सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों में, चिलगोजे का उत्पादन (वर्षवार) कितना हुआ है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसका उत्पादन बढ़ाने का है और यदि हां, तो इसके लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) क्या चिलगोजा के बारे में कोई अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार ने प्रयास किये हैं, और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) चिलगोजे के वृक्ष केवल जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश राज्यों में ही पाये जाते हैं । इन राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार चिलगोजे के उत्पादन के बारे में कोई प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, अनुमान है कि हिमाचल प्रदेश में प्रति वर्ष 300-400 मीटरी टन चिलगोजे के उत्पादन के अलावा जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में व्यापारिक पैमाने पर चिलगोजे का विशेष उत्पादन नहीं है ।

(ख) जैसाकि राज्य सरकारों द्वारा बताया गया है, चिलगोजे के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिये राज्य सरकारों द्वारा अभी तक कोई विशेष कार्यक्रम आरम्भ नहीं किये गये हैं ।

(ग) चिलगोजे पर अभी तक वन अनुसंधान, देहरादून या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कोई अनुसंधान कार्य शुरू नहीं किया गया है । उत्तर प्रदेश में बागवानी निदेशक तथा हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोगिक आधार पर कुछ कार्य प्रारम्भ किया गया है । तथापि, वन अनुसंधान संस्थान द्वारा ऊंचे स्थानों के शंकु वृक्षों पर क्रियान्वित की जा रही अनुसंधान योजनाओं के क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि चिलगोजे पर अनुसंधान के कार्य को भी इसके अन्तर्गत लाया जा सके ।

जिला मन्दसौर में मन्दिरों का रख-रखाव

9001. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री होशंगाबाद जिले में कार्य के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 101, दिनांक 20 नवम्बर, 1978 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग के उच्चतर अधिकारी ने जिला मन्दसौर में गुप्तकाल के मन्दिरों के रख-रखाव हेतु 1975 से 1978 के बीच किये गये कार्यों का स्थल पर जाकर निरीक्षण किया था और यदि हां, तो क्या कार्य को नियमों के अनुसार सन्तोषजनक पाया गया था; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इन कार्यों के सम्बन्ध में समुचित ढंग से कोई जांच की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं तथा कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) जी हां। मन्दसौर जिले में स्थित गुप्त कालीन मन्दिर का निरीक्षण अप्रैल, 1977 में उप अधीक्षण पुरातत्वविद् द्वारा किया गया था। वर्ष 1976-77 के दौरान कोई मरम्मत-कार्य नहीं किया गया। वर्ष 1977-78 के दौरान किए गये कार्यों की जांच सहायक अधीक्षण पुरातत्व-अभियन्ता ने की थी और वे कार्य सन्तोषजनक पाए गये।

छठी योजना में डेरी विकास के लिए परिव्यय

9002. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी योजनावधि में डेरी विकास के लिए प्रस्तावित परिव्यय कितना है;

(ख) योजना के लिए वित्तीय संसाधन पैदा करने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ई० ई० सी० द्वारा दान स्वरूप दी गई वस्तुओं की बिक्री के माध्यम से संसाधन पैदा करने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके अनुमानित संसाधन क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) 1978-85 अवधि के लिए आपरेशन फलड-2 के, जो एक समेकित डेरी विकास परियोजना है, प्रस्तावित परिव्यय का अनुमान 485.50 करोड़ रुपये लगाया गया है, जिसमें से छठी योजना का परिव्यय 386 करोड़ रुपये होगा। इसके संसाधन नीचे दिये गये हैं :

(1) अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी का ऋण —129 करोड़ रुपये

(2) यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जिन्सों के विक्रय से निधियों का सृजन —206 करोड़ रुपये

(3) भारतीय डेरी निगम के आंतरिक संसाधन — 75 करोड़ रुपये

(4) शेष 75.5 करोड़ रुपये की पूर्ति बजट-सहायता या अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के और ऋण या दोनों की व्यवस्था करके की जायेगी।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा दानस्वरूप दी गई जिन्सों के विक्रय से सृजन की गई निधियों का उपयोग करने का प्रस्ताव सरकार ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। जैसे ऊपर बताया गया है, इस समय ऐसा अनुमान है कि इससे लगभग 206 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

हरिनगर, नई दिल्ली में दुकानों का गिराया जाना

9004. **श्री पीयूष टिर्की** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हरिनगर, नई दिल्ली के बी० ई० ब्लाक में 40 दुकानें गिरा दी हैं और उनके मालिकों को अपना सामान उठाने की भी अनुमति नहीं दी;

(ख) क्या उक्त दुकानें वहां काफी समय से बनी हुई थी;

(ग) क्या कुछ मकान भी गिराए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या दुकानों तथा मकानों दोनों के लिए मुआवजा अदा किया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने ब्लाक बी० ई०, हरिनगर में 35 दुकानें गिराई और सभी दखलकारों को अपना सामान हटाने की अनुमति दे दी गई थी और वस्तुतः गिराने की कार्यवाही करने से पूर्व उन्होंने अपना सामान उठा लिया था।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दुकानें हाल ही में बनाई गई थीं और कोई रिहायशी मकान नहीं गिराया गया था।

(घ) वाणिज्यिक दुकानें दिल्ली विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्रों में दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 12 के उपबन्धों के उल्लंघन में बिना अनुमति लिये बनाई गई थीं। इस प्रकार उन्हें गिराने पर किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को रियायत

9005. **श्री के० प्रधानी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में कुछ ऐसे पब्लिक स्कूल हैं जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को कोई रियायत नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं के नाम क्या हैं और उन्हें केन्द्रीय सरकार से जो वित्तीय सहायता मिल रही है उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसी संस्थाओं को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को भी कुछ रियायत देने के बारे में अनुदेश दिये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) पब्लिक स्कूलों से अभिप्राय: आम तौर से वह स्कूल हैं जो भारतीय पब्लिक स्कूल सम्मेलन के सदस्य हैं। दिल्ली में ऐसे चार स्कूल हैं अर्थात् माडर्न स्कूल, बाराखम्बा रोड; दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड; एअर फोर्स सेन्ट्रल स्कूल, सुबरोतो पार्क और सावन पब्लिक स्कूल, छतरपुर रोड । माडर्न स्कूल से अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। एअर फोर्स सेन्ट्रल स्कूल ने सूचित किया है कि इस स्कूल की स्थापना मुख्यत: वायु सेना के अधिकारियों और सैनिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए की गई है जिन्हें फीस में रियायतें मिलती हैं । सावन पब्लिक स्कूल ने सूचित किया है कि उनकी प्रबन्ध योजना में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण और छात्र-वृत्तियों की व्यवस्था है। 1978-79 के दौरान तीन पूरी छात्रवृत्तियां और एक आधी छात्रवृत्ति प्रदान की गई। दिल्ली पब्लिक स्कूल ने सूचित किया है कि वे योग्यता तथा आय के आधार पर कुल छात्रों की संख्या के लगभग 8 से 10% तक को फीस में रियायत देते हैं। इनमें चतुर्थ श्रेणी के स्टाफ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों एवं स्कूल में पढ़ रहे समाज के अन्य कमजोर वर्गों के बच्चे भी शामिल हैं।

उपर्युक्त स्कूलों में से कोई भी स्कूल केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करता है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को रियायतों के सम्बन्ध में उपर्युक्त किसी भी स्कूल को सरकार द्वारा कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं।

उड़ीसा में लघु किसान विकास एजेंसी के अन्तर्गत कुआं खोदो योजनायें (डग वेल स्कीम्स)

9007. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें उड़ीसा के ढेंकानल जिले में निर्धन छोटे किसानों, जिन्होंने ढेंकानल डिस्ट्रिक्ट किसान सम्मेलन के सचिव द्वारा भेजी गई और केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त-पोषित लघु किसान विकास एजेंसी के अन्तर्गत कुआ खोदो योजनाओं को निष्पादित किया है, को प्राप्त हुए दोषयुक्त, सीमित तथा हानिकारक परिणामों के बारे में शिकायत मिली है; और

(ख) यदि हां, तो तथ्यों का पता लगाने और इसके उपचार, जैसा कि योजना में संशोधन के लिए मांग की गई है, के लिए मंत्रालय ने क्या कदम उठाये हैं/क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राजस्थान में खजूर योजना

9008. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राजस्थान में खजूर उगाने की एक योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राजस्थान में खजूर उगाने की एक योजना है ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने संस्थान के माध्यम से, जिसका नाम केन्द्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर है, वर्ष 1968 में खजूर लगाने के सम्बन्ध में अनुसंधान शुरू की गई जबकि खजूरों की चार किस्में अर्थात खाद्रावी, मेदजूल, शमरम और हिल्लावी अबोहर से जारी की गयी ।

आशाजनक परिणाम प्राप्त होने पर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1978 के दौरान राजस्थान के लिए केलीफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका से खजूर की हिल्लावी और मेदजूल किस्मों के 300 जड़वा (संकर) मंगाये गये। इसमें से 150 जड़वा बीकानेर में, 80 जड़वा मोजका में तथा 4 जड़वा राजस्थान के जैसलमेर जिले के चन्दन नामक स्थान पर लगाये गये। इन किस्मों की निष्पत्ति का अवलोकन किया जा रहा है। जिन किस्मों की निष्पत्ति संतोषजनक समझी जायेगी उनको राजस्थान के उन विभिन्न क्षेत्रों में लगाया जायेगा तथा उनका प्रचार किया जायेगा जिनमें खजूर की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी हो ।

माणावदर तालुका के सनोसरा गांव में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

9009. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के जिला जूनागढ़ के माणाददर तालुका में सनोसरा गांव के लिए एक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र मन्जूर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब और इस सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की अब तक स्थापना न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्राम पंचायत, सनोसरा ने डाकघरों के प्रवर अधीक्षक, जूनागढ़ डिवीजन, जूनागढ़ को तथा डी० ई० टी०, जूनागढ़ को सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र के बारे में 7 नवम्बर, 1978 तथा 6 फरवरी, 1979 को आवेदन-पत्र दिये थे; यदि हां, तो उनमें क्या शिकायतें की गयी थीं;

(घ) उन पर क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ङ) सनोसरा में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र के कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (**श्री नरहरि प्रसाद साय**) (क) और (ख) गुजरात के जिला जूनागढ़ के माणावदर तालुका में सनोसरा गांव में एक सार्वजनिक टेलीफोन घर 22/4/79 को खोल दिया गया है।

(ग) मंडल इंजीनियर दूर संचार, जूनागढ़ को इस सार्वजनिक टेलीफोन घर के बारे में कोई आवेदन पत्र नहीं मिला है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कमरुद्दीन नगर, नांगलोई, दिल्ली में मूल सुविधाओं की व्यवस्था

9010. **श्री लक्ष्मीनारायण नायक** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद कि कालोनी के निवासियों द्वारा पिछले पांच वर्षों से निरन्तरण मूल सुविधाओं की मांग की जाती रही है, नांगलोई क्षेत्र के म्युनिसिपल बोर्ड सं० 37 में कमरुद्दीन नगर के निकट स्थित अमर कालोनी की खरन्जा, नालियों, सड़क पर रोशनी, पेय जल, सीवर नालियों आदि जैसी मूल नागरिक सुविधायें नहीं दी गई हैं;

(ख) क्या इस कालोनी के मकानों का नगर निगम द्वारा गृहकर के लिए कर निर्धारण नहीं किया गया है;

(ग) क्या इन कारणों से, इस कालोनी के निवासियों की दयनीय स्थिति में जीवन-यापन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है;

(घ) क्या उपर्युक्त मूल सुविधायें इस वार्ड की इसी प्रकार की अन्य अनधिकृत कालोनियों को उपलब्ध कर दी गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस कालोनी को ये उपलब्ध कराने का सरकार का कब तक विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) ऊपर कालोनी एक अनधिकृत कालोनी है। इस कालोनी में मूल सुख-सुविधाएं अभी नहीं दी गई हैं यद्यपि, इन सुख-सुविधाओं को प्रदान करने की मांग है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) अनधिकृत कालोनियां मूल सुख-सुविधाओं का ध्यान रखे बिना बन गई हैं। बहुत सी अन्य अनधिकृत कालोनियों की अपेक्षा यहां की अवस्था बुरी नहीं है। दिल्ली नगर निगम ऐसी सभी कालोनियों में मूल सुख-सुविधाएं, चरणों में, निधियों की उपलब्धता के अधीन दे रहा है। जब इस निमित्त निधियां उपलब्ध हो जायेंगी तो अमर कालोनी में भी मूल सुख-सुविधा की व्यवस्था की जायेगी।

गुजरात में समाज कल्याण केन्द्र

9011. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1978 को गुजरात राज्य में कार्यरत केन्द्र प्रायोजित समाज कल्याण केन्द्रों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन केन्द्रों द्वारा किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आगामी वर्ष के दौरान गुजरात राज्य में, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र में ऐसे केन्द्र अधिक संख्या में खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) सम्बन्धित जानकारी का विवरण अनुलग्न है ।

[**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए** संख्या एल० टी० 4384/79]

वरसिटीज नेग्लेक्टिंग डिजाइन एण्ड डेवलेपमेंट शीर्षक से समाचार

9012. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 6 अप्रैल, 1979 के हिन्दुस्तान टाइम्स' के पृष्ठ 6 पर वरसिटीज नेग्लेक्टिंग डिजाइन एण्ड डेवलेपमेंट' शीर्षक से प्रकाशित स्तम्भ की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि हमारे विश्वविद्यालयों में परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी अनुसंधान आदि सहित अद्यतन प्रौद्योगिकी के लिए बहुत कम महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार के अनुसंधान को प्रोत्साहन देने और युवकों को अद्यतन प्रौद्योगिकी से अवगत कराने के लिए कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) यह समाचार प्रयुक्त जन शक्ति अनुसंधान संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास हेतु वैज्ञानिक तथा तकनीकी जनशक्ति के सम्बन्ध में किए गए एक अध्ययन पर आधारित है । इस अध्ययन में यह स्वीकार किया गया है कि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों की व्यवसायिक पद्धति अन्य क्षेत्रों से भिन्न है और यह कि एक संकाय सदस्य के कार्यों में से मुख्य कार्य अध्यापन कराना है जबकि अनुसंधान, बहुत से मामलों में एक अनुपूरक काम है ।

इस अध्ययन के अनुसार उस अनुसंधान के एक विश्लेषण से जिस में, वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिक विश्वविद्यालय में व्यस्त है, यह स्पष्ट हो जाता है कि इनमें से 90 प्रतिशत से अधिक लोग मौलिक तथा प्रयुक्त अनुसंधान में लगे हैं और 10 प्रतिशत से कम डिजाइन तथा विकास कार्य में । इससे यह सिद्ध नहीं होता कि डिजाइन तथा विकास कार्य की उपेक्षा की जा रही है, अथवा मौलिक, तथा प्रयुक्त अनुसंधान का महत्व कम है ।

(ग) उपलब्ध संसाधनों के अन्दर रहते हुए तथा विकास हेतु महत्वपूर्ण उभरते क्षेत्रों के अनुसंधान सहित ऐसे कार्यक्रमों जो राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास सम्बन्धी प्रयास के लिए संगत हैं, विश्वविद्यालयीय विभागों के अनुसंधान कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में मकान किराया भत्ता की बकाया राशि का भुगतान

9013. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारी, अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आये व्यक्ति (दि० वि० प्रा० के सचिव द्वारा नियुक्त) सहित, उनकी सेवा / प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार 25 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ते के हकदार हैं;

(ख) क्या आपात स्थिति के दौरान स्लम विभाग में नियुक्त किये गये इन कर्मचारियों को 7-7-77 तक 25 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता अदा किया गया था परन्तु इस तिथि के बाद उनकी सेवा/प्रतिनियुक्ति की शर्तों के उल्लंघन में 15 प्रतिशत की कम दर पर अदा किया गया;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण में पुन. वापस भेजे जाने पर उनमें से बहुत से कर्मचारियों को स्लम विभाग में 10 प्रतिशत के कम भुगतान के अन्तर का भुगतान कर दिया गया है परन्तु कुछ कर्मचारियों को अनेक अभ्यावेदनों के बावजूद अभी तक इसका भुगतान नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो शेष कर्मचारियों की बकाया राशि का दिल्ली विकास प्राधिकरण कब तक भुगतान कर देगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राजस्थान में कोटा जिले के बारान में डाकघर

9014. **श्री चतुर्भुज** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कोटा जिले का बारान नामक स्थान इस वर्ष एक मुख्य डाकघर पाने का पात्र हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान डाकघर इस समय किराये के गैर सरकारी भवन में चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो मुख्य डाकघर के लिए सरकार का विचार कब तक अपना निजी भवन बनाने का है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) विद्यमान विभागीय मानकों के अनुसार जिला कोटा में मुख्य डाकघर के रूप में बारा (वास्तव में बारान) डाकघर के पदोन्नयन का औचित्य नहीं है ।

(ख) जी हां, इस समय बारान डाकघर राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के किराए के भवन में चल रहा है ।

(ग) विभागीय भवन के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

ब्रह्मपुत्र नदी को नियंत्रित करना

9015. **श्री पूर्णनारायण सिन्हा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजदूत श्री मोहीन ने हाल में आसाम की अपनी यात्रा के दौरान बातचीत के समय ब्रह्मपुत्र नदी को नियंत्रित करने के लिए अमरीकी सहायता देने का वचन दिया था;

(ख) क्या सरकार का विचार इस पेशकश का लाभ उठाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सूचना है कि संयुक्त राज्य अमरीका के राजदूत, श्री गोहीन, 19 मार्च, 1979 को गोहाटी में पत्रकारों से एक अनौपचारिक बैठक में मिले थे और उन्होंने पूर्वी भारत, बंगलादेश और नेपाल के नदी बेसिन विकास में रुचि व्यक्त की थी ।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के समक्ष कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है ।

नाटुवाड़ी सिंचाई परियोजना, रत्नागिरी

9016. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में खेड तालुक में नाटुवाड़ी की मध्यम सिंचाई परियोजना 15-2-74 को प्रस्तुत की थी और इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(ख) परियोजना के बारे में कोई कदम न उठाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजना पर कब तक कार्यवाही किये जाने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) रत्नागिरी जिले के खेड तालुका में 4.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली नाटुवाडी मध्यम सिंचाई परियोजना की परियोजना रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार से फरवरी, 1974 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी। आयोग की टिप्पणियों के अनुपालन में राज्य सरकार से अन्तिम उत्तर आयोग में सितम्बर, 1976 में प्राप्त हुआ था । राज्य सरकार द्वारा स्कीम की लागत को संशोधित करके 6.56 करोड़ रुपये कर दिया गया था ।

अप्रैल, 1977 में महाराष्ट्र की लम्बित स्कीमों के बारे में राज्य के मुख्य इंजीनियर और केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श हुआ था और तब महाराष्ट्र के मुख्य इन्जीनियर ने उन स्कीमों की एक सूची पेश की थी जिनको आयोग द्वारा प्रोसेस करने के लिये लम्बित माना जाना था। इस सूची में नाटुवाड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना का नाम नहीं था और इसलिए उक्त स्कीम को केन्द्रीय जल आयोग में और आगे प्रोसेस नहीं किया गया ।

हाल में, फरवरी, 1979 में महाराष्ट्र सरकार ने आयोग के विचारार्थ परियोजनाओं की एक सूची भेजी है और इस सूची में नाटुवाड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना शामिल है । अब राज्य सरकार से केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अनुरोध किया गया है कि वे नाटुवाड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना रिपोर्ट को अद्यतन बनाए और उक्त रिपोर्ट को और आगे कार्यवाई किये जाने के लिए आयोग के पास भेज दें ।

सरकारी आवास पर कब्जा किये हुए सेवानिवृत्त व्यक्ति

9017. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सेवा निवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों को आवास नहीं देती;

(ख) ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जो दिसम्बर, 1978 से पूर्व सेवानिवृत्त हो गये थे परन्तु टाइप 'ए' 'बी' और 'सी' के सरकारी आवास को खाली नहीं किया है;

(ग) वे बाजार किराया देकर कितनी अवधि तक आवास को रख सकते हैं; और

(घ) इन क्वार्टरों को खाली कराने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है जिससे प्रतीक्षा सूची में कर्मचारियों को ये क्वार्टर दिये जा सकें ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां। यह सुविधा 1-5-78 से समाप्त कर दी गई है तथापि, तदर्थ आबंटन उन कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को किया जाता है जो सामान्यपूल वास के दखल में हो तथा जिनको बीमारी के कारण अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया हो। बीमारी के कारण सेवा के अयोग्य हो गया हो।

(ख) 225।

(ग) सेवानिवृत्ति के पश्चात् सामान्यतया एक कर्मचारी दो माह की अवधि तक मकान रख सकता है। तत्पश्चात् सम्पदा निर्देशक उसको बढ़ी हुई लाइसेन्स फीस की दर पर मकान रखने की इजाजत दे सकता है जिसकी अवधि छः मास से अधिक नहीं है।

(घ) जहां भी मकान अनधिकृत दखल में हैं उनको खाली करवाने के लिए लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली

9018. **श्री सूरज भान** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री गुजरांवाला गृह निर्माण समिति के उन पंजीकृत सदस्यों के ब्यौरे के बारे में, जिन्हें भूमि आबटित नहीं की गई थी, 17 जुलाई, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 108 के उत्तर के सम्बन्ध में, यह जिसमें 1959-1961 की अवधि के दौरान बनाये गये गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी समिति के 41 सदस्यों के नामों को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा गया था, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972 में डी० डी० ए० द्वारा समिति को दी गई भूमि के शीघ्र विकास और इन 41 सदस्यों को भूमि का आबंटन करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या भूमि के विकास और आबंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई अन्तिम तारीख निश्चित की गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो गृह निर्माण सहकारी समितियों को डी० डी० ए० द्वारा आबंटित भूमि का द्रुत विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

क्रिकेट टैस्ट शृंखला में प्रैस पासों का दिया जाना

9019. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्रिकेट टैस्ट शृंखलाओं तथा महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों के दौरान प्रैस पास जारी करने के लिए क्या मानदण्ड है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : इस विषय में, जोकि पूर्णत: राष्ट्रीय खेल संघों तथा उनसे सम्बद्ध राज्य एसोसिएशनों के क्षेत्राधिकार में आता है शिक्षा मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं है ।

अन्तर्राष्ट्रीय टेंडरों के माध्यम से नई टेलीफोन प्रणाली का आधुनिकीकरण

9020. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई टेलीफोन प्रणाली के लिए अन्तर्राष्ट्रीय टेंडर आमन्त्रित करके वह किस प्रकार का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं जैसा कि उन्होंने 31 मार्च, 1979 को भोपाल में अपने भाषण में कहा है;

(ख) क्या भारत आज भी देश के लिए अच्छे टेलीफोन बनाने में समर्थ नहीं है जबकि वह उसके उपकरण विदेशों को निर्यात कर रहा है; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय टेंडर मंगवाने के लिए तथा नए टेलीफोन एक्सचेंज लगाने पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) देश में टेलीफोन प्रणालियों के उत्पादन और मांगों के बीच निश्चित रूप से अन्तर है । इसको पूरा करने के लिए सार्वभौम निविदाएं जारी की गई हैं । कतिपय क्षेत्रों जैसे ट्रंक आटो एक्सचेंज टेलेक्स आदि में कुछ नवीनतम टेक्नोलाजी वाले उपस्करों को प्राप्त करने के अवसर का उपयोग किया गया है ।

(ख) भारत अच्छे करचल और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल किस्म के टेलीफोन एक्सचेंजों का निर्माण करने में सक्षम है ।

(ग) योजना अवधि वर्ष 1978—83 के दौरान योजना आयोग ने डाक-तार दूरसंचार के लिए 1,848 करोड़ रुपये की कुल लागत का अनुमोदन किया है । इसमें से 189.49 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा के घटक हैं । टेलीफोन प्रणालियों के लिए 81.30 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा रखी गई है ।

श्रेणी 1 के पदों के लिये भर्ती नियमों को अन्तिम रूप दिया जाना

9021. **श्री नथुनी राम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में श्रेणी 1 के पदों के भर्ती नियमों

को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप अनेक अधिकारी तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विभाग-वार श्रेणी 1 के कितने पदों के सम्बन्ध में भर्ती नियमों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और कितने मामलों में ये 2-3 वर्षों से लम्बित हैं;

(ग) प्रत्येक मामले में भर्ती नियमों को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में अलग-अलग क्या कार्यवाही की गई और अब तक क्या प्रगति हुई है तथा उनको अन्तिम रूप देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या श्रेणी 1 की तकनीकी अथवा अन्य सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व नियमों के अनुपात से नहीं है और यदि हां, तो कुल संख्या की तुलना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का विभाग-वार विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ङ) श्रेणी 1 के पदों के लिए सरकार द्वारा नियत कोटे के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी के लिये राजस्थान से दूध

9022. **चौधरी हरीराम मक्कासर गोदारा** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी में इस्तेमाल किये जाने के लिए राजस्थान से प्रतिदिन कितना दूध लाया जाता है;

(ख) प्रति लिटर कितना मूल्य अदा किया जाता है और छोटे गांवों तथा दूर-दराज के क्षेत्रों से दूध एकत्र करने की पद्धति क्या है;

(ग) क्या उस समय के लिए और भी बड़े पैमाने पर दूध एकत्र करने के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था करने का विचार है जब दिल्ली दुग्ध योजना को, कुछ भण्डार-गृहों का निर्माण करके या प्रशीतक संयंत्र लगाकर अन्य ढंग से, निगम में बदल दिया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) दूध की अत्याधिक मात्रा वाले, कमी वाले तथा परिवर्ती मौसमों के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेरी द्वारा राजस्थान से दूध की दैनिक अधिप्राप्ति की मात्रा भिन्न-भिन्न है। दिल्ली दुग्ध योजना राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम से प्रतिदिन औसतन 65,000 लिटर दूध (गाय का दूध तथा मिश्रित दूध दोनों) अधिप्राप्त करती है तथा मदर डेरी राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम से प्रतिदिन औसतन 61,000 लिटर गाय का दूध एवं 17,000 लिटर भैंस का दूध अधिप्राप्त करती है।

(ख) विभिन्न मौसमों के दौरान विभिन्न श्रेणियों के दूध के लिये प्रति लिटर दिये जाने वाले मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। दूध राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम से अधिप्राप्त

किया जाता है और निगम उसे अनेक संचयन केन्द्रों तथा प्रशीतन केन्द्रों से प्राप्त करता है ।

(ग) और (घ) नीति के तौर पर दिल्ली दुग्ध योजना विभागीय अधिप्राप्ति को धीरे-धीरे समाप्त कर देगी तथा प्रशीतन संयन्त्रों के लिए अपने भण्डारगृह चलाने के बजाए आस-पास के राज्यों की सहकारी समितियों से दूध अधिप्राप्त करेंगी । इसके अतिरिक्त, आपरेशन फलड-1/ विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब में स्थापित फीडर बैलेसिंग डेरियां निगमों के माध्यम से दिल्ली दुग्ध योजना को दूध सप्लाई करेंगी । आपरेशन फलड-2 के अन्तर्गत दूर-दराज के महानगरों तथा एक लाख से अधिक की आबादी वाले कस्बों की, जो दूध के प्रमुख बाजारों में होंगे, दूध के परिवहन की सुविधा के लिए एक राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड की व्यवस्था की गई है।

विवरण

राजस्थान से प्राप्त दूध के लिए दिल्ली दुग्ध योजना/मदर डेरी द्वारा दिए गए दूध के मूल्य को प्रदर्शित करने वाला विवरण

अवधि	दिल्ली दुग्ध योजना/ मदर डेरी पर दूध का मूल्य (प्रति किलोग्राम) मिश्रित दूध	अनुमानित अतिरिक्त परिवहन प्रभार (प्रति किलोग्राम)	कुल मूल्य (प्रति किलोग्राम)
(वसा 6.5 प्रतिशत तथा एस० एन० एफ० 9 प्रतिशत)			
1. कमी वाली अवधि (अप्रैल, मई, जून तथा जुलाई, 1979)	2.40	0.07	2.47
2. परिवर्ती अवधि (अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर तथा मार्च, 1979)	2.20	0.07	2.27
3. अत्यधिक मात्रा वाली अवधि (नवम्बर, दिसम्बर तथा फरवरी, 1979)	2.10	0.07	2.17
गाय का दूध (वसा 4 प्रतिशत तथा एस० एन० एफ० 8.4 प्रतिशत)			
1. फरवरी से अप्रैल, 1979	1.75 तथा वास्तविक परिवहन प्रभार		
2. मई से दिसम्बर, 1979	1.90 दिल्ली दुग्ध योजना/मदर डेरी पर		

अधिप्राप्ति की पद्धति

दिल्ली दुग्ध योजना/मदर डेरी के लिए दूध की अधिप्राप्ति आनन्द पद्धति की सहकारी समितियों के आधार पर चलाए जा रहे राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम के अनेक संचयन केन्द्रों तथा प्रशीतन केन्द्रों के जरिए की जा रही है।

निर्णयों के लिए विचाराधीन पड़े अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद

9023. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद निर्णय के लिए अभी भी विचाराधीन पड़े हैं, कब से पड़े हैं और इनमें से प्रत्येक पर विचार-विमर्श की इस समय क्या स्थिति है;

(ख) अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों के कारण अनुमति के लिए विभिन्न राज्य सरकारों की कितनी परियोजनाएं केन्द्र के समक्ष विचाराधीन हैं; उनके नाम और ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समस्याओं का शीघ्रातिशीघ्र समाधान करने के लिए उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) मुख्य लम्बित विवाद नर्मदा, गोदावरी, कावेरी और यमुना बेसिनों के जल के उपयोग और विकास के सम्बन्ध में है। 39 बृहद और मध्यम परियोजनाएं अन्तर्राज्यीय पहलुओं के कारण केन्द्र के समक्ष मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं। उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

नर्मदा और गोदावरी नदियों के जल से सम्बन्धित विवादों के न्यायनिर्णयन का कार्य अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्थापित न्यायाधिकरणों द्वारा किया जा रहा है। नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को अगस्त, 1978 में दे दी थी और उस रिपोर्ट में उसने अपने द्वारा पाये गये तथ्य दिये थे तथा उसे सौंपे गये मामलों पर अपना फैसला दिया था। न्यायाधिकरण उन निर्देशों पर विचार कर रहा है जो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने इसके पास स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए भेजे हैं। न्यायाधिकरण की अगली रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की सम्भावना है। गोदावरी जल-विवाद न्यायाधिकरण का कार्य काफी आगे बढ़ चुका है। पक्ष राज्य गोदावरी न्यायाधिकरण के समक्ष एक व्यापक करार प्रस्तुत करने वाले हैं जिसमें उनके बीच गोदावरी जल के बारे में हुए सभी द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय करार शामिल होंगे।

जहां तक कावेरी नदी के जल के उपयोग और विकास का सम्बन्ध है, तकनीकी और राजनीतिक स्तरों पर जोरदार प्रयासों के बाद अगस्त, 1976 में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के सम्बन्धित राज्यों के बीच सहमति हो गई थी। इसके बाद केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री द्वारा अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1978 में तीन बैठकें आयोजित की गई थीं ताकि अगस्त, 1976 में हुई सहमति को अनुसमर्पित करा लिया जाए।

यमुना बेसिन के बारे में राज्य सरकारों के साथ सलाह करते हुए विस्तृत अध्ययन किए गए हैं और इस मामले के बारे में राज्यों के साथ और आगे विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

विवरण

अन्तर्राज्यीय जल विवादों के कारण केन्द्रीय जल आयोग में लम्बित परियोजनाओं का ब्यौरा

बेसिन	परियोजना का नाम	बृहद/ मध्यम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	लाभ (हजार हैक्टेयर)
1	2	3	4	5
	कर्नाटक			
@कावेरी	1. हेमवती	बृहद	16,000.00	283.28
	2. काबिनी	बृहद	8,000.00	183.73
	3. होसपटना लिफ्ट	बृहद	2,400.00	40.48
	4. हरंगी	बृहद	5,800.00	66.37
	5. यागची	बृहद	1,648.00	14.18
	6. के० आर० एस० दक्षिण तट नहर-चरण-एक	बृहद	1,850.00	26.30
	7. सुवर्णवती	मध्यम	248.00	8.09
	8. वोटीहोल (संशोधित)	मध्यम	480.00	7.486
	9. मंचनबेला जलाशय स्कीम (संशोधित)	मध्यम	500.00	4.45
	10. अरकावती	मध्यम	983.00	8.15
	11. कुंदरगुंडीहल्ला	मध्यम	210.00	2.06
	12. चिकलीहोले	मध्यम	340.00	3.48
	13. उदूथोरीहाला	मध्यम	755.00	6.60
	14. इग्गालूर	मध्यम	342.00	4.33
	15. चंगावाडी	मध्यम	430.00	6.27
केरल				
	16. केरल भवानी	बृहद	985.00	12.14
	17. कुट्टयाडी वृद्धि स्कीम			
	(i) कुट्टयाडी वृद्धि स्कीम विद्युत	बृहद	573.50	26.07 एम० डब्ल्यू @100% एल० एफ०

1	2	3	4	5
	(ii) बाणासुर सागर सिंचाई परियोजना	बृहद	500.00	4.80
	18. अट्टापाडी	मध्यम	842.00	7.28
तमिलनाडु				
	19. कावेरी डेल्टा का आधुनिकीकरण	बृहद	4900.00	174.00
	20. कोलीमलाई	मध्यम	319.00	2.83
	21. कोडागानोर जलाशय	मध्यम	212.00	2.65
	22. वर्धामानाधी	मध्यम	103.50	2.11
हरियाणा				
यमुना	23. सेवानी लिफ्ट सिंचाई चरण-दो और तीन	बृहद	657.00	28.33
	24. नलकूपों द्वारा पश्चिमी यमुना नहर का विस्तार	बृहद	1200.94	55.05
	25. लोहारू लिफ्ट सिंचाई स्कीम चरण-दो	बृहद	693.00	47.47
	26. मुनक नहर लिंक चैनलों और मनाई ब्रांच, गोहाना वितरणी और दिल्ली समानान्तर शाखा का निर्माण	बृहद	390.00	लिंक
	27. हांसी ब्रांच का रिमाड-लिंग और लाईनिंग	बृहद	265.54	—
	28. सुन्दर उप-शाखा का रिमाडलिंग	बृहद	334.00	21.00
	29. सुन्दर उप-शाखा के रिमाडलिंग और लाइनिंग के परियोजना अनुमान	बृहद	184.53	14.39
	30. नांगल लिफ्ट सिंचाई स्कीम	बृहद	184.53	14.39
	31. सेवानी लिफ्ट सिंचाई चरण-एक	मध्यम	218.00	8.83
	32. जुई नहर के पोषण के लिए सुन्दर उप-शाखा के लिए बुटाना ब्रांच का रिमाड-लिंग	मध्यम	257.00	—

1	2	3	4	5
	33. जुई लिफ्ट स्कीम के वर्तमान माइनर्स का विस्तार और रिमाड-लिंग और नया निर्माण	मध्यम	71.30	—
	34. दादूपुर में अतिरिक्त हेड रेगुलेटर काम्पलेक्स का निर्माण	मध्यम	96.73	—
	35. मोहिन्द्रगढ़ लिफ्ट स्कीम (संशोधित)	मध्यम	195.15	7.73
	36. दिल्ली समानान्तर शाखा के साथ जल-वृद्धि के लिए 50 नलकूपों की स्थापना	मध्यम	60.62	5.00
	37. हांसी ब्रांच के साथ जल वृद्धि के लिए 50 अतिरिक्त नलकूपों की स्थापना	मध्यम	63.17	3.974
मध्य प्रदेश				
	38. चलुड ताल परियोजना	मध्यम	446.34	6.275
हरियाणा				
	39. सतलुज-यमुना लिंक परियोजना	बृहद	6645.11	लिंक*

@ राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वह संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें जो अगस्त, 1976 के समझौते के अनुरूप हों।

*214 किलोमीटर की अपनी कुल लम्बाई में से परियोजना को केरियर नहर हरियाणा में प्रवेश करने से पहले 122 मि० किलोमीटर पंजाब में बहती है। पंजाब में नहर के संरेखन और इसकी क्षमता के बारे में दोनों राज्यों के बीच विवाद है। दोनों राज्यों में समझौता कराने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

महिलाओं के स्तर का बढ़ाया जाना

9024. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में किए गये उन अध्ययनों की जानकारी है जिनसे उन घटनाओं का स्पष्ट पता चलता है कि किसी महिला को वेश्यालय तक पहुंचने के लिए ऋण आजी-

विका के साधनों की समाप्ति तथा आर्थिक कठिनाइयां उत्तरदायी हैं और मानव स्वभाव की कमजोरी इतनी ज्यादा उत्तरदायी नहीं है; और

(ख) आर्थिक स्थिति में विशेषकर कमजोर वर्गों के लिये सुधार करने, सामाजिक ढांचे में विश्वास पैदा करने तथा जाति की आर्थिक स्थिति सुधारने और देश के कुछ भागों में इसकी भयानक वृद्धि शीघ्रातिशीघ्र रोकने और महिलाओं का स्तर बढ़ाने के लिए क्या व्यापक उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) सरकार की जानकारी में ऐसा कोई अध्ययन नहीं है। अपितु भारत में स्त्रियों से सम्बद्ध समिति ने 1974 में अपनी रिपोर्ट में वेश्यावृत्ति के ऐसे ही कारण बताए थे।

(ख) पंचवर्षीय योजना 1978--83 के मसौदे में समाज कल्याण क्षेत्र में महिला कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। जिसमें निवारात्मक और विकासात्मक सेवाओं पर जोर है। समाज कल्याण के लिए 130.50 करोड़ रुपए के नियतन में से 26.14 करोड़ रुपए विशेष रूप से महिला कल्याण के लिये रखे गये हैं। योजना के मसौदे मे महिला रोजगार को बढ़ाने हेतु विशेष नीति शामिल की गई है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को फेलोशिप

9025. **श्री मदन तिवारी** : क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को फेलोशिप के बारे में 26 फरवरी, 1979 के अतरांकित प्रश्न संख्या 825 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राणि विज्ञान विभाग के एम० फिल० के छात्रों को इस वर्ष अब तक विशेषज्ञता विषय-वार कितनी फेलोशिप दी गई है;

(ख) ऐसी फेलोशिप देने का क्या मानदन्ड है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि कीट विज्ञान, कोशाणु, जीव-विज्ञान, मात्स्यकी और अंतः स्रावी विज्ञान जैसे विशेषज्ञता विषयों में फेलोशिय का वितरण युक्ति संगत और इस वर्ष एम० फिल० के दौरान छात्रों की संख्या के अनुसार नहीं है ?

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि असमानता और इस विभाग के छात्रों में व्याप्त असंतोष को दूर किया जा सके ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चंद्र चंद्र) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पंचायत वित्त निगम

9026. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने कुटीर उद्योग तथा ग्रामीण रोजगार योजनाओं के विकास के लिए पंचायत वित्त निगमों की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया था; और

(ख) उन राज्यों की संख्या कितनी है जहां उक्त निगमों की स्थापना की गई है तथा इस संबंध में आगे क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) व (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी

9027. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उन सरकारी कर्मचारियों की जोन-वार संख्या कितनी है, जो वर्ष 1978-79 के दौरान के सेवा निवृत्त हुए अथवा नौकरी के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई;

(ख) कितने मामलों में उपदान और पेंशन आदि का अब तक भुगतान नहीं किया गया है और कितने महीने से भुगतान नहीं किया गया है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि सेवा निवृत्त कर्मचारियों को अथवा उनके आश्रितों को पेंशन का लाभ जल्दी से जल्दी दिया जाये ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के विभिन्न कार्यालयों से देश भर में फैले हैं, से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश को स्कूलों के भवनों के लिए सहायता

9028. **श्री नर्मदा प्रसाद राय** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में स्कूलों के भवनों तथा फर्नीचर की कमी पूरी करने के लिए मध्य प्रदेश को, जो कि शिक्षा तथा आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है, केन्द्र सरकार का विचार कितनी राशि की सहायता देने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को पूरे राज्य के लिये ब्लाक अनुदान के रूप में जो कुछ उपलब्ध होता है, उसके अलावा केन्द्रीय सरकार स्कूल भवनों के निर्माण तथा स्कूल फर्नीचर के लिए विशेष रूप से कोई राशि मंजूर नहीं करती।

सरकारी सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण

9029. **श्री राजकेशर सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी सेवा के अन्तर्गत समूह "सी" और "डी" पदों हेतु शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण करने के बारे में परीक्षण कर रही है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार का विचार उक्त परीक्षण के परिणाम का मूल्यांकन करने में कितना समय लेने का है ताकि इसके क्षेत्र का विस्तार द्वितीय तथा प्रथम श्रेणी के पदों पर भी किया जाए ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) सरकार इस मामले में कोई परीक्षण नहीं कर रही है, केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय नियन्त्रित उपक्रमों में विकलांग व्यक्तियों के लिये वर्ग "ग" तथा "घ" पदों में 3 प्रतिशत आरक्षण करने के अन्तिम आदेश पहले ही जारी कर दिये गए हैं।

(ख) ये आदेश 4-11-1977 को जारी किए गए हैं अतः इन आदेशों के असर के बारे में मूल्यांकन करने में कुछ समय लगेगा। इस समय सरकार का कोई विचार नहीं है कि वर्ग "क" और "ख" के पदों में भी आरक्षण हो।

कोरापुट और गंजम जनजातीय विकास एजेन्सियों के लिए धन राशियां

9030. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्रालय द्वारा कोरापुट तथा गंजम जनजातीय विकास एजेन्सियों की इन परियोजनाओं की बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने तक वर्ष-वार कितनी धनराशि उपलब्ध की गई ;

(ख) इन परियोजनाओं से योजनाओं के उद्देश्यों की कहां तक पूर्ति हुई है;

(ग) योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे और उपलब्धियां क्या हैं; और

(घ) उनके मन्त्रालय द्वारा इस बारे में क्या पुनरीक्षण किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) इस मंत्रालय द्वारा कोरापुट और गंजम की आदिवासी विकास एजेन्सियों को मार्च, 1972 में उनके शुरू किए जाने से लेकर 31-3-1979 तक राज्यवार सुलभ की गई धनराशि निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपये में)

	आदिवासी विकास एजेन्सी	
वर्ष	कोरापुट	गंजा
1972-73 और 1973-74	108.00	109.00
1974-75	31.25	37.50
1975-76	33.10	24·24
1976-77	32.01	27.00
1977-78	40.82	34.00
1978-79	23.00	39.50
योग :	268.18	271.21

(ख) व (ग) दोनों आदिवासी विकास एजेन्सियों का सम्बन्ध आदिवासियों के आर्थिक विकास के क्रोड़ कार्यक्रम के कार्यान्वयन से है, जिसके अन्तर्गत कृषि, वागवानी, भूमि को कृषि योग्य बनाना, भूमि विकास, भू-संरक्षण उपाय, शिफ्टिंग खेती पर नियन्त्रण, लघु सिंचाई, पशु-पालन परियोजनाओं का विकास (जैसे मवेशी-विकास, सूअर-पालन, भेड़-पालन, बकरी पालन

कुक्कुटादि पालन, वत्तख पालन), मत्स्य पालन, वन-आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन, ऋण परिसमापन, भूमि पुनरुद्धार, भू-अभिलेखों तथा सर्वेक्षण और ग्रामीण तथा सम्पर्क सड़कों का निर्माण आदि आता है।

गतिविधियों के इन क्षेत्रों में इन आदिवासी विकास एजेन्सियों की प्रारम्भ से लेकर 31-12-1978 तक भौतिक उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :—

क्र० सं०	मद	एकक	आदिवासी विकास एजेन्सी	
			कोरापुट	गंजम
1.	कृषि के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र	एकड़	17,913	3,48,395
2.	विभिन्न फल-पौधों के छोटे पौधे, बीजांकुर सक्कर्स और कलमें आदि वितरित की गयीं	संख्या	1,54,124	1,93,896
3.	हल के बैल वितरित किये गये	जोड़े	2,748	1,638
4.	अब तक कृषि योग्य बनाई गई भूमि	एकड़	5,470	3,919
5.	भूमि विकास—प्रगति पर	एकड़	1,758	273
6.	पूरे किये गये खुदे कुएं	संख्या	284	3,649
7.	खुदे कुएं प्रगति पर	संख्या	466	900
8.	पम्पसैट लगाये गये/वितरित किये गये	संख्या	12	28
9.	सिंचाई किए जाने के लिए प्रत्याशित क्षेत्र	एकड़	8,632	7,009
10.	सप्लाई किये गये दुधारू पशु	संख्या	106	—
11.	सप्लाई किये गये सांड	संख्या	19	4
12.	सप्लाई किये गये मुर्गे	संख्या	1,100	2,400
13.	वितरित किये गये सूअर, भेड़ व बकरियां	संख्या	3,544	2,377
14.	सम्पर्क सड़कों की संख्या	संख्या	10	7
15.	सम्पर्क सड़कों की लम्बाई	कि०मी०	78.50	75.27
16.	मुख्य सड़कों की संख्या	संख्या	2	7
17.	मुख्य सड़कों की लम्बाई	कि०मी०	33.00	84.04

स्रोत—कोरापुट और गंजम आदिवासी विकास एजेन्सियों की दिसम्बर, 1978 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट।

(घ) कोरापुट और गंजम की आदिवासी विकास एजेन्सियों के निष्पादन का मूल्यांकन कार्य जुलाई 1974 के दौरान कृषि—आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र वाल्टेयर (आन्ध्र प्रदेश) को सौंपा गया था। कृषि आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र, वाल्टेयर से 1977 में दो अलग-अलग रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं। इन रिपोर्टों के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं :—

आदिवासी विकास एजेन्सी कोरापुट

1. कुल मिलाकर आदिवासी विकास एजेंसी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में एकत्र हुए विभिन्न संगठनों में सन्तोषजनक समन्वय रहा है। आदिवासी विकास एजेंसी कार्यक्रमों को उचित रूप से कार्यान्वित करने को विशेषरूप से ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अतिरिक्त कर्मचारी-वर्ग सुलभ किया है।
2. आदिवासी विकास एजेंसी को शुरू किए जाने के पश्चात राज्य विभागों और पंचायत समितियों ने आदिवासी विकास के प्रति वचनबद्धता में कमी नहीं की है।
3. कुल मिलाकर, कार्यक्रम के लाभ वांछित लक्षित वर्गों को पहुंचे हैं तथा किसी पर्याप्त सीमा तक दूसरों तक नहीं पहुंचे हैं।
4. आदिवासियों को आदिवासी विकास एजेंसी की मौजूदगी तथा उनकी बेहतरी के लिए किए जा रहे अत्यधिक लाभकारी कार्य के बारे में निःसन्देह व्यापक जानकारी है। आदिवासियों के सुधार के लिए आदिवासी विकास एजेंसी द्वारा सुझाये गये आधुनिक पैकेजेज को स्वीकार करने में आदिवासियों ने असाधारण प्रवृत्ति दर्शायी है, बशर्ते कि वे अपने आर्थिक लाभों से सन्तुष्ट हों।
5. जहां तक आर्थिक प्रभाव का सम्बन्ध है, स्थिति एक समान नहीं है तथा यह एक योजना से दूसरी योजना में भिन्न है। भूमि को कृषि योग्य बनाने की योजना के मामले में व्यक्तिगत आदिवासियों पर आर्थिक प्रभाव प्रभावशाली नहीं था, यह बात खुदे कुओं की योजना के मामले में कुछ सीमा तक सत्य है। उठांऊ सिंचाई योजना तथा भूमि सुधार योजना के सम्बन्ध में लाभ काफी अधिक हुआ। भेड़ पालन योजना से भी आदिवासियों को काफी सहायता प्राप्त हुई।

आदिवासी विकास एजेन्सी, गंजम

1. विभिन्न विभागों की गतिविधियों का समन्वय करने में आदिवासी विकास एजेंसी को कुछ सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है, परन्तु उठांऊ सिंचाई निगम से अत्यन्त जरूरी कर्मचारी वर्ग की सहायता प्राप्त नहीं हुई है। खण्ड स्तर पर समन्वय करने की भी आवश्यकता है।
2. आदिवासी विकास एजेंसी को शुरू करने के पश्चात राज्य विभागों और पंचायत समितियों ने आदिवासी विकास के प्रति अपनी बचनबद्धता को कम नहीं किया।
3. कुल मिलाकर, गैर-लक्षित वर्गों को बहुत कम लाभ पहुँचे हैं।
4. परियोजना क्षेत्र के आदिवासियों में आदिवासी विकास एजेंसी की मौजूदगी और इसके द्वारा उनके लिए किए जा रहे आर्थिक विकास के लाभकारी कार्य के बारे में काफी जानकारी पैदा करने में कुल मिलाकर आदिवासी विकास एजेंसी समर्थ रही है। जहां कहीं भी आदिवासियों ने लाभों को स्वीकार किया है, उन्होंने आदिवासी विकास एजेंसी द्वारा उनकी आर्थिक बेहतरी के लिए सुझाई गई आधुनिक नवीनताओं को अपनाने में असाधारण उत्साह प्रदर्शित किया है।

5. आदिवासी लाभभोगियों पर आदिवासी विकास एजेंसी कार्यक्रमों के आर्थिक प्रभाव के बारे में स्थिति प्रत्येक योजना में भिन्न-भिन्न है। जहां तक सिंचाई योजनाओं का सम्बन्ध है, प्रभाव नितान्त स्पष्ट और महत्वपूर्ण है। शुष्क खेती से आद्र खेती में असाधारण परिवर्तन हुआ है, जो पैदावार के प्रतिमान में परिवर्तन, पारम्परिक प्रौद्योगिकी से अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज, उर्वरक और कीटनाशक दवाएं जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकी स्तरों की ओर परिवर्तन से सुस्पष्ट होता है। कुल मिलाकर, सिंचाई से फार्म-अर्थव्यवस्था में काफी सीमा तक सुधार हुआ है।

डी० ई० टी०/एस० डी० ओ० यू० पी० सर्कल लखनऊ के विरुद्ध जांच

9031. **श्री फिरंगी प्रसाद** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यू० पी० सर्कल लखनऊ में उन डी० ई० टी०/एस० डी० ओ० (टेलीफोन्स एंड टेलीग्राफ) की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध इस समय सतर्कता सम्बन्धी जांच चल रही है;

(ख) इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क)

(i) मण्डल इन्जीनियर.....1

(ii) उप मण्डल अधिकारी (टेलीफोन तथा तार)...9

(ख) और (ग) मंडल इन्जीनियर के खिलाफ जांच पूरी हो गई है और परामर्श के लिए मामले को केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा जा रहा है। उप मण्डल अधिकारियों (टेलीफोन तथा तार) के खिलाफ जांच प्रगति पर है और परामर्श के लिए उनके मामले भी इसी प्रकार केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजे जाएंगे।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा ऊनी जर्सियों की खरीद में धन का कथित गोलमाल

9032. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में ऊनी जर्सियों की खरीद में धन के गोलमाल के बारे में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में जांच कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) यह आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय से वसूल की गई राशि से जर्सियों

की वास्तविक कीमत कम थी । विश्वविद्यालय ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है ।

(ग) जी, नहीं ।

सुन्दरवन में चीता परियोजना के लिए आरक्षित क्षेत्र

9033. **श्री सुशील कुमार धारा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन में कितना क्षेत्र एक मात्र चीता परियोजना के लिए आरक्षित रखा गया है;

(ख) उक्त क्षेत्र का क्या नाम है और क्या इसमें "मारिच झापी" शामिल हैं; और

(ग) "मारिच झापी" के कितने क्षेत्र पर दण्डकारण्य शरणार्थियों का अधिकार है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन बाघ परियोजना के तहत लगभग 2585 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन क्षेत्र है ।

(ख) सुन्दर वन बाघ परियोजना क्षेत्र में निम्नलिखित वन खण्ड शामिल हैं :—

1. मायाद्वीप
2. छोटा हर्दी
3. गोशबा
4. गोना
5. बाघ मारा
6. मातला
7. चमटा
8. चांदरवाली
9. नेतिधोपानी
10. हरिनभंगा
11. पंचमुखानी
12. पिरखाली
13. खटुवाभूरी
14. अरवेसी
15. झिल्ला ।

"मारीच झापी" बाघ आरक्षण के झिल्ला वन खण्ड में पड़ता है ।

(ग) दण्डकारण्य छोड़कर भागने वाले व्यक्तियों द्वारा कब्जे में लिये गये वास्तविक क्षेत्र को सूक्ष्म रूप से नहीं बताया जा सकता है । तथापि, इस समय शरणार्थी झिल्ला खण्ड के कम्पार्टमेंट-I में गैर कानूनी ढंग से जमे हुए हैं, जिसका क्षेत्र लगभग 3655 एकड़ है ।

मात्स्यकी के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

9034, **श्री लालजी भाई :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

देश के विभिन्न भागों में चालू वर्ष के दौरान मात्स्यकी के विकास हेतु राज्यों को दी गई विभिन्न प्रकार की केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : राज्यों को उनकी योजनाओं के लिए दी जाने वाली एक मुश्त सहायता के अलावा, मछुवा, विकास एजेंसियों तथा छोटे बन्दरगाहों पर माल उतारने तथा जहाजों के ठहराने की सुविधाओं के लिए केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत भी राज्यों को चालू वर्ष में केन्द्रीय सहायता दी जायेगी। इसके अतिरिक्त सूखा प्रवरण क्षेत्रों और अन्य समेकित ग्राम विकास कार्यक्रमों तथा पर्वतीय क्षेत्र तथा आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी मात्स्यकी के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता दी जायेगी। उत्तर पूर्वी राज्य उत्तर पूर्वी परिषद की विकास योजनाओं के माध्यम से और केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर सकते है।

कण्ठहार नहर के सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा गठित समितियों की रचना और उनके निदेश पद

9035. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महत्वाकांक्षी कण्ठहार नहर योजना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित चार समितियों की रचना और उनके निदेश पद क्या हैं जिनमें संयुक्त राष्ट्र की कुछ विशिष्ठ एजेंसियों ने रुचि दिखाई है; और

(ख) क्या घाटों की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के फालतू पानी को मध्य, दक्षिणी तथा पश्चिम भारत में समीपवर्ती शुल्क और पानी के अभाव वाले क्षेत्रों में इष्टतम उपयोग के लिए अन्तरित करने सम्बन्धी प्रश्नों को भी इन समितियों से निर्दिष्ट किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) योजना आयोग द्वारा स्थापित चारों समितियों के गठन और उनके विचारणीय विषयों की जानकारी विवरण एक से चार में दी गई हैं।

(ख) यह बात अरब सागर में बहने वाली नदियों के जल संसाधनों और उनके उपयोग का मूल्यांकन करने वाली समिति के विचारणीय विषयों में शामिल है।

विवरण—एक

अरब सागर में बहने वाली नदियों के जल संसाधनों और उनके जल के उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए समिति

(क) **गठन**

1.	श्री सी० वी० गोले, सदस्य (जल संसाधन), केन्द्रीय जल आयोग	अध्यक्ष
2.	श्री वी० आर० देयुसकर, सचिव, महाराष्ट्र सरकार, सिंचाई और विद्युत विभाग, बम्बई	सदस्य

3.	श्री जे० त्रिपाठी, परामर्शदाता, सिंचाई भुवनेश्वर	सदस्य
4.	भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा मनोनीत एक अधिकारी	सदस्य
5.	कर्नाटक सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य
6.	तमिलनाडु सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य
7.	केरल सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य
8.	प्रो० सतीश चन्द्र, रुड़की विश्वविद्यालय	सदस्य
9.	प्रो० सुभाष चन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	सदस्य
10.	डा० ए० के० सरकार/डा० चौधरी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, पुणे	सदस्य
11.	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि	सदस्य
12.	श्री के० एस० एस० मूर्ति, मुख्य इन्जीनियर, केन्द्रीय जल प्रयोग, नई दिल्ली ।	सदस्य-सचिव

(ख) समिति के कार्य

(1) महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के राज्यों को उन नदियों को, जो अरब सागर में जा मिलती हैं जल की उपलब्धता का मूल्यांकन करना और उपर्युक्त जल-भंडारों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थलों का पता लगाना, पर्यावरण-सुरक्षा और लवणता-नियन्त्रण की न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल के इष्टतम उपयोग के लिए फालतू जल को पूर्व की तरफ व्यपवर्तित करने की संभाव्यताओं का पता लगाना, जल विद्युत उत्पादन की संभाव्यताओं और मौजूदा निर्माणाधीन और भावी स्कीमों की आवश्यकताओं का पता लगाना, संबंधित बेसिनों के अन्तर्गत जल आदि के बंटवारे के बारे में सम्बन्धित अन्तर्राज्यीय करारों के अन्तर्गत अधिकारों का पता लगाना;

(2) पूर्वी राज्यों की जल की मौजूदा तथा भावी आवश्यकताओं तथा उनके स्थानीय जल संसाधनों की उपलब्धता के विवेचनात्मक अध्ययन और मूल्यांकन के बाद उन

राज्यों में जल की कमी वाले उन क्षेत्रों का पता लगाना, जहां पर पड़ोसी पश्चिमी बेसिनों से जल के ट्रांस्फर द्वारा जल की अनुपूर्ति किये जाने की आवश्यकता है;

(3) पश्चिम से पूर्व की ओर जल के ट्रांस्फर के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए एक विकल्प के रूप में दस्तूर स्कीम पर विचार करना और उसके सापेक्ष लागत-परिणामों और लाभों का मूल्यांकन करना;

(4) विभिन्न सम्भाव्य विकल्पों की रोशनी में, पश्चिम की ओर से पूर्व की ओर जल को व्यपवर्तित करने के लिए कम लागत वाली और सर्वाधिक लाभ देने वाली योजना तैयार करना और परियोजना अथवा परियोजनाओं को तैयार करने के लिए अपेक्षित और विस्तृत अन्वेषणों का सुझाव देना।

विवरण—दो

यमुना की दक्षिणी सहायक नदियों के जल संसाधनों और उनके समुपयोजन का मूल्यांकन करने के लिए समिति

(क) गठन

1.	श्री सी०वी० गोले, सदस्य (जल-संसाधन) केन्द्रीय जल आयोग	अध्यक्ष
2.	गुजरात सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
3.	मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
5.	उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
6.	भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
7.	भारतीय मौसम-विज्ञान के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	प्रोफेसर सतीश चन्द्र रुड़की विश्वविद्यालय	सदस्य
9.	प्रोफेसर सुभाष चन्द्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली	सदस्य
10.	श्री ए० कृष्णाचार, निदेशक (एन०डब्ल्यू०पी०) केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य-सचिव

समिति के कार्य

(1) ओखला के अनुप्रवाह में यमुना की मुख्य सहायक नदियों के जल की उपलब्धता, मौजूदा निर्माणाधीन और भावी स्कीमों को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित उप-बेसिनों में जल के उपयोग की संभावनाओं, फालतू जल के व्यपवर्तन की संभावनाओं, पर्यावरण सुरक्षा की न्यूनतम आवश्यकताओं जल-विद्युत उत्पादन की संभावनाओं, जल के बंटवारे आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित अन्तर्राज्यीय करारों के अन्तर्गत अधिकारों आदि का मूल्यांकन।

(2) गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में जल की कमी वाले उन क्षेत्रों का पता लगाना जहां फालतू जल वाले उप-बेसिनों से जल की अनुपूर्ति की आवश्यकता है। यह कार्य इन बेसिनों की वर्तमान और भावी जल सम्बन्धी आवश्यकताओं और उनकी स्थानीय जल संसाधनों की उपलब्धता का विवेचनात्मक मूल्यांकन और समीक्षा करने के बाद किया जाना है।

(3) फालतू जल वाले अध्ययनाधीन उप बेसिनों से जल के ट्रांस्फर के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के रूप में दस्तूर स्कीम पर विचार करना और उसके सापेक्ष लागत-परिणामों और लाभों को मूल्यांकन करना; और

(4) विभिन्न सम्भाव्य विकल्पों की रोशनी में फालतू जल वाले उप-बेसिनों से जल को कमी वाले क्षेत्रों को जल व्यपवर्तित करने के लिए कम लागत वाली और सर्वाधिक लाभ देने वाली योजना तैयार करना और परियोजना अथवा परियोजनाओं को तैयार करने के लिए अपेक्षित और विस्तृत अन्वेषणों का सुझाव देना

विवरण—तीन

राष्ट्रीय सिंचाई योजना के क्रियान्वयन के लिए संगठनात्मक पहलुओं और स्वैच्छिक श्रमिकों की उपलब्धता का मूल्यांकन करने वाली समिति।

(क) गठन

1.	सचिव, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	सदस्य (पी०एण्ड०पी०), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव, ग्राम विकास विभाग	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव, रक्षा मन्त्रालय	सदस्य
5.	कार्य-भारी सचिव, समाज कल्याण विभाग, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य
6.	कार्य-भारी सचिव, समाज कल्याण विभाग, कर्नाटक सरकार	सदस्य
7.	कार्य-भारी सचिव, समाज कल्याण विभाग, केरल सरकार	सदस्य
8.	कार्य-भारी सचिव, समाज कल्याण विभाग, तमिलनाडु सरकार	सदस्य
9.	श्री एस०बी० खरे, संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय	सदस्य-सचिव

(ख) विचारणीय विषय

(क) शुष्क ऋतु के दौरान परियोजना के नहर खुदाई कार्य और अन्य विकास कार्यों में भाग लेने के लिए 18 से 26 वर्ष के आयु वर्ग वाले हृष्ट-पुष्ट युवकों को भर्ती की व्यवहार्यता पर विचार करना। इस उद्देश्य के लिए इस योजना में सेना द्वारा इस आयु वर्ग के 1.5 करोड़ हृष्ट-पुष्ट युवकों को भर्ती परिकल्पित है।

(ख) 15 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के नाबालिगों से उनके अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण के भाग के रूप में, निशुल्क श्रम प्राप्त करने की व्यवहार्यता की जांच करना। इन नाबालिगों के लिए परियोजना पर एक मास में पांच दिन अनिवार्य रूप से नि:शुल्क कार्य करना आवश्यक होगा। अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण के न होने पर इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय तथा स्वेच्छिक सेवाओं के उपयोग करने की व्यवहार्यता की जांच की जाए।

(ग) केम्पों में श्रमिकों के लिए आवास तथा अन्य सुख-सुविधाओं आदि की व्यवस्था करने और समन्वय करने के प्रश्न पर विचार करना। योजना में यह परिकल्पित है कि सेना प्रत्येक कैम्प में कम से कम 2000 श्रमिकों के रहने के लिए नहर की लम्बाई के प्रत्येक मील के साथ-साथ केम्पों की व्यवस्था और समन्वय करेगी। इस पद्धति के अन्तर्गत सेना द्वारा होने वाले वित्तीय खर्च के प्रश्न की जांच की जाए।

(घ) उन हृष्ट-पुष्ट व्यक्तियों से नि:शुल्क श्रम लेने की व्यवहार्यता पर विचार करना, जो योजना में प्रस्तावित सभी हृष्ट-पुष्ट व्यक्तियों पर प्रति व्यक्ति शुल्क के बदले परियोजना में एक मास में पांच दिन कार्य कर के अदायगी करेंगे।

(ङ) परियोजना का निर्माण करने की अपील पर देश भक्त स्वयंसेवकों से नि:शुल्क श्रम प्राप्त करने तथा इसकी व्यवस्था करने की संभावना की जांच करना।

(च) निर्माण कार्य में लगाए जाने वाले श्रमिकों के लिए अपेक्षित प्रोत्साहन पर विचार करना। विशेष रूप से इस बारे में दिये गये सुझावों को समिति द्वारा जांच की जाएगी।

(छ) इस भारी निर्माण कार्य की व्यवस्था करने में सेना को शामिल करने की व्यवहार्यता पर विचार करना। इस उद्देश्य के लिए समिति एक विकल्प के रूप में स्वैच्छिक एजेंसियों को उपयोग करने की संभाव्यता पर विचार करेगी।

विवरण—चार

अन्तर्बेसिन ट्रांस्फर के कानूनी पहलुओं की जांच करने वाली समिति

(क) गठन

1.	सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	विधि सचिव, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य

3.	विधि सचिव, कर्नाटक सरकार	सदस्य
4.	विधि सचिव, केरल सरकार	सदस्य
5.	विधि सचिव, तमिलनाडु सरकार	सदस्य
6.	श्रीमती आर०एम० श्रोफ, संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय	सदस्य-सचिव

(ख) विचारणीय विषय

अन्तर्राज्यीय नदियों के जल का एक राज्य से दूसरे राज्य में अन्तर्बेसिन व्यपवर्तन करने से सम्बन्धित कानूनी पहलुओं की, जैसेकि श्री दस्तूर द्वारा किये गये प्रस्तावों से निहित हों, जांच करना और यदि सर्वोत्तम राष्ट्रीय हित में मौजूदा कानूनों में किसी संशोधन/आशोधन की आवश्यकता हो या कोई संवैधानिक संशोधन करना जरूरी हो तो उसका सुझाव देना ।

सूखे की पुनरावृत्ति

9036. **डा० रामजी सिंह : क्या कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश को प्रत्येक चार वर्ष के बाद सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या इस बारे में वैज्ञानिकों ने सरकार को कोई चेतावनी दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या योजना है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) गत 100 वर्षों के आंकड़ों के वैज्ञानिक विश्लेषण से भारत में पड़ने वाले सूखे के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आवृत्ति या प्रवृत्ति के होने का कोई संकेत नहीं मिलता है। अतः इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि हर 4 वर्षों के बाद सूखे की पुनरावृत्ति की संभावना होती है ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए चेतावनी देने का प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) यद्यपि सूखा पड़ने का कोई निश्चित कालक्रम होना सिद्ध नहीं हुआ है, सूखा पड़ने की भविष्यवाणी करने की तकनीकों के विकास और साथ ही बारानी खेती की तकनीकों के विकास के लिए सरकार असंधान कार्य कर रही है। सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में एक सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम भी शुरू किया है जिसके अंतर्गत 13 राज्यों में 74 जिले आते हैं। इसका लक्ष्य सूखे के प्रभाव की गम्भीरता को कम करना, पर्यावरण सम्बन्धी संतुलन को बनाये रखना तथा इन क्षेत्रों में गरीब ग्रामीणों की आय को स्थायी बनाना है ।

कोंकण और गुजरात तटों पर मत्स्य पत्तन

9037. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में कोंकण और गुजरात तटों पर मत्स्य स्थापित किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) गुजरात में वेरावल, मांगरोल तथा पोरबन्दर, महाराष्ट्र में रत्नागिरी तथा ससून गोदी और कर्नाटक में माल्पे, होनावर तथा मंगलौर में सभी सुविधाओं से युक्त मत्स्यन बन्दरगाहों की स्वीकृती दी गई है। इन बन्दरगाहों की अनुमानित लागत और जलयानों की सम्भाल क्षमता नीचे दी गई है :—

मत्स्यन बन्दरगाहों के नाम	मत्स्य जलयान सम्भालने की क्षमता	अनुमानित लागत (लाख रुपये)
1. वेरावल	342	899.82
2. मांगरोल	70	225.75
3. पोरबन्दर	240	150.00
4. ससून गोदी	400	405.72
5. रत्नागिरी	390	344.25
6. माल्पे	459	426.00
7. होनावर	120	45.99
8. मंगलौर	70	42.97

डेयरी उद्योगों को प्रोत्साहन

9038. **श्री हलीमुद्दीन अहमद** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डेयरी उद्योगों के संवर्धन के लिए इस उद्योग को, जो अभी तक उपेक्षित है, विशेष प्रोत्साहन देने का है और इन उद्योगों को अधिक विशेष अनुदान दिये जायेंगे; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इन उद्योगों को क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ख) फ्लड-2 नामक एक व्यापक परियोजना आरम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत सात वर्ष की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों के 155 जिले आएंगे। इस परियोजना की सहायता से लगभग 100 लाख ग्रामीण दुग्ध-उत्पादक परिवार एक आत्मनिर्भर डेरी उद्योग की स्थापना कर सकेंगे। सरकार मुख्य रूप से दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों के प्रावधानों पर जोर देती है। दुग्ध उत्पादकों को उनके पशुओं के लिए बेहतर प्रजनन, बेहतर स्वास्थ्य संरक्षण तथा चारा देने के लिए अधिक सेवाएं तथा आदान प्रदान किए जा रहे हैं। कुछ योजनाओं के अन्तर्गत, राज्य सरकारों तथा सहकारी संगठनों के माध्यम से सहकारी समितियों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देने व प्रशीतन/डेरी संयंत्रों की स्थापना के लिए तकनीकी आदानों की व्यवस्था का प्रावधान है। पशुओं के सामान्य रोगों के लिए निशुल्क रोग —निरोधक टीके लगाने की विशेष मदों के लिए

राज सहायता देने का भी प्रावधान है। छोटे तथा सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों को संकर बछड़ों के लिए राज सहायता दी जाती है। ये सभी प्रयास दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होंगे। इस प्रकार डेरी उद्योग को लाभ होगा।

दिल्ली में चीनी के मूल्यों में वृद्धि

9039. **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि दिल्ली की पहाड़गंज तथा खारीबावली स्थित बड़ी मंडियों में चीनी के मूल्य 2.75 रुपये प्रति किलो से भी अधिक हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपनी घोषणा के अनुसार चीनी के मूल्यों को 2.75 रुपये प्रति किलो पर स्थिर रखने के लिए कोई कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) इस समय पहाड़गंज और खारी बावली के मुख्य बाजारों में चीनी का खुदरा मूल्य चीनी के ग्रेड और उसकी किस्म पर निर्भर करते हुए 2.75 से 3.00 प्रति किलो के बीच है। सरकार द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली 2.75 रुपये प्रति किलो की सीमा मानक ग्रेड अर्थात् डी-30 की अखिल भारतीय औसत है। दिल्ली में उपभोक्ता की तरजीह सी-30 ग्रेड की चीनी के लिए जो कि फायदे पर बिकती है और चुंगी का भार 10.90 रुपये प्रति क्विंटल है। इन दोनों से सामान्यतया औसत से ऊपर मूल्यों में बढ़ोतरी होती है। तथापि, आशा है कि भारतीय खाद्य है निगम द्वारा रखे गये चीनी के स्टाक के प्रस्तावी निपटान से बहुत जल्द मूल्यों में स्थिरता की प्रवृत्ति आएगी।

दिल्ली दुग्ध योजना में हिन्दी के प्रयोग के बारे में संसदीय समिति

9040. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा विषयक संसदीय समिति ने हाल ही में दिल्ली दुग्ध योजना का दौरा किया था, यदि हां, तो किस तारीख को और इस संगठन के कार्य में समिति की क्या धारणा बनी;

(ख) क्या हिन्दी के बहुत कम प्रयोग का एक मुख्य कारण हिन्दी कार्य करने वाले कर्मचारियों की कमी समझा गया था; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली दुग्ध योजना में हिन्दी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राजभाषा विषयक संसदीय समिति की द्वितीय उप-समिति ने 25 जनवरी, 1979 को दिल्ली दुग्ध योजना का दौरा किया। समिति ने अनुभव किया कि हिन्दी के कार्य के लिए स्वीकृत रिक्त पदों को जल्दी से भरा जाना चाहिए। उन्होंने राजभाषा अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली दुग्ध योजना को अधिसूचित करने, पत्र

व्यवहार में हिन्दी के अधिक प्रयोग, सामान्य आदेशों को द्विभाषी रूप से जारी करने, समिति में सदस्यों की संख्या को बढ़ाने, तीसरी और चौथी श्रेणियों में कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं को हिन्दी में रखने, रबर की मोहरों को द्विभाषी रूप से तैयार करने और हिन्दी अनुवाद कार्य से सम्बन्धित पदों को भरने का भी सुझाव दिया है।

(ख) जी हां।

(ग) हिन्दी के कार्य के लिए स्वीकृत रिक्त पदों को भरने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना ने पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी है। इन नए सृजित पदों के भर्ती नियमों को अन्तिम रूप दिए जाने तक, हिन्दी अधिकारी और कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के पदों को भरने के लिए गृह मंत्रालय से अनुरोध किया गया है और उसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

ग्रामीण जल सप्लाई के लिए निधियां

9041. **श्री निहार लास्कर**
श्री पी० एम० सईद } : **क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों ने वर्ष 1978-79 के दौरान ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रमों के लिए अधिक सहायता दिये जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने कितने धन के लिए अनुरोध किया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त : (क) इन तीनों राज्यों में से, केवल तमिलनाडु ने 1978-79 के दौरान ग्रामीण जल पूर्ति कार्यालय के लिए और निधियों के लिए अनुरोध किया था।

(ख) तमिलनाडु के लिए 296 लाख रुपये की प्रारम्भिक नियतन की तुलना में 408 लाख रुपये की राशि अन्तिम रूप से दी गई थी।

गरीबों के लिए सस्ते मकान

9042. **श्री देवव्रत बरुआ** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्धनतम लोगों के लिए सस्ते तथा सुविधाजनक मकान उपलब्ध कराने के लिए सरकार की कोई दीर्घावधि योजना है;

(ख) क्या सस्ते परन्तु इस देश की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त मकानों के लिए कोई अनुसंधान किया गया है;

(ग) क्या देश की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु पूर्व निर्मित सामग्री से मकान बनाने का तरीका निकाला गया है; और

(घ) ऐसी आवास योजना को तुरन्त क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं जो स्थिति में प्रभावी रूप से सहायक सिद्ध हो सकेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) आवास राज्य क्षेत्र में है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने गृह निर्माण कार्यक्रमों को इस तरह से बनायें कि जिससे टेनामेंटों/मकानों के 75 प्रतिशत मकान आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए तथा 15 प्रतिशत मकान निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए बनाये जायें। सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत अधिकतम लागत सीमा भी निर्धारित की गयी है और यह सीमा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के मकानों के लिए 8,000 रुपये तथा निम्न आय वर्ग के मकानों के लिये 18,000 रुपये है। इसके अतिरिक्त, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग में निम्नतम आय वर्गों के बहुत से बेघर लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिये राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे स्थलों तथा सेवाओं के कार्यक्रमों को और बड़े पैमाने पर आरम्भ करें।

(ख) जी, हां। राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन तथा केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जैसे संस्थानों ने इस सम्बन्ध में काफी अनुसंधान किया है तथा उन्होंने अच्छी श्रेणी के मकानों के माडल तैयार किये हैं तथा परिचालित किए हैं जो स्थानीय तौर पर उपलब्ध भवन सामग्री तथा निर्माण तकनीकों के उपयोग से कम लागत में बनाये जा सकते हैं।

(ग) जहां कहीं भी किफायती तथा व्यवहार्य पाया जाता है पूर्व निर्मित भवन निर्माण संघटकों को प्रयोग किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताये गये उपायों के अलावा, भारत सरकार के उपक्रम, आवास तथा नगर विकास निगम की गतिविधियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए तेज किया गया है। उन्होंने अब तक 4,27,592 रिहायशी मकानों, 4,575 गैर-रिहायशी भवनों के निर्माण तथा 52,570 प्लाटों के विकास की 950 योजनाओं की वित्त व्यवस्था करने के लिये 425.95 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किये हैं। मंजूर किये गये रिहायशी मकानों में से 86.26 प्रतिशत मकान ऐसे परिवारों के लिये होंगे जिनकी मासिक आय 600 रुपये से अधिक नहीं है।

सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों द्वारा अपंग बच्चों को रियायतें

9043. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है जो अपंग बच्चों को रियायतें दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो राजधानी में उन संस्थानों के नाम क्या हैं और वहां शुल्क आदि के मामले में कितने प्रतिशत छात्रों को कुछ रियायतें मिल रहीं हैं;

(ग) इन संस्थानों को सरकार द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है और राजधानी स्थित इन सार्वजनिक संस्थानों में पढ़ रहे दसवीं कक्षा तक अपंग बच्चों को सरकार द्वारा क्या कोई छात्रवृतियां दी जा रही हैं यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) अपंग बच्चों के बारे में सरकार ने क्या नीति अपनाई है और राजधानी की शिक्षण संस्थाओं को इस सम्बन्ध में क्या निदेश दिये गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) :

(क) और (ख) विभिन्न स्रोतों से समाज कल्याण विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में लगभग 430 विशेष संस्थाएं विकलांग बच्चों और प्रौढ़ों को शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करती हैं। उनमें से अनेक निशुल्क शिक्षा और/या ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था करती हैं। राजधानी में विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत विशेष संस्थाओं के नामों का विवरण संलग्न है। निशुल्क शिक्षा आदि के रूप में रियायतें पाने वाले छात्रों की संख्या के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की योजना तथा समाज कल्याण संस्थाओं/संगठनों को दिल्ली के अनुदान नियम, 1975 के अन्तर्गत 1978-79 में 8.84 लाख रुपये की राशि दी गई।

इन प्लांट प्रशिक्षण सहित शिक्षा के सभी स्तरों के लिये 1978-79 में छात्रवृत्ति के रूप में 4.64 लाख रुपये दिये गये।

(घ) सरकार की नीति यह है कि स्कूलों में, विशेषतया सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों की अधिकतम भर्ती हो। विकलांग व्यक्तियों के संस्थानों को पूर्ण कृत्यात्मक स्वाधीनता प्रदत्त है। तो भी प्रत्येक अनुदान के लिए कुछ शर्तें हैं और उनके कार्य पर पूर्ण अनुश्रवण की व्यवस्था है।

विवरण

संस्थाओं की सूची

1. मंदबुद्धि बच्चों का माडल स्कूल,
   कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर, नई दिल्ली।
2. ओखला मंदबुद्धि प्रशिक्षण केन्द्र,
   ओखला रोड, नई दिल्ली।
3. बलवन्त राय मेहता विद्या भवन,
   लाजपत भवन, लाजपत नगर, नई दिल्ली।
4. मंदबुद्धि बच्चों का केन्द्र,
   नगर निगम प्राइमरी स्कूल,
   ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली।
5. मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए सदन,
   कस्तूरबा गांधी निकेतन, लाजपत नगर, नई दिल्ली।
6. राजकीय लेडी नायस स्कूल फार डेफ,
   कोटला फिरोजशाह, नई दिल्ली।
7. स्कूल फार दी डेफ,
   डी-137, आनन्द निकेतन, नई दिल्ली।
8. ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन,
   लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली।

9. राजकीय दृष्टिहीनार्थ विद्यालय,
किंगजवें केम्प, दिल्ली ।

10. राष्ट्रीय वृजानन्द अंध कन्या विद्यालय,
न्यू राजेन्द्र नगर, शंकर रोड, नई दिल्ली ।

11. ब्लाईंड सोशल वेल्फेयर सोसायटी,
पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली ।

12. अंध महाविद्यालय,
पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली ।

13. विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान,
विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली ।

14. आकुपेशनल थिरेपी होम फार चिल्ड्रन,
रणजीत सिंह रोड, नई दिल्ली ।

15. दिल्ली चेशयर होम,
ओखला रोड, नई दिल्ली ।

16. व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र,
आई० टी० आई०, पूसा इंस्टीच्यूट बिल्डिंग,
नई दिल्ली ।

17. स्कूल एण्ड होम फार मेंटली रिटार्डिड चिल्ड्रन,
14/78—पंजाबी बाग, नई दिल्ली ।

18. स्कूल फार दी डेफ एण्ड डम्ब,
92 —कृष्णा नगर, नई दिल्ली ।

19. सेंटर फार स्पेशल एजुकेशन,
सी—2/52, सफदरजंग डव० एरिया,
नई दिल्ली ।

20. चाइल्ड गाइडेंस स्कूल सोसायटी,
32—राजेन्द्र पार्क, नई दिल्ली ।

21. संजीवनी सोसायटी फार मेंटल हैल्थ,
एच० ब्लाक, नार्थ,
डिफेंस कालोनी फ्लाई ओवर,
नई दिल्ली ।

दिल्ली में टेलीफोन नम्बरों में परिवर्तन

9044. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन एक्सचेंज के प्रतिवर्ष हजारों टेलीफोन नम्बर बदल दिये जाते

के कारण आम लोगों को बहुत कठिनाई होती है और क्या यह कठिनाई महीनों तक चलती रहती है और इन नम्बरों के बदले जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार भविष्य में नम्बर न बदलने के लिये कोई समाधान खोज रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) समय-समय पर दिल्ली में पुनः प्रतिष्ठित किये जाने वाले नम्बर परिवर्तनों के कारण जनता को होने वाली असुविधा के प्रति सरकार सचेत है।

लेकिन बढ़ते हुए टेलीफोन जाल के कारण नम्बर परिवर्तनों को रोका नहीं जा सकता मौजूदा एक्सचेंज पूर्ण भार युक्त हैं। इन एक्सचेंजों को राहत देने के लिए प्रति वर्ष नए एक्सचेंज जोड़े जा रहे हैं। मौजूदा एक्सचेंजों के क्षेत्र में से काटकर नये एक्सचेंजों का क्षेत्र बनाया जाता है और बचे हुए क्षेत्रों में दिए जा रहे नये कनेक्शनों की अनुमति देने के लिए कुछ उपभोक्ता लाइनों को नए एक्सचेंज में अन्तरित कर दिया जाता है। ऐसे अन्तरण करने पर मौजूदा नम्बर बदल देने पड़ते हैं।

(ख) मौजूदा टेलीफोन जाल में तेजी से वृद्धि होने के साथ इस प्रकार के नम्बर परिवर्तन को टालना सम्भव नहीं हो सकेगा। फिर भी, निम्न तरीकों के द्वारा जनता को असुविधा से बचाने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है :—

1. परिवर्तनों को डायरेक्टरी परिशिष्ठ के रूप में प्रकाशित करके।

2. प्रैस विज्ञापनों के माध्यम से।

बहु-पति वाली सामाजिक व्यवस्था

9045. **श्री बागुन सुम्बरूई** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कुछ भागों में बहु-पति वाली सामाजिक व्यवस्था स्त्रियों से वेश्यावृत्ति कराने के लिए उत्तरदायी है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी सामाजिक व्यवस्था को हतोत्साहित करने का है, जिससे एक से अधिक पुरुष के साथ सम्बन्ध को प्राकृतिक न माना जाए; और

(ग) देश के कुछ भागों में स्थिति को और अधिक खराब होने से रोकने के लिये क्या प्रभावी कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) :

(क) ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि बहु-पति व्यवस्था के कारण स्त्रियां वेश्यावृत्ति के लिये बाध्य होती हैं। तथापि, निर्धनता और आर्थिक निराश्रितता ही मुख्य कारण है जिससे स्त्रियों में अनैतिक व्यापार होता है। इनमें कुछ बहु-पति व्यवस्था वाले समाज भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) तीव्र आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों से बहु-पति व्यवस्था अब समाप्त हो रही है जिससे सरकार का हस्तक्षेप करना अनावश्यक है। तो भी स्त्रियों और लड़कियों में

अनैतिक व्यापार दमन कानून जिसके अन्तर्गत व्यापारिक रूप से वेश्यावृत्ति करना निषेध है, को 1978 के संशोधन द्वारा सुदृढ़ किया गया है ताकि राज्य सरकारें इसको प्रभावी ढग से लागू कर सकें।

डाक तथा तार सिविल सर्किल, मद्रास से जूनियर इन्जीनियरों को असिस्टेंट इन्जीनियरों के पदों पर पदोन्नति

9046. **श्री सी० वेणुगोपाल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार सिविल सर्किल में वरिष्ठता के मानदंड पर विचार न करके जूनियर इंजीनियरों के ग्रेड से असिस्टेंट इंजीनियरों के ग्रेड में पदोन्नतियां की गई हैं;

(ख) गत दो वर्षों में पदोन्नति के मामलों में किस प्रक्रिया का पालन किया गया, कितने व्यक्तियों की पदोन्नति की गई और कितने वरिष्ठ व्यक्तियों का अधिलंघन किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार सराहनीय सेवा वाले वरिष्ठ लोगों के साथ किये गये अन्याय को दूर करने का है और यदि हां, तो किस प्रकार ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जूनियर इंजीनियरों के ग्रेड से असिस्टेंट इंजीनियरों (सिविल) के ग्रेड में पदोन्नति करते समय वरिष्ठता का निर्धारण मान-दंडों के अनुसार किया गया है।

(ख) (I) गत दो वर्षों में दो प्रकार की पदोन्नतियां की गई थी :—

(i) फरवरी/मार्च, 1978 में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किये गये चयन के आधार पर नियमित पदोन्नति।

(ii) वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर असिस्टेंट इंजीनियर के ग्रेड में स्थानीय स्थानापन्न प्रबन्ध।

(II) दोनों प्रकार की पदोन्ननियों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

(i) **नियमित पदोन्नतियां** :

कुल 30 कर्मचारियों की पदोन्नति की गई थी जिनमें से 9 की निम्नतर योग्यता वर्गीकरण के कारण निम्नतर वरिष्ठता से पदोन्नति की गई थी। अन्य 13 मंकचारियों को प्रतिस्थापन्न के बाद, पदोन्नति की चयन सूची से निकाल दिया गया था। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा योग्यता के आधार पर तैयार की गई चयन सूची के अनुसार ही प्रतिस्थापन्न किया गया।

(ii) **स्थानीय स्थानापन्न प्रबन्ध** :

5 कर्मचारियों की पदोन्नति की गई। सर्किल द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूची के अनुसार ही ये पदोन्नतियां की गई हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ये पदोन्नतियां सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर की गई हैं।

यमुनापुरी दिल्ली के निकट प्राथमिक स्कूल खोलना

9047. **श्री पी० के० कोडियान** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि (यमुनापुरी) घोंडा, दिल्ली के सी-ब्लाक के निकट कोई प्राथमिक स्कूल नहीं है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि सी-ब्लाक में बहुत से परिवार बस गये हैं और वहां के निवासी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या आगामी शिक्षा वर्ष से कोई स्कूल खोला जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) दिल्ली नगर निगम ने, जुलाई, 1979 से यमुनापुरी के सी-ब्लाक में एक प्राथमिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव किया है ।

विसारक (डिफ्यूजर) संयंत्रों का कार्यकरण

9048. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों की राय में विसारक एक कीमती उपकरण है जो मूलतः चुकन्दर से चीनी बनाने के लिए बनाया गया था;

(ख) क्या राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर के प्राद्योगिकीविज्ञों और इंजीनियरों ने यह विचार व्यक्त किया है कि विसारक संयंत्र का वास्तविक कार्यकारी डाटा यह सिद्ध नहीं करता कि विसारक संयंत्र आर्थिक दृष्टि से एक लाभकारी उपकरण है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त स्थिति के बावजूद चीनी के कारखानों को विशेषकर आंध्र शूगर लि०, टानुका, आंध्र प्रदेश द्वारा निर्मित विसारक लगाने का परामर्श दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) डिफ्यूजर एक कीमती उपकरण है जो मूलतः चुकन्दर से चीनी बनाने के लिए बनाया गया था । बेहतर निस्सारण के कारण इसका गन्ने से चीनी बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है ।

(ख) राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर के प्रौद्योगिकीविज्ञों और इंजीनियरों ने इस उपकरण की आर्थिक क्षमता पर अन्तिम विचार बनाने के लिए अभी तक देश में डिफ्यूजर के कार्यकरण का कोई विस्तृत 'टेक्नो-इकनामिक' अध्ययन नहीं किया है ।

(ग) और (घ) 13 चीनी फैक्ट्रियों ने 3 विभिन्न डिजाइनों के डिफ्यूजर अभी तक स्थापित किये हैं जिनमें से 3 डिफ्यूजर—आंध्र शुगर लि० टानुका द्वारा बनाए गए है । ये डिफ्यूजर उनके अपने निर्णय के आधार पर और सरकारी क्षेत्र तथा सहकारी फैक्ट्रियों के मामलों में सामान्यता राज्य स्तरीय परामर्श समितियों की सलाह पर स्थापित किए गये थे । सरकार ने

किसी भी चीनी फैक्ट्री को किसी विशिष्ट डिजाइन का डिफ्यूजर स्थापित करने के लिए नहीं कहा था।

उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा और पिथोरागढ़ में टेलीफोन केन्द्र

9049. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में टेलीफोन केन्द्रों के नाम क्या हैं और वहां कितनी-कितनी लाइनें उपलब्ध हैं; और

(ख) उपरोक्त दो जिलों में अगले दो वर्षों में कितने टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का विचार किया है और उनमें लाइनों की क्षमता कितनी होगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम और लाइनों की संख्या इस प्रकार है :—

एक्सचेंज का नाम	एक्सचेंज क्षमता (लाइनों की संख्या)	चल रहे कनेक्शनों की संख्या
अल्मोड़ा जिला		
(i) अल्मोड़ा	300	232
(ii) रानीखेत	200	162
(iii) बागेश्वर	25	21
(iv) कोटद्वारा	25	9
(v) गनाई	25	9
पिथौरागढ़ जिला		
(i) पिथौरागढ़	180	169
(ii) लोहाघाट	25	17

(ख) 1979-80 के दौरान अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में निम्नलिखित 3 एक्सचेंजों के खोलने का प्रस्ताव है :—

एक्सचेंज का नाम	प्रस्तावित सामान्य क्षमता
अल्मोड़ा जिला	
(i) मांहन	25 लाइनें
पिथौरागढ़ जिला	
(i) घरकुला	50 लाइनें
(ii) डिडिहाट	25 लाइनें

वर्ष 1980-81 के लिए कार्यक्रम को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में हिन्दी का उपयोग

9050. **श्री लक्ष्मण राव मानकर** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी है, जिन्हें हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान है;

(ख) उनमें से ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जो अपने टिप्पण और मसौदे को हिन्दी में लिखते हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान रखने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने टिप्पण और मसौदे हिन्दी में तैयार करें ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की संख्या निम्न-लिखित है :—

ग्रुप "क" श्रेणी-I	33
ग्रुप "ख" श्रेणी-II	46
ग्रुप "ग" श्रेणी-III	295
जोड़	374

(ख) लगभग 30 से 35 कर्मचारी यदा कदा अपनी टिप्पणियां हिन्दी में लिखते हैं।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आयोग के कार्यालय में भारत सरकार की राज-भाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए एक समिति गठित की है।

चीनी के थोक तथा खुदरा मूल्यों में वृद्धि

9051 **श्री गंगा भक्त सिंह**
श्री ए० आर० बद्रीनारायण
श्री पी० एम० सईद
श्री के० ए० राजन
श्री अनन्त राम जायसवाल
श्रीं एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आश्वासन दिये जाने तथा प्रयास किये जाने के बावजूद भी चीनी के थोक तथा खुदरा मूल्य बढ़ गये हैं; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने चीनी के मूल्यों में वृद्धि के कारणों का पता लगाया है; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है कि चीनी के खुदरा 2.50 रुपये प्रति किलो से आगे न बढ़ें और चीनी के मूल्यों को कब तक कम कर दिया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) चीनी से नियंत्रण उठा लेने के बाद, चीनी के थोक तथा खुदरा मूल्यों में भारी गिरावट आयी थी। क्योंकि चीनी के मूल्य साधारणतया अनार्थिक स्तर पर चल रहे थे और चीनी की सक्षमता और गन्ना उत्पादकों आदि के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता पर कुप्रभाव डाल रहे थे इसलिए तीनो सैक्टरों अर्थात् संयुक्त पूंजी, सरकारी और सहकारी क्षेत्रों की चीनी फैक्ट्रियों ने मार्च, 1979 से कोटा प्रणाली पर स्वेच्छिक आधार पर चीनी कि निर्मुक्ति का विनियमन करने का विनिश्चय किया। ऐसा सारे वर्ष में चीनी की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से करना बताया गया था। इसका प्रभाव यह हुआ कि मूल्यों में मजबूती आयी। तथापि, चीनी के मूल्यों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी रहने से चीनी फैक्ट्रियों ने अप्रैल, 1979 से कोटा बढ़ाकर 5.65 लाख मीटरी टन कर दिया जबकि पिछले महीने में यह कोटा 4.25 लाख मीटरी टन था। अप्रैल, 1979 के दौरान चीनी की उपलब्धता बढ़ जाने से मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति शुरू हो गई। पिछले 4-5 दिनों में चीनी के थोक मूल्यों में लगभग 5-10 रुपये प्रति क्विंटल तक की गिरावट आयी है और खुदरा मूल्यो पर उनका प्रभाव कुछ ही दिनों के अन्दर दिखायी देने की सम्भावना है।

चीनी से नियंत्रण उठाने से चीनी के मूल्य, मांग और पूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होने हैं। तथापि, सरकार मूल्य की प्रवृत्ति पर कड़ी नजर रख रही हैं और यदि मूल्य अनुपयुक्त समझे जाने वाले स्तरों पर बने रहते हैं तो उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए उपयुक्त उपचारी उपाय किए जाएंगे।

खाद्य उत्पादन में प्रगति के लिए नई फसल पद्धति

9052. **श्री के० एस० वीरभद्रप्पा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1978 में खाद्य उत्पादन हेतु देश के विभिन्न भागों में लागू नई फसल पद्धति के परिणाम से सन्तुष्ट है;

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों में नई फसल पद्धति को लागू करने से खाद्य उत्पादन में भारी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) जी हां। हाल के वर्षों में खाद्यान्नों का उत्पादन बड़ी तेजी से बढ़ा है। खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 1965-66 में 723.5 लाख मीटरी टन था, जो बढ़कर 1977-78 में 1256 लाख मीटरी टन हो गया। आशा है कि 1978-79 में यह बढ़कर लगभग 1270 लाख मीटरी टन तक पहुंच जाएगा। खाद्यान्नों के उत्पादन में इस भारी प्रगति का एक महत्वपूर्ण कारण फसल पद्धति में परिवर्तन होना है।

ब्रेल भाषा में बिना जिल्द की पुस्तकें

9053. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ब्रेल प्रेस, देहरादून में ब्रेल भाषा में मुद्रित बहुत सी पुस्तकें वर्ष 1971 से 1979 के दौरान बिना जिल्द बंधें ही पड़ी रहीं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है, वे किस-किस तारीख को मुद्रित हुई, कितनी पुस्तकों का मुद्रित कागज खराब हुआ और इन पुस्तकों की जिल्द कब बांधी गई; और

(ग) कागज खराब हो जाने के बाद इनमें से कितनी पुस्तकों का मुद्रण किया गया ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) और (ख) जी हां। 1971-77 के दौरान निम्नलिखित अवधियों में 14430 खण्डों पर जिल्द नहीं बांधी गई :—इन पुस्तकों पर 1977-78 और 1978-79 में जिल्द बंधवाई गई।

मुद्रण का वर्ष	बिना जिल्द के खण्डों की संख्या
1968	200
1972	1100
1973	1380
1975	7300
1976	3800
1977	650
	14430

(ग) 16192 शीटें (270 खन्ड) खराब हो गईं जिनका मूल्य 4048 रुपये था। 270 खण्ड प्रकाशित हुए ।

बाढ़ नियन्त्रण के लिए भू संरक्षण

9054. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ नियन्त्रण की दृष्टि से भू संरक्षण को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है; और

(ख) यदि हां, तो भू संरक्षण को बाढ़ नियन्त्रण का अभिन्न भाग बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) बाढ़ प्रवण नदियों के ऊपरी स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण, वन रोपण, भूमि सुधार तथा पनधारा प्रबन्ध की अन्य प्रणालियां बाढ़ नियन्त्रण के लिए महत्वपूर्ण हैं। सिन्ध-गंगा के बेसिन में बाढ़ नियन्त्रण के लिए

एक समेकित कार्य योजना के बारे में सुझाव देने के लिए कृषि विभाग में गठित किए गए कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया है कि बाढ़ों की समस्या को, पनधारा प्रबंध के साथ इंजीनियरी उपायों को एकीकृत करके बेसिनवार आधार पर सुलझाया जाए। कार्यकारी दल की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

1978-79 के दौरान विभिन्न राज्यों की सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन राशि को आबंटन और दी गई राशि

9055. **श्री एन्थु साहु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों को वित्तीय वर्ष 1978-79 के दौरान सिंचाई परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया और कितनी धनराशि दी गई तथा इसे समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों ने कितनी धनराशि का व्यय नहीं किया अथवा वापस कर दी तथा उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम को स्थायी बनाना तथा उसके अधीन अनाज की अधिकतम मात्रा निश्चित करना

9056. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'काम के बदले अनाज' योजना को एक स्थायी योजना बनाया जा रहा है;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए राज्यों को सप्लाई किये जाने वाले अनाजों की कोई अधिकतम सीमा निश्चित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पंचवर्षीय योजनाओं की एक स्थायी योजना बनाने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

(ख) व (ग) चूंकि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाले खाद्यान्नों की अपेक्षा राज्य सरकार की मांगें काफी अधिक हैं, अतः योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले खाद्यान्नों के बारे में अधिकतम सीमा निर्धारित करनी होगी।

एच० एस० जी०-II पोस्टमास्टर की नीति में परिवर्तन के कारण इन्सपेक्टरों की स्थिति

9057. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन**
श्री ईश्वर चौधरी
श्री मदन तिवारी } : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक व तार विभाग के एच० एस० जी०-II पोस्टमास्टरों संबंधी नीति में परिवर्तन के कारण बहुत से डाकघर इन्सपेक्टरों को पदावनत किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन इन्सपेक्टरों को वर्ष 1978 में पास हुए प्रशिक्षित किये गये इन्सपेक्टरों को भी बनाये रखने के कोई प्रबन्ध किये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जनरल लाइन और डाकघर निरीक्षक लाइन के कर्मचारियों में उच्चतर चयन पद क्रम-II के पोस्टमास्टर और नाम व पोस्टमास्टरों के पद 50 : 50 के अनुपात में बांटे गये थे, लेकिन मार्च 1979 में ऐसा फैसला किया गया है कि भविष्य में ऐसे पदों के केवल जनरल लाइन कर्मचारियों द्वारा ही भरा जाए।

दरअसल डाकघरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर बहुत ही कम हैं। इसलिए उन्हें अधिक अवसर प्रदान करने के लिए ही उपर्युक्त फैसला किया गया है और चूंकि भविष्य में उन पदों को केवल डाकघरों के अधिक तजुर्बेकार कर्मचारियों द्वारा ही भरा जाएगा। इसलिए पोस्टमास्टर संवर्ग द्वारा बेहतर प्रबन्ध हो सकेगा।

साथ ही यह भी फैसला किया गया कि डाकघर निरीक्षकों के पदों का दर्जा बढ़ाकर सहायक डाकघर अधीक्षक के पद बनाये जाएं। जिनकी संख्या उच्चतर चयन पदक्रम-II के उन पदों के बराबर होगी जो कि जनरल लाइन के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराये जाएंगे। उसके परिणामस्वरूप कुछ डाकघर निरीक्षकों को पदावन्नत करना होगा, लेकिन ऐसे कर्मचारियों की संख्या ज्यादा नहीं है और उन्हें भविष्य में होने वाले रिक्त स्थानों पर खपा दिया जाएगा। उसके साथ ही जिन कर्मचारियों ने 1978 में निरीक्षकों की परीक्षा पास की है उन्हें भी भविष्य के रिक्त स्थानों पर खपा दिया जायेगा ।

ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में डाक सुविधायें

9058. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में चालू वित्त वर्ष के दौरान डाक सुविधाओं में सुधार करने हेतु कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक राज्य में चालू वित्त वर्ष के दौरान जिन गांवों तथा जिलों में उक्त सुधार किये गये उनका ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) कर्नाटक में डाक सेवाओं में सुधार लाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 1979-80 के दौरान अपनाये जाने वाले लक्ष्य इस प्रकार हैं :—

(1)	ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या	150
(2)	जिन ग्रामों में काउन्टर सुविधा दी जाएगी	600
(3)	ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी पत्र-पेटियां लगाई जाएंगी	3000
(4)	दैनिक वितरण तथा पत्र-पेटियों से डाक निकासी की व्यवस्था में वृद्धि करने के लिये नियुक्त किये जाने वाले विभागेतर एजेन्टों की संख्या	500

जिले वार लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किए गये हैं, लेकिन प्रत्येक जिलों की आवश्यकता को ध्यान में रख कर राज्य के सभी जिलों के लिए उपरोक्त लक्ष्यों को बांटा जाएगा ।

कपास की कीमतें

9059 **श्री एस० आर० दामाणी जी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले और वर्तमान कपास के मौसम के दौरान कपास की कीमतें इतनी तेजी से गिर रही हैं कि कुछ राज्यों में कीमतें कृषि मूल्य आयोग के समर्थन मूल्य स्तर से भी नीचे पहुँच गई हैं, जिससे कपास उत्पादकों के आगे संकट की स्थिति पैदा हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और बाजार में मूल्यों के भारी उतार चढ़ाव से कपास उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) चालू कपास के मौसम में कपास की कीमतें गत मौसम में विद्यमान कीमतों की तुलना में सामान्यत: कम हैं, परन्तु वे सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम सहाय्य मूल्य के स्तर से सामान्यतया अधिक होती हैं । तथापि, कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कपास की कीमतें उचित दरों पर बनाए रखने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. भारतीय कपास निगम की भूमिका का विस्तार करना और उसको यह निर्देश देना कि वह न केवल सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों को बिक्री के लिए बल्कि गैर-सरकारी क्षेत्र की मिलों को बिक्री के लिए भी खरीद करे और कपास का बफर स्टाक भी बनाए ।
2. मिलों के लिए भण्डारण सीमाओं में वृद्धि करने के लिए संशोधन करना ।
3. देशी कपास उत्पादकों को नुकसान पहुंचाए बिना विदेशों से कपास आयात न करने का निर्णय लेना ।
4. 3.5 लाख गांठों तक रेशे वाली कपास का निर्यात करना ।
5. बंगाल देशी कपास नर्म कपास का अवशेष पदार्थ और येलो पिकिंग्ज का निर्यात ।
6. सांविधिक अनुबन्ध को हटाना जिसमें सूती मिलों को 10 प्रतिशत गैर-रेशे वाली कपास का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने की अनुमति है ।
7. सान्द्र रेशे वाली कपास पर आयात शुल्क लगाना और देशी सान्द्र रेशे पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि करना ।

पंजाब में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

9060. **चौधरी बलबीर सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता महसूस की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में वर्ष 1979-80 के दौरान नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) पंजाब में कितने केन्द्रीय विद्यालय और कहां-कहां पर खोले जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन जो इस मन्त्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्त संगठन है और जो केन्द्रीय विद्यालयों के संचालन के लिए जिम्मेदार है, 1979-80 के दौरान देश में 20 विद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखता है ।

(ग) 1979-80 के दौरान सरानांसी (जालंधर) में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

देश में बेघर लोगों के लिए मकान

9061. **श्री युवराज** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमानों के अनुसार यदि प्रतिवर्ष 50 लाख मकान बनाये जायें तो अगले बीस वर्षों में देश के सभी लोगों को मकान दिये जा सकते हैं;

(ख) क्या भूमिहीन श्रमिकों, हरिजनों और आदिवासियों को बसाने के लिए रिहायशी कालोनियां बनाने के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ग) क्या सभी लोगों को 20 वर्षों में मकान देने के लिए दिए गए आश्वासन तेजी से असम्भव बात बनती जा रही है; और

(घ) क्या मकान बनाने वाले श्रमिक झुग्गियों में रहते रहेंगे और रोजगार की तलाश में इधर से उधर घूमते रहेंगे या क्या उन्हें भी मकान दिये जायेंगे, यदि हां, तो उनमें से सभी को कब तक मकान दे दिये जायेंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया है ।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को प्लाट-अर्जन तथा मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने के बारे में राज्य क्षेत्र में एक योजना है । इस योजना तथा अन्य सामाजिक आवास योजनाओं जो कि मुख्यतः आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लाभ के लिए है, से हरिजन तथा आदिवासी भी लाभान्वित होंगे ।

(ग) पंच वर्षीय योजना 1978—83 के प्रारूप में आवास समस्या को 20 वर्ष की समयावधि में हल करने की सम्भावनाओं पर विचार किया है । यह अनुमान लगाया गया है कि पिछली कमी को पूरा करने के लिये तथा जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण अतिरिक्त मकानों की आवश्यकता पूरी करने और उद्देश्य की प्राप्ति के लिये पुराने मकानों को परिवर्तित करने के लिए लगभग 45 लाख आवास एकक प्रतिवर्ष बनाये जाने की आवश्यकता है । आवास कार्यक्रम को इस लक्ष्य के अनुकूल किया जा रहा है ।

(घ) अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोजगार तथा सेवा शर्तों के विनियमन) विधेयक, 1979 नामक एक विधेयक सदन में हाल ही में प्रस्तुत किया गया है। विधेयक की धारा 16 में यह प्रावधान है कि अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक नियुक्त करने वाले प्रत्येक ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे श्रमिकों को उनकी नौकरी की अवधि के दौरान उपयुक्त रिहायशी वास मुहैया करेगा तथा उसका अनुरक्षण करेगा। सामाजिक आवास योजनाओं से निर्माण कार्यों में लगे श्रमिक भी लाभ उठा सकते हैं।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कार्यों की जांच

9062. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के विजीटर ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत इसकी शिक्षा गतिविधियों की किसी जांच के लिये आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं; और

(घ) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का विजिटर कुलपति (अर्थात् प्रधान मन्त्री) के तथ्यों का पता लगाने वाले प्रतिवेदन के आधार पर कोई जांच कर रहा है और यदि हां, तो कैसे और कब तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) प्रवेश, शिक्षकों की नियुक्ति, कर्मचारियों की सेवा समाप्ति, छात्रों की गिरफ्तारी इत्यादि से सम्बन्धित अनियमितताओं की शिकायतों के बारे में प्रधान मन्त्री ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विरुद्ध एक प्रारम्भिक जांच की थी। रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों/सुझावों पर सम्बंधित प्राधिकारियों के परामर्श से कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कार्यकरण के मूल्यांकन और अगले दशक में इसके ढांचे तथा कार्यों के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिये एक समिति गठित करने का निर्णय किया गया है।

गैर-सरकारी एजेन्सियों से भण्डार सामग्री की खरीद

9063. **श्री के० मालन्ना** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 में, गैर-सरकारी एजेंसियों तथा लघु क्षेत्र के उद्योगों से खरीदी गई भण्डार सामग्री का ब्यौरा क्या है और वर्ष, 1980-81 के लिए कितना नियतन किया गया है;

(ख) ऐसी खरीदों के लिये क्या मानदण्ड रखा गया है;

(ग) क्या यह सच है कि भण्डार सामग्री की खरीद के मामले में लघु क्षेत्र तथा सुपर बाजार को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) वर्ष, 1977-78 में (1) गैर-सरकारी क्षेत्र से लगभग 581.87 करोड़ रुपये की, (2) गैर-सरकारी क्षेत्र के लघु उद्योग यूनिटों से 110.48 करोड़ रुपये की और सरकारी क्षेत्र के कुटीर तथा लघु उद्योग यूनिटों से 5.29 करोड़ रुपये की खरीद की गई थी। (इस वर्ष के लिए कुल 115.77 करोड़ रुपये की खरीद की गई थी ।)

1978-79 के लिए आंकड़े अभी संकलित नहीं किये गये हैं।

खरीद के लिए इस प्रकार का कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता। खरीदे जाने वाले सामान की मात्रा, इस बात पर निर्भर करती है कि किसी विशेष अवधि में सरकार को कितने भण्डार के मांगपत्र प्राप्त होते हैं।

(ख) इसके लिये निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं :—

खरीद करने के लिये यह मापदण्ड अपनाया जाता है कि सामान अपेक्षित विशिष्टताओं के अनुरूप होना चाहिए, और वह अत्यधिक प्रतियोगी दरों पर, निर्धारित डिलीवरी की अवधि में ही उपलब्ध हो सके। फिर भी, लघु उद्योग यूनिटों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय अपनाये हैं :—

(1) बहुत-सी मदें केवल लघु उद्योग क्षेत्र से ही खरीदी जाती हैं। इस समय ऐसी रिजर्व पदों की संख्या 241 हैं।

(2) जिन मदों को बड़ी यूनिटों तथा लघु यूनिटों दोनों से ही खरीदा जा सकता है, उनके मामले में बड़ी यूनिटों की तुलना में, लघु यूनिटों को 15 प्रतिशत तक मूल्य-अधिमान दिया जा सकता है। उन्हें दिया जाने वाला असली मूल्य-अधिमान, मामले के गुण-दोषों के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है।

(3) लघु उद्योग यूनिटों के पंजीकरण का कार्य, अब एक ही स्थान पर पंजीकरण की योजना के अधीन, राष्ट्रीय लघु-उद्योग निगम लिमिटेड को सौंप दिया गया है। इस योजना के अधीन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में पंजीकरण, वस्तुत: पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में पंजीकरण के बराबर ही माना जाता है।

(4) लघु उद्योग यूनिटों की रुचि की मदों के बारे में, टेंडर सैटों की पर्याप्त संख्या में प्रतियां, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को भेज दी जाती हैं, ताकि वे लघु उद्योग यूनिटों को ये प्रतियां निशुल्क वितरित कर दें।

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र को दी जाने वाली सुविधाओं का उक्त भाग 'ख' में उल्लेख कर दिया गया है।

सुपर बाजार, मुख्यत: सिविल सप्लाईज के लिए खुदरा उपभोक्ता-वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए है। पूर्ति विभाग, एक थोक खरीददार होने के कारण निर्माताओं को सदैव आर्डर भेजता है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में अहेनी में टेलीफोन एक्सचेंज

9064. **श्री राजे विश्वेश्वर राव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले के अहेनी में छह व्यापारियों ने तीन वर्षों से अधिक समय से टेलीफोन कनेक्शन के लिए राशि जमा करा रखी है और अन्य लोग वहां टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने के बाद राशि जमा कराने की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि अहेनी आदिवासी ब्लाक का मुख्यालय है;

(ग) क्या यह केन्द्रीय सरकार की नीति नहीं है कि पर्याप्त रूप से बड़े प्रत्येक आदिवासी गांव में टेलीफोन लगाये जायें;

(घ) यदि नहीं, तो क्या उक्त प्रयोजन के लिए 9000 की जनसंख्या बड़ा आदिवासी गांव कहलाने के लिए पर्याप्त है; और

(ङ) आदिवासी ब्लाक के मुख्यालय अहेनी में टेलीफोन एक्सचेंज कब तक खुल जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) कुछ अभ्यर्थियों ने टेलीफोन कनेक्शनों के लिए अग्रिम राशि जमा कर दी थी किन्तु उनकी संख्या परियोजना के लाभकारी होने के लिए पर्याप्त नहीं थी । राशि जमा करने के लिए अतिरिक्त आवेदन पत्र नहीं आ रहे थे । प्रस्ताव अलाभकारी होने के कारण स्वीकृत न हो सका ।

(ख) से (घ) सरकारी नीति के अनुसार अहेरी में वर्ष 1976 में लम्बी दूरी वाला सार्वजनिक टेलीफोन (एल० डी० पी० सी० ओ०) घर खोलकर टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था कर दी गई है ।

(ङ) यदि 15 सम्भावित उपभोक्ता आवश्यक अग्रिम धनराशि जमा कर दें तो अहेरी में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की मंजूरी दी जा सकती है ।

टेलीफोन एक्सचेंज खोलना अनिर्णीत है । लम्बी दूरी वाले सार्वजनिक टेलीफोन-घर के विस्तार की व्यवस्था की जा सकती है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की कीमत में वृद्धि

9065. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गत तीन वर्षों में अपने फ्लैटों के विक्रय मूल्यों में किन-किन तिथियों को तथा कितनी-कितनी वृद्धि की और किस-किस टाईप के फ्लैटों के विक्रय मूल्यों में वृद्धि की गई;

(ख) ये वृद्धियां किन आधारों पर एवं किस मानदंड के अनुसार की गई;

(ग) क्या ये वृद्धि सामान्य मूल्य वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक थी और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) पुराने मूल्यांकन वर्ष में भिन्न-भिन्न प्रकार के इमारती सामान का मूल्यस्तर क्या था और जिन वर्षों में मूल्य में वृद्धि की गई उनमें क्या था ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) मूल्य निर्धारण एक सतत प्रक्रिया है तथा ज्यों ही फ्लैट पूर्ण होते हैं विक्रय मूल्य निकाला जाता है। यह मूल्य एक परियोजना से दूसरी परियोजना में तथा उसी परियोजना के अन्तर्गत फ्लैटों में भी भिन्न-भिन्न हो सकता है। ऐसी तारीखें निश्चित नहीं है जिनके मूल्यों में संशोधन किया जाय।

विक्रय मूल्य में मुख्यत: निम्नलिखित तत्व शामिल हैं :—

(i) भूमि का मूल्य

(ii) निर्माण की लागत

(iii) ऊपरी प्रभार।

तथा निर्माण की लागत में निर्माण सामग्री और श्रमिक प्रभारों में हुई वृद्धि को भी गिना जाता है।

फिर भी यह कहा जा सकता है कि सब मिलाकर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैटों का विक्रय मूल्य "लाभ हानि रहित", आधार पर निश्चित किया जाता है।

असम को घटिया किस्म के गेहूं की सप्लाई

9066. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1979, फरवरी, 1979 और मार्च, 1979 में असम के गोपालपाड़ा जिले में ढुबरा कस्बे को गेहूं की सप्लाई भारतीय खाद्य निगम के स्रोतों/गोदामों से की गई थी;

(ख) क्या सप्लाई किया गया गेहूं घटिया किस्म का था और उसकी जांच नहीं की गई थी और वह खाने योग्य नहीं था; और

(ग) भविष्य में असम में अच्छी प्रकार से जांच किया हुआ गेहूं और अन्य प्रकार के खाद्यान्न की सप्लाई करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और ऐसी जांच किस स्थान पर की जाती है अथवा करने का प्रस्ताव है और कितने दिनों के बाद खाद्यान्न बाजार में बिक्री के लिए जारी किया जाता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में प्याज के मूल्य

9067. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गुजरात और देश के कुछ अन्य राज्यों में प्याज के मूल्य उसकी उत्पादन लागत की तुलना में कम हो गये हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) विभिन्न राज्यों में प्याज के उत्पादन की लागत के विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, गुजरात तथा कतिपय दूसरे राज्यों में प्याज के मंडी के मूल्यों में गिरावट आई है, जो एक मौसमी प्रवृत्ति है। अधिकांश केन्द्रों में प्याज के मूल्य गत वर्ष की तुलना में अधिक चल रहे हैं। मूल्यों में अनुचित गिरावट को रोकने के लिए सरकार ने नवम्बर 1978 के शुरू से 75,000 मीटरी टन प्याज का निर्यात करने की अनुमति दी थी। इसके अतिरिक्त समर्थन मूल्य देने की दृष्टि से राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ ने 15, अप्रैल, 1979 तक लगभग 70,000 मीटरी टन प्याज की खरीद भी की थी। कृषि मूल्य आयोग ने चालू विपणन वर्ष के लिए प्याज सम्बन्धी मूल्य नीति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इसकी सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

हिमाचल प्रदेश में बागवानी के लिए विश्व बैंक से ऋण

9068. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में बागवानी परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक का ऋण लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऋण की राशि कितनी है और यह कब लिया गया था और कितने ब्याज की दर पर लिया गया है;

(ग) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं, जिनके लिये ऋण लिया गया था;

(घ) परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना के क्रियान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) प्रत्येक योजना के कब तक पूरे हो जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से, जो विश्व बैंक की एक सम्बद्ध संस्था है, सितम्बर, 1974 से प्रभावी होने वाला 130 लाख डालर का ऋण लिया गया था। यह बिना ब्याज का ऋण है। किन्तु इस पर 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रशासनिक शुल्क लगता है।

(ग) यह ऋण हिमाचल प्रदेश सेब परिसंस्करण तथा विपणन परियोजना के लिये लिया गया था।

(घ) इस परियोजना के अन्तर्गत पैकिंग तथा श्रेणीकरण गृहों, शीतागारों, परिसंस्करण संयंत्र, केवल वेज तथा सड़क निर्माण कार्य के संघटक आते हैं, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से लिये गए कुल 130 लाख डालर ऋण में से 28 फरवरी, 1979 की स्थिति के अनुसार 42 लाख डालर का वितरण कर दिया गया है।

(ङ) इस परियोजना के 31 दिसम्बर, 1980 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

नई दिल्ली में सालवान, सेंट कोलम्बस और स्प्रिंगडेल स्कूलों में सरकार का नियन्त्रण

9069. **श्री के० लकप्पा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) सालवान पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली, (दो) सेंट कोलम्बस स्कूल, नई दिल्ली (तीन) स्प्रिंगडेल स्कूल, नई दिल्ली पर केन्द्रीय सरकार/राज्य प्रशासन का किस सीमा तक नियन्त्रण है;

(ख) उक्त स्कूलों को गत तीन वर्षों में, वर्षवार कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ग) क्या अधिकारियों ने उक्त स्कूलों के लेखों में गत तीन वर्षों में कोई वित्तीय अनियमितायें पाई हैं और यदि हां, तो ऐसी अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण क्या है और सरकार तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) सालवान पब्लिक स्कूल और स्प्रिंगडेल स्कूल गैर सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, स्कूल की श्रेणी में आते हैं और सेंट कोलम्बस स्कूल गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल की श्रेणी में आता है। इन स्कूलों के कार्य पर सरकार के नियन्त्रण की सीमा की व्यवस्था प्रबन्ध प्रणाली, मान्यता, निरीक्षण और शिक्षकों की सेवा शर्तों जैसे मामलों में दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में की गई है।

गैर सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, स्कूल दिल्ली प्रशासन (शिक्षा विभाग) को सूचित करते हुए सत्र के आरम्भ में एक शैक्षिक सत्र में शुल्क दर में एक बार परिवर्तन कर सकते हैं।

इन स्कूलों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली 1973 के नियम 180 (1) के अन्तर्गत वर्ष में एक बार अपने परीक्षित लेखे दिल्ली प्रशासन (शिक्षा विभाग) को प्रस्तुत करने होते हैं।

(ख) इन स्कूलों को गत तीन वर्षों के दौरान कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

(ग) दिल्ली प्रशासन के प्राधिकारियों के अनुसार कोई भी नहीं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा पालीथीन सौर तापक का विकास

9070. **डा० पी० वी० पेरियासामी : :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली ने पालीथीन सौर तापक का विकास किया है जिसे छत पर रख देने से 90 डिग्री (से०) पर गर्म पानी घरेलू उपयोग के लिये निरन्तर सप्लाई होता रहेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस सौर तापक के वाणिज्यिक प्रयोग के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) भारतीय

प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने चार प्रकार के सौर तापकों का विकास किया है जिनमें लागत कम करने के लिए पोलिथीन नलिकाएं (धातु की शीट के साथ जुड़ी हुई परम्परागत धातु की नलिकाओं के स्थान पर) लगाई गई है। प्रथम प्रकार के तापक में स्थिर तापमान (बहुत कम गतिदर के अनुसार) 90 डिग्री सी० से अधिक तक जाता है। एक काफी बड़े क्षेत्र वाला तापक तथा एक भंडार टंकी होने पर घरेलू आवश्यकतायें पूरी की जा सकती हैं। तापकों के दीर्घ-कालीन निष्पादन और इनसे होने वाली किफायतों का मूल्यांकन अभी किया जाना है।

(ख) वाणिज्यिक उत्पादन के लिए कदम उठाने का अभी समय नहीं आया है।

कोंकण क्षेत्र में मत्स्य ग्रहण विकास

9071. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोंकण क्षेत्र में मत्स्य ग्रहण विकास की अविलम्ब आवश्यकता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार अपने मत्स्य ग्रहण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उस क्षेत्र में एक मत्स्य ग्रहण पत्तन का निर्माण आरम्भ करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) इस क्षेत्र में मत्स्यकी संसाधनों के सर्वेक्षण, मत्स्यन बन्दरगाहों के विकास, तटवर्ती ग्रामों में अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने, बहुविध मत्स्यन तथा 'एक्वाकल्चर' के विकास के बारे में कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं। कोंकण तट पर मात्स्यिकी मुख्यत: तट-क्षेत्र में की जाती है और इसके विकास के लिये राज्य क्षेत्र में उपयुक्त कार्यक्रम भी शुरू किये गये हैं।

(ग) जी हां। कारवाड़ में मत्स्यन बन्दरगाह तैयार हो चुका है। रत्नागिरि और हनोवर में भी बन्दरगाहों के लिये स्वीकृति दे दी गयी है। गोवा में एक बन्दरगाह-स्थल के बारे में जांच-पड़ताल करने का प्रस्ताव है।

छठी पंचवर्षीय योजना में समेकित ग्राम विकास और प्राय: सूखाग्रस्त होने वाले क्षेत्र

9072. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में नई नीति के अन्तर्गत समेकित ग्राम विकास में प्राय: सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को उचित महत्व दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह काम किस प्रकार किया जा रहा है;

(ग) चालू वर्ष में महाराष्ट्र राज्य में प्राय: सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम खंडों के लिए केन्द्रीय योजना में, खंडवार, कितनी धनराशि रखी गई है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त प्रायः सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम खंडों के लिए बराबर की कितनी धनराशि दिए जाने की व्यवस्था है;

(ङ) महाराष्ट्र राज्य में चयन किये गये प्रायः सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम खंडों के जिलावार नाम क्या हैं जिनके लिए केन्द्र और राज्य द्वारा अतिरिक्त परिव्यय किये जाने का विचार है और उनको कितनी कितनी धनराशि देनी होगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) (क) व (ख) जी हां। समन्वित ग्राम विकास की नई नीति के अनुसार, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को मुख्यतः क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप में जारी रखा जा रहा है। इसके अलावा, समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादी कार्यक्रमों के जरिये लक्षित वर्गों को लाभप्रद रोजगार सुलभ करने के लिए चुने हुए खण्डों में विशेष योजनाओं की परिकल्पना की जाती हैं। छोटे तथा सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, कृषि और गैर-कृषि मजदूर और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों से सम्बन्धित लोग कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये जाने वाले लक्षित वर्ग हैं।

(ग) व (घ) चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सरकार को सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये गये खण्डों की संख्या के आधार पर विभिन्न जिलों के लिए निधियों का बंटन किया गया है। केन्द्रीय योजना में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के लिये 7·5 लाख रुपये प्रति खण्ड की दर से निधियां आवंटित की गई हैं। राज्य सरकार को भी कार्यक्रम के लिए इतनी ही धनराशि का अंशदान करना है। इसके अतिरिक्त, उन 42 खण्डों में से, जिनमें सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, 20 खण्डों में समन्वित ग्राम विकास का नया कार्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है। इनमें से 10 खण्ड गहन विकास के लिए और शेष 10 गहन रोजगार कार्यक्रम के लिए चुने गये हैं। निधियों का आवंटन गहन विकास कार्यक्रम के लिए 5 00 लाख रुपये प्रति खन्ड और गहन रोजगार कार्यक्रम के लिए 10·00 लाख रुपये प्रति खन्ड की दर से किया गया है, जिसका आधा केन्द्र द्वारा और शेष आधा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध किया जायेगा।

(ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

गहन ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन खण्डों का कार्यक्षेत्र और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम खण्डों के लिए अतिरिक्त परिव्यय

क्रम सं०	जिला	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये गये खण्डों की संख्या	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम खण्डों के नाम जिनके लिए अतिरिक्त परिव्यय की परिकल्पना की गई है	गहन ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त परिव्यय
1	2	3	4	5
1.	नासिक	6	चांदोर, नन्दगांव, मिन्नर और यओला	जिला वार सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे गहन रोजगार कार्यक्रम के लिए 10 खंडों का चयन करें जिनके लिए गहन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत खंडों के लिए प्रतिखन्ड 5 लाख रु० के मुकाबले में 10 लाख रु० की दर पर परिव्यय की परिकल्पना की गई है। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के दो घटकों (गहन रोजगार तथा गहन विकास) के लिए कुल अतिरिक्त परिव्यय 150 लाख रुपए है, जिसमें से 75 लाख रु० केन्द्र द्वारा तथा 75 लाख रु० राज्य सरकार द्वारा सुलभ किए
2.	अहमदनगर	13	करजत, पारनेर, अहमदनगर और पथारड़ी	
3.	पुणें	6	सिरूर, हवेली, धौंद और पुरन्धर	
4.	सतारा	4	खाटव और मांन	
5.	सांगली	2	अटपदी	
6.	सोलापुर	11	मंगलबेड़ा, सोलापुर (दक्षिण), करमाला, बार्सी और सांगोला	
		—		
		42		

1	2	3	4	5
				जाने हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के लिए राज्य को कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए गए सभी 42 खन्डों के लिए 15 लाख रु० प्रतिखंड की दर से 630 लाख रु० बंटित किए गए हैं। इस धनराशि में से 315 लाख रु० केन्द्र द्वारा तथा 315 लाख रु० राज्य सरकार द्वारा सुलभ किए जायेंगे।

क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज

9073. **श्री दौलत राम सारण :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज कितने हैं, वे किस-किस तारीख को स्थापित हुए और उनकी स्थापना का उद्देश्य क्या था;

(ख) इन कालेजों के चलाने के क्या प्रबन्ध किये गये हैं, और क्या इनको चलाने में अनियमितताओं, पक्षपात तथा मनमाने ढंग से कार्यवाही करने की शिकायतें हैं;

(ग) क्या इन कालेजों में कर्मचारियों के वेतन-मानों तथा भत्तों के मामले में विषमताओं की भी शिकायतें हैं, और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कालेजों के कर्मचारियों के वेतनमानों, भत्तों आदि में असमानताओं को दूर करने के बारे में जयकृष्ण समिति तथा प्रो० कोटेश्वर राव समिति ने क्या सुझाव दिये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) देश में पंद्रह क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज स्थापित किए गए हैं। इन कालेजों के नाम और उनकी स्थापना की तारीखें विवरण में दी गई हैं। ये कालेज चौथी पंचवर्षीय योजना तथा बाद की योजनाओं के लिए अपेक्षित तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए संस्थात्मक सुविधाओं का सृजन करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे।

(ख) प्रत्येक कालेज का एक स्वायत्त शासी बोर्ड है जिसके पास उसके प्रशासन और वित्तीय मामलों के प्रबन्ध के पूर्ण अधिकार हैं। कुछ कालेजों के प्रशासन के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है परन्तु कोई भी आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हो सका है।

(ग) और (घ) इन कालेजों के विभिन्न अध्यापन तथा गैर अध्यापन संघों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें यह मांग की गई थी कि अध्यापन और गैर अध्यापन कर्मचारियों के वेतन-मान और भत्ते भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के ऐसे ही वर्गों के कर्मचारियों के बराबर कर दिए जाएं; जय कृष्ण समिति ने भी इस समानता की सिफारिश की थी। तथापि जय कृष्ण समिति की यह सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी।

प्रो० कोटेश्वर राव समिति ने भी अब यह सिफारिश की है कि (i) गैर अध्यापन कर्मचारियों के वेततमान (ii) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों जैसे रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार के वेतनमान और (iii) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों शैक्षणिक कर्मचारियों के भत्ते भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में इनके समकक्ष पदों के बराबर कर दिये जाए। राज्य सरकारों के विचार उपलब्ध हो जाने के बाद इस सम्बन्ध में निर्णय किया जाएगा।

विवरण

	कालेज का नाम	स्थापना वर्ष
1.	क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज वारंगल (आन्ध्र प्रदेश)	1959
2.	क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सूरथकल (कर्नाटक)	1960

1	2
3. विश्वेश्वरैया क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, नागपुर (महाराष्ट्र)	1960
4. मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज भोपाल (मध्य प्रदेश)	1960
5. क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल)	1960
6. क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर (बिहार)	1960
7. क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर (जम्मू तथा काश्मीर)	1960
8. मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद (उ० प्र०)	1961
9. एस० वी० क्षेत्रीय इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी कालेज, सूरत (गुजरात)	1961
10. क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट	1961
11. मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर (राजस्थान)	1963
12. क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, राऊरकेला (उड़ीसा)	1962
13. क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)	1963
14. क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, त्रिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु)	1964
15. क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सिलचर (असम)	1977

रुई का उत्पादन

9074. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों की तुलना में अब रुई का उत्पादन बहुत अधिक होता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975 से 1978 तक वर्षवार रुई के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पादन में वृद्धि के कारण किसानों को भारी हानि हो रही है क्योंकि उन्हें

उनके उत्पादन के लिए कम मूल्य मिल रहा है जब कि गत वर्षो में जब रुई का उत्पादन कम था उन्हें अधिक मूल्य मिल रहा था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलवाने के लिये इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह वरनाला) : (क) और (ख) जी, हां। कपास का उत्पादन जो कि 1975-76 के दौरान 59.50 लाख गांठें और 1976-77 के दौरान 58.39 लाख गांठें था, 1977-78 में बढ़ कर 71.03 लाख गांठें हो गया है। आशा है कि 1978-79 में कपास का उत्पादन लगभग 75 से 76 लाख गांठों तक होगा।

(ग) और (घ) उत्पादन में वृद्धि के कारण से गत वर्ष में बहुत ऊंची कीमतों की तुलना में 1977-78 में कपास के मूल्यों में गिरावट आई है। 1976-77 में 207.7 की तुलना में 1977-78 में वार्षिक औसत थोक मूल्य सूचकांक 178.1 था। 1978-79 में उत्पादन की अच्छी संभावनाओं और रेशे की सुलभ सप्लाई स्थिति की वजह से चालू फसल मौसम के शुरू से ही कपास के मूल्यों में गिरावट का रुख नजर आया है। कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए मूल्यों में असाधारण गिरावट को रोकने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं; जो नीचे दिये गए हैं।

1. भारतीय कपास निगम की भूमिका का विस्तार करना और उसको यह निर्देश देना कि वह न केवल सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों को बिक्री के लिए बल्कि गैर-सरकारी क्षेत्र की मिलों को बिक्री के लिए भी खरीद करे और कपास का बफर स्टाक भी बनाये।

2. मिलों के लिये भण्डारण सीमाओं में वृद्धि करने के लिये संशोधन करना।

3. देशी कपास उत्पादकों को नुकसान पहुँचाए बिना विदेशों से कपास आयात न करने का निर्णय लेना।

4. 3.5 लाख गांठों तक रेशे वाली कपास का निर्यात करना।

5. बंगाल देशी कपास नर्मं कपास का अवशेष पदार्थ और येलो पिकिंग्ज का निर्यात।

6. सांबिधिक अनुबंध को हटाना जिसमें सूती मिलों को 10 प्रतिशत गैर-रेशे वाली कपास का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने की अनुमति है।

7. सान्द्र रेशे वाली कपास पर आयात शुल्क लगाना और देशी सान्द्र रेशे पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि करना।

इन उपायों के फलस्वरूप कपास का मूल्य सूचकांक जो फरवरी, 1979 के अन्त तक गिर कर 161.8 हो गया था, वह 7 अप्रैल, 1979 को फिर से बढ़कर 167.6 हो गया है।

दिल्ली के लिए दूसरी बृहत् योजना

9075. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लिए नई बृहत् योजना तैयार कराने के लिए सरकार क्या विशेष कदम उठा रही है;

(ख) दिल्ली की दूसरी बृहत् योजना कब तक तैयार हो जायगी और उसकी अनुमानित लागत क्या होगी;

(ग) दिल्ली के लिये दूसरी बृहत् योजना तैयार कराते समय सरकार अपने दृष्टिकोण में क्या मौतिक अन्तर ध्यान में रखना चाहती है;

(घ) दिल्ली में आंचलिक योजनाओं को कब अन्तिम रूप दिया जायेगा;

(ङ) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जंहां पर केन्द्रीय सरकार ने, राज्य सरकारों ने, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन ने, स्थानीय निकायों ने अथवा किसी अन्य सरकारी उपक्रम ने बृहत् योजना का उल्लंघन किया है; और

(च) कितने मामलों में सरकार द्वारा बृहत् योजना की सिफारिशों के विरुद्ध मंजूरी दी गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 1981 से 2001 तक की अवधि के लिए दिल्ली की दूसरी बृहत् योजना तैयार करने का कार्य दिल्ली की विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया है। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण में एक भावी आयोजना प्रभाग की स्थापना की गई है।

(ख) 1981 तक, लगभग एक करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है।

(ग) मौजूदा बृहत् योजना मूलरूप से एक भू-उपयोग योजना है। बृहत् योजना के नवीन उद्देश्यों में शहरो में रहने वाले गरीब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर जोर देना है जो रोजगार के अवसरों, पर्याप्त मकानों और सामुदायिक सुविधाओं तथा अन्य सेवाओं एवं अधिकांश रूप से जन परिवहन पद्धति के संयोजन के माध्यम से पूरी की जायेंगी।

(घ) समय सीमा बताना सम्भव नहीं है।

(ङ) एक विवरण संलग्न है।

(च) बृहत् योजना/क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत निर्धारित भू-उपयोग में परिवर्तन करने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 क के उपबन्धों का अनुपालन करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने दो मामलो में मन्जूरी दी है।

विवरण

बृहत् योजना में निम्नलिखित पांच किस्म के उल्लंघन निर्दिष्ट किये जा सकते हैं :—

(1) पुनर्वास बस्तियां;

(2) वाणिज्यिक विकास;

(3) परिवहन और वाणिज्यिक केन्द्र;

(4) भू-उपयोग में परिवर्तन;

(5) क्षेत्रीय तथा उप-मण्डल विनियमन।

(1) पुनर्वास बस्तियां

194 हैक्टेयर भूमि जिसे खानपुर, गोकुलपुरी, सुल्तानपुरी, खिचड़ीपुर और त्रिलोकपुरी की पुनर्वास बस्तियों के अन्तर्गत लिया गया है, उनका विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :—

योजना/क्षेत्र का नाम	अवधि	सरकारी अभिकरण
—पटपड़गंज कम्प्लेक्स (कल्याणपुरी, खिचड़ीपुर, त्रिलोकपुरी) —सुल्तानपुरी जी० टी० करनाल रोड के पूर्व में —खानपुर (महरौली-बदरपुर रोड के दक्षिण में) —गोकुलपुरी कम्पलेक्स (वजीराबाद बैरेज के उत्तर में)	1975-77	दिल्ली विकास प्राधिकरण

बृहत् योजना में, इस भूमि को "कृषि हरि पट्टी" या "ग्रामीण उपयोग क्षेत्र" के रूप में दिखाया गया है और अब इसे पुनर्वास बस्तियों के लिए उपयोग किया गया है।

(2) वाणिज्यिक विकास

विभिन्न अभिकरणों द्वारा किए गए उल्लंघनों का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :—

योजना का नाम	अवधि	सरकारी अभिकरण
(i) क्षेत्रीय विकास योजना में मनोरंजनात्मक प्रयोजन तथा भूतल में वाहन ठहराने के लिए निर्दिष्ट कनाट प्लेस (आन्तरिक वृताकार क्षेत्र) में भूमिगत शापिंग सेन्टर	1976-77	नई दिल्ली नगरपालिका
(ii) धर्मिक संस्थानों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र में बिड़ला मन्दिर के समीप मन्दिर मार्ग के उत्तर में होटल-कम-इन	1977	नई दिल्ली नगरपालिका
(iii) मनोरंजनात्मक उपयोग के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र में जामा मस्जिद के सामने शापिंग कम्प्लेक्स	1976	दिल्ली विकास प्राधिकरण
(iv) डिफेन्स कालौनी के पुल के नीचे शापिंग सेन्टर	1976	दिल्ली विकास प्राधिकरण

(3) **परिवहन और वाणिज्यिक केन्द्र**

किए गए उल्लंघनों के विस्तत ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

योजना/क्षेत्र का नाम	अवधि	सरकारी अभिकरण
(i) कृषि हरी पट्टी क्षेत्र में वजीराबाद बैरेज रोड के ऊपर में परिवहन नगर तथा वाणिज्यिक योजना	1976	दिल्ली नगर निगम
(ii) समालका गांव (ग्रामीण-क्षेत्र) में परिवहन नगर तथा वाणिज्यिक योजना	- 1976	दिल्ली नगर निगम

(4) **भू-उपयोग में परिवर्तन**

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक भू-भाग पर बहुमंजिले भवन का निर्माण किया जहां इसे "विकास क्षेत्र" के रूप में घोषित करने के पश्चात अधिकतम एफ० ए० आर० 1.5 है ।

(5) **क्षेत्रीय तथा उप-मण्डल विनिमय**

बृहत योजना के उपबन्धों के विपरीत मंजिलें, निर्मित क्षेत्रफल आदि बढ़ाने की अनुमति देकर उप-मण्डल विनियमनों का उल्लंघन करने के कुछ मामलों का पता चला है ।

पश्चिम बंगाल में डाकघर

9076: **श्री चित्त बसु** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सर्कल में डाकघरों, मुख्य डाकघरों, उप डाकघरों तथा शाखा डाकघरों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) कितने शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें उप डाकघर बना दिया गया है;

(ग) वर्ष 1978-79 के दौरान कितने शाखा डाकघर खोले गये हैं; और

(घ) शाखा डाकघरों को उप डाकघरों में परिवर्तित करने के मानदण्ड क्या हैं; और

(ङ) किसी गांव में शाखा डाकघर खोलने के मानदण्ड क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) पश्चिमी बंगाल सर्किल में डाकघरों की संख्या 7460 है । मुख्य डाकघरों की संख्या 42 है । उप डाकघरों की संख्या 1604 है । शाखा डाकघरों की संख्या 5814 है ।

(ख) विभागीय उप डाकघरों के रूप में 45 शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया है तथा विभागेतर उप डाकघरों के रूप में 70 शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया है ।

(ग) वर्ष 1978-79 के दौरान 399 शाखा डाकघर तथा एक विभागेतर उप डाकघर खोला गया।

(घ) विद्यमान मानदण्डों के अनुसार विभागीय उप डाकघर के रूप में शाखा डाकघर का तभी दर्जा बढ़ाया जाता है जब शाखा डाकघर में प्रतिदिन कम से कम कम पांच घण्टे का कार्य-भार होता हो। ग्रामीण क्षेत्रों में दर्जा बढ़ाए जाने पर प्रति वर्ष 1000 रु० से अधिक की तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति वर्ष 500 रु० से अधिक की हानि नहीं होनी चाहिये। अगर लेखा कार्यालय (उप डाकघर या मुख्य डाकघर) के अधीन 20 या इससे अधिक शाखा डाकघर हैं तो विशेष मामले के बतौर शाखा डाकघर का दर्जा भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसे मामलों में भी ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 रु० की तथा शहरी क्षेत्रों में 500 रु० की वार्षिक हानि की सीमा लागू होती है।

(ङ) शाखा डाकघरों को खोलने के मानदण्ड विवरण में निर्दिष्ट हैं।

विवरण

देहाती इलाकों में डाकघर खोलने के लिए नए मानदण्ड

ग्रामीण इलाकों में खोले जाने वाले डाकघरों को अब दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :—

(1) सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर, और

(2) पहाड़ी, आदिवासी या पिछड़े इलाकों में डाकघर

(1) सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर :

(I) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो; और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत की आय होने की सम्भावना हो।

(II) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर-ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) उस गांव की आबादी 2000 या इससे अधिक होनी चाहिये,

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

(2) पहाड़ी, आदिवासी और पिछड़े इलाकों में डाकघर :

(I) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत कम से कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो ।

(II) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) उस गांव की आबादी 1000 या इससे अधिक होनी चाहिए,

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर नहीं होना चाहिए, और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो ।

3. उपर्युक्त के बावजूद भी पोस्टमास्टर जनरलों को उक्त मानदण्डों में से किसी में भी हर वर्ष डाकघर खोलने के 10 प्रतिशत मामलों में छूट देने का अधिकार (आंतरिक वित्त सलाहकार परामर्श से) एतद्द्वारा दिया जाता है ।

4. मौजूदा फार्मूला के अनुसार कम से कम गारन्टी राजस्व/आय की गणना की जाती रहेगी ।

5. ये नए मानदण्ड इनके जारी होने की तारीख से लागू होंगे ।

मद्यनिषेध कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठन

9077. **डा० सुशीला नायर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्यनिषेध कार्य में लगे केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों के नाम क्या हैं;

(ख) उन्हें गत तीन वर्षों में, वर्षवार कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों में मद्यनिषेध कार्यक्रम पर, मद्यनिषेध शिक्षा, साहित्य सर्जन फिल्म तथा अनुसन्धान सहित, वर्षवार, कितनी राशि खर्च की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धन्नासिंह गुलशन) : (क) तथा (ख) मद्यनिषेध कार्य में लगे केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्वयंसेवी संगठनों तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक को दी गई धनराशि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार मुख्य रूप से स्वयंसेवी संगठनों तथा अनुसन्धान संस्थाओं के माध्यम से मद्यनिषेध शिक्षा, साहित्य तैयार करने तथा अनुसन्धान पर कुछ व्यय कर रही है। पिछले तीन वर्षों में इन मदों पर सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय द्वारा तैयार किए गये चित्रों पर किये गये खर्च का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

1976-77	4,96,570·00 रुपये
1977-78	6,53,156·00 ,,
1978-79	13,11,484·00 ,,

1977-78 से 1978-79 तक की अवधि के दौरान फिल्मों के प्रिंट पर 4·00 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय रखा गया है ।

मद्यपान विषय राज्यों को आवंटित किया हुआ है । अतः मद्यनिषेध पर व्यापक शिक्षा प्रद प्रचार के किये प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं की है ।

विवरण

स्वयंसेवी संगठन तथा वर्ष 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान उन्हें दी गयी वित्तीय सहायता

क्रम सं०	संगठन	1976-77	1977-78	1978-79
		रुपए	रुपए	रुपए
1.	अखिल भारतीय नशाबन्दी परिषद, नई दिल्ली	2,00,000	1,99,800	3,71,000
2.	अखिल भारतीय परिवार कल्याण परिषद, नई दिल्ली	1,00,000	54,900	1,21,000
3.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली	—	—	22,320
4.	गुरु गोविन्द सिंह अध्ययन केन्द्र, लुधियाना	—	—	45,000
5.	संयुक्त सदाचार समिति नई दिल्ली	—	56,600	1,65,000
6.	केन्द्रीय नेहरू स्मारक परिषद, लखनऊ	—	40,000	54,000
7.	अखिल भारतीय अनुसूचित जाति अनुसूचित आदिम जाति, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण संघ (रजि०) नई दिल्ली	80,000	—	72,000
8.	समाज कार्य एवं अनुसन्धान केन्द्र तिलोनिया, अजमेर	—	10,000	—
	योग	3,80,000	3,61,300	8,50,820

ताप्ती नदी का तलकर्षण

9078. **श्री अहसान जाफरी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप्ती नदी में गाद भर रहा है;

(ख) क्या इसके तलकर्षण की कोई योजना है;

(ग) क्या यह सच है कि नेपानगर कागज कारखाने द्वारा गंदा जल छोड़े जाने के कारण ताप्ती नदी का जल संदूषित हो रहा है और क्षेत्र के लोगों द्वारा अनेक ज्ञापन दिये गये हैं; और

(घ) इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) ताप्ती नदी के मुहाने पर लगातार गाद और रेत के ढेर जमा हो रहे हैं। गुजरात सरकार के पास नदी के मुहाने पर और उसके नौवहन चैनल के 'केपिटल' और अनुरक्षण तलकर्षण की एक योजना है। राज्य सरकार ने पहले ही तलकर्षण उपकरण प्राप्त कर लिये हैं और वह इस कार्य को आरम्भ करने के लिये ड्रेसर्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया के साथ बातचीत कर रही है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि नेपानगर के कागज कारखाने द्वारा गन्दा जल आदि ताप्ती नदी में छोड़े जाने के कारण नदी का जल संदूषित हो रहा है और इस बारे में जनता से मध्य प्रदेश सरकार के पास कुछ अभ्यावेदन आए हैं।

नेपानगर कागज कारखाने ने एक संयन्त्र स्थापित करने के लिए एक स्कीम तैयार की है ताकि गन्दे जल आदि को नदी में छोड़ने से पहले दोषरहित किया जा सके। यह कार्य शुरू हो गया है और इस स्कीम के 1980 में पूरा होने की सम्भावना है। प्रस्ताव है कि अब तक पूरे किए गए स्कीम के संघटकों का इस्तेमाल किया जाये ताकि सम्पूर्ण स्कीम के पूरा होने से पहले ही कुछ अन्तरिम राहत प्राप्त हो सके।

अनौपचारिक शिक्षा के लिए स्वीकृत राशि

9079. **श्री सौगत राय :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष अनौपचारिक शिक्षा के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गई थी;

(ख) कितनी राशि का उपयोग किया गया; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) राज्य शिक्षा विभागों द्वारा 6—14 आयु-वर्ग के बच्चों और इस आयु-वर्ग से ऊपर के प्रौढ़ों के लिए गैर-औपचारिक कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 6 —14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोई धनराशि मंजूर नहीं की गयी थी। शिक्षा मंत्रालय ने, प्रौढ़ शिक्षा के लिए वर्ष 1978-79 के दौरान 5,43,78,963.00 रुपए की राशि दी।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शुष्क भूमि पर खेती का कार्यक्रम

9080. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय क्षेत्र को/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन शुष्क भूमि में खेती करने के कार्य में पांचवीं योजना के दौरान कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो पांचवी योजना के लिए क्या वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्य रखे गये थे और गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तथा वर्षवार वस्तुतः क्या उपलब्धियां हुई; और

(ग) क्या सरकार पांचवीं योजना के दौरान कार्यक्रमों की क्रियान्वित की समीक्षा करने का छठी योजना के लिए उपयुक्त कार्यवाही कार्यक्रम पर सुझाव देने हेतु एक कार्य-दल नियुक्त करेगी ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) समेकित बारानी कृषि विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत आयोजित क्षेत्र प्रदर्शनों के परिणामों से पता चलता है कि बारानी खेती की तकनौलोजी अपनाने से कृषि उत्पादन को 50 से 100 प्रतिशत तक बढ़ाना सम्भव है, जो किसी भी प्रकार कम उपलब्धि नहीं समझी जा सकती है ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 24 मार्गदर्शी परियोजनाएं आरम्भ की गई थीं, जो पांचवी योजना के दौरान भी जारी थी। योजना के मार्गदर्शनों के अनुसार कुछ महत्व-पूर्ण कार्यक्रमों के लिए पांचवीं योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक परियोजना के अनन्तिम वास्तविक/वित्तीय लक्ष्य निम्नलिखित प्रकार निर्धारित किए गए थे :—

(लाख रुपए)

मद	इकाई	वास्तविक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (अनुदान)
1. आदानों के अन्तर्गत लिया गया क्षेत्र	हैक्टार	800	1.02
2. मृदा संरक्षण	,,	400	0.20
3. भूमि विकास	,,	80	0.15
4. जल उपयोग	संख्या	20	1.40
5. प्रदर्शन	,,	100	0.20
6. लघु सिंचाई के अन्तर्गत कुओं का निर्माण	,,	50	1.00

स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक परियोजना के लिए वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं ।

गत तीन वर्षों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के अन्तर्गत सम्बन्धित परियोजनाओं के राज्यवार, वर्षवार वास्तविक भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां अनुबन्ध-1 में दी गई हैं ।

(ग) भारत सरकार ने नवम्बर, 1977 में अर्ध मरु/वर्षा से सिंचित क्षेत्रों की समस्याओं का पता लगाने तथा इन क्षेत्रों के विकास के लिए नीति सम्बन्धी दृष्टिकोण एवं युक्ति के सम्बन्ध में सुझाव देने और विभिन्न कृषि जलवायु सम्बन्धी क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता एवं कार्यक्रमों को बताने के लिए एक कृतक दल का गठन किया था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4385/79]

दिल्ली के दुग्ध उत्पादकों से ज्ञापन

9081. **श्री अर्जुन सिंह भदोरिया** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के दुग्ध उत्पादकों से उन्हें कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) क्या दिल्ली दुग्ध योजना को विश्व स्वास्थ्य संगठन से पुनः दुग्ध चूर्ण प्राप्त होने की सम्भावना है और दिल्ली दुग्ध योजना में दुग्ध-चूर्ण के निरन्तर अपमिश्रण किए जाने के क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) दिल्ली के दुग्धोत्पादकों के नाम से एक अपील प्राप्त हुई है, जिसमें कुछ शिकायतें और सुझाव दिये गये हैं।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना को विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोई दुग्ध-चूर्ण प्राप्त नहीं होता है। दिल्ली दुग्ध योजना में निरन्तर मिलावट का आरोप गलत है। दुग्ध सप्लाई का स्तर कायम रखने के लिए पुनः मिश्रण का प्रयोग अनुज्ञेय है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन कृषि श्रमिक

9082. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास योजना में कृषि श्रमिकों को भी शामिल कर लेने का सुझाव दिया गया है;

(ख) सरकार के विचार से इस प्रकार कृषि श्रमिकों को क्या सहायता मिलेगी, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि श्रमिकों के उत्थान तथा कल्याण हेतु और उनके शोषण को रोकने के लिए कोई बड़ी व्यापक योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) वास्तविक स्थिति यह है कि कृषि श्रमिक पहले ही समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम में शामिल किये गये हैं।

(ख) से (घ) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना तथा पता लगाए गए लक्षित वर्गों के आय-स्तर में वृद्धि करना है। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित लाभ प्राप्त करने वाले लक्षित वर्गों का महत्वपूर्ण अंश कृषि श्रमिक हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभभोगियों का पता लगाने के लिये अन्त्योदय पहुँच को अपनाने और लाभभोगियों से पहले निर्धनतम को चुनने तथा उन्हीं के लिए आर्थिक दृष्टि से सक्षम विकास कार्यक्रमों को तैयार करने को राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है। यह ग्रामीण इलाकों के अपेक्षाकृत धनाढ्य

लोगों द्वारा उपदान व अन्य सहायता को उपयोग में लाये जाने को रोकने के लिये किया गया है। चूंकि कृषि श्रमिक समाज के अपेक्षाकृत निर्धन वर्गों से सम्बन्धित हैं, अतः पशु-पालन, मत्स्य-पालन, कुक्कुटादि-पालन, ग्रामोद्योग, ग्रामीण करीगरों के कार्यक्रम आदि जैसी उनके लाभ की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सर्वप्रथम उन्हें लिए जाने की सम्भावना है।

समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अलावा लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम के अन्तर्गत भी कृषि श्रमिकों को सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1977-78 के दौरान सुधरी कृषि जिसमें भूमि विकास शामिल है, के अन्तर्गत 9719, लघु सिंचाई के अन्तर्गत 1974 डेरी के अन्तर्गत 32210, कुक्कुटादि-पालन के अन्तर्गत 328 तथा अन्य सहायक धन्धों के अन्तर्गत 14,047 कृषि श्रमिक लाभान्वित हुए हैं।

जहां तक कृषि श्रमिकों के कल्याण और उत्थान तथा उनके शोषण को रोकने हेतु योजनाओं का सम्बन्ध है, कृषि श्रमिकों को अधिसूचित न्यूनतम वेतनों की अदायगी कराने के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के माध्यम से प्रयास किये गये हैं। राज्य सरकारों/केन्द्रशासित क्षेत्रों से समय-समय पर यह अनुरोध किया गया है कि वे प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाते हुए, श्रम विभाग के अलावा राजस्व कृषि आदि जैसे अन्य विभागों के कर्मचारियों की सेवाओं को उपयोग में लाते हुए, दावाप्राधिकारियों की संख्या में वृद्धि करते हुए और अधिसूचित न्यूनतम वेतनों का व्यापक प्रचार करते हुए न्यूनतम वेतन अधिनयम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

गरीब ग्रामीणों के संगठनों को बढ़ावा देने तथा विभिन्न स्तरों पर उनकी प्रभावकारी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन संख्या 141 का भी अनुसमर्थन किया है तथा राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से ग्रामीण मजदूरों के मजबूत तथा स्वतन्त्र संगठनों को स्वैच्छिक आधार पर बढ़ावा देने के लिए सभी प्रशासनिक तथा विधायी कदम उठाने के लिए अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय श्रम संस्थान कुशल नेतृत्व का विकास करने, तथा ग्राम विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में ग्रामीण मजदूरों को शिक्षित करने के लिए तथा उनके लाभ के लिए वर्तमान तथा कानूनी और अन्य अपनाये गये उपायों के बारे में देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण कैम्प आयोजित करता रहा है।

बावेजा समिति का प्रतिवेदन

9083. **श्री बालक राम :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० डी० ए० के बारे में बावेजा समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसे सभा पटल पर कब रखा जाएगा; और

(ग) मायापुरी, प्रसाद नगर, लारेन्स रोड और वजीरपुर में एम० आई० जी०, फ्लैटों के लिये बिक्री लागत से अधिक डी० डी० ए० द्वारा धनराशि वसूल के बारे में समिति ने क्या अभिमत व्यक्त किये हैं अथवा सिफारिशें की हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखे जाने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) समिति की सिफारिश सं० 3.35 निम्न प्रकार से है :—

"3.35—मूल निर्धारण में हर हालत में तदर्थवाद से बचना चाहिये क्योंकि इससे जनता में विश्वास तथा निष्ठा की कमी होती है। प्राधिकारियों को मूल्यों में कमी करने तथा उन पर नियन्त्रण रखने के लिए कारगर उपाय करने चाहिएं। भवनों की आयोजना, डिजाईन बनाने तथा प्राक्कलन तैयार करने पर सख्त नियन्त्रण रखा जाना चाहिये ताकि प्राक्कलन व्यवहार्य हो सकें। लागत को प्राक्कलन के अनुसार रखने के लिये कार्य के निष्पादन के दौरान कड़ा तकनीकी नियन्त्रण रखा जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त, जब कभी आबंटियों से ली जाने वाली अन्तिम कीमत में मूल आकलन के मुकाबले 15 प्रतिशत से अधिक का अन्तर हो तो ऐसे मामले की प्राधिकरण के प्राधिकारियों द्वारा स्वयं पूर्णरूपेण जांच की जानी चाहिये। समिति महसूस करती है कि लागत पर नियन्त्रण रखने तथा लागत में कमी करने के लिये प्राधिकरण में एक पृथक कक्ष खोलने कीआवश्यकता है।"

देवरिया तथा उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती जिलों में डाक टिकटों की कमी

9084. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 1 अप्रैल, 1979 को प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर गया है कि देवरिया तथा उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती जिलों में डाक टिकटों की भारी कमी है;

(ख) क्या यह सच है कि डाक टिकटों की यह कृत्रिम कमी स्वार्थी लोगों ने स्थानीय कर्मचारियों से सांठगांठ करके पैदा की है और ये डाक टिकट ऊंची दरों पर काला बाजार में मिल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस मामले में अब तक की गई जांच से यह पता चला है कि डाक टिकटों की काला बाजारी नहीं हुई है। फिर भी अधिकृत एजेन्टों को टिकटों की भारी बिक्री हुई है। अब अधिकृत एजेन्टों के माध्यम से बिक्री कम कर दी गई है। इस समय देवरिया में डाक टिकटों की कमी नहीं है।

नयी दिल्ली नगरपालिका द्वारा फव्वारे और पार्क बनाया जाना

9085. **श्री नाथू सिंह** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के बजट में फव्वारे और पार्क बनाने के लिए भारी धनराशि शामिल की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या धनराशि के इस दुरुपयोग के विरुद्ध कुछ ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, यदि हां; तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि 1979-80 के 46.20 करोड़ रुपये के इसके कुल बजट में से, नए पार्क बनाने के लिए 23.50 लाख रुपये और फव्वारों के लिए 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ग) मेरे मन्त्रालय में ऐसा कोई विशिष्ट अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें फव्वारों और पार्कों के निर्माण के लिए नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा निधियों की व्यवस्था के बारे में आपत्ति की गई हो। किन्तु नई दिल्ली नगरपालिका को कुछ ऐसे ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के जनता और निम्न आय वर्ग के फ्लेटों के लिए स्टाम्स शुल्क समाप्त किया जाना

9086. **श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल ने 23-9-1975 को दिल्ली विकास प्राधिकरण के जनता और निम्न आय वर्ग के फ्लेटों के पंजीकरण के लिए स्टाम्स-शुल्क समाप्त कर दिया था;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के जनता और निम्न आय वर्ग के फ्लेटों पर से हस्तानान्तरण शुल्क समाप्त करने के मामले कब से विचाराधीन पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो साढ़े तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद दिल्ली विकास प्राधिकरण के जनता और निम्न आय वर्ग के फ्लेटों पर से हस्तनांतरण शुल्क समाप्त करने संबंधी निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) इसमें लगने वाली भारी वित्तीय राशि को देखते हुए लाभभोगी स्थानीय निकायों तथा अन्य सम्बन्धित प्राधिकरणों के परामर्श से इस मामले की विस्तारपूर्वक जांच की जा रही है ।

बर्दवान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के लिए अनुदान

9087. **श्री रोबिन सेन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्दवान विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के अन्तर्गत 25 सम्बद्ध कालेजों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पांचवीं योजना के अन्तर्गत विकास योजनायें प्रस्तुत की थीं;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता के अन्तर्गत कालेज ऐसे अनुदान प्राप्त करने के हकदार हैं; और

(ग) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विकास योजनायें प्रस्तुत करने वाले बर्दवान विश्वविद्यालय के अधीन 25 कालेजों को ऐसा अनुदान शीघ्र देने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पांचवीं योजना के दौरान बर्दवान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 39 कालेजों ने विकास सहायता के लिए आयोग को आवेदन-पत्र भेजे थे।

(ख) जी हां। जो कालेज आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं उन्हें विकास अनुदान दे दिए जाते हैं।

(ग) बर्दवान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 26 कालेजों द्वारा भेजे गए विकास प्रस्तावों को आयोग ने पहले ही स्वीकृति दे दी है। शेष 13 कालेजों के प्रस्ताव बहुत देर से प्राप्त हुए थे अतः उन्हें पांचवीं योजना के दौरान स्वीकार नहीं किया जा सका।

छोटे तथा मध्यम दर्जे के दैनिक समाचार पत्रों में कृषि विस्तारण का प्रचार

9088. **श्री एम० ए० हनान अलहाज**
श्री सचीन्द्र लाल सिंधा } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विस्तारण सेवा तथा संगठनात्मक ढांचे के प्रचार के लिए नियतन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस एकक में किया गया भाषा अनुवाद छोटे तथा मध्यम दर्जे के भाषा दैनिक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को वितरित किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो यह सामग्री प्राप्त करने वाले भाषाई दैनिक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के भाषावार व राज्यवार नाम क्या हैं; और

(घ) ये सामग्री प्राप्त करने वाले मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के नाम क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) कृषि विस्तार कार्यक्रमों के लिये प्रचार की व्यवस्था करने के लिए चालू वर्ष के दौरान विस्तार निदेशालय (कृषि और सिंचाई मंत्रालय) को 12 लाख रुपये की धनराशि का नियतन किया गया है। फार्म आसूचना एकक का नेतृत्व फार्म आसूचना निदेशक करता है, जिसकी सहायता के लिये प्रकाशनों, प्रदर्शनियों फिल्मों/स्लाइडों के निर्माण, कृषि प्रदर्शनियों और प्रति-योगिताओं से सम्बद्ध आवश्यक स्टाफ सहित संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक सम्पादक आदि भी हैं।

(ख) अंग्रेजी से राष्ट्र भाषा हिन्दी के अलावा, चार क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात कन्नड़, बंगाली, तेलगू और पंजाबी में भाषानुवाद किया जाता है। अनुदित सामग्रियां विशेषरूप से

ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित दैनिक समाचार पत्रों तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं को प्रदान की जाती है ।

(ग) और (घ) एतत्सम्बन्धी ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4386/76]

बेगूसराय में संस्कृत हाई स्कूल के भवन के लिए अनुदान

9089. **श्री ए० के० राय** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेगूसराय, बिहार में, संस्कृत हाई स्कूल के भवन के लिये अनुदान का अनुरोध किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि यह संस्थान एक विशिष्ट प्रकार का संस्थान है जो प्रशंसनीय कार्य कर रहा है तथा मंत्रालय ने भी निरीक्षण करने के बाद इसकी प्रशंसा की है; और

(ग) यदि हां, तो मांगा गया अनुदान देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क) से (ग) संस्था से भवन अनुदान के लिये अनुरोध प्राप्त हुआ है और मंत्रालय की अनुदान समिति ने 50,000/-रु० तक जो कि कुल अनुमानित व्यय का 50% है अनुदान देना सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है बशर्ते कि संस्था भवन निर्माण के एक लाख रु० के अनुमानित खर्च का 50 प्रतिशत व्यय करने की अपनी क्षमता का ठोस प्रमाण प्रस्तुत करें। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

पंजाब में बेबी मिल्क पाउडर कारखाने के लिए लाइसेंस

9090. **श्री भगत राम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पंजाब को एक बेबी मिल्क पाउडर संयंत्र के लिये लाइसेंस देने पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या उक्त लाइसेंस गैर सरकारी क्षेत्र को दिया जा रहा है अथवा सरकारी क्षेत्र को ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) पंजाबी डेरी विकास निगम (सार्वजनिक क्षेत्र) को शिशु आहार निर्माण करने की क्षमता का विस्तार करने के लिए एक आशय पत्र जारी किया गया है और सहकारी क्षेत्र की एक यूनिट को शिशु आहार का निर्माण करने के लिये लाइसेंस देने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

मायापुरी स्थित डी० डी० ए० फ्लैटों में पानी की सप्लाई

9091. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री डी० डी० ए० द्वारा निर्मित कुछ कालोनियों में अधिक दरों पर पानी की सप्लाई के बारे में 26 जनवरी, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 807 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मायापुरी, नई दिल्ली स्थित डी० डी० ए० के निम्न आय वर्ग/मध्य आय वर्ग के फ्लैटों में जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वह नलकूप का पानी है यमुना का नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिये दिल्ली नगर निगम वाली दरें बसूल करने के क्या कारण हैं और 20 किलोलिटर तक 25 पैसे प्रति किलोलिटर तथा 20 किलोलिटर से अधिक पर 50 पैसे प्रति किलोलिटर की दरों के आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या पानी दूसरी मंजिल तथा छत पर बने रिजर्वायर टैंक तक नहीं पहुँचता है, और यदि हां, तो पानी को ऊपर तक चढ़ाने का अधिभार वसूल करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या नीचे के मकान में तथा पहली मंजिल पर बूस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती, यदि हां, तो इन मकानों के लिए भी पानी ऊपर चढ़ाने का अधिभार वसूल करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इसका क्या आधार है और प्रति किलोलिटर 30 पैसे निर्धारित करते समय किन विभिन्न बातों को ध्यान में रखा गया ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) मायापुरी फ्लैटों (जी०-8 क्षेत्र) में इस समय केवल ट्यूबवेल के पानी की सप्लाई की जाती है।

(ख) ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई दिल्ली नगर निगम की पानी की सप्लाई से मंहगी है। तथापि, जब रेजीडेंट्स वेलफेयर एजेन्सियों ने ऊंची दरों के विरुद्ध अभ्यावेदन दिये तब दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन्हें कुछ राहत देने तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा वसूल की जाने वाली पानी की दरें लेने और इसके अतिरिक्त बूस्टर पम्प चलाने तथा उनके रख-रखाव के प्रभार 30 पैसे प्रति किलोलिटर के हिसाब से वसूल करने का निर्णय किया। दिल्ली नगर निगम की दरें 20 किलोलिटर तक 25 पैसे प्रति किलोलिटर तथा 20 किलोलिटर से ऊपर 50 पैसे प्रति किलोलिटर हैं।

(ग) जी, नहीं। तथापि, व्यस्त काल में दूसरी मंजिल के निवासियों के लिए पानी का दबाव अपेक्षाकृत कम होता है।

(घ) इसके कारण निम्नलिखित हैं :—

(i) जल आपूर्ति एक एकीकृत योजना है जिसमें सभी मंजिलों के सभी फ्लैट सम्मिलित हैं।

(ii) सभी मंजिलों में शौचालयों इत्यादि में पानी की सप्लाई करने के लिए पानी की टंकियां तीसरी मंजिल की बालकोनी में हैं।

(ङ) बूस्टिंग प्रभारों के लिए 30 पैसे प्रति किलोलिटर की दर, इस पद्धति को कार्यान्वित करने तथा उसके रख-रखाव पर किये गये वास्तविक खर्चे पर आधारित है।

सिहौर, मध्य प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा डाक घर

9092. **श्री राघव जी** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में विदिशा, रायसेन और सिहौर जिलों में उन गांवों के नाम क्या हैं जहां गत दो वर्षों में नये डाकघर खोले गये हैं;

(ख) इन जिलों के उन गांवों के नाम क्या हैं जहां गत दो वर्षों के दौरान सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किये गये हैं; और

(ग) इन जिलों के तहसील तथा विकास खंड मुख्यालयों के नाम क्या हैं जहां अब तक सावजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित नहीं किये गये हैं और वहां कब तक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किये जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जिन गांवों में पिछले दो वर्षों के दौरान नये डाकघर खोले गये हैं वे इस प्रकार हैं :—

(i) जिला विदिशा—हिमालिया, सुमेरा, मिर्जापुर, पिपराहा, भगवन्तपुर, बबली, महलुआ, दागरवाड़ा (कुल 8)।

(ii) जिला रायसेन—मामनी, उमरखोह, मेदकी, मुदियाखेदी, खेरी, ताराबाली, मेहगांव, सुमेर, अक्लपुर, बौरखेदी, भैंसा, पिपलिया, बिचोली, पथारी, तुलवाड़, लिलगावल, मुरिल-खुर्द, चैथारी, सलखान, चांदबाद, नूरगंज, खपरिया-कलां, बमोरी, हरीसिली, उदयगिरि, कुथनासेर, चिचोली, पदरिया-कलां, चिकली, सेमरिया-खुर्द, बिशनखेरी (कुल 31)।

(iii) पदरियाकलां, चिकली, सेमरिया-खुर्द, बिशनखेरी।

(iv) जिला सिहोर—अबिदा-खुर्द, मुगली, दबरी, नवगांव, धालपुर, सतराना, देमावर, घवाला, कुरी नयापुरा, छतरी, मुरावर, पाटन, खेरी, खण्डवा (कुल 14)।

विवरण

मध्य प्रदेश के जिला विदिशा, रायसेन सिहोर में जिन तहसीलों और खंड मुख्यालयों में अब तक टेलीफोन सुविधा दी गई है, उनके नाम इस प्रकार हैं :—

I. जिला विदिशा

तहसील मुख्यालय		**खंड मुख्यालय**	
1. विदिशा	एम० ए० एक्स०-II	1. विदिशा	एम० ए० एक्स०-II
2. बसोदा (गंज)	सी० बी० एन० एम०	2. ग्यारसपुर	पी० सी० ओ०
3. खुरवई	सी० बी० एन० एम०	3. खुरवई	एस० ए० एक्स०
4. सिरोंज	सी० बी० एन० एम०	4. सिरोंज	सी० बी० एन० एम०
5. तलेरी	पी० सी० ओ०	5. लतेरी	पी० सी० ओ०
		6. बसोदा	सी० बी० एन० एम०
		7. शम्साबाद	पी० सी० ओ०

II. जिला रायसेन

तहसील मुख्यालय			
1. रायसेन	सी० बी० एन० एम०	1. अबदुल्लागंज	एस० ए० एक्स०
2. सिलवानी	एस० ए० एक्स०	2. सांची	एस० ए० एक्स०

3.	बेगमगंज	सी० बी० एन० एम०	3	बरेली	एस० ए० एक्स०
4.	गैरतगंज	पी० सी० ओ०	4.	बेगमगंज	सी० बी० एन० एम०
5.	बरेली	सी० बी० एन० एम०	5.	सिलवानी	एस० ए० एक्स०
6.	गोहर गंज	पी० सी० ओ०	6.	उदयपुरा	एस० ए० एक्स०
7.	उदयपुरा	एस० ए० एक्स०	7.	गैरतगंज	पी० सी० ओ०

III. **जिला सिहोर**

तहसील मुख्यालय

1.	सिहोर	एम० ए० एक्स०-II	1.	सिहोर	एम० ए० एक्स०-II
2.	अशाता	सी० बी० एन० एम०	2.	इछावाड़	एस० ए० एक्स
3.	इछावाड़	एस० ए० एक्स०	3.	अशाता	एस० ए० एक्स०
4.	बुधनी	एस० ए० एक्स०	4.	बुधनी	एस० ए० एक्स०
5.	नसरूल्ला गंज	एस० ए० एक्स०	5.	नसरूल्ला गंज	एस० ए० एक्स०

(ख) जिन गांवों में पिछले दो वर्षों के दौरान सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गये हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(i) जिला विदिशा—ग्यारसपुर, मुरारिया, आनन्दपुर, पथारी, सुमेर, उदयपुर, कुलहर (कुल 7) ।

(ii) जिला रायसेन—नूरगंज, अथलपुर, देहगांव, गुदामल, सईखेदा (कुल 5) ।

(iii) जिला सिहोर—बरखेदा-कलां (कुल 1) ।

(ग) जिन तहसीलों और विकास खंड मुख्यालयों में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गये हैं उनके नाम विवरण में देंखे। इन जिलों में कोई भी तहसील और खंड ऐसा नहीं है जहां दूर-संचार सेवाएं प्रदान करनी बाकी हों ।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सिंचाई तथा विद्युत के लिए एक बृहत् योजना तैयार करने हेतु गठित केन्द्रीय दल

9093. **श्री पी० एम० सईद**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन } : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सिंचाई तथा विद्युत के लिए एक वृहत योजना तैयार करने के लिए गठित केन्द्रीय दल ने सुझाव दिया है कि इस संघ क्षेत्र को घरेलू विद्युत तथा सिंचाई की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए इस क्षेत्र को प्रणालीबद्ध सर्वेक्षण किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल के प्रतिवेदन की अन्य मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) यह प्रतिवेदन कब दिया गया था; और

(घ) क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों की जांच कर ली है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) सिंचाई विभाग द्वारा नवम्बर, 1977 में एक केन्द्रीय दल का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य (बाढ़) थे और कृषि विभाग तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रतिनिधि जिसके सदस्य थे। इस दल का उद्देश्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सिंचाई, विद्युत और जल-सप्लाई के बहुउद्देशीय लाभ प्रदान करने के लिए एक मास्टर योजना तैयार करना था। इस दल ने दिसम्बर, 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। दल ने अन्य बातों के साथ-साथ सिंचाई और पेय जल की सप्लाई के प्रयोजनों से भूगत जल का उपयोग करने के लिए इस क्षेत्र का सुनियोजित सर्वेक्षण करने की सिफारिश की थी।

दल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

दल की रिपोर्ट की प्रतियां भारत सरकार के सम्बद्ध विभागों और इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के मुख्य सचिव और मुख्य आयोग के पास आवश्यक कार्यवाही करने के लिए भेज दी गई हैं।

विवरण

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सिंचाई और विद्युत की मास्टर योजना तैयार करने के लिए केन्द्रीय दल के बारे में

केन्द्रीय दल के निष्कर्ष और सिफारिशें

1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कृषिगत क्षेत्र 38 द्वीपों में फैला हुआ है और बस्तियां एक दूसरे से दूर-दूर बिखरी हुई हैं। इसलिए कोई ऐसी मास्टर योजना तैयार करना संभव नहीं है जिसमें सिंचाई, जल विद्युत और जल-पूर्ति की बहुत सी स्कीमें शामिल हों और जिससे अलग-अलग बसी हुई सभी बस्तियों की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हों। इसलिए इस रिपोर्ट में स्कीमों के भावी आयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों और कार्य प्रणाली के सुझाव दिये गये हैं।

2. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की भूमि में कृषि की बहुत बढ़िया संभावनाएं हैं। समतल क्षेत्र धान की खेती के लिए और ऊंचे क्षेत्र बगान-फसलों के लिए बड़े उपयुक्त हैं। लेकिन कृषि अथवा बगानों के लिए जंगलों को काटने का काम सरकार की बस्तियों की स्थापना संबंधी समूची नीति के अधीन होना चाहिए और यह काम भूमि के सामर्थ्य सम्बन्धी सर्वेक्षण के आधार पर हाथ में लिया जाना चाहिए और उक्त सर्वेक्षण कार्य शीघ्र किया जाना चाहिए।

3. जल संसाधनों के दीर्घकालीन विकास के लिये यह आवश्यक है कि गेज और जल-निस्सरण प्रेक्षण स्थलों का सुनियोजित रूप से जाल बिछाया जाना चाहिए ताकि भावी-स्कीमें तैयार करने के लिए विभिन्न जल-धाराओं की जल-क्षमता का अनुमान लगाया जा सके।

4. घरेलू जल-पूर्ति और पशुओं के लिए जल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूगत जल बड़ी सीमित मात्राओं में उपलब्ध है। लेकिन पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और यह सुझाव दिया जाता है कि सिंचाई और पेय-जल की सप्लाई के प्रयोजनों के लिए भूगत जल को जुटाने के उद्देश्य से नियोजित रूप से और अन्वेषण किये जाने चाहिए।

5. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अन्वेषित बहुउद्देश्य परियोजनाओं से विद्युत-उत्पादन की लागत बहुत अधिक है । कालपोंग चरण-एक परियोजना ही एकमेव आशाजनक परियोजना है, जिसके अन्तर्गत कालरा नदी के जल को बेसिन के बाहर व्यपवर्तित किया जाना है ।

6. उत्तरी अंडमान द्वीपसमूह में कालपोंग चरण-एक को छोड़कर, इस संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को डीजल जेनटेरिंग सेटों की स्थापना द्वारा अथवा कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना द्वारा बिजली के उत्पादन के अपने मौजूदा तरीके को जारी रखना पड़ सकता है । लेकिन जब द्वीपसमूह के विस्तृत स्थलाकृतिक नक्शे उपलब्ध हो जाएंगे तो जल-विद्युत उत्पादन अथवा बहुउद्देश्य लाभों के लिए कालपोंग चरण-एक जैसी और अधिक अन्तर्बेसिन स्कीमों की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए क्षेत्र-सर्वेक्षणों सहित और आगे अध्ययन किये जाने चाहिएं ।

7. यद्यपि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में लगभग 3000 एम०एम० वार्षिक वर्षापात होता है और वर्षा वर्ष के आठ महीनों में होती है, फिर भी वर्षा के बीच-बीच के अन्तरालों को पूरा करने के लिए जनवरी से अप्रैल के शुष्क महीनों के दौरान एक तीसरी फसल उगाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता महसूस की जाती है । सिंचाई और विद्युत-उत्पादन की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिये निर्मित जल-संचयन जलाशयों से तीसरी फसल के लिए सिंचाई करने पर न केवल बहुत अधिक लागत आएगी, बल्कि इससे जल-तालिका (वाटर टेबल) ऊंची हो जाएगी और जल-जमाव होगा । इसलिए इस द्वीप समूह के लिए जो फसल पद्धति सुझाई गई है, वह है धान-धान और दालें (अथवा कोई अन्य शुष्क फसल) ।

8. चूंकि मानसून के महीनों में पर्याप्त नदी-प्रवाह उपलब्ध नहीं होता और बहुउद्देश्य जल-संचय स्कीमों पर बहुत अधिक लागत आएगी, इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि कमान क्षेत्रों में बहने वाली जल-धाराओं (स्ट्रीम) पर व्यपवर्तन संरचनाओं वाली लघु भूतल जल सिंचाई स्कीमों पर विचार किया जाना चाहिए ।

9. इसके साथ-साथ जिन क्षेत्रों में भूगत जल उपलब्ध है, वहां भूतल जल की लघु सिंचाई स्कीमों के विकल्प के रूप में भूगत जल का उपयोग किये जाने पर विचार किया जाना चाहिए ताकि ऐसी स्कीमें तैयार की जा सकें जिन पर कम से कम खर्च आये ।

10. जिन नदियों आदि में जनवरी-फरवरी तक निरन्तर जल-प्रवाह होता है वहां से भूतल जल को लिफ्ट करने वाली लघु सिंचाई स्कीमें भी तैयार की जा सकती हैं । इस प्रकार बहुत खर्चीली जल-संचय/व्यपवर्तन स्कीमें निर्माण करने के स्थान पर, जल को नदियों से लिफ्ट करके उसे कम लम्बी चैनलों द्वारा निकटस्थ क्षेत्रों तक ले जाया जा सकता है ।

11. पेय जल पूर्ति की स्कीमों को मौजूदा तरीकों के अनुसार जारी रखना होगा अर्थात् बारहमासी चश्मों और सरिताओं के जल को जुटा कर और शुष्क महीनों में सप्लाई की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिये जल-संचय करके । इसके अलावा, सिंचाई और जल-विद्युत उत्पादन की स्कीमों में पेय जल की सप्लाई के लिये भी व्यवस्था की जानी चाहिये ।

12. इस संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को चाहिये कि वह अपने पुनर्वास कार्यक्रम में

बस्तियों की स्थापना के स्थलों का फैसला करने से पहले विभिन्न क्षेत्रों में पेय जल और सिंचाई जल की सप्लाई के स्रोतों और उपलब्धता पर भी ध्यान रखें ।

13. चूंकि यहां पर सिंचाई विकास के लिये कोई संगठन नहीं है इसलिए सिंचाई स्कीमों के अन्वेषण, आयोजन और क्रियान्वयन के लिये एक सर्किल और दो डिवीजनों का निर्माण करके वर्तमान ढांचे को मजबूत बनाया जाना चाहिये । जब कालपोंग चरण-एक अथवा ऐसी ही अन्य परियोजनाएं क्रियान्वयन के लिए हाथ में ली जाएंगी तो इस ढांचे को और मजबूत बनाया जाना जरूरी होगा ।

हौज काजी, दिल्ली में मकान का गिरना

9094. **श्री के० ए० राजन**
श्री ज्योतिर्मय बसु } : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 मार्च, 1979 को दिल्ली में हौज काजी क्षेत्र में एक मकान गिर गया था जिसके परिणामस्वरूप 9 व्यक्ति मर गये थे और अनेक घायल हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस भवन की हाल ही में मरम्मत की गई थी;

(घ) क्या यह सच है कि वहां के निवासियों ने उस क्षेत्र में अनधिकृत ऊंचे निर्माण के सम्बन्ध में सिविल अधिकारियों को शिकायतें की थीं;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(च) कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई; और

(छ) कार्यवाही न करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति कौन हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्यौरे संलग्न अनुलग्नक 'एक' में दिए गए हैं ।

(ग) दिल्ली नगर निगम के रिकार्ड में कोई सूचना उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) से (च) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि विवरण 'दो' में उल्लिखित इस क्षेत्र की इमारतों के बारे में उन्हें शिकायतें प्राप्त हुई थीं तथा नियमाधीन आवश्यक कार्यवाही की गई थी ।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण—एक

1. हौज काजी क्षेत्र में 24 मार्च, 1979 का एक मकान के गिर जाने के कारण उसके मलबे के नीचे से निकाले गये मृतकों के ब्यौरे

क्रम संख्या	नाम	पिता का नाम	आयु	निवासी	टिप्पणी
1.	रिंकु	श्री रोशन लाल	3½ वर्ष	3511, हौज काजी	जयप्रकाश नारायण अस्पताल में ले जाए गए और मृतक घोषित किया गया।
2.	वीना	श्री श्रीकिशन	12 वर्ष	वही	वही
3.	मंजू	श्री श्री किशन	3 वर्ष	वही	वही
4.	रज्जो देवी	धर्मपत्नी श्री मंगुलाल	45 वर्ष	3456 हौज काजी	वही
5.	माया राम जैन	मालूम नहीं	80 वर्ष	3513 हौज काजी	वही
6.	मधु	सुपुत्री मंगुलाल	12 वर्ष	3456 हौज काजी	वही
7.	ऊषा	वही	18 वर्ष	वही	वही
8.	आशा	वही	16 वर्ष	वही	वही
9.	शकुन्तला	वही	14 वर्ष	वही	वही

2. घायल हुए तथा जयप्रकाश नारायण अस्पताल में दाखिल किये गये व्यक्तियों के ब्यौरे

					टिप्पणी
1.	सुरेन्द्रकुमार	राजनारायण	30 वर्ष	4581, चरखेवालान	—
2.	फूल चन्द	राम लोटन	20 वर्ष	मालूम नहीं	—
3.	विजय कुमार	मंगुलाल	14 वर्ष	3456 हौज काजी	—
4.	लच्छु	धर्मपत्नी श्रीकिशन	35 वर्ष	3458	—
5.	नन्कू राम	सुपुत्र श्री राधिका प्रसाद	20 वर्ष	मालूम नहीं	—
6.	मुन्ना	सुपुत्री रत्ती	20 वर्ष	वही	प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी।
7.	अनिल	श्री भगवानदास	3 वर्ष	3456 हौज काजी	वही
8.	पूनम	सुपुत्री श्री मैय्यालाल	12 वर्ष	3459 वही	वही

विवरण—दो

क्रम संख्या	संपत्ति संख्या
1.	3224/ VI तथा 3227/VI
2.	3398/ VI
3.	3267/ VI
4.	3227/ VI
5.	3381/ VI
6.	3242/ VI
7.	3370/ VI
8.	3388/ VI
9.	3379/ VI
10.	3564/ VI
11.	3370/ VI
12.	3380/ VI
13.	3232/ VI
14.	3523/ VI
15.	3281/ VI
16.	3433/ VI
17.	3223/ VI
18.	3585/ VI 3375
19.	3406-7/ VI
20.	3404/ VI

पब्लिक स्कूलों में विकलांग बच्चों के लिए आरक्षण

9095. **श्री एस० आर० रेड्डी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह सिफारिश की थी कि देश में पब्लिक स्कूलों में आधे स्थान निर्धन परन्तु प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए आरक्षित किये जायें,

(ख) क्या विकलांग बच्चों के लिये भी स्थानों का आरक्षण करने के बारे में विचार किया गया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, जहां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी हाल ही में "भारत में उच्च शिक्षा का विकास—एक नीति ढाचा" नामक एक नोट स्वीकार किया है। इस नोट में उन्होंने कहा है कि निजी निकायों द्वारा संचालित पब्लिक (और ऐसे ही) स्कूलों की वर्तमान प्रणाली जो ऊंची फीस वसूल कर रहे

हैं जिससे कि वे धनाढ्यों के बच्चों तक ही सीमित होकर रह गए हैं, समतावादी समाज के अनुरूप नहीं हैं। इस बात की आवश्यकता है कि सरकार अच्छी कोटि के और अधिक स्कूल स्थापित करे ताकि गरीब परिवारों के प्रतिभावान बच्चे वहां दाखिल किये जा सकें, और इस प्रकार की वर्तमान प्रत्येक संस्था के लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि वह कम से कम आधे छात्र प्रतिभावान किन्तु आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्रों में से दाखिल करें और उनकी फीस माफ करें।

(ख) और (ग) विकलांग बच्चों के लिये स्थानों के आरक्षण अथवा ऐसे बच्चों को दाखिले में कोई विशेष रियायत देने के लिये भारत सरकार ने पब्लिक स्कूलों को कोई निर्देश नहीं दिये हैं।

दक्षिण पूर्व एशिया में भूमिगत जल का वैज्ञानिक मानचित्र

9096. **श्री हरगोविन्द वर्मा** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व एशिया के भूमिगत जल का वैज्ञानिक मानचित्र तैयार करने का कार्य भारत को सौंपा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इस कार्य को कब तक पूरा किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) विश्व के भूविज्ञानीय मानचित्र सम्बन्धी आयोग की दक्षिण पूर्व एशिया के उप आयोग की एक बैठक नवम्बर 1978 में बैंकाक में हुई। बैठक में की गयी सिफारिश संख्या 8 नीचे उद्धृत की गयी है :

सिफारिश संख्या 8 :

जल विज्ञान सम्बन्धी मानचित्र

उपआयोग क्षेत्रीय योजना बनाने के लिये लघु जलविज्ञान सम्बन्धी मानचित्रों के उपयोग के सिद्धान्त को स्वीकार करता है तथा भारतीय केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के श्री बी० के० बावेजा को इस मानचित्र के संयोजक के रूप में नामजद करता है तथा सिफारिश करता है कि निम्नांकित क्षेत्रों के लिए प्रथम चरण में क्षेत्रीय समन्वयक नामजद किये जायें, जिसके लिये क्षेत्रीय प्रायोगिक मसौदा इच्छुक ऐजेन्सियों तथा कार्यक्रमों के परामर्श से तैयार किया जायेगा :—

1. **भारत** : बर्मा, बंगलादेश, श्री लंका,
2. **थाइलैंड** : मलेसिया, कम्बोडिया, विएतनाम, लाओस।
3. **इण्डोनेसिया**, फिलिपाइन, जापान तथा अन्य देश उपआयोग की अगली बैठक में प्रस्तुत करने के लिये उपयुक्त आधार पर मसौदा तैयार करने के लिये राष्ट्रीय समन्वयकों का पता लगाए।

(ख) जहां तक भारत का सम्बन्ध है, सरकार ने अब विश्व के जल विज्ञानीय मानचित्र

के लिये आयोग के उपआयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि कार्य कब तक पूरा होगा ।

आई० पी० ओ० तथा ए० एस० पी० ओ० के अखिल भारतीय संघ को केन्द्रीय कार्य समिति की बैठक में पारित संकल्प

9097. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अथवा डाक-तार बोर्ड को आई० पी० ओ० तथा ए० एस० पी० ओ० के अखिल भारतीय संघ की कार्य समिति की 11 दिसम्बर, 1978 को नयी दिल्ली में हुई बैठक में पारित दो संकल्पों की प्रतियां प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनमें क्या मांगें की गई हैं और संकल्पों में की गई प्रत्येक मांग पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) जी हां । अखिल भारतीय निरीक्षक तथा सहायक डाकघर अधीक्षक संघ की कार्य कारिणी द्वारा 11-12-78 को पारित 2 प्रस्ताव हमें मिले हैं । प्रस्ताव नं० 1 डाकघर निरीक्षकों के संवर्ग में पदोन्नति अवसरों की वृद्धि से संबन्धित है। इस बारे में डाकघर निरीक्षकों के अनेक पदों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें सहायक डाकघर अधीक्षक के संवर्ग में लिए जाने के आदेश जारी किए गए थे और साथ ही उच्चतर चयन पदक्रम-II के तमाम पदों को जनरल लाइन के कर्मचारियों के लिये अनारक्षित किया गया था । इन आदेशों का प्रभाव यह होगा कि निरीक्षकों के लिए सहायक अधीक्षकों, एच० एस० जी०-I के पदों पर पदोन्नति के अवसरों में लगभग 35% से 44% तक वृद्धि होगी और साथ ही जनरल लाइन के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति अवसरों में भी बृद्धि होगी । प्रस्ताव नं० 1 की मद सं० 5 में मांग की गई है कि पोस्टमास्टर सेवा ग्रुप 'बी' में 100% रिक्तियां निरीक्षकों के लिये आरक्षित की जाएं । इस मांग को स्वीकार नहीं किया जा सका।

प्रस्ताव नं० 2 में मांग की गई है कि डाकघर अधीक्षक सेवा और पोस्टमास्टर सेवा ग्रुप 'बी' के संवर्गों में नियुक्तियों के लिए वर्ष 1978 की समाप्ति से पहले चुनावों को अन्तिम रूप दे दिया जाए । अब दोनों संवर्गों में चुनाव किया जा चुका है ।

कृषि उत्पादन के लिए लाख युक्त यूरिया उर्वरक का उपयोग

9098. **श्री रुद्र सेन चौधरी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि उत्पादन के लिये लाख युक्त यूरिया का उपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन स्थानों और किन लोगों द्वारा उसका उपयोग किया गया है;

(ग) उसके परिणाम का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोग का बिस्तार करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, नामकुम, रांची में वैज्ञानिकों ने प्रयोग के प्रयोजन से लाख युक्त यूरिया का उत्पादन किया है। विभिन्न स्थानों में चावल तथा अन्य फसलों पर प्रयोग किये गये हैं। लाख-युक्त यूरिया की आर्थिक संभावनाओं का अभी पता लगाया जाना है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं होता।

जम्मू तथा काश्मीर में शरणार्थियों की समस्यायें

9099. **डा० कर्ण सिंह** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर के शरणार्थियों की अनेक समस्याओं का अभी भी समाधान किया जाना है;

(ख) क्या भारत सरकार को इस बारे में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान इन समस्याओं का अन्तिम रूप से निपटान कर दिया जाता है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क) से (ग) सरकार को जम्मू तथा काश्मीर में रह रहे विस्थापित व्यक्तियों से सम्बन्धित कुछ मामलों के बारे में, जो अनिर्णीत पड़े बताए गए हैं, अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और ये राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी के बिना प्लाटों का आवंटन

9100. **श्री रामजी लाल सुमन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1978 से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी के बिना रिहायशी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत आदि जैसे विभिन्न प्रकार के कितने प्लाटों का आवंटन किया गया अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत व्यक्तियों को बिना पारी के आवंटन किया गया; और

(ख) भाग (क) में प्लाटों के बारे में प्लाट का क्षेत्र, किस लागत पर आवंटन किया गया, अलाटी का नाम और इस आवंटन का अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का नाम क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तमिल भाषा में टेलीफोन निदेशिका

9101. **श्री आर० कोलनथाईवेलु** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल भाषा में तथा डिवीजन-वार टेलीफोन निदेशिका निकालने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या ऐसा कोई अंक निकाला गया है;

(ग) यदि नहीं तो क्यों नहीं; और

(घ) क्या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में निदेशिकायें हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) मौजूदा नीति के अनुसार किसी क्षेत्रीय भाषा में टेलीफोन निदेशिका तब निकाली जाती है जब उसकी मांग कुल आवश्यकता का 15 प्रतिशत हो। जैसे ही किसी भी मंडल में मांग पर्याप्त हो जाएगी उस मंडल के लिए तमिल निदेशिका का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) टेलीफोन उपभोक्ताओं की ओर से मांग अपर्याप्त है।

(घ) जी हां, दो अन्य क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात् गुजराती और पंजाबी में टेलीफोन निदेशिकाएं छापी जा रही हैं।

सह्याद्री रेलगाड़ी में रेल डाक सेवा

9102. **श्री राजाराम शंकरराव माने** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल्हापुर से बम्बई जाने वाली सह्याद्री एक्सप्रैस में रेल डाक सेवा उपलब्ध की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) सह्याद्री एक्सप्रैस (एस० सी० आर० ट्रेन नं०-311/312) में पहले ही 15-7-77 से रेल डाक सेवा उपलब्ध है।

महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के गांवों में टेलीफोन तथा तार की सुविधाएं

9103. **श्री केशवराव धोंडगे** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला नांदेड़ (महाराष्ट्र) में तालुकवार ऐसे कितने गांव हैं जिनकी जनसंख्या दो हजार से अधिक है;

(ख) इन गांवों में टेलीफोन उथा तार की सुविधायें प्रदान करने के लिये वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार ने क्या कार्यवाही की;

(ग) कितने अतिरिक्त गांवों में ऐसी सुविधाएं दी गई; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) तालुकावार विवरण नीचे दिये जा रहे हैं :

नांदेड़	21	हदगांव	18
किनवत	13	बोकर	7
बिल्लोली	18	देग्लूर	11
मुखेद	15	कंधार	33
		योग :	136

(ख) दूरसंचार सुविधाओं की व्यवस्था के लिए दस प्रस्तावों का अनुमोदन किया जा चुका है और उन्नीस प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(ग) 1978-79 के दौरान सोलह।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मूल्यों में वृद्धि होने के कारण अधूरी पड़ी मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर अधिक लागत

9104. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों और दस वर्षों के दौरान चल रही अधूरी मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के कारण मूल्य वृद्धि के परिणाम-स्वरूप प्रत्येक परियोजना के बारे में सरकार कितनी अधिक लागत खर्च करेगी; और

(ग) क्या योजना में धनराशि की कमी परियोजनाओं को पूरा होने में विलम्ब के लिए उत्तरदायी है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

खेलकूद को बढ़ावा देने सम्बन्धी समिति

9105. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में खेलकूद को बढ़ावा देने के विचार से संसद सदस्यों की एक समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके निर्देश पद और सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) यह समिति कब तक गठित की जायेगी और उसके सदस्यों का चयन करने के लिए क्या तरीका अपनाया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) मामला विचाराधीन है।

पंजाब में मिलों से चावल उठाना

9106. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी**
श्री भगत राम } : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब में मिलों से चावल नहीं उठाया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) जी नहीं। पंजाब में मिल मालिकों/व्यापारियों पर लेवी लगाकर चावल की वसूली की जाती है। चावल के मिल मालिक भारतीय खाद्य निगम को यह लेवी चावल देते हैं। भारतीय खाद्य निगम ने 21-4-79 को राज्य के मिल मालिकों से 16.01 लाख मी० टन चावल लिया है, जबकि उनसे 13.17 लाख मी० टन लेवी प्राप्त होना था।

पंजाब के मिल मालिकों ने भारतीय खाद्य निगम को स्वेच्छा से अपने लेवी-शेयर से अधिक चावल का स्टाक देने की पेशकश की है। लेकिन राज्य में ढके भण्डारण स्थान की कमी के कारण भारतीय खाद्य निगम मिल मालिकों द्वारा पेश की गई अतिरिक्त मात्रायें स्वीकार नहीं कर सका है। राज्य सरकार जिससे भारतीय खाद्य निगम के लिए अतिरिक्त खाली भण्डारण स्थान उपलब्ध करने के लिए अनुरोध किया गया था, निगम को एक लाख मी० टन का खाली भंडारण स्थान तुरन्त सौंपने और एक लाख मी० टन को कुछ समय के बाद देने के लिए राजी हो गई है। इस अतिरिक्त भंडारण स्थान के उपलब्ध होने से आशा है कि चावल मिल मालिकों द्वारा स्वेच्छा से पेश किए गए चावल को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

लखनाडोन, सियोनी, मध्य प्रदेश सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

9107. **श्री निर्मल चन्द्र जैन** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में जिला सियोनी की तहसील लखनाडोन में धूमा स्थान पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र न खोलने के क्या कारण हैं यद्यपि सरकार द्वारा इस बारे में आश्वासन दिया गया था; और

(ख) वह कब तक खोला जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) जिला सियोनी के धूमा स्थान पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तारीख 28-3-79 को खोल दिया गया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर द्वारा खरीददारी में कथित अनियमितताएं

9108. **श्री मनोहर लाल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में खरीददारी अनियमितताओं के कुछ मामलों का पता चला है जिनमें यह बताया गया है कि कुछ फर्मों को क्रयादेश दिए गए हैं और कुछ फर्मों को भुगतान कर दिए गए हैं परन्तु वास्तव में वे फर्में हैं ही नहीं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पूछताछ से पता चला है कि उपरोक्त फर्में अस्तित्व में ही नहीं हैं और फिर भी अधिक किए गए भुगतान को बट्टे खाते में डाल दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो दिए गए क्रयादेशों का सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है, क्रयादेशों का मूल्य और फर्मों आदि के नाम क्या हैं जिनको क्रयादेश दिए गए थे;

(घ) इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

साइबेरियाई पक्षियों के लिये काश्मीर घाटी का विकास

9109. **श्री नटवरलाल बी० परमार** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्दियों में साइबेरिया और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों से हजारों पक्षी काश्मीर घाटी में आते हैं; और

(ख) इन पक्षियों के लिए इस मनोहारी घाटी का विकास करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) जम्मू व कश्मीर सरकार ने बताया है कि जल पक्षियों तथा उनके आवास स्थल के संरक्षण के लिये सभी प्रयास किए जा रहे हैं ।

जिला मुख्यालयों में दूरसंचार सेवाओं की व्यवस्था

9110. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री पी० एम० सईद } : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय एक कार्यक्रम बना रहा है जिसके अन्तर्गत सभी 395 जिला मुख्यालयों में चालू तथा आगामी वर्ष में उच्च ग्रेड वाली दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध की जाएंगी;

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सच है; और

(ग) उपग्रहों के माध्यम से संचार की सुविधा उपलब्ध करने में कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) जी नहीं। लेकिन चालू योजना अवधि में विश्वसनीय दूरसंचार सेवा की व्यवस्था सभी 395 जिला मुख्यालयों में कर दी जायेगी ।

(ग) सबसे पहले लेह, एजवाल, पोर्ट ब्लेयर, कार निकोबार और लक्षद्वीप समूहों को दिल्ली और मद्रास के प्रमुख द्वार स्टेशनों के साथ इन्टलसेट, भारतीय समुद्र उपग्रह के माध्यम से जोड़ा जायेगा और 1979-80 और 1980-81 के दौरान दूरसंचार सुविधाएं उत्तरोत्तर उपलब्ध करा दी जाएंगी । इसके अतिरिक्त भविष्य में 22 स्टेशन और जोड़े जाएंगे और सभी 29 स्थैतिक स्टेशनों के साथ-साथ छः परिवहनीय स्टेशन भारतीय गृह उपग्रह जिसका 81-82 में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है, के साथ काम करेंगे ।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिंचित भूमि की प्रतिशतता

9111. **श्री छबिराम अर्गल** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनवरी, 1979 तक सिंचाई होने वाली भूमि की राज्यवार प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिंचित भूमि की प्रतिशतता अन्य राज्यों की तुलना में कम है ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार सिंचित भूमि की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए इन राज्यों को वित्तीय सहायता देगी;

(घ) यदि हां, तो क्या छठी योजना अवधि में मध्य प्रदेश में सिंचाई साधनों में वृद्धि करने के बारे में योजना आयोग को मध्य प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें 31 मार्च, 1978 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में सकल फसली क्षेत्र, सिंचाई क्षमता और सकल फसली क्षेत्र की तुलना में सिंचाई क्षमता की प्रतिशतता की जानकारी दी गई है।

(ख) जी हां, यह कई अन्य राज्यों की तुलना में कम है।

(ग) सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपनी समूची विकास योजनाओं के ढांचे के अन्तर्गत की जाती है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है जो विकास के किसी विशिष्ठ सेक्टर या परियोजना से सम्बन्धित नहीं होती।

(घ) और (ङ) मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से बृहद और मध्यम सिंचाई स्कीमों से 817 हजार हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता और लघु स्कीमों से 700 हजार हैक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता के सृजन के लिए अपनी 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के मसौदे में बृहद और मध्यम सिंचाई कार्यक्रम के लिए 734 करोड़ रुपये और लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए 294.50 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया है। मध्य प्रदेश की पंचवर्षीय योजना (1978-83) को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

प्रत्येक राज्य में सकल फसली क्षेत्र, बृहद, मध्यम और लघु स्कीमों से सृजित सिंचाई क्षमता और सकल फसली क्षेत्र की तुलना में उसकी प्रतिशतता की जानकारी देने वाला विवरण।

(हजार हैक्टेयर)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सकल फसल क्षेत्र 1975-76	1977-78 के अन्त तक सृजित क्षमता (अनन्तिम)	कालम 3 की तुलना में कालम 4 की प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	12958	4544	35.07
2.	असम	3177	426	13.41

1	2	3	4	5
3.	बिहार	11287	4401	38.99
4.	गुजरात	10198	2298	25.53
5.	हरियाणा	5451	2870	52.65
6.	हिमाचल प्रदेश	924	85	9.20
7.	जम्मू और कश्मीर	923	409	44.31
8.	कर्नाटक	11159	1929	17.29
9.	केरल	2981	738	24.76
10.	मध्य प्रदेश	21356	2653	12.42
11.	महाराष्ट्र	19664	2599	13.22
12	मणिपुर	210	20	9.52
13.	मेघालय	203	12	5.91
14.	नागालैंड	114	35	30.70
15.	उड़ीसा	7733	1886	24.39
16.	पंजाब	6255	5072	81.09
17.	राजस्थान	17164	3145	18.32
18.	सिक्किम	उपलब्ध नहीं	10	—
19	तमिलनाडु	7235	2996	41.41
20.	त्रिपुरा	381	32	8.40
21.	उत्तर प्रदेश	23098	13222	57.24
22.	पश्चिम बंगाल	7958	2743	34.47
	संघ राज्य क्षेत्र	563	93	16.52
	अखिल भारतीय	170995	52218	30.54

त्रिचूर में विभागीय पुल के लिए रिहायशी आवास का निर्माण

9112 **श्री वयालार रवि :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिचूर में विभागीय पुल के लिए रिहायशी आवास का निर्माण करने के लिए महालेखाकार ने निर्माण और आवास मंत्रालय से अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो मन्त्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की उपलब्धता

9113. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा गोल मार्केट क्षेत्र, नई दिल्ली में चलाए जा रहे "बिना टोकन" दुग्ध बूथों में बहुत लम्बी लाइन लगती है क्योंकि दुग्ध बूथों के खुलने के समय से आधे घण्टे में ही सारा दूध बिक जाता है;

(ख) क्या पर्याप्त मात्रा में दूध की उपलब्धता की घोषणा करने का उद्देश्य दिल्ली दुग्ध योजना और इसके द्वारा चलाए जा रहे एकक की केवल अच्छी प्रतिष्ठा बनाना था ताकि इसके कुप्रबन्ध पर परदा डाला जा सके;

(ग) क्या तथाकथित "आपरेशन फ्लड" दिल्ली और कलकत्ता के लोगों के लिये उनसे किया गया एक बड़ा धोखा बन गया है; और

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना के कार्य में सुधार करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) पुनर्नवीकरण अवधि के दौरान कम उत्पादन होने के कारण दिल्ली दुग्ध योजना उपभोक्ताओं की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। तथापि, यह एक अस्थायी स्थिति है और पुनःवीकरण कार्य पूरा होने के बाद दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की सप्लाई की स्थिति में काफी सुधार हो जाएगा।

टोकन, दिल्ली दुग्ध योजना की कार्य पद्धति में सुधार लाने के उद्देश्य से समाप्त किए गए थे, न कि किसी कमी को पूरा करने के लिए।

(ग) जी नहीं। आपरेशन फ्लड परियोजना विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से जुलाई, 1970 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की डेरियों को बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के चार महानगरों में मंडियों के अधिकांश भाग में कार्य करने की स्थिति में लाकर दुग्ध विपणन में सुधार लाना था। दिल्ली में दोनों डेरियों की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता प्रति दिन 7 लाख लिटर दूध सम्भालने की है और दूध की उपलब्धि 2.63 लाख लिटर प्रति दिन से बढ़कर परियोजना-पूर्व अवधि में 5.70 लाख लिटर प्रति दिन हो गई है। कलकत्ता की डेरी की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता प्रति दिन 7 लाख लिटर दूध सम्भालने की है तथा दूध की उपलब्धि प्रति दिन 1.5 लाख लिटर से बढ़कर 2.21 लाख लिटर हो गई है। कलकत्ता में मदर डेरी द्वारा कार्य शुरू कर देने से दूध की उपलब्धि में शीघ्र सुधार होगा। आपरेशन फ्लड 2 कार्यक्रम का उद्देश्य इन दोनों महानगरों में दूध की सम्भाल क्षमता का और विस्तार करना है।

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा परिष्कृत दूध की सक्षम संभाल सुनिश्चित करने के दीर्घकालीन उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए इस समय दिल्ली दुग्ध योजना के केन्द्रीय डेरी कम्पलेक्स का व्यापक पुनर्नवीकरण किया जा रहा है। केन्द्रीय डेरी में संयंत्र तथा मशीनों के पुनर्नवीकरण की अवधि के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना के लिए अपना नियमित उत्पादन बनाए रखना संभव नहीं होगा। इसके फलस्वरूप दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा की जाने वाली दूध की दैनिक सप्लाई

में कुछ कमी आई है। तथापि, यह अस्थायी स्थिति है और पुनर्नवीकरण कार्य पूरा हो जाने के बाद दूध की सप्लाई में सुधार हो जाएगा। दिल्ली दुग्ध योजना के केन्द्रीय डेरी कम्पलेक्स के सन्यन्त्र तथा उपकरणों के पुनर्नवीकरण के अलावा खरीद पद्धतियों को तर्कसंगत बनाना, नई लेखा प्रणाली शुरू करना आदि जैसे अनेक उपाय भी किए गए हैं, जिनका उद्देश्य दिल्ली दुग्ध योजना की कार्यपद्धति में सुधार लाना है।

स्वचालित एक्सचेंजों में त्रुटिपूर्ण मीटरों के कारण टेलीफोन बिलों में अधिक राशि का दिखाया जाना

9114. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी स्वचालित एक्सचेंजों में मीटरों की त्रुटिपूर्ण प्रणाली के कारण बिलों में अधिक राशि दिखाये जाने के कारण टेलीफोन प्रयोक्ता विचलित और उत्तेजित हैं;

(ख) क्या कुछ प्रयोक्ताओं को टेलीफोन कालों में वास्तविक उपयोग की तुलना में दुगुनी राशि के बढ़े-चढ़े बिल प्राप्त होते हैं; और

(ग) गलत बिलों को सही कराने के लिए न्याय प्राप्त करने के लिए प्रयोक्ताओं का क्या उपाय उपलब्ध है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) देश भर के उपभोक्ताओं में से केवल एक प्रतिशत टेलीफोन प्रयोक्ताओं ने मीटरों की त्रुटिपूर्ण प्रणाली के कारण बिलों में अधिक राशि दिखाए जाने की शिकायत की है।

(ख) जी हां। कुछ इक्के दुक्के मामले हो सकते हैं।

(ग) जब भी कालों के रजिस्टर करने की असामान्यताओं के मामलों से सूचना प्राप्त होती है तो मीटर और सम्बद्ध उपस्कर की जांच कर ली जाती है। उन मामलों में छूट दी जाती है जब यह निश्चित हो जाता है कि मीटर में बढ़ी-चढ़ी कालें आई हैं।

केरल सरकार द्वारा अधिक मूल्य पर धान की खरीद

9115. **श्री दाजीबा देसाई** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर खुले बाजार से धान खरीद रही है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा धान और ज्वार के लिए अधिक मूल्य दिए जाने पर आपत्ति की है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) केरल सरकार ने किसानों को मामूली प्रोत्साहन देने के लिए विरिप्पू मौसम 1978 के लिए चुनींदा आधार पर 120 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य पर धान की सीमित मात्रा खरीदने की स्वीकृति दी थी। उन्होंने इस योजना को मुन्डकन तथा पुन्च मौसम 1978-79 में भी चालू रखा था।

(ख) केन्द्रीय सरकार को किसी राज्य सरकार द्वारा धान तथा ज्वार का अधिक मूल्य दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि खाद्यान्न की खपत राज्य के अन्दर ही की जाए। केन्द्रीय भण्डार को अंशदान देने के मामले में भारत सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर खाद्यान्नों की खरीदारी करेगी।

बाण सागर परियोजना के निर्माण के लिए नियुक्त कर्यचारी

9115. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बान सागर सिंचाई योजना सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड और कार्यकारी परिषद ने वर्ष 1978 में मुख्य बांध के निर्माण के लिये और डिवीजनों और सर्किलों में नहरों के निर्माण कार्य के लिये कितने कर्मचारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है; और

(ख) क्या उपर्युक्त निर्णय के अनुसार ऐसे डिवीजनों और सर्किलों की मुख्य बांधों और नहरों के निर्माण के लिए स्थापना की जा चुकी है और क्या मुख्य बांध और नहरों के निर्माण के लिये पर्याप्त संख्या में इंजीनियर और अन्य कर्मचारी काम पर लगा दिये गये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इन परिस्थितियों में छः वर्ष में समस्त कार्म के पूरा होने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा गठित बाणसागर नियंत्रण बोर्ड की कार्यकारिणी समिति ने मई, 1978 में बाणसागर बांध के लिये एक सर्किल और आठ डिवीजनों के निर्माण की मंजूरी दी थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनमें से एक सर्किल और पांच सर्किलों के सृजन की मंजूरी फरवरी, 1979 में दे दी गई थी और उन्होंने 27-2-1979 से काम करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार पहले से काम कर रहे एक सर्किल और दो डिवीजनों को शामिल करके, इस समय दो सर्किल और सात डिवीजन काम कर रहे हैं। जहां तक नहर सम्बन्धी निर्माण-कार्यों का सम्बन्ध है, मध्य प्रदेश सरकार के बृहद परियोजनाओं सम्बन्धी नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सर्किल और पांच डिवीजनों में से, राज्य सरकार द्वारा एक नहर सर्वेक्षण डिवीजन की मंजूरी फरवरी, 1979 में दी गई थी और उसका गठन तत्काल कर दिया गया था। आशा है कि राज्य सरकार द्वारा एक अन्य सर्किल और दो डिवीजनों के सृजन की मंजूरी शीघ्र ही दे दी जायेगी। परियोजना का प्रारम्भिक कार्य पहले से ही चल रहा है।

मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना के लिये स्टाफ, इसके पूरा होने के निर्धारित समय को ध्यान में रखकर आवश्यकताओं के अनुसार स्वीकृत किया जा रहा है।

प्रौढ़ शिक्षा के लिए संगठनों को राशि

9117. **डा० बापू कालदाते** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रौढ़ शिक्षा के लिये अब तक कुल कितनी राशि वितरित की गयी है;

(ख) 25,000/-रुपये से अधिक पाने वाले संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या किसी संगठन को 100,000/- रुपये से अधिक दिये गये हैं; और

(घ) इतनी बड़ी राशि देने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेन्सियों को सहायता देने की योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक एजेन्सियों के 2.95 करोड़ रुपये के परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित किये जा चुके हैं। इस राशि में से 1.59 करोड़ रुपये की राशि वास्तव में वितरित की जा चुकी है।

वर्ष 1978-79 के दौरान जिन स्वैच्छिक एजेन्सियों के परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित किये जा चुके हैं उनकी पूर्ण सूची संलग्न विवरण में दी गई है जिसमें प्रत्येक परियोजना के लिये अनुमोदित अनुदान राशि और केन्द्रों की संख्या भी दी गई हैं। आमतौर से मन्त्रालय 30 से कम केन्द्रों वाली परियोजना को स्वीकार नहीं करता क्योंकि यह प्रशासनिक रूप से व्यवहार्य नहीं होती। स्वीकृत पद्धति के अनुसार 30 केन्द्रों वाली प्रत्येक परियोजना के लिये 49,500/- रु० का अनुदान दिया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले संगठनों के लिये राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर बड़ी परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। 60 केन्द्रों से अधिक वाली सभी परियोजनाएं एक लाख रु० से अधिक के अनुदान की पात्र हैं। संलग्न विवरण में वे स्वैच्छिक एजेन्सियां भी शामिल हैं जिनके लिये 60 केन्द्रों से अधिक वाली परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

[**ग्रंथालय में रखा गया**। देखिये संख्या एल० टी० 4387/79]

बंगलौर में केन्द्रीय सरकार के भवन

9118. **श्री ए० आर० बद्रीनारायण** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में स्थित केन्द्रीय सरकार के भवन कितने हैं और उनकी कुल लागत कितनी है ;

(ख) इन भवनों की मरम्मत के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि बंगलौर स्थित केन्द्रीय सरकार के बहुत से भवनों की मरम्मत नहीं की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) जहां तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का सम्बन्ध है, अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :—

मकानों की संख्या	मूल धन	मरम्मत के लिये 1977-78 के दौरान नियतन की गई राशि (1978-79 के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।)
345 रिहायशी क्वार्टर तथा होस्टल	80.60	(लाख रुपयों में) 2.27
20 गैर रिहायशी भवन	100.50	6.72

(ग) जी, नहीं।

सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्यों में होली-डे-होम

9119. **श्री के० मालन्ना**
श्रीमती मोहसिना किदवई } : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कम से कम प्रत्येक राज्य में होली-डे-होम बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रत्येक राज्य में होली-डे-होम की स्थापना का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी, संयुक्त परामर्श-दात्री तन्त्र की सिफारिशों पर सरकार ने निम्नलिखित चार स्थानों पर होली-डे-होम की स्थापना करने का निर्णय किया है ।

(i) उत्तर प्रदेश में मसूरी ।

(ii) महाराष्ट्र में करला/महाबलेश्वर ।

(iii) तमिलनाडु में मद्रास ।

(iv) पश्चिम बगाल में दिघा ।

मसूरी और करला के होली-डे-होम 15-4-79 से खोल दिये गये हैं । मद्रास और दिघा के होली-डे-होम को आवश्यक प्रबन्ध कार्य पूर्ण हो जाने के बाद स्थापित किया जाएगा ।

अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोष संकलित करने का कार्य सौंपा जाना

9120. **श्री बापू साहेब परूलेकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंग्रेजी-हिन्दी शब्द कोष संकलित करने का एक नया कार्य एक सेवानिवृत भारतीय सिविल सेवा अधिकारी को सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारी का नाम क्या है और इस शब्दकोष को संकलित करने पर कुल कितनी राशि खर्च होगी; और

(ग) इस शब्दकोष को संकलित करने की आवश्यकता सरकार को कैसे महसूस हुई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) सरकार ने किसी भूतपूर्व आई० सी० एस० अधिकारी को द्विभाषी शब्दकोषों की कोई परियोजना नहीं सौंपी है । तथापि प्राइवेट प्रकाशकों के सहयोग से हिन्दी की लोकप्रिय पुस्तकों के प्रकाशन की योजना के अन्तर्गत मैसर्स आक्सफोर्ड एण्ड आई० बी० एच० पब्लीशिंग कम्पनी ने यह कार्य राजभाषा विभाग के भूतपूर्व सचिव श्री आर० पी० नायक, आई० सी० एस० को सौंपा है। करार के अन्तर्गत संकलन की पूरी जिम्मेदारी प्रकाशकों की है ।

अंग्रेजी-हिन्दी और हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोषों के संकलन तथा निर्माण की पूरी लागत

प्रकाशकों द्वारा वहन की जानी है जिन्होंने प्रत्येक की 10 हजार प्रतियों के लिये यह लागत 2,28,000 रुपये आंकी है।

(ग) द्विभाषी शब्दकोषों का निर्माण कार्य केन्द्रीय हिन्दी समिति की सिफारिशों पर आरम्भ किया गया था।

नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए नौकरियों की व्यवस्था करना

9121. **श्री युवराज** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए यथासंभव नौकरियों की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ आरक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या 90 लाख नेत्रहीन व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की कोई योजना है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब क्रियान्वित किया जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में 90 लाख—आंकड़ों—की पुष्टि नहीं की जा सकती। तब भी, जैसा कि संलग्न विवरण में कहा गया है दृष्टिहीनों समेत विकलांग व्यक्तियों की सहायता हेतु सरकार की विभिन्न योजनायें हैं ताकि उनका पुनर्वास हो सके, इसमें शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार की विशेष व्यवस्था शामिल है।

ये योजनाएं सतत प्रकार की हैं; अतः उनके पूर्ण होने के बारे में अभी कि[illegible]श्चित अवधि का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दृष्टिहीनों समेत अन्य विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार की निम्नलिखित योजनाएं हैं :—

(1) सरकार और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा अन्य विकलांग व्यक्तियों की भांति दृष्टिहीनों को शैक्षिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

(2) दृष्टिहीनों के लिये संस्थान/कर्मशालाएं/प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(3) केन्द्रीय सरकार की ग्रुप "ग" और "घ" के पदों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इनसे मिलते-जुलते पदों पर 3 प्रतिशत आरक्षण है (दृष्टिहीनों, बधिरों और अस्थि विकलांगों के लिए एक-एक प्रतिशत)।

(4) देश के विभिन्न भागों में विशेष रोजगार केन्द्र स्थापित किए गए हैं जो विकलांग व्यक्तियों (दृष्टिहीनों समेत) को विभिन्न रोजगार दिलाने का कार्य कर रहे हैं।

लाल किले में राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना

9122. **प्रो० समर गुह** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रान्ति सम्बन्धी गतिविधियों के इतिहास से सम्बन्धित सामग्री के संरक्षण तथा सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए लाल किले, दिल्ली में एक राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करने की मांग की है;

(ख) क्या लाल किले का 1857 की क्रान्ति के मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था और नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने भी भारतीय स्वतन्त्रता के प्रथम झण्डे को वहां लगाने का आजाद हिन्द फौज की क्रान्ति के दौरान जोर दिया था;

(ग) क्या 1857 की क्रान्ति, श्री सावरकर के अधीन महाराष्ट्र के क्रान्तिकारियों, श्री अरोविन्दों के अधीन बंगाल के क्रान्तिकारियों, पंजाब की गदर पार्टी, रासबिहारी बोस की गतिविधियों, प्रथम विश्व युद्ध के उत्तर भारत, सरदार भगत सिंह, श्री सूर्य सेन, और आजाद हिन्द फौज से सम्बन्धित ऐतिहासिक सामग्री को एकत्र किया जायेगा तथा लाल किले में भारतीय क्रान्ति के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा जायेगा; और

(घ) क्या सरकार का विचार इसके लिए समिति गठन करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां। तारीख 21-1-1979 को नेताजी सुभाष क्रान्तिकारी समाजवादी मंच से इस आशय का एक प्रस्ताव पारित हुआ था।

(ख) लाल किला, 1857 के ब्रिटिश विरोधी आन्दोलन का एक केन्द्र रहा था और आजाद हिन्द आन्दोलन के दरम्यान नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भारतीय स्वतन्त्रता का ध्वज यहां फहराना चाहते

(ग) तथा (घ) प्राचीन संस्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 के अनुसार लाल किला एक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है; और स्वतन्त्रता संग्राम का राष्ट्रीय संग्रहालय-सह-पुस्तकालय स्थापित करने के लिए इसका उपयोग करना, स्मारक के पुरातत्वीय एवं ऐतिहासिक मूल्य की दृष्टि से सामंजस्यपूर्ण नहीं होगा।

सस्ती भवन निर्माण सामग्री के लिए भारत-सोवियत रूस के बीच ज्ञापन पर हस्ताक्षर

9123. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सस्ती भवन निर्माण सामग्री के विकास हेतु भारत तथा सोवियत रूस के बीच एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) कम लागत के मकानों के निर्माण के लिये स्थानीय निर्माण सामग्री और औद्योगिक व

कृषि अपशिष्ट के प्रयोग से भवन-निर्माण सामग्री के विकास के बारे में जानकारी तथा अनुभव के आदान-प्रदान के लिये विचार-विमर्शार्थ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे।

सबसे पहले केवल कम लागत की भवन निर्माण सामग्री के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान के सहयोग पर विचार करने की व्यवस्था है।

वक्फों का प्रशासन

9124. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वक्फों के प्रशासन में आमूल-चूल परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) राज्य सभा में दिये गये एक आश्वासन के अनुसरण में वक्फ सम्पत्तियों के प्रशासन के सभी पहलुओं की जांच करने तथा ऐसी सम्पत्तियों का उचित देखरेख, प्रबन्ध तथा नियन्त्रण के लिये उपाय सुझाने के लिए दिसम्बर, 1970 में वक्फ जांच समिति नाम की एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। समिति ने सभी स्तरों पर वक्फों के बेहतर प्रशासन के लिये बहुत-सी सिफारिशें की हैं। उक्त सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

चम्बल पुल का निर्धारित अवधि से पहले ही टूट जाना

9125. **श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री 29 नवम्बर, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1424 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्तम्भ संख्या 17 में प्रयोग किये गये मामले की रासायनिक जांच और विश्लेष किस स्तर पर किया गया और क्या ऐसा श्री उपाध्याय द्वारा सीमेंट की चोरी किये जाने की शिकायत पर किया गया था अथवा स्तम्भ के टूटने के बाद किया गया था;

(ख) नमूना किस तारीख को लिया गया था और रिपोर्ट कब प्राप्त हुई;

(ग) किस एजेंसी ने परीक्षण किया था और रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत की जाये;

(घ) निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा पुल के निर्धारित अवधि से पूर्व ही टूट जाने के बारे में की गई जांच के क्या परिणाम निकले जैसा कि उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर में बताया गया है;

(ङ) क्या 19 वर्ष बीत जाने के बाद भी श्री उपाध्याय अभी भी निलम्बित हैं; और

(च) यदि हां, तो वह कब तक निलम्बित रहेंगे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) स्तम्भ नं० 17 में प्रयुक्त मसाले की अप्रैल, 1959 में अर्थात श्री उपाध्याय की शिकायत प्राप्त होने के तुरन्त बाद, रासायनिक जांच की गई थी।

(ख) मुख्य तकनीकी निरीक्षक द्वारा 10 और 11 मार्च, 1959 को स्थल की जांच के दौरान नमूने लिए गए थे। रसायनिक विश्लेषण की रिपोर्ट मुख्य तकनीकी निरीक्षक को 23 मई, 1959 को प्राप्त हुई थी।

(ग) जांच सरकारी टेस्ट हाऊस अलीपुर, कलकत्ता द्वारा की गई थी। रिपोर्टों की प्रतिलिपियां संलग्न हैं (अनुलग्नक 'क')।

(घ) इस पुल के असामयिक गिर जाने का उत्तरदायित्व का निर्धारण के प्रश्न पर विचार किया गया है और यह पाया गया कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के किसी अधिकारी पर उत्तरदायित्व नहीं डाला जा सकता।

(ङ) तथा (च) श्री उपाध्याय अभी भी निलम्बित हैं। तथापि क्योंकि वह काफी देर से निलम्बित हैं यह निर्णय लिया गया है कि उनके विरुद्ध निलम्बित विभागीय कार्यवाही के प्रति कोई पूर्व धारणा बनाये बगैर उनके निलम्बन के आदेश वापस लिये जाएं। क्योंकि मामला न्यायधीन है सरकार द्वारा मार्च, 1978 में उपयुक्त न्यायालय में एक आवेदन पत्र दिया है जिसमें यह कहा गया है कि क्योंकि मुकदमे को काफी समय लग गया है, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उनके विरुद्ध निलंबन आदेश और दो निलंबित विभागीय कर्रवाईयों की वैधता के प्रति, प्रतिवादी द्वारा लिये गये प्रतिवाद के बारे में कोई धारणा बनाये बगैर निलंबन के आदेश को वापस लिया जाये। न्यायालय के आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4388/79]

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार

9126. **श्री दयाराम शाक्य :**
डा० महादीपक सिंह शाक्य } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के अधीन केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के कुछ कर्मचारियों की जनवरी, 1979 में मृत्यु हुई और उनकी पत्नियों की भी मृत्यु हो गई परन्तु कार्यालय द्वारा न तो उनके सबसे बड़े पुत्र को रोजगार पर लगाया गया और न उनकी परिवार पेंशन ही मन्जूर की गई; और

(ख) क्या सरकार मामले की उचित रूप से जांच करेगी और मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार प्रदान करेगी तथा उनको पेंशन मन्जूर करेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के एक कर्मचारी की मृत्यु जनवरी, 1979 में हुई थी, जिसकी पत्नी की मृत्यु उससे पहले हो चुकी थी। वे अपने पीछे चार नाबालिग लड़कियां छोड़ गए हैं। मृतक कर्मचारी द्वारा कोई वैध नामजदगी न छोड़ जाने के कारण उसके कानूनी वारिसों से उपदान तथा परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिये आवश्यक शपथपत्र सहित आवेदन पत्र देने का अनुरोध किया गया था। ये दस्तावेज अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

मृतक की बड़ी लड़की से नौकरी के लिये 28 मार्च, 1979 को आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था और इस सम्बन्ध में क्या कर सकना सम्भव है इसका पता लगाया जा रहा है।

ग्राम नांगलराय, नयी दिल्ली में भूमि का अधिग्रहण समाप्त किया जाना

9127. **श्री बालक राम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम नांगल राय, नई दिल्ली में 9.83 एकड़ भूमि का दिल्ली के कलक्टर द्वारा अधिग्रहण समाप्त कर दिया गया था तथा उसका विधिवत कब्जा 20 जनवरी, 1975 को इसके मालिकों को दे दिया गया था;

(ख) क्या निर्धन भूमि मालिकों को सरकार द्वारा तीन दशाब्दियों से अधिक समय तक उनकी भूमि का प्रयोग किए जाने के एवज में नकदी अथवा वस्तु के रूप में कुछ नहीं दिया गया था; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त भूमि का अधिग्रहण समाप्त करने के शीघ्र बाद पालम सर्किल, नई दिल्ली के कलक्टर ने कार्यवाही करके जुलाई, 1977 में उक्त भूमि में से 35 बीघा 14 बिस्वास, जमीन पंचाट सं० 8/1977-78 द्वारा अधिगृहीत कर ली थी, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह भूमि दिल्ली मास्टर प्लान के जोनल प्लान में हरित पट्टी दिखाई गई थी और अधिग्रहण करने के पश्चात् इसको आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि में बदल दिया गया था/घोषित कर दिया गया था, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 11 जून, 1943 को 9.83 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था जिसमें से 1.69 एकड़ भूमि को 17.10 72 को अधिग्रहण में तथा शेष भूमि को 20-1-75 को अधिग्रहण से मुक्त किया गया था।

(ख) मालिकों को 105.80 रुपये प्रति वर्ष की दर से 10-6-46 तक का किराया दिया गया है। उसी दर पर शेष राशि की पेशकश की गई थी परन्तु मालिकों ने उसे स्वीकार नहीं किया।

(ग) 35 बीघे 14 बिस्वे भूमि को 16-7-77 को अर्जित किया गया था क्योंकि उस भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात दिल्ली के आयोजित विकास के लिए आवश्यकता थी। भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 और 6 के अन्तर्गत क्रमशः 13-11-59 तथा 6-1-69 को अधिसूचनाएं जारी की गई थीं।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली की वृहत योजना के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि प्रयोग आंशिक रूप से "हरा" तथा आंशिक रूप से "औद्योगिक" है तथा इसको अभी तक बदला नहीं गया है।

दिल्ली नगर निगम द्वारा गृह कर वसूल किया जाना

9128. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि दिल्ली नगर निगम उन मकान मालिकों से भी गृह कर वसूल कर रहा है जो अपने मकानों में पिछले चार पांच वर्षों से स्वयं रह रहे हैं और अपने मकानों की मरम्मत तक नहीं करा सकते हैं क्योंकि उन्हें अपने मकानों से कोई आय नहीं होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली नगर निगम को यह निदेश देने का है कि वह अपने मकानों में स्वयं रहने वाले मकान मालिकों को, विशेषकर अपने मकान में स्वयं रहने वाले ऐसे मकान मालिकों को जिनके मकान दिल्ली में 20 वर्ष से अधिक समय पूर्व बने थे, गृह कर देने से छूट दें; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के उपबन्धों के अनुसार दिल्ली नगर निगम सम्पत्ति-कर लगाता है और इस अधिनियम में इस प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित सम्पत्तियों के मामले में छूट देने की व्यवस्था नहीं है। तथापि, जिन सम्पत्तियों का कर योग्य मूल्य 100 रुपये से अधिक नहीं होता उन्हें इस कर के लगाये जाने में छूट दी जाती है।

सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण समिति द्वारा बड़ी तथा मध्य स्तरीय सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर विचार

9129. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण सलाहकार समिति ने वर्ष 1978-79 में जिन 53 बड़ी और मध्यस्तरीय सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर विचार किया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी परियोजनायें आगामी योजना अवधि में सम्मिलित की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिये कुल नियतन कितना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण तथा बहुद्देश्यीय परियोजना सलाहकार समिति द्वारा 1978-79 में 45 वृहद तथा मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर विचार किया गया। इन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) और (ग) 1978—83 को पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण तथा बहुद्देश्यीय परियोजना सलाहकार समिति द्वारा 1978-79 में जिन बृहद तथा मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर विचार किया गया उनका ब्यौरा

क्रम सं०	परियोजना का नाम	राज्य	अनुमानित लागत
1	2	3	4
I.	**बृहद सिंचाई स्कीमें**		
1.	बागसागर	मध्य प्रदेश	9131.00
2.	नई ओखला बराज	उत्तर प्रदेश	2537.00
3.	अर्पा	मध्य प्रदेश	3213.00
4.	माही बजाज सागर	गुजरात, यूनिट-I	6733.25
		राजस्थान-यूनिट-II	3581.50
II.	**मध्यम सिंचाई स्कीमें**		
5.	पाहुमारा	असम	500.00
6.	रुपाही	असम	183.48
7.	बिलासी जलाशय	बिहार	146.38
8.	मित्ती	गुजरात	188.44
9.	वेन्युना-II	गुजरात	324.77
10.	फोपाल का संशोधित अनुमान	गुजरात	310.00
11.	मसकिनाला	कर्नाटक	314.00
12.	अपर मुल्लामारी	कर्नाटक	328.00
13.	खमहार पाकुट	मध्य प्रदेश	160.00
14.	चोंघा जलाशय	मध्य प्रदेश	215.74
15.	मेहगांव टोला टैंक	मध्य प्रदेश	138.09
16.	वाडीवाले	महाराष्ट्र	330.11
17.	कालामाटी टोला टैंक	महाराष्ट्र	124.44
18.	मोर्ना	महाराष्ट्र	221 56
19.	कंभारी	उड़ीसा	744 81
20.	सुक्ला का दूसरा पुनरीक्षित प्राक्कलन	आसाम	490.00
21.	आइगे फे	जम्मू और कश्मीर	595.00
22.	त्राल लिफ्ट	जम्मू और कश्मीर	612.84
23.	[illegible]पुरा लिफ्ट	जम्मू और कश्मीर	213.00

1	2	3	4
24.	लोअर मुल्ला मारी	कर्नाटक	836.60
25.	सकल्दा टैंक	मध्य प्रदेश	166.53
26.	बिला का पुनरीक्षित प्राक्कलन	मध्य प्रदेश	311.11
27.	दुधावा टैंक का पुनरीक्षित प्राक्कलन	मध्य प्रदेश	430.77
28.	मतियारी टैंक	मध्य प्रदेश	489.37
29.	खुमारी नाला	महाराष्ट्र	81.17
30.	हरावंगी	उड़ीसा	909.94
31.	गुम्ती	त्रिपुरा	588.00
32.	दुधी नदी	मध्य प्रदेश	285.59
33.	चोरल नदी	मध्य प्रदेश	396.76
34.	चिकुतरा	महाराष्ट्र	428.49
35.	कालू	महाराष्ट्र	276.26
36.	कसारी	महाराष्ट्र	615.18
37.	कडवी	महाराष्ट्र	347.30
38.	मदु वलासा जलाशय	आन्ध्र प्रदेश	845.87
III.	**बाढ़ नियन्त्रण परियोजना**		
39.	मोकेमश तल ड्रेनेज चरण-II	बिहार	292.75
40.	नारायण पुर प्रोडक्शन	बिहार	269.82
41.	घंसा से भारत नगर पुल तक नजफगढ़ नाले का पुनर्निमाण	दिल्ली	1877.00
42.	जमुना बेसिनड्रेनेज	पश्चिम बंगाल	538.00
43.	हलबाना डाइवर्सन	उत्तर प्रदेश	1515.00
44.	नया ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिए ड्रेनेज तथा बाढ़ योजना	उत्तर प्रदेश	1004.00
45.	कोसी बाढ़ तटों तथा उठान बांधों का संरक्षण कार्य	बिहार	305.15

गोदाम बनाने हेतु ऋण पाने के लिये भारतीय खाद्य निगम द्वारा सहायता पा रही पार्टियां/संगठन

9130. **श्री श्याम सुन्दर लाल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गारण्टी योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम कुछ पार्टियों

तथा संगठनों को गोदाम बनाने हेतु बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में सहायता दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी पार्टियां/संगठन कितने हैं तथा किन-किन राज्यों में हैं;

(ग) उन्होंने कितनी राशि की वित्तीय सहायता मांगी है और उनके लिये इसे प्राप्त करने में भारतीय खाद्य निगम की भूमिका क्या है; और

(घ) क्या मानसून शुरू होने से पूर्व गोदामों में अपेक्षित क्षमता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) असम, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उत्तर-पूर्वी सीमा क्षेत्र, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कुल 541 पार्टियां हैं।

(ग) वित्तीय सहायता की मांगी गई राशि 5000 मीटरी टन क्षमता के गोदाम के एक यूनिट पर आधारित है जोकि अनुमानतः 8 करोड़ रुपये होगी। पार्टियों द्वारा निर्माण की कुल लागत का 75 प्रतिशत ऋण के रूप में लिया जा सकता है। निरीक्षण और बातचीत करने के बाद क्षमता का निर्माण कराने के लिये सहमत होने वाली पार्टी और भारतीय खाद्य निगम के बीच करार पर हस्ताक्षर होते हैं। इस करार के आधार पर पार्टी बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकती है। ऋण पर ब्याज की रियायती दर होती है जैसाकि कृषि पुनर्वित उपलब्ध है।

(घ) अधिकांश ठेकाबद्ध क्षमता के मानसून के शुरू होने से पहले सौंपे जाने की संभावना है। तथापि, कुछ पार्टियां समय पर अपना निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पायेंगी।

सिंचाई परियोजनाओं को घाटा

9131. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को कितना-कितना घाटा हुआ है; और

(ख) इस घाटे के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक सिंचाई कार्यों और बहुद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं से 1976-77 में 244.24 करोड़ रुपये का घाटा होने की सूचना मिली है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 1977-78 और 1978-79 के दौरान विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं से हुए घाटे का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। जल-शुल्क दरें राज्यों द्वारा निर्धारित की जाती हैं और उन्हीं के द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है और लेखे रखे जाते हैं।

(ख) इस समय राज्यों द्वारा ली जाने वाली जल-दरें कम हैं और कार्यचालन व्यय और ब्याज प्रभारों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

विवरण

1976-77 में वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक सिंचाई कार्यों और बहुद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं में हुए घाटे का राज्यवार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	1976-77 में सिंचाई कार्यों में हुआ घाटा		
		वाणिज्यिक सिंचाई	गैर-वाणिज्यिक सिंचाई	जोड़
1.	आन्ध्र प्रदेश	31.47	—	31.47
2.	असम	—	0.28	0.28
3.	बिहार	10.25	—	10.25
4.	गुजरात	22.01	—	22.01
5.	हरियाणा	14.33	0.46	14.79
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
7.	जम्मू और कश्मीर	0.90	0 42	1·32
8.	कर्नाटक	19.08	0.92	20.00
9.	केरल	3.30	—	3.30
10.	मध्य प्रदेश	15.98	—	15.98
11.	महाराष्ट्र	22.76	—	22.76
12.	मणिपुर	—	—	—
13.	मेघालय	—	—	—
14.	नागालैंड	—		—
15.	उड़ीसा	6.10	3.15	8.25
16.	पंजाब	7.55	—	7.55
17.	राजस्थान	15.49	2.98	18.47
18.	सिक्किम	—	—	उपलब्ध नहीं
19.	तमिलनाडु	8.83	1.78	10.31
20.	त्रिपुरा	—	0.22	0.22
21.	उत्तर प्रदेश	40.36	0.0*	40.34
22.	पश्चिम बंगाल	16.64	—	16.64
	कुल राज्य	235.05	9.19	244.24

* लाभ का द्योतक है ।

श्री नाकरा सेवा सहकारी मंडली लि०, के लिए टेलीफोन कनेक्शन

9133. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के सौराष्ट्र प्रदेश में जिला जूनागढ़ के माणवदर तालुका की श्री नाकरा सेवा सहकारी मंडली लिमिटेड, नाकरा ने अक्तूबर, 1978 में अहमदाबाद और जूनागढ़ में टेलीफोन प्राधिकारियों को टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए एक संक्षिप्त ज्ञापन भेजा था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस सहकारी समिति ने इस प्रयोजन के लिए 800/-रु० तथा 1200/-रु० (कुल 2000/-रु०) जमा किए हैं और यदि हां, तो कब और कहां पर तथा कितनी धनराशि जमा की गई;

(ग) इस समिति को अब तक किस कारण से टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिया गया है; और

(घ) इस समिति को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां। समिति ने नाकरा गांव में नया टेलीफोन लगाने के लिए निवेदन किया है।

(ख) जी हां। ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) तारीख 31/3/79 को टेलीफोन लगा दिया गया है।

विवरण

जिला जूनागढ़ के माणावदर तालुका के श्री नकारा सेवा सहकारी मंडली लिमिटेड, नकारा द्वारा किए गए भगतान का ब्यौरा

क्रम सं०	जमा करने को तारीख	जमा की गई राशि	कार्यालय जहां रकम जमा की गई है
1.	30-6-1977	1200/-रु०	जूनागढ़ मंडल कर्यालय
2.	10-12-1977	800/-रु०	माणवदर डाकघर
3.	17-3-1979	525/-रु०	माणवदर डाकघर

राणावाव स्थित उप डाकघर के अधीन राणा खिरसारा का शाखा डाकघर

9134 **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ जिले में राणावाव तालुका के राण खिरसरा ग्राम पंचायत ने 27 फरवरी, 1979 को गुजराती भाषा में लिखा हुआ एक अभ्यावेदन महानिदेशक, डाक तथा तार, नई दिल्ली, महाडाकपाल, अहमदाबाद, वरिष्ठ अधीक्षक, डाकघर, जूनागढ़ को भेजा था जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि राणा खिरसारा के शाखा डाकघर को राणा कन्डेर्ना के बजाय राणावाव स्थित उप डाकघर के अधीन लाया जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह मांग इस बीच पूरी कर दी गई है और यदि हां, तो कब और कैसे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदन की विषय वस्तु वही है जैसा कि प्रश्न के भाग (क) में दी गई है। राणा खिरसरा ग्राम के सरपंच ने यह निवेदन किया था कि राणा खिरसारा शाखा डाकघर को राणावाव के अधीन लाया जाये जहां से इस डाकघर को हटाकर कन्डेर्ना के अधीन रखा गया था।

(ग) इस शाखा डाकघर को राणावाव के क्षेत्र के अधीन वापिस लाया गया और इसकी बाबत पोस्टमास्टर जनरल ने 28-11-78 को सरपंच को उत्तर दे दिया था।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में संवर्गों की पुनर्व्यवस्था

9135. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में संवर्गों की पुनर्व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और मार्ग-दर्शी सिद्धान्त क्या हैं और उसके क्रियान्वयन की अन्तिम तिथि क्या है;

(ख) क्या सरकार ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में केवल स्नातक जूनियर इंजीनियरों का योजना भत्ता बढ़ाया है, डिप्लोमाधारी जूनियर इंजीनियरी का नहीं यद्यपि वे एक ही काम करते हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह केवल ढांचे सम्बन्धी डिजाइन तैयार करने के काम के लिये है; यदि हां तो क्या यह सच है कि सभी स्नातक जूनियर इंजीनियर जो इस तथ्य के बावजूद योजना के लिए नियुक्त किये गये हैं, चाहे वे डिजाइन का काम करते हैं या नहीं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में बढ़ा हुआ योजना भत्ता प्राप्त कर रहे हैं; यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्नातक जूनियर इंजीनियरों व डिप्लोमाधारी जूनियर इंजीनियरों के बीच योजना भत्तें में अन्तर रखे जाने के क्या कारण हैं;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने कार्मिक तथा प्रशासन सुधार विभाग द्वारा जारी किये मार्ग-निर्देशनों के आधार पर इंजीनियरी सेवा संवर्गों के पुनरीक्षण के लिए प्रस्ताव भेजा है। इस पुनरीक्षण को पूरा करने के लिये कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) जी हां, केवल आयोजना एकक में कार्य करने वाले स्नातक जूनियर इंजीनियरों का योजना भत्ता बढ़ाया गया है क्योंकि आयोजना एकक में कार्य करने वाले स्नातक जूनियर इंजीनियर तथा डिप्लोमाधारी जूनियर इंजीनियर एक ही प्रकार का कार्य नहीं करते हैं।

(ग) आयोजना एकक में काम करने वाले सभी स्नातक जूनियर इंजीनियरों का आयोजना भत्ता बढ़ा दिया गया है।

(घ) कार्य के स्वरूप के कारण यह भेद है।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में उपग्रह संचार व्यवस्था

9136. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संचार व्यवस्था में निरंतर बाधाओं को देखते हुए क्या भारत सरकार अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह संघ क्षेत्र में उपग्रह संचार व्यवस्था स्थापित करने का विचार कर रही है; यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) उक्त क्षेत्र की स्थिति के सामरिक महत्व को देखते हुए, क्या सरकार संचार व्यवस्था बनाये रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहती है; यदि हां, तो उक्त व्यवस्था किस तारीख तक स्थापित कर देने का लक्ष्य है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूहों के दूरवर्ती क्षेत्रों में विश्वसनीय संचार व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से, इन्टेलसेट उपग्रह संगठन से एक प्रेषग्राही (ट्रांसपोंडर) का क्वार्टर पट्टे पर लेकर उन्हें उपग्रह संचार के माध्यम से दिल्ली और मद्रास के साथ जोडने की योजना बनाई गई है ।

(ख) यह संभावना है कि यह योजना अगस्त, 1979 में चालू हो जाएगी ।

केन्दीय लोक निर्माण विभाग में असिस्टेंट इन्जीनियर सिविल एण्ड इलैक्ट्रिकल्स की पदोन्नतियां

9137. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वर्ष 1974 से लेकर 5 फरवरी, 1977 तक सेवा निवृत्ति, मृत्यु विभाग के विस्तार आदि के परिणामस्वरूप, अलग-अलग, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एण्ड इलैक्ट्रिकल के कितने पद वर्षवार खाली हुए;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित स्थिति के हिसाब से 5 फरवरी, 1977 से 31 मार्च, 1979 तक कितने रिक्त स्थान हुए हैं और 1-4-1979 से 31-3-1980 तक कितने रिक्त स्थान होने की सम्भावना है;

(ग) वर्ष 1976 से 1979 तक, प्रत्येक वर्ष में, नियमित पदोन्नति या तदर्थ पदोन्नति के आधार पर असिस्टेन्ट इंजीनियर सिविल एण्ड इलैक्ट्रिकल के कितने रिक्त स्थान भरे गये और कितने स्थान नहीं भरे गये;

(घ) क्या वर्ष 1974 से 1977 तक की अवधि में असिस्टेंट इंजीनियरों की पदोन्नति के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भारत सरकार द्वारा निर्धारित तदर्थ पदोन्नति के नियमों और प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया गया था यदि हां, तो ऐसे नियमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) तथा (ङ) तदर्थ पदोन्नतियों के लिये कोई नियम निर्धारित नहीं किये गये हैं। पदोन्नतियों के लिये योग्यता एवं वरिष्ठता का मानदण्ड अपनाया गया था।

विवरण

अवधि	रिक्तियों की संख्या		भरी गई रिक्तियों की संख्या			
	सहायक इंजीनियर (सिविल)	सहायक इंजीनियर (विद्युत)	स्थायी आधार पर		तदर्थ आधार पर	
			सिविल	बिजली	सिविल	बिजली
(1) 1-1-74 से 31-12-74	—	13	—	—	—	13
(2) 1-1-75 से 31-12-75	100	12	—	—	100	12
(3) 1-1-76 से 5-2-77	92	39	—	—	92	39
(4) 6-2-77 से 31-12-77	102	30	—	—	102	30
(5) 1-1-78 से 31-3-79	172	45	172	45	—	—
(6) 1-4-79 से 31-3-80 (प्रत्याशित)	104	30	—	—	—	—

उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करने हेतु चुने गये जिले

9138. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1979-80 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करने के लिए किन जिलों और अन्य स्थानों को चुना गया है;

(ख) इस उद्देश्य के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है और यदि राज्य सरकार का इसमें कोई योगदान है तो वह कितना है; और

(ग) किन एजेंसियों के माध्यम से यह शिक्षा दी जायेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और ऐसा निर्धारण ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता

परियोजनाओं की केन्द्र प्रायोजित योजना के लिये भी राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है। इन परियोजनाओं के लिए वर्ष 1979-80 के प्रस्ताव राज्य सरकार से प्रतीक्षित हैं।

(ख) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए धनराशि, केन्द्र प्रायोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों के आधार पर संस्वीकृत की जाती है वर्ष 1979-80 के लिए अब तक उत्तर प्रदेश के लिए कोई संस्वीकृति नहीं दी गई है। राज्यों के लिये केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए अपने हिस्से की निधियां जुटाना आवश्यक नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए राज्य अपने-अपने बजटों में अलग से प्रावधान कर रहे हैं।

(ग) एजेंसियां जिन्हें इस कार्यक्रम का कार्यान्वियन सौंपा गया है वे हैं—राज्य सरकारें, स्वैच्छिक संगठन, नेहरू युवक केन्द्र विश्वविद्यालय और कालेज आदि।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में डाक लेखन-सामग्री की कमी

9139. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में डाक लेखन-सामग्री की कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण है और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं; और

(ग) उन क्षेत्रों के लोगों को इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां, । कुछ समय से अल्मोड़ा और नैनीताल में लिफाफों की कम सप्लाई थी।

(ख) यह भारत प्रतिभूति प्रेस, नासिक रोड़ द्वारा इस मद की अपर्याप्त सप्लाई के कारण है।

(ग) अपर्याप्त सप्लाई को ठीक करने के लिये पास के डाकघरों से सप्लाई की गई है और भारत प्रतिभूति प्रेस नासिक के साथ इस मद के उत्पादन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए मामला उठाया गया है।

झालावाड़ डाकघर के लिए धनराशि

9140. **श्री चतुर्भुज** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झालावाड़ डाकघर भवन के लिए सरकार ने कितनी धनराशि मंजूर की है; और

(ख) भवन का निर्माण करने के लिए उक्त धनराशि का कब तक उपयोग किये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) झालावाड़ डाकघर भवन के लिये 8 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

(ख) भवन निर्माण के लिए उक्त धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किये जाने की सम्भावना है।

दसवीं और बारहवीं श्रेणी के परीक्षार्थियों के लिए उत्तीर्णांकों का कम किया जाना

9141 : **श्री चतुर्भुज** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधीन दसवीं और बारहवीं श्रेणी की परीक्षाओं के अनेक केन्द्रों में योग्य परिवीक्षकों द्वारा प्रभावी परिवीक्षा की कमी, अव्यवस्था और अनुचित साधनों के प्रयोग और अध्यापकों की हड़ताल को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उत्तीर्णांकों की प्रतिशतता कम करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार शिक्षकों द्वारा की गई हड़ताल के बावजूद दिल्ली प्रशासन ने अपने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को लगाकर निरीक्षण सम्बन्धी कारगर प्रबन्ध किये थे। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में तथाकथित बड़े पैमाने पर नकल रिपोर्टें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। बोर्ड द्वारा इन रिपोर्टों की जांच की गई थी और यह पाया गया था कि बड़े पैमाने पर कोई नकल नहीं हुई है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अपेक्षित अंकों की प्रतिशतता में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डाक तथा तार बोर्ड द्वारा निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित किया जाना

9142. **श्री चतुर्भुज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार बोर्ड ने गत वर्ष 12 और 15 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए 'डाकिया—मेरा सर्वोत्तम मित्र' (पोस्टमैन—माई बेस्ट फ्रेंड) विषय पर एक निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की थी;

(ख) प्रतियोगिता के लिए प्रत्येक भाषा में कितनी प्रविष्टियां निबन्ध प्राप्त हुई थी;

(ग) स्विट्जरलैंड पोस्टल यूनियन को कितने निबन्ध भेजे गये थे तथा उन बच्चों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या निबन्धों की पावती स्वीकार नहीं की गई; और

(ङ) क्या जजों के नाम, सफल प्रत्याशियों के नाम और प्रतिस्पर्द्धा के परिणाम समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किए गए और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख)

असमिया	25
बंगला	35
अंग्रेजी	351
गुजराती	23
हिन्दी	320
कन्नड़	18

मलयालम	100
मराठी	38
उड़िया	39
पजाबी	07
संस्कृत	01
सिंधी	00
तमिल	76
तेलगू	33
उर्दू	18
कुल	1084

(ग) एक : श्री पार्थ प्रतिम सैकिया,

छात्र, कक्षा—III,
राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
शिवसागर,

आसाम—785640 की प्रविष्टि निबन्ध को सर्वोत्तम निर्णित किया गया ।

(घ) निबन्धों की पावती व्यक्तिगत रूप से स्वीकार नहीं की गई थीं ।

(ङ) जजों के नाम की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की गई थी । किन्तु सफल प्रत्याशियों को अलग-अलग सूचित कर दिया गया था ।

धार जिले में मरम्मत कार्य

9143. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री गुप्तकालीन मन्दिरों के रख-रखाव के बारे में 27 नवम्बर, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1110 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के उच्च अधिकारियों ने धार जिले में 1975 से 1978 तक की अवधि के दौरान किये गये मरम्मत कार्य का स्थल पर जाकर निरीक्षण किया है और यदि हां, तो नियमों के अनुसार कितने प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण किया गया और क्या उन पर हुए व्यय को ध्यान में रखते हुए, यह कार्य ठीक पाया गया; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन कार्यों का उचित निरीक्षण करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) जी हां । उच्च अधिकारियों ने धार जिले के स्मारकों का समय-समय पर निरीक्षण किया है । निदेशक (संरक्षण) ने धार जिले में माण्डु और बाघ के स्मारकों का निरीक्षण किया । उनके निरीक्षण के दौरान कुछ दोषपूर्ण निर्माण-कार्य पाये गये जिनका परिशोधन कर दिया गया है ।

सहायक अधीक्षण पुरातत्व अभियन्ता ने 1977-78 के दौरान मांडु में किये गये निर्माण कार्यों की जांच की और उन्हें सन्तोषजनक पाया।

वर्ष 1979-80 में मध्य प्रदेश में निर्मित की जाने वाली सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता

9144. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 में मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सहायता से निर्मित की जाने वाली सिंचाई परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी योजनाओं को, जिनके लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, स्वीकार कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो कहां-कहां स्थित हैं और परियोजनाओं की कुल लागत क्या है और उनमें केन्द्रीय सरकार का क्या अंशदान है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) सिंचाई एक राज्य-विषय है तथा सिंचाई परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा वित्त-पोषित की जाती हैं। केन्द्रीय सहायता राज्यों को ब्लाक ऋणों/अनुदानों के रूप में समग्र रूप में दी जाती है और वह विकास के किसी विशिष्ट सेक्टर या स्कीम से सम्बन्धित नहीं होती।

विशेष मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सूखा-प्रवण कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटन किए जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1979-80 के दौरान हाथ में ली जाने वाली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा नहीं भेजा है।

ओखला स्थित वाटर वर्क्स द्वारा दिल्ली की कालोनियों को जल पूर्ति बन्द किया जाना

9146. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण दिल्ली की कालोनियों को जल पूर्ति कर रहे ओखला वाटर वर्क्स को बन्द करने के लिए सरकार ने दिल्ली नगर निगम से कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त वाटर वर्क्स बन्द होने से इन कालोनियों में जल पूर्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो ओखला वाटर वर्क्स द्वारा जल पूर्ति प्राप्त करने वाली कालोनियों को पर्याप्त मात्रा में जल पूर्ति करने के लिये क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) के (घ) ओखला वाटर वर्क्स में भरे गये कच्चे पानी के असामान्य मात्रा से ज्यादा दूषित पाया गया है

यद्यपि ओखला वाटर वर्क्स द्वारा जल प्राप्त करने वाले क्षेत्रों को वास्तविक पूर्ति से पहले जल को सुरक्षित बनाया जाता है। सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित था तथा इस वर्ष मार्च में सरकार ने दिल्ली नगर निगम को ओखला वाटर वर्क्स को बन्द करने के लिए कदम उठाने का और इसके द्वारा जल प्राप्त करने वाले क्षेत्रों को पेय जल की पूर्ति का प्रबन्ध अन्य स्रोतों से करने के लिये निदेश दिया है। ओखला वाटर वर्क्स को बन्द करने की रूपात्मकता और समय-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्माण और आवास मंत्रालय में भी एक समिति स्थापित की गई है।

इस प्रकार, इसके द्वारा फिलहाल जल प्राप्त करने वाले क्षेत्रों को पेय जल पूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद ही ओखला वाटर वर्क्स बन्द किया जायेगा।

यमुनापार क्षेत्र में कालोनियों को नियमित करार देना

9147. **श्री महीलाल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जनवरी, 1979 के "नवभारत टाइम्स" में "शाहदरा की अनधिकृत कालोनियों" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और क्या यमुनापार क्षेत्र की अनधिकृत कालोनियों का सर्वेक्षण करने और उनको नियमित करने का काम दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपा गया था;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस दिशा में अब तक कोई प्रगति की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने नगर निगम के योजना विभाग द्वारा शाहदरा की अनधिकृत कालोनियों का सर्वेक्षण किये जाने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव सरकार/दिल्ली प्रशासन को प्राप्त हो गया है और यदि हां, तो सरकार/दिल्ली प्रशासन की उस पर क्या प्रतिक्रिया हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) यमुनापार क्षेत्र की अनधिकृत कालोनियों का सर्वेक्षण करने और उनको नियमित करने का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यमुनापार क्षेत्र का अधिकांश अनधिकृत कालोनियों का वास्तविक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और इस क्षेत्र की 50 कालोनियों का ले-आउट प्लान तैयार करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

(ग) तथा (घ) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उनकी स्थायी समिति ने, शाहदरा क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय समिति, क्षेत्र का एक संकल्प दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को दिनांक 25-1-1979 के संकल्प सं० 935 के अन्तर्गत भेजा था यह उल्लेख किया गया है कि "दिल्ली नगर निगम के नगर आयोजना विभाग के माध्यम से यमुनापार क्षेत्र की सभी अनधिकृत कालोनियों का सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा करवाया जाए और उनके नियमितीकरण के प्रस्तावों को स्थायी समिति के सामने तत्काल प्रस्तुत किया जाए" दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को यह भी कहा कि वे इस मामले को दिल्ली प्रशासन के साथ उठाएं। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त द्वारा

स्थायी समिति को इस मंत्रालय के इस निर्णय की जानकारी दी गई कि यमुनापार क्षेत्र की आयोजना दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की जानी है। आयुक्त द्वारा दिनांक 12-4-1979 के संकल्प सं० 1385 के अन्तर्गत भेजी गई सूचना को स्थायी समिति द्वारा नोट कर लिया गया।

रत्नागिरि, महाराष्ट्र में सार्वजनिक टेलीफान केन्द्र

9148. **श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में रत्नागिरि के उत्तरी डिवीजन में कितने उप डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधा उपलब्ध है और उसी डिवीजन में कितने उप-डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि जहां पर उप-डाकघर है वहां पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र न होने के कारण स्थानीय लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(ग) क्या इन उप-डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये सरकार को स्थानीय डाक घर से कोई अभ्यावेदन अथवा सिफारिश प्राप्त हुई है और सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) रत्नागिरि जिले में 51 उप-डाकघर ऐसे हैं जहां सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा मौजूद है और 23 उप-डाकघरों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) विभाग की ऐसी कोई नीति नहीं जिसके अन्तर्गत हर एक उप डाकघर में टेलीफोन सुविधा दी जाए। आमतौर पर जिन स्थानों पर योजना से लाभ होता है वहां टेलीफोन सुविधा दे दी जाती है। साथ ही घाटा उठाकर भी यह सुविधा कुछ श्रेणियों के स्थानों पर दे दी जाती है जिसके लिए उन स्थानों के प्रशासनिक महत्व, आबादी और सामान्य दूरसंचार प्रणाली से उन स्थानों की दूरी को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार नीति के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी स्थानों पर टेलीफोन सुविधा देने की कार्यवाही की जा रही है।

महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में डाकघरों में डाकलेखन सामग्री की कमी होना

9149. **श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले के उत्तरी डिवीजन में लगभग सभी डाकघरों में डाक टिकटों, डाक फार्मों और डाक लेखन सामग्री की भारी कमी है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र के उत्तरी रत्नागिरि जिले के डाकघरों के कर्मचारियों को हस्तलिखित रूप में विभिन्न लम्बे-बम्बे कार्यों को तैयार करने में बहुत काम करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) रत्नागिरि जिले के कुछ डाकघरों में डाक सामग्री विशेषत: अन्तर्देशीय पत्रों की कुछ कमी है तथा उस कमी को पूरा करने के लिए स्थानीय प्रिंटिंग प्रेस का सहारा लिया गया है। डाकघरों में प्रयोग होने वाली अपेक्षित लेखन सामग्री तथा प्रपत्रों की कमी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाराष्ट्र के गुहागार तालुका के गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

9150. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में रत्नागिरि जिले में गुहागार तालुका में कितने गांव ऐसे हैं जहां पर उप-डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र सुविधाएं उपलब्ध हैं और उसी तालुका में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जहां इनमें से कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) गुहागार तालुका का कुल क्षेत्र कितना है और कितने क्षेत्र में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) क्या सरकार महसूस करती है कि इस तालुके में उप डाकघर व सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधाएं बिलकुल अपर्याप्त हैं और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) रत्नागिरि जिले में गुहागार तालुका में तीन गांव ऐसे हैं जहां उप-डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र सुविधाएं उपलब्ध हैं और ऐसे 75 गांव हैं जहां इनमें से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

(ख) कुल क्षेत्र 627 वर्ग किलोमीटर है । 240 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

(ग) ये सुविधाएं अपर्याप्त हैं । यह क्षेत्र रियायती शर्तों पर शाखा डाकघर खोलने के प्रयोजन के जिए पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार और अधिक स्थानों पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रस्तावों की जांच की जा रही है । और अधिक विभागेतर शाखा डाकघरों को विभागेतर उप-डाकघर या विभागीय उप-डाकघर बनाने के बारे में भी विचार किया जा रहा है ।

सरकारी मकानों का पारी बाहर आबंटन

9151. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सरकारी मकानों का पारी बाहर आबंटन किन आधारों पर किया जा रहा है;

(ख) मार्च 1977 से मार्च 1979 के बीच ऐसे कुल कितने कर्मचारियों को टाइप 'बी' और 'सी' के मकान पारी बाहर आबंटित किये गये;

(ग) प्रत्येक मंत्रालय में ऐसे कुल कितने कर्मचारियों को उपरोक्त (क) के अतिरिक्त अन्य आधार पर टाइप 'बी' और 'सी' के मकानों का पारी बाहर आबंटन किया गया है; और

(घ) उपरोक्त (ग) में उल्लिखित कर्मचारियों को पारी बाहर मकानों का आबंटन करने के कारणों का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) निम्नलिखित मामलों में तदर्थ आबंटन किया जाता है :

(i) बीमारी के कारण (ii) उन कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को जो अपनी मृत्यु के समय सामान्यपूल वास के दखल में थे ।

(iii) सामान्यपूल वास के लिए पात्र कार्यालयों में स्थानान्तरण हो जाने पर जिन अधिकारियों को उनके दखल के विभागीय पूलवास खाली करना होता है ।

(iv) मंत्रियों के वैयक्ति अमले (v) कठिनाई के विशिष्ट मामलों में अनुकम्पा के आधार पर (vi) सामान्य पूलवास के दखल के ऐसे कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को जिनको बीमारी के कारण अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त कर दिया गया हो । बीमारी के कारण सेवा के अयोग्य हो गये हों ।

(ख) 1139

(ग) तथा (घ) चूंकि तदर्थ आबंटन उपर्युक्त (क) में बतलाए गए आधारों पर किया जाता है इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता ।

गैर-अलाटियों के कब्जे में सरकारी आवास

9152. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये बने सरकारी आवास गैर-सरकारी कर्मचारियों को दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो सभी टाइप के क्वार्टरों में ऐसे कुल कितने क्वार्टर दिये गये हैं; और

(ग) गैर-सरकारी कर्मचारियों को यह आवास दिये जाने के कारणों का ब्यौरा क्या है;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) 185

इसमें प्रेस सम्वाददाताओं को आबंटित आवास सम्मिलित नहीं हैं ।

(ग) ऐसे सभी आबंटन प्रत्येक मामले के गुणों अवगुणों के आधार पर किये जाते हैं ।

गैर-अलाटियों द्वारा सरकारी क्वार्टर खाली किया जाना

9153. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पदा निदेशालय द्वारा टाइप 'ए', 'बी' और 'सी' के कुल कितने क्वार्टरों का आबंटन समाप्त किया गया है और जो अभी तक भूतपूर्व अलाटियों द्वारा खाली नहीं किये गये हैं;

(ख) वे इन क्वार्टरों को किन-किन आधारों पर रखे हुये है;

(ग) इन क्वार्टरों को खाली करवाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) खाली कराने का यह काम किस तारीख तक पूरा हो जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) टाइप 'ए' 'बी' तथा 'सी' में उन क्वार्टरों की संख्या 389 हैं जिनका आबंटन रद्द कर दिया गया है परन्तु खाली नहीं किये गये हैं ।

(ख) मंसूखी के पश्चात् क्वार्टर रखने की इजाजत सामान्यतया, बीमारी शैक्षिणक तथा अन्य अनुकम्पा के आधारों पर अधिक से अधिक छः माह की अवधि के लिए दी जाती है ।

(ग) तथा (घ) अनधिकृत दखलकारों से मकान खाली कराने के लिये लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम 1971 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है । चूंकि यह अर्ध नायिक प्रक्रिया है अतः क्वार्टरों को खाली करवाने के लिये कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में अधिकारियों का स्थायी किया जाना

9154. **श्री सूरज भान** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ कर्मचारियों ने सुपरिटेंडेंठ और असिसटेंट आफिसरों के पदों पर उनको स्थायी किये जाने के बारे में एक वर्ष पूर्व कोई अभ्यावेदन दिए थे;

(ख) क्या न तो उन्हें स्थायी ही किया गया है और न ही सम्बन्धित अधिकारियों को कोई अन्तरिम उत्तर ही दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस असाधारण विलम्ब के लिए उत्तरदायी कौन है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है और स्थायी करने के आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण अधीक्षक और सहायक अधिकारियों के पद के पात्र कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहा है । नवम्बर, 78 में अधीक्षक पद के पात्र अधिकारियों के स्थायीकरण का काम पूरा कर दिया गया था । सहायक अधिकारियों के मामले में कार्यवाही करने में भी कुछ प्रगति हुई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

समेकित ग्रामीण विकास के अन्तर्गत मेघालय में 'झुम' भूमि के प्रबन्ध की सुधरी हुई पद्धति

9155. **श्री० पी० ए० संगमा** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मेघालय में अनेक ब्लाकों में योजना प्रक्रिया में प्रयुक्त 'झुम' भूमि तथा अन्य भूमि के प्रबन्ध की सुधरी हुई पद्धतियां लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) व (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मेघालय में साइट्स जीन सेन्कचुअरी

9156. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तकनीकी और वित्तिय समर्थन के मेघालय में एक साइट्स जीन सेन्कचुअरी स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या मेघालय में एक जर्म प्लाज्म बैंक स्थापित करने का भी प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, राष्ट्रीय पौध आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली के वैज्ञानिक नियन्त्रण के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तकनीकी व बित्तीय सहायता से मेघालय में एक निंबूवंशीय जीन का संग्रहालय (सेन्कचुअरी) स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) जी हां, मेघालय में एक जनन द्रव्य (जर्म प्लाज्म) बैंक स्थापित करने का भी प्रस्ताव है ।

(ग) (I) **मेघालय में निंबूवंशीय जीन का संग्रहालय (सेन्कचुअरी)** :

"साइट्स इंडिका' तथा उससे सम्बन्धित सामग्री को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, जोकि इस समय अत्यन्त संकट में है और जिसे संरक्षण की आवश्यकता है, शिलांग में दिनांक 23 अक्तूबर, 1978 को हुई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शासी निकाय की बैठक में मेघालय में निंबूवंशीय जीन का संग्रहालय (सेन्कचुअरी) स्थापित करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई थी । इस संग्रहालय की स्थापना के लिए उत्तरपूर्वी क्षेत्र विशेषकर मेघालय में, जोकि निंबूवंश की प्राकृतिक भूमि है, उपयुक्त स्थान का निश्चय करने के लिए पिछले कुछ महीनों पहले सर्वेक्षण किया गया था । तुरारेन्ज में स्थित लगभग 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जिसमें सस्तागिरि मण्डलगिरि, रोंगाविंगागिरि, बादीगिरि, अम्फांगगिरि तथा रोन्गचेकागिरि जैसे स्थान हैं, निंबूवंश 'इनसिट्रू' के संरक्षण के लिए एक आरक्षित वन लगाने का प्रस्ताव है ।

छठी पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय पौध आनुवंशिक संसाधन ब्यूरों के अधीन तकनीकी, वैज्ञानिक, सहायक तथा प्रशासनिक आवश्यक (न्यूक्लियस) स्टाफ के लिए भी प्रस्ताव है ।

(II) **मेघालय में जनन द्रव्य बैंक**

क्योंकि शिलांए स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अनुसंधान समूह द्वारा मेघालय तथा उत्तरपूर्वी क्षेत्रों से निंबूवंश का मूल्यांकन संग्रह किया गया है और इस संग्रह को बनाये रखना जरूरी है जिसका उपयोग निंबूवंश की जड़ों के मानकीकरण के लिये किया जायेगा। अतः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मेघालय के किसी उपयुक्त स्थान पर एक जनन द्रव्य बैंक स्थापित करने की योजना बना रही है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बीज के आलू के उत्पादन और विपणन की समेकित प्रणाली

9157. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में बीज के आलू के उत्पादन और विपणन की एक समेकित प्रणाली के लिए एक व्यापक योजना बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का विचार एक कर्मी दल का गठन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) उत्तरपूर्वी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय समिति और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शासी निकाय की सिफारिशों के अनुसार आलू के बीज के उत्पादन की स्थिति की जांच करने तथा वैज्ञानिक आधार पर बीज के उत्पादन की व्यवस्था के लिए भी उपायों का पता लगाने के लिए एक 'कर्मी दल की स्थापना की जा रही है।,

इस कर्मी दल में साथ-साथ भारत सरकार के योजना आयोग, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला/शिलांग, उत्तरपूर्वी परिषद और शिलांग स्थित उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान समूह सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र की राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

दिल्ली के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की मांग

9158. **श्री सुरेन्द्र विक्रम**
प्रो० पी० जी० मावलंकर
श्री भगत राम } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री **यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में 15 मार्च, 1979 को प्राथमिक अध्यापकों द्वारा कमीज **उतार कर किये गये** प्रदर्शन की जानकारी है;

(ख) प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की मांगों को पूरा करने के लिए **सरकार ने क्या कार्यवाही की है और** इन मांगों को पूरा करने में कितना समय लगेगा; **और**

(ग) सरकार ने देश में सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के लिए अच्छी सेवा की शर्तें **बनाने** के लिए एक सम्पूर्ण नीति पर अब तक क्यों निर्णय नहीं किया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की निम्नलिखित मांगों की दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका के परामर्श से जांच की जा रही है :—

(1) प्राथमिक विद्यालयों के मुख्याध्यापकों के वेतनमानों में वृद्धि।

(2) सहायता प्राप्त स्कूलों के प्राथमिक अध्यापकों को दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका के अध्यापकों के बराबर सुविधाओं की मंजूरी।

(3) वेतनमानों की विषमताओं अर्थात् जूनियर का सीनियर से अधिक वेतन प्राप्त करना को दूर करना।

(4) दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका के उन अध्यापकों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष पर हो जो दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 के लागू होने के समय नौकरी में लगे हुए थे।

इस समय यह पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं है कि इन मांगों की जांच करने में कितना समय लगेगा। तथापि, इनकी शीघ्र जांच तथा कार्यान्वयन के लिये सभी सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) शिक्षा आयोग 1964-66 ने अध्यापकों का विभिन्न श्रेणियों, प्राथमिक अध्यापकों, एक वर्ष के व्यावसायिक प्रशिक्षण वाले स्नातकों, उत्तर स्नातक अर्हता रखने वाले अध्यापकों तथा विद्यालयों के प्रमुखों इत्यादि के लिए कुछ वेतनमानों की सिफारिश की थी, तथा इन्हें राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को ध्यान में ला दिया गया था। अध्यापकों के वेतनमान राज्य तथा संघीय क्षेत्र द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ राज्य में विद्यमान वेतन ढांचे तथा राज्य सरकार को अपनी वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं।

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से अपने अध्यापकों को सेवा की सुरक्षा तथा नौकरी की अच्छी शर्तें प्रदान करने के लिए भी आग्रह करती रही है।

खाद्यान्नों के लिए भण्डारण क्षमता

9159. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के अपने गोदामों में सम्पूर्ण देश में खाद्यान्नों की भण्डारण क्षमता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान खाद्यान्न की भण्डारण क्षमता में कितनी वृद्धि की जा रही है और किन-किन स्थानों पर क्षमता में वृद्धि की जा रही है;

(ग) देश में खाद्यान्न की भण्डारण क्षमता के विस्तार के बारे में सरकार की समग्र नीति क्या है; और

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिजली फेल हो जाने के कारण गोदामों में

खाद्यान्नों के भण्डारण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, भारतीय खाद्य निगम द्वारा बिजली के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता 219·3 लाख मीटरी टन है। क्षमता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जाता है।

(ख) 1979-80 के दौरान भारतीय खाद्य निगम की क्षमता में 5.74 लाख मीटरी टन की निर्मित क्षमता की वृद्धि होने की सम्भावना है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम की निर्दिष्टियों के अनुसार गोदाम बनाने की कृषि पुनर्वित्त विकास निगम की सहायता प्राप्त योजना के अधीन प्राइवेट पार्टियों से 15.62 लाख मीटरी टन की क्षमता के गोदाम प्राप्त होने का अनुमान है। ऊपर बताई गई 21.36 लाख मीटरी टन की कुल क्षमता आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश पश्चिमी बंगाल के राज्यों में होगी।

(ग) समूची नीति वैज्ञानिक ढंग पर गोदामों का निर्माण करवा कर और अवमानक किराये की क्षमता पर निर्भरता कम कर भारतीय खाद्य निगम की अपनी भंडारण क्षमता में बढ़ोत्तरी करने की है।

(घ) बिजली की कमी का भारतीय खाद्य निगम के कार्यों पर साधारणतया कोई असर नहीं पड़ता है। रात में कार्य करने के लिए पेट्रोमैक्स या लालटेनों की व्यवस्था की जाती है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम के पास (28-2-1978 को) उपलब्ध भंडारण क्षमता के ब्यौरों को बताने वाला विवरण

(आंकड़े हजार मी० टन में)

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	निजी	किराये का	(कवर तथा प्लिथ) (निजी तथा किराये का)	सकल जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	427.65	803.07	827.36	2058.08
2.	आसाम	180.46	189.91	—	370.37 (अस्थाई)
3.	बिहार	284.40	369.85	328.00	982.25
4.	दिल्ली	165.77	23.82	39.50	229.09
5.	गुजरात	196.35	448.61	1.20	646.16
6.	हरियाणा	354.01	558.07	190.09	1102.17
7.	हिमाचल प्रदेश	—	14.21	—	14.21

1	2	3	4	5	6
8.	जम्मू और कश्मीर	14.04	30.04	12.50	56.58 (अस्थाई)
9.	कर्नाटक	94.03	122.49	221.00	507.52
10.	केरल	327.84	83.65	—	411.49
11.	कान्डला (पी० ओ०)	—	15.24	502.40	517.64
12.	मध्य प्रदेश	492.34	684.00	449.75	1626.09
13.	महाराष्ट्र	479.41	339.11	761.66	1980.18
14.	एन०ई०एफ० रीजन	18.00	72.29	—	90.29
15.	उड़ीसा	157.08	46.01	—	203.09
16.	पंजाब	1318.71	1200.33	859.94	3378.98
17.	राजस्थान	346.00	640.00	565.00	1551.00
18.	तमिलनाडु	357.44	456.90	847.36	1661.70
19.	उत्तर प्रदेश	887.30	1218.10	506.28*	2611.68
20.	पश्चिमी बंगाल	677.98	748.90	506.00	1931.88
	जोड़	7178.81	8134.60	6617.04	21930.45

*वास्तविक स्थिति पर दिखाई गई "केप" क्षमता ।

डाक-तार कर्मचारियों के केन्द्रीय संगठन को मान्यता

9160. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-तार कर्मचारियों के कितने केन्द्रीय संगठनों को केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता दी गई है;

(ख) क्या यह सच है कि अभी क्षेत्रों में से विरोध होने के बावजूद सरकार किसी तथा-कथित केन्द्रीय संगठन को मान्यता देने के सभी प्रयास कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर्मचारियों के केन्द्रीय संगठन को मान्यता देने का क्या मानदण्ड है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) अराजपत्रित और राज-पत्रित डाक-तार कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त यूनियनों/एसोसिएशनों/फेडरेशनों की कुल संख्या 62 है।

(ख) जी नहीं;

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता;

(घ) डाक-तार यूनियनों/एसोसिएशनों/फेडरेशनों को मान्यता प्रदान करने के लिए नियमित शर्तों का विवरण संलग्न है । समस्त भारत में फैले एक समान सेवा हितों सम्बन्धी कर्मचारी केन्द्रीय स्तर पर यूनियनों/एसोसिएशनों का गठन कर सकते हैं । मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय यूनियनें/एसोसिएशनें निचले स्तर पर अपनी शाखाओं को भी गठन कर सकते हैं जैसी कि उनके संविधान में व्यवस्था है ।

विवरण

(क) सेवा संगठनों की मान्यता के लिए एक प्रार्थना-पत्र देना पड़ता है जिसमें मान्यता सम्बन्धी सभी सूचनायें दी जाती हैं ।

(ख) आरम्भ में सेवा संगठन का गठन इसके सदस्यों के सामान्य सेवा हितों में सुधार लाने के लिए किया जाता है ।

(ग) सेवा संगठन की सदस्यता ऐसे सरकारी कर्मचारियों की कुछ विशेष श्रेणी तक ही सीमित होती हैं जिनका सामान्य हित हो और जबकि सभी सरकारी कर्मचारी सेवा संगठन के सदस्य बनने के पात्र हों ।

(घ) सेवा संगठन का गठन जाति, समुदाय या धार्मिक समुदाय तथा इस प्रकार की जाति, समुदाय या धार्मिक संप्रदाय के वर्ग समूह के आधार पर नहीं किया जाता ।

(ङ) जो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं है वह सेवा संगठन में मामलों में भाग नहीं ले सकता ।

(च) सेवा संगठनों की कार्यकारणी केवल सदस्यों में से ही मनोनीत की जाती है ।

(छ) सेवा संगठन के कोश में केवल सदस्यों का चन्दा और सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, यदि हो, तो शामिल होता है और इस कोश का उपयोग सेवा संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाता है ।

2. (क) सेवा संगठन के सदस्यों के सामान्य हितों से सम्बन्धित मामलों को छोड़कर ऐसा सेवा संगठन कोई अभ्यावेदन या प्रतिनिधि मंडल नहीं भेज सकता ।

(ख) सेवा संगठन, व्यक्तिगत कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों का समर्थन या प्रोत्साहन नहीं कर सकता ।

(ग) सेवा संगठन कोई राजनैतिक कोश नहीं चलाएगा और न ही किसी राजनैतिक दल या किसी राजनीतिज्ञ के विचारों का प्रचार करेगा ।

(घ) सेवा संगठन के सभी अभ्यावेदन उचित माध्यमों से भेजे जायेंगे और सामान्य पद्धति के बतौर सचिव या विभाग/कार्यालय के अध्यक्ष को संबोधित होंगे ।

(ङ) सेवा संगठन की वार्षिक बैठक के पश्चात् उसके सदस्यों तथा पदाधिकारियों की सूची / नियमों की अद्यतन प्रति और लेखों की परीक्षित विवरणी उचित माध्यम से प्रति वर्ष 1 जुलाई से पहले सरकार को भेजी जाएगी ।

(च) सेवा संगठन के नियमों में महत्वपूर्ण किस्म का संशोधन सरकार की पूर्व अनुमति

से किया जा सकेगा तथा कम महत्वपूर्ण संशोधनों को सरकार की सूचना हेतु उचित माध्यम से भेजा जाएगा ।

(छ) सेवा संगठन को किसी दूसरे संघ, सेवा संगठन, या फेडरेशन के साथ सम्बन्ध जोड़ने से पहले सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(ज) सरकार ने जिस फेडरेशन या कानफेडरेशन या सेवा संगठनों की मान्यता समाप्त कर दी हो उसके साथ सेवा संगठन के सम्बन्ध भी समाप्त हो जायेंगे ।

(झ) सरकार की पूर्व अनुमति के बिना सेवा संगठन कोई भी सामयिक पत्रिका या बुलेटिन का प्रकाशन आरम्भ नहीं करेगा ।

(ञ) केन्द्रीय सरकार किसी भी राज्य की सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण के हितों के लिए हानिकारक अथवा सरकार और सरकारी कर्मचारियों के अच्छे सम्बन्धों या सरकारी प्राधिकरण के हितों के लिए हानिकारक होने के आधार पर किसी सामयिक पत्रिका या बुलेटिन के प्रकाशन के बंद करने के लिए सरकार यदि निदेश दे तो सेवा संगठनों को ऐसे प्रकाशन बन्द करने होंगे ।

(ट) सेवा संगठन कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा या ऐसे किसी कार्य करने का समर्थन नहीं करेगा जिसके करने पर एक सरकारी कर्मचारी के लिये केन्द्रीय सिविल (आचरण) नियम 1964 के 8, 9, 11, 12, 16 और 20 नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाता हो ।

(ठ) सेवा संगठन किसी भी विदेशी प्राधिकरण के साथ, सरकार के माध्यम के अतिरिक्त, पत्र-व्यवहार नहीं करेगा । सरकार को ऐसा पत्र-व्यवहार रोकने का हक है; और

(ड) संगठनों अथवा इसके लिये किसी पदाधिकारी द्वारा सरकार या सरकारी प्राधिकरण के साथ किये गये पत्र-व्यवहार में अनादरपूर्ण या आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए ।

3. सरकार के विचार से यदि मान्यता प्राप्त सेवा संगठन ऊपर के पैरा 1 और 2 में दी गई शर्तों के पालन में असमर्थ रहती है तो सरकार संगठन को दी गई मान्यता समाप्त कर सकती है ।

गांवों में डाक-तार सुविधाओं की व्यवस्था किया जाना

9161. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सत्ता में आने के बाद दिये गये अपने इस बचन को सरकार ने किस सीमा तक पूरा किया है कि वह उन गांवों में डाक तथा तार सुविधाएं उपलब्ध करेगी, जिनसे ये ग्राम अब तक वंचित हैं;

(ख) जनता पार्टी द्वारा सतारूढ़ होने से बाद गांवों में कितने डाक घर और तार घर खोले गये और कितने लैटर बक्स लगाये गये;

(ग) कितने गांव अब भी डाकघर, तारघर और लेटर बक्स की सुविधा से वंचित है; और

(घ) इन गांवों की जरूरत पूरी करने के लिए विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) आवश्यकता और औचित्य के अनुसार गांवों में डाक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये चरणवद्ध कार्यक्रम लागू किया जा जा रहा है बशर्ते कि वित्तीय साधन उपलब्ध होते रहें।

(ख) 1-4-77 के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में 9050 शाखा डाकघर खोले गए है तथा 154301 लेटर बक्स संस्थापित किए गए हैं।

दूरसंचार :

(क) और (ख) 1-4-77 के बाद देश में 6465 तारघर खोले गए हैं जिनमें से अधिकांशत. ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जबकि मूल लक्ष्य 4300 तारघर खोलने का था।

डाक :

(ग) 31-4-79 को देश में 1,17,830 ग्रामीण डाकघर थे। इसके अलावा 80,625 ग्रामों में चलते फिरते शाखा डाकघरों को डाक काउंटर सुविधाएं उपलब्ध थीं। इस प्रकार की जन-गणना रिपोर्ट में बताए गए कुल 5,75,936 ग्रामों में से 1,98,455 ग्रामों में डाकघर/डाक काउंटर सुविधाएं उधलब्ध थी। 31-3-79 को ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 3,46,384 लेटर बक्स थे। निर्धारित मानदंडों के अनुसार डाकघर खोले जाते रहेंगे और लेटर बक्स संस्थापित किए जाते रहेंगे।

दूरसचार :

(ग) 1971 की गणना के अनुसार 5,75,936 ग्राम थे जिनमें से 21,756 ग्रामों में 31-3-79 तक तार सुविधा प्रदान की जा चुकी है। अभी भी 5,54,177 ग्राम इस सुविधा से वंचित हैं।

(घ) **डाक** : छठी पंचवर्षीय योजना (1978—83) के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 25,000 नए डाकघर खोलने तथा 2,50,000 लेटर बक्सों के संस्थापित करने का प्रस्ताव है और 50,000 अतिरिक्त ग्रामों में डाक काउंटर सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

दूरसंचार : चालू योजना अवधि 1978—83 के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 15,000 तारघर खोलने का प्रस्ताव है।

प्रशासकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाकों के अतिरिक्त सामान्य क्षेत्रों के ग्रामों में जिनकी जनसंख्या 5000 या इससे अधिक है तथा पर्वतीय तथा पिछड़े इलाकों के 2500 या इससे अधिक आबादी वाले गांवों में हानि की सीमा निर्धारित किए बिना ही तार सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है।

भूमिगत केबल के घोटाले के बारे में शिकायत

9162. **श्री वसन्त साठे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टेलीफोन मैनेजर द्वारा रेलवेपुरा ब्लाक के लिये, नवम्बर, 1976

से मार्च, 1978 के दौरान 3·5 करोड़ रुपये मूल्य के 250 किलोमीटर लम्बे भूमिगत केबल लगाने के बारे में कोई अभ्यावेदन/शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्राप्त ज्ञापन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त ज्ञापन में की गई विभिन्न गंभीर टिप्पणियों के बारे में क्या कार्यवाही की गई हैं अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) ज्ञापन में ये आरोप हैं कि केबल लगाने के बारे में समुचित प्राक्कलन तैयार नहीं किए गए, आवश्यकताओं से अधिक भंडार वापस ले लिये गये और पुराने वापस लिए केबलों का ठीक हिसाब नहीं रखा गया।

(ग) निदेशालय के अधिकारियों के एक दल द्वारा जांच की जा रही है।

स्वर्गीय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के लिए स्मारक

9163. **श्री वेदव्रत बरुआ**
श्री दलपत सिंह परस्ते } : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री फखरुद्दीन अली अहमद, की स्मृति में कोई उपर्युक्त स्मारक बनाने के बारे में सरकार विचार कर रही है; और

(ख) क्या उनकी स्मृति में कोई स्मारक बनाने के लिये किसी गैर-सरकारी संगठन अथवा असम राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके सम्बन्ध में वित्तीय अथवा अन्य सहायता माँगी गयी है';

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) भारत के राष्ट्रपति मरहूम श्री फखरुद्दीन अली अहमद की कब्र पर एक मजार के निर्माण के अलावा और कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है तथा मजार के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

(ख) जी, नहीं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के आदेश को वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिष्ठा के प्रतिकूल माने जाने के बारे में समाचार

9164. **श्री शंकर सिंह जी वाघेला**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक
श्री वसन्त साठे
श्री सौगत राय } : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 मार्च, 1979 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "साइन्टिस्ट्स कन्सीडर आई० सी० ए० आर० आर्डर रिपग्नेन्ट टू डिगनिटी" शीर्षक समाचार की ओर सरकार का ध्यान गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या व्यावसायिक पत्रिकाओं में अपने अनुसंधान सम्बन्धी निष्कर्षों को प्रकाशित करने के लिए वैज्ञानिकों को पूर्ण सहायता देने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) तथा (ग) यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि वैज्ञानिक पत्रिकाओं में अपने अनुसंधान संबंधी निष्कर्षों को प्रकाशित करने के लिए संस्थानों के विज्ञानियों को पूर्ण स्वाधीनता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कुछ दिशानिर्देश जारी किये गये थे। उनमें से एक दिशा निर्देश यह भी था कि विज्ञानियों द्वारा प्रस्तुत पांडुलिपि को प्रस्तुत किये जाने की तिथि से एक महीने के अन्दर ही संस्थानों के प्रभागाध्यक्षों/निदेशकों द्वारा अवश्य ही उस पांडुलिपि के बारे में निर्णय देना चाहिए । यह भी निर्धारित किया गया था कि जहां प्रभागाध्यक्ष/निदेशक का यह विचार हो कि यह रचना प्रकाशन के योग्य नहीं है परन्तु विज्ञानी विशेष उस विचार से सहमत नहीं होता या जहां कहीं सम्बन्धित टिप्पणी या राय देने में अनावश्यक देरी हो तो संबंधित विज्ञानी प्रकाशन के लिए अपनी जिम्मेवारी पर रचना अग्रेषित कर सकता है जिसे वह अग्रेषण पत्र में पत्रिका के सम्पादक को सुस्पष्ट कर सकता है कि जो राय उसमें जाहिर की गई है उसके लिए संस्थान जिम्मेवार नहीं है ।

दिल्ली प्रशासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा धनराशि का उपयोग न किया जाना

9165. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के लोक निर्माण विभाग, ने वर्ष 1978-79 के दौरान निर्माण कार्य के लिए मंजूर की गई धनराशि का उपयोग नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) प्लान योजनाओं के मामले में नियतन की गई निधियों का पूर्णरुपेण उपयोग नहीं किया गया है जबकि "नान प्लान" योजनाओं के मामले में नियतन की गई निधियों की अपेक्षा व्यय अधिक किया गया है। प्लान योजनाओं के मामले में हुए कम व्यय का कारण स्थलों की अनुपलब्धता, कुछ कार्यों के लिए मंजूरी जारी न किया जाना है तथा किसी हद तक निर्माण-सामग्री का उपलब्ध न होना भी है।

गुजरात में भूमि वितरण

9166. **श्री चित्त बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गुजरात सरकार द्वारा भूमि बितरण के मामले में शून्य कार्य निष्पादन की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(ग) क्या जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक भूमि आयोग स्थापित किया है;

(घ) ऐसे आयोग के विशेष उद्देश्य क्या हैं; और

(ङ) क्या आयोग का प्रतिवेदन इस बीच सरकार को प्राप्त हो गया है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1960 के संशोधन-पूर्व अधिकतम सीमा सम्बन्धी अधिनियम के तहत गुजरात सरकार ने अधिकतम सीमा के बाद फालतू 44000 एकड़ भूमि वितरित की थी। राज्य सरकार से प्राप्त नवीनतम सूचना से पता चलता है कि संशोधित अधिनियम के तहत फालतू घोषित की गई लगभग 49.00 एकड़ भूमि में से 4000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। इस क्षेत्र को वार्षिक लीज पर उठाया जाता है। राज्य सरकार ने फालतू भूमि के अधिग्रहण और वितरण से सम्बन्धित योजना पर पुनर्विचार होने तक फालतू भूमि का वितरण करना स्थगित कर दिया है।

(ख) जी हां। भारत सरकार ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि संशोधित अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून को आस्थगित न रखा जाए।

(ग) जी हां।

(घ) आयोग का कार्य भूमि-सुधार सम्बन्धी विभिन्न उपायों की समीक्षा करना तथा सरकार को भूमि सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तैयार करने के लिए सलाह देना है।

(ङ) आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

आदिवासी विकास एजेंसी

9167. **श्री वागुन सुम्बरुई** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी विकास एजेन्सी का गठन किया गया है;

(ख) उस पर कितनी राशि व्यय हुई है;

(ग) आदिवासी विकास एजेंसी द्वारा किये गये कार्य और सेवा का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) इस विभाग द्वारा संचालित केन्द्रीय क्षेत्र प्रायोगिक 'आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रम' के अन्तर्गत 1972-74 के दौरान (1) आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले, (2) बिहार के सिंहभूम जिले, (3) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले की दन्तवाड़ा और (4) कोन्टा तहसीलों तथा (5) उड़ीसा में गंजम (6) कोरापुट (7) क्योंझर और (8) फुलबेनी जिलों में आठ आदिवासी विकास एजेंसी परियोजनाएं आरम्भ की गई थीं। प्रत्येक परियोजना को सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत एक सोसायटी के माध्यम से जिसे आदिवासी विकास एजेंसी' कहा जाता है, कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें जिलाधीश अध्यक्ष होता है तथा अन्य सम्बन्धित जिला स्तर के अधिकारी और विधान सभा के सदस्य/संसद सदस्यों के रूप में होते हैं। भारत सरकार द्वारा अनुदान सीधे एजेंसी के अध्यक्ष को वंटित किये जाते हैं। प्रत्येक परियोजना में उसके द्वारा शुरू किये गये विभिन्न कार्य-

क्रमों में समन्वय लाने तथा उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्णकालिक परियोजना अधिकारी होता है ।

आदिवासी विकास एजेंसियों का सम्बन्ध आदिवासियों के आर्थिक विकास के क्रोड़ कार्यक्रम के कार्यान्वयन से है, जिसके अन्तर्गत कृषि, बागवानी, भूमि को कृषि योग्य बनाना, भूमि विकास, भू-संरक्षण उपाय, शिफ्टिंग खेती पर नियन्त्रण, लघु सिंचाई, पशु-पालन, परियोजनाओं का विकास (जैसे मवेशी विकास, सूअर-पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, कुक्कुटादि पालन, बत्तख पालन, मत्स्य पालन, वन-आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन, ऋण-परिसमापन, भूमि पुनरुद्धार, भूमि-अभिलेखों और सर्वेक्षण तथा ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण आदि आता है ।

(ख) इस कार्यक्रम के प्रारम्भ से 31 जनवरी; 1979, तक आठ आदिवासी विकास एजेंसियों द्वारा 1569.10 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई है । परियोजनावार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(लाख रुपए में)

आदिवासी विकास एजेंसी परियोजना का नाम	व्यय की गई धनराशि
(1) श्रीकाकुलम (आन्ध्र प्रदेश)	249.49
(2) सिंहभूम (बिहार)	208.18
(3) दन्तवाड़ा (मध्य प्रदेश)	175.00
(4) कोन्टा (मध्य प्रदेश)	200.67
(5) गंजम (उड़ीसा)	253.94
(6) कोरापुट (उड़ीसा)	261.92
(7) क्योंझर (उड़ीसा)	118.78
(8) फुलबेनी (उड़ीसा)	101.12
	1569.10

(ग) और (घ) जी हां । नीचे दर्शायी गई अनुसूची के अनुसार 1974-75 के दौरान श्रीकाकुलम, सिंहभूम, दन्तवाड़ा, कोन्टा, गंजम और कोरापुट में कार्यरत आदिवासी विकास एजेंसियों के निष्पादन के मूल्यांकन का कार्य आन्ध्र विश्वविद्यालय में स्थित कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र, वाल्टेयर (आन्ध्र प्रदेश), विश्वभारती (शान्ति निकेतन) तथा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जबलपुर) को सौंपा गया था ।

	कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र	अन्तर्गत लाई जाने वाली आदिवासी विकास एजेंसी परियोजनाएं
1.	आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर (आन्ध्र प्रदेश)	श्रीकाकुलम, गंजम और कोरापुट
2.	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जबलपुर)	दन्तवाड़ा और कोन्टा
3.	विश्वभारती (शान्ति निकेतन)	सिंहभूम

इस विषय पर सभी से 1976 और 1977 के दौरान रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं। इन रिपोर्टों के महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गये हैं :—

आदिवासी विकास एजेंसी श्रीकाकुलम

1. गम्भीरतापूर्वक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा सुलभ किये गये कर्मचारी-वर्ग के साथ-साथ एजेंसी के पास एक सुगठित प्रशासनिक एकक है।

2. एजेंसी की स्थापना से खण्डों की महत्ता में किसी भी रूप में कमी नहीं आई है। इस प्रकार, आदिवासियों के लाभ के लिये खण्डों और एजेंसी दोनों ने साथ-साथ कार्य किया, कभी-कभी एजेंसी कुछेक पहलुओं में खण्डों के माध्यम से उच्चस्तरीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है।

3. एजेंसी आदिवासियों में वांछित प्रतिक्रिया सृजन करने में सफल रही है, तथा गैर-लक्षित वर्गों को लाभ पहुँचने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

4. आदिवासी विकास एजेंसी की डेरी, लघु सिंचाई और भू-सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत चुने गये लाभभोगियों ने नए धन्धों और परिवर्तित परिस्थितियों को असाधारण रूप से अपनाया है। उन्होंने पारम्परिक आस्थाओं और धार्मिक अन्धविश्वासों को काफी हद तक छोड़ दिया है, तथा आधुनिक नवीनताओं को असाधारण उमंग और उत्साह से स्वीकार किया है। यद्यपि प्रारम्भिक परिणाम आय की दृष्टि से उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं, फिर भी आदिवासी आशावान हैं। अधिक उपज देने वाली फसलों को प्रारम्भ किये जाने, वाणिज्यीकरण, अन्न ऋणों की कमी, सभी से पता चलता है कि एजेंसी विकास की आवश्यकता हेतु आदिवासियों पर प्रभाव डालने में समर्थ रही है। "पोडू खेती" (अर्थात् शिफ्टिंग खेती) में कमी तथा आदिवासियों द्वारा निर्धारित खेती को प्राथमिकता अन्य ध्यान देने योग्य प्रभाव हैं।

5. आयोजना लक्ष्यों के सम्बन्ध में भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों की जांच से पता चलता है कि एजेंसी ने नियत कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है, आयोजना लक्ष्य विशेष रूप से वित्तीय शर्तों में लघु सिंचाई और सम्पर्क सड़कों के मामले में आवश्यकता से भी अधिक पूरे कर लिये गये हैं। तथापि, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, भूमि-विकास तथा समतलीकरण, अल्पकालीन निवेशों की आपूर्ति, मुख्य सड़कों, प्रदर्शन कार्यक्रमों, कॉफी और काजू बागान तथा सहकारी सोसायटियों के लिये जोखिम निधि अंशदान जैसी व्यक्तिगत मदों के विषय में कमी ध्यान देने योग्य है।

आदिवासी विकास एजेंसी, सिंहभूम

यह आदिवासी विकास एजेंसी आदिवासियों, जो पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों से प्रायः अप्रभावित रहे हैं, में आशाओं और आकांक्षाओं की वृद्धि करने में काफी सफल रही हैं। दस आदिवासी विकास एजेंसी की स्थापना से आदिवासी लोगों के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। इस आदिवासी विकास एजेंसी ने भागीदार कृषकों की कृषि, भूमि विकास सिंचाई, पशुपालन और सहकारिता जैसे कई क्षेत्रों में सहायता की है। अधिक उपज देने वाली किस्म की फसलों को लोकप्रिय बनाने के लिये कई प्रदर्शन आयोजित किये गये। आदिवासी विकास

एजेंसी ने उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक तथा कीटनाशी दवाइयां ऐसे प्रदर्शनों में निःशुल्क वितरित की। कृषि में सुधार करने हेतु परियोजना क्षेत्र में नई सिंचाई सुविधाओं के सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त हुई। मुख्य गतिविधियां कुओं के निर्माण की ओर केन्द्रित थीं।

आदिवासी विकास एजेंसियां, दन्तवाड़ा और कोन्टा (मध्य प्रदेश)

व्यक्तिगत उन्नति से सम्बन्धित कार्यक्रमों की जांच करने पर यह पाया गया कि गात्र बीज और उर्वरकों जैसे कृषि निवेशों की सप्लाई से लाभभोगियों को कुछ लाभ प्राप्त हुए हैं। क्षेत्र में उनके परिचालन के पिछले तीन वर्षों के दौरान एजेंसियां आदिवासी लोगों के दिलों से पहले के कार्यक्रमों के बारे में दोषों और कटु-अनुभवों को दूर करने में काफी सीमा तक सफल रही हैं, तथा उन्होंने उनमें मौजूद विकास कार्यक्रमों के बारे में विश्वास को पुनः स्थापित किया है। आदिवासी विकास एजेंसी कार्यक्रमों में व्यक्तिगत लाभ हेतु उपदानों के शामिल किये जाने से आदिवासियों पर अच्छा प्रभाव पड़ा।

आदिवासी विकास एजेंसी, गंजम (उड़ीसा)

1. विभिन्न विभागों की गतिविधियों का समन्वय करने में आदिवासी विकास एजेंसी को कुछ सीमा तक सफलता प्राप्त हुई हैं, परन्तु उठाऊ सिंचाई निगम से अत्यन्त जरूरी कर्मचारी वर्ग की सहायता प्राप्त नहीं हुई है। खण्ड स्तर पर समन्वय करने की भी आवश्यकता है।

2. आदिवासी विकास एजेंसी को शुरू करने के पश्चात् राज्य विभागों और पंचायत समितियों ने आदिवासी विकास के प्रति अपनी वचनवद्धता को कम नहीं किया।

3. कुल मिलाकर, गैर-लक्षित वर्गों को बहुत कम लाभ पहुँचे हैं।

4. परियोजना क्षेत्र के आदिवासियों में आदिवासी विकास एजेंसी की मौजूदगी और इसके द्वारा उनके लिये किये जा रहे आर्थिक विकास के लाभकारी कार्य के बारे में काफी जानकारी पैदा करने में कुल मिलाकर आदिवासी विकास एजेंसी समर्थ रही है। जहां कहीं भी आदिवासियों ने लाभों को स्वीकार किया है, उन्होंने आदिवासी विकास एजेंसी द्वारा उनकी आर्थिक बेहतरी के लिये सुझाई गई आधुनिक नवीनताओं को अपनाने में असाधारण उत्साह प्रदर्शित किया है।

5. आदिवासी लाभभोगियों पर आदिवासी विकास एजेंसी कार्यक्रमों के आर्थिक प्रभाव के बारे में स्थिति प्रत्येक योजना में भिन्न-भिन्न हैं। जहां तक सिंचाई योजनाओं का सम्बन्ध है, प्रभाव नितान्त स्पष्ट और महत्वपूर्ण है। शुष्क खेती से आद्र खेती में असाधारण परिवर्तन हुआ है, जो पैदावार के प्रतिमान में परिवर्तन, पारम्परिक प्रौद्योगिकी से अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज, उर्वरक और कीटनाशक दवाएं भी आधुनिक प्रौद्योगिकी स्तरों की ओर परिवर्तन से सुस्पष्ट होता है। कुल मिलाकर, सिंचाई से फार्म-अर्थ-व्यवस्था में काफी सीमा तक सुधार हुआ है।

आदिवासी विकास एजेंसी, कोरापुट (उड़ीसा)

1. कुल मिलाकर आदिवासी विकास एजेंसी कार्यक्रमों को कर्यान्वित करने में एकत्र हुए विभिन्न संगठनों में सन्तोषजनक समन्वय रहा है। आदिवासी विकास एजेंसी कार्यक्रमों को

उचित रूप से कार्यान्वित करने को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अतिरिक्त कर्मचारी-वर्ग सुलभ किया है ।

2. आदिवासी विकास एजेंसी को शुरू किये जाने के पश्चात् राज्य विभागों और पंचायत समितियों ने आदिवासी विकास के प्रति वचनवद्धता में कमी नहीं की हैं ।

3. कुल मिलाकर, कार्यक्रम के लाभ वांछित लक्षित वर्गों को पहुंचे है तथा किसी पर्याप्त सीमा तक दूसरों तक नहीं पहुँचे हैं ।

4. आदिवासियों को आदिवासी विकास एजेंसी की मौजूदगी तथा उनकी बेहतरी के लिये किये जा रहे अत्यधिक लाभकारी कार्य के बारे में निःसन्देह व्यापक जानकारी है । आदिवासियों के सुधार के लिये आदिवासी विकास एजेंसी द्वारा सुझाए गये आधुनिक पैकेजेज को स्वीकार करने में आदिवासियों ने असाधारण प्रवृत्ति दर्शायी है, बशर्ते कि वे अपने आर्थिक लाभों से सन्तुष्ट हों ।

5. जहां तक आर्थिक प्रभाव का सम्बन्ध है, स्थिति एक समान नहीं है तथा यह एक योजना से दूसरी योजना में भिन्न है। भूमि को कृषि योग्य बनाने की योजना के मामले में व्यक्तिगत आदिवासियों पर आर्थिक प्रभाव प्रभावशाली नहीं था, यह बात खुदे कुओं की योजना के मामले में कुछ सीमा तक सत्य हैं । उठाऊ सिंचाई योजना तथा भूमि सुधार योजना के सम्बन्ध में लाभ काफी अधिक हुआ । भेड़ पालन योजना से भी आदिवासियों को काफी सहायता प्राप्त हुई ।

आदिवासी विकास एजेंसी, क्योंझर (उड़ीसा) के निष्पादन का मूल्यांकन कार्य 1978 के दौरान राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान, हैदराबाद को सौंपा गया है । उनकी रिपोर्ट के शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की आशा है ।

वृद्धों के कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र से सहायता

9168. **श्री बागुन सुम्बरुई** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में वृद्ध और अधिक उम्र के लोगों की देख-भाल और सुरक्षा के लिए बनाई गई योजनाओं के लिए सहायता देने की सम्भावना के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ ने संकेत दिया था;

(ख) देश में वृद्ध लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा यदि कोई परियोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र से किस प्रकार की सहायता प्राप्त होंगी और उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) :

(क) जी नहीं ।

(ख) वृद्धों का कल्याण राज्य का विषय है । राज्य और संघ शासित प्रदेश वृद्धों और

निराश्रितों की वित्तीय सहायता तथा वृद्धों के लिए सदनों को सहायता की योजनाएं चला रहे हैं।

(ग) संयुक्त राष्ट्र से कोई सहायता नहीं मांगी गई और न ही उसका प्राप्त होना प्रत्याशित है।

मेघालय में कृषकों की ऋण सम्बन्धी जरूरतें

9171. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय में कृषकों की ऋण सम्बन्धी जरूरतें पूरी करने के लिए सहकारी आन्दोलन के अन्तर्गत योजनायें प्रारम्भ करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) व (ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम उत्पादन, विधायन, विपणन, भण्डारण तथा कृषि उपज और अधिसूचित वस्तुओं के आयात तथा निर्यात के लिए सहकारी सोसायटियों के माध्यम से कार्यक्रमों की आयोजना तथा उन्हें बढ़ावा देने में लगा हुआ है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अपने परिचालन क्षेत्र के लिये वित्तीय सहायता सुलभ करता है। सहायता राज्य सरकारों के माध्यम से पुनर्वित्त आधार पर दी जाती है। मेघालय सरकार द्वारा विधिवत रूप से सिफारिश किए गए कार्यक्रमों के बारे में, मेघालय राज्य की सहकारी सोसायटियां भी अपनी योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहायता पाने की पात्र हैं।

शीर्ष सहकारी बैंक तथा आधार स्तरीय सहकारी ऋण सोसायटियों सहित राज्य में द्वि-स्तरीय सहकारी ऋण ढांचा है। राज्य में 176 पुनर्गठित सहकारी ऋण सोसायटियां हैं। भारत सरकार पूर्ण-कालिक वैतनिक तथा प्रशिक्षित सचिवों सहित मजबूत तथा सक्षम आधार स्तरीय सहकारी ऋण सोसायटियों के गठन पर बल दे रही है, ताकि ये सोसायटियां न केवल ऋण आवश्यकताओं को पूरा करें, बल्कि किसानों / ऋणियों के लिए अन्य सेवाएं भी सुलभ करें।

केन्द्रीय सहायता सहकारी रूप से अविकसित राज्यों तथा अन्य राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में सुलभ की जाती है, ताकि सहकारी बैंकों के आन्तरिक संसाधनों में घाटे को पूरा करने के लिए दीर्घकालीन ऋण देकर उनके संसाधन बढ़ाये जा सकें। 1978-79 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत मेघालय सरकार को 13,045 लाख रुपए की धनराशि बंटित की गयी थी।

कृषि के अन्तर्गत भूमि

9172. **श्री निहार लास्कर**
श्री ए० आर० बद्रीनारायण
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1979 तक केवल बिहार में ही 80,000 एकड़ और भूमि कृषि के अन्तर्गत लाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या प्रणाली अपनाई गई;

(ग) प्रत्येक राज्य में विशेषकर कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कितनी भूमि कृषि के अन्तर्गत लायी गई; और

(घ) अगले वित्तीय वर्ष में कृषि के अन्तर्गत कितनी भूमि लाये जाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) वर्ष 1977-78 या 1978-79 के लिए बिहार से भूमि उपयोग सम्बन्धी पूरे आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि पूर्वानुमान—फसलों के तहत के क्षेत्र से जो विभिन्न राज्यों में बोये गये कुल क्षेत्र का एक बड़ा भाग है, पता चलता है कि वर्ष 1977-78 में बिहार में 1976-77 के तदनुरूपी स्तर की तुलना में लगभग 3.5 लाख हैक्टार क्षेत्र की बढ़ोतरी हुई । यह बढ़ोतरी, मुख्यत: 1977-78 में सिंचाई से लाभान्वित क्षेत्र में हुई वृद्धि के कारण हुई। वर्ष 1977-78 तथा 1976-77 के दौरान पूर्वानुमान फसलों के तहत क्षेत्र तथा देश के प्रमुख राज्यों में 1977-78 में हुई वृद्धि या कमी को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान खेती के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

विवरण

वर्ष 1977-78 तथा 1976-77 में प्रमुख राज्यों में पूर्वानुमान फसलों के तहत कुल क्षेत्र

(दस लाख हैक्टार)

राज्य	1977-78 (अन्तिम अनुमान)	1976-77 (संशोधित)	1976-77 की तुलना में 1977-78 के दौरान वृद्धि (+) या कमी (—)
आन्ध्र प्रदेश	11.93	11.39	0.54
असम	2.95	2.95	—
बिहार	11.37	11.02	0.35
गुजरात	8.95	8.96	(—) 0.01
हरियाणा	5.06	4.88	0.18
हिमाचल प्रदेश	0.87	0.86	0.01
जम्मू तथा कश्मीर	0.87	0.86	0 01
कर्नाटक	10.00	8.65	1.35
केरल	2.28	2.28	—
मध्य प्रदेश	20.19	19.84	0.35
महाराष्ट्र	19.27	18.87	0.40
उड़ीसा	7.32	6.78	0.54
पंजाब	5.58	5.47	0.11

1	2	3	4
राजस्थान	15.79	15.92	(—)0.13
तमिलनाडु	7.25	6.69	0.56
उत्तर प्रदेश	24.85	24.75	0.10
पश्चिम बंगाल	7.47	7.27	0.20
अखिल भारत	163.37	158.78	4.59

† इसमें सभी खाद्यान्न, मूंगफली, एरंड के बीज, तिल, तोरिया और सरसों, अलसी, कुसुम, रामतिल, नारियल, कपास, पटसन, मेस्ता, सनई (रेशे) आलू, गन्ना, काली मिर्च, मिर्च, अदरक, हल्दी, धनिया, इलाइची, सुपारी, तम्बाकू, ग्वार के बीज, केला, टैपिओका, शकरकन्द और लहसुन शामिल हैं।

पौलीटेक्निक और तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश के लिए नई पद्धति

9173. **श्री निहार लास्कर**
श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या **शिक्षा, और समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न पौलीटेक्निकों और तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश के लिए एक नई पद्धति पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रथम और द्वितीय आने वाले विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष इस प्रकार की उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है; और

(ग) क्या मेधावी छात्रों को भी निराशा का सामना करना पड़ता है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी कार्य दल की रिपोर्ट पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने फरवरी, 1978 में हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की थी कि डिग्री और डिप्लोमा, दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों में दाखिला सावधानी पूर्वक तैयार की गई प्रवेश परीक्षाओं, जो राज्य-वार आयोजित की जा सकती है और जो सभी संस्थाओं के लिए सांझी हो, के आधार पर दिया जाए। परिषद की सिफारिश राज्य सरकारों को इस अनुरोध के साथ भेज दी गई है कि वे इसको कार्यान्वित करें।

(ख) और (ग) जिन कुछेक राज्यों/संस्थाओं में सामान्य प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उन्हें छोड़कर विभिन्न राज्यों के विभिन्न पौलिटेक्निकों तथा संस्थाओं में प्रवेश का मानदण्ड अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता है। दाखिला पूरी तरह से योग्यता के आधार पर दिया जाता है किन्तु विभिन्न परीक्षा नियमों के स्तरों में व्यापक भिन्नताओं को पूर्णतः युक्तियुक्त बनाना हमेशा सम्भव नहीं होता।

शहरी भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी अधिनियम को लागू करना

9175. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे राज्य कौन से हैं जहां शहरी भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी अधिनियम को लागू नहीं किया गया है और उसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या जिन राज्यों में यह अधिनियम लागू किया गया है वहां शहरी भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी अधिनियम की धारा 121 के अन्तर्गत घोषणा प्राप्त हो गयी है और क्या ऐसी घोषणा को प्रस्तुत करने की अवधि सभी राज्यों में समाप्त हो गई है यदि नहीं, तो विभिन्न राज्यों में समाप्ति की तारीखें क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 जम्मू तथा कश्मीर, केरल, नागालैण्ड, सिक्किम और तमिलनाडु में लागू नहीं है क्योंकि इन राज्यों के विधान मण्डलों ने इसे अपनाने के लिये विधान के अनुच्छेद 252 (1) के अधीन संकल्प पारित नहीं किया। तथापि, तमिलनाडु नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 जो राष्ट्रपति अधिनियम के रूप में 3 अगस्त, 1976 से लागू था जिसे रद्द कर दिया गया और उसके स्थान पर तमिलनाडु नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1978 14 मई, 1978 को राज्य अधिनियम के रूप में बना कर प्रस्थापित किया गया।

(ख) संबंधित राज्य में अधिनियम के लागू होने की तारीख से 1139 दिन समाप्त होने से पूर्व संबंधित सक्षम प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 21 के अधीन घोषणा पत्र प्रस्तुत करने होते हैं। यह अवधि आन्ध्र, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में 31 मार्च, 1979 को समाप्त हो गई थी और यह अवधि 6 मई, 1979 को असम में, 13 मई, 1979 को बिहार में, 22 अक्तूबर 1979 को मध्यप्रदेश में, 24 अप्रैल, 1979 को मणिपुर में, 18 मई, 1979 को मेघालय में और 21 अगस्त, 1979 को राजस्थान में समाप्त हो जाएगी।

निम्नलिखित राज्यों में 4,864 घोषणा-पत्र प्राप्त हुए हैं :—

राज्य	
आन्ध्र प्रदेश	276
असम	—
बिहार	—
गुजरात	221
कर्नाटक	42
महाराष्ट्र	3,477
मध्य प्रदेश	56
उड़ीसा	2

पंजाब	73
राजस्थान	45
उत्तर प्रदेश	617
पश्चिम बंगाल	50
संघ राज्य	
चण्डीगढ़ प्रशा०	—
दिल्ली प्रशा०	5
पाण्डिचेरी	—
छावनी क्षेत्र	—
कुल	4,864

छोटे कस्बों में छोटे बेकरी कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव

9176. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बेकरियों के उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए छोटे-छोटे कस्बों में छोटे बेकरी कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, माडर्न बेकरीज (इन्डिया) लिमिटेड, एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम, की आवश्यक तकनीकी/सलाहकार सेवाएं सुलभ कर देश के विभिन्न भागों में छोटे बेकरी यूनिटों की स्थापना करने में उद्यमियों की मदद करने की योजना है।

वरिष्ठ एन० डी० एस० इन्स्ट्रक्टरों के तबादले

9177. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कनिष्ठों के साथ-साथ स्वीकृत सिद्धान्तों और नियमों के अनुसार इससे पूर्व भी वरिष्ठ एन० डी० एस० इन्स्ट्रक्टर्स ग्रेड-1 के दिल्ली प्रशासन को तबादले किये जाने के उनके न्यायोचित अधिकार की उपेक्षा किये जाने में क्या कारण हैं;

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली में कार्यरत वरिष्ठ ग्रेड-I के० एन० डी० एस० अनुदेशकों को वर्ष 1972 में कनिष्ठ ग्रेड के० एन० डी० एस० अनुदेशकों के साथ शिक्षा निदेशालय में नहीं खपाया गया था क्योंकि उस समय निदेशालय में पर्यवेक्षीय स्टाफ का कोई पद उपलब्ध नहीं था। उनको खपाये जाने के प्रश्न पर मेरे मंत्रालय द्वारा दिल्ली प्रशासन से समय-समय पर पत्र व्यवहार किया गया। प्रभावित नौ व्यक्तियों में से दो ने स्वैच्छा से सेवानिवृत्ति मांग ली

और उन्होंने सेवामुक्त होने के लाभ प्राप्त किए तथा वरिष्ठ ग्रेड-1 के शेष सात एन० डी० एस० अनुदेशकों को अन्ततः दिल्ली प्रशासन द्वारा 1-11-1976 से उनके व्यक्तिक ग्रेडों में एन० डी एस० अनुदेशकों के रूप में नियुक्त कर लिया गया ।

लघु सिंचाई और नलकूपों द्वारा सिंचाई के अधीन भूमि

9178. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि का राज्य-वार वह अनुमानित क्षेत्र कितना है, जिसे लघु सिंचाई और नलकूप सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत लाया जा सकता है;

(ख) ऐसी भूमि को इस योजना के अधीन कब तक लाया जायेगा; और

(ग) क्या बिहार में, विशेष रूप से गया जिले में ऐसी भूमि का निर्धारण कर दिया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) वर्तमान अनुमानों के अनुसार 550 लाख हैक्टार फसली क्षेत्र की लघु सिंचाई योजना द्वारा सिंचाई हो सकती है, जिसमें से 150 लाख हैक्टार की सतही जल योजना तथा 400 लाख हैक्टार की भूमिगत जल योजनाओं व नलकूपों से सिंचाई हो सकती है। मार्च 1978 के अन्त तक कुल सृजित सिंचाई क्षमता 273 लाख हैक्टार है (198 लाख हैक्टार की भूमिगत जल से तथा 75 लाख हैक्टार की सतही जल योजनाओं से) राज्यवार ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है। छठी योजना की अवधि (1978-83) के दौरान 90 लाख हैक्टार क्षेत्र की सिंचाई के लिये अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन का प्रस्ताव है (20 लाख हैक्टार क्षेत्र की सतही जल से और 70 लाख हैक्टार क्षेत्र की भूमिगत जल योजनाओं से)। इस रफ्तार से 1983 से दस से पन्द्रह वर्षों के अन्दर शेष क्षमता का प्रयोग करना संभव हो सकेगा। तथापि जिलावार ब्यौरा (जिसमें बिहार का गया जिला भी शामिल है) उपलब्ध नहीं है।

विवरण

लघु सिंचाई कार्यक्रम—उपलब्धि और संभावना

(सिंचाई क्षमता 000 हैक्टार में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	अन्तिम			77-78 तक उपलब्धि			78-83 के दौरान (प्रस्तावित)		
		सतही जल	भूमिगत जल	कुल	सतही जल	भूमिगत जल	कुल	सतही जल	भूमिगत जल	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2000	2200	4200	900	980	1880	200	180	380
2.	असम	1000	700	1700	280	7	287	100	90	190
3.	बिहार	1900	4000	5900	900	1200	2100	240	1210	1450
4.	गुजरात	250	1500	1750	95	1260	1355	55	145	200
5.	हरियाणा	50	1500	1550	25	1150	1175	10	200	210
6.	हिमाचल प्रदेश	235	50	285	85	6	91	5	15	20
7.	जम्मू और कश्मीर	400	150	550	310	4	314	20	5	25
8.	कर्नाटक	900	1200	2100	550	375	925	120	150	270
9.	केरल	800	300	1100	275	40	315	30	25	55
10.	मध्य प्रदेश	1200	3000	4200	500	900	1400	300	575	875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	महाराष्ट्र	1200	2000	3200	480	1025	1505	180	150	330
12.	मणिपुर	100	5	105	20	नगण्य	20	10	1	11
13.	मेघालय	85	15	100	14	4	18	20	3	23
14.	नागालैंड	75	5	80	35	नगण्य	35	24	नगण्य	24
15.	उड़ीसा	800	1500	2300	340	180	520	135	330	465
16.	पंजाब	50	3500	3550	30	2800	2830	8	227	235
17.	राजस्थान	400	2000	2400	310	1450	1760	25	100	125
18.	सिक्किम	20	2	22	7	नगण्य	7	7	नगण्य	7
19.	तमिलनाडु	900	1500	2400	790	1100	1890	26	100	126
20.	त्रिपुरा	100	15	115	30	3	33	14	4	18
21.	उत्तर प्रदेश	1200	12000	13200	690	6900	7590	150	3080	3230
22.	पश्चिम बंगाल	1300	2500	3800	900	400	1300	200	530	730
	कुल राज्य	14965	39642	54607	7566	19784	27350	1879	7120	8999
	संघ राज्य क्षेत्र	150	100	250	40	50	90	25	15	40
	कुल राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	15115	39742	54857	7606	19834	27440	1904	7135	9039
	या	15000	40000	55000	7500	19800	27300	2000	7000	9000

नोट : इस विवरण में दिये गये आंकड़े उपलब्ध सूचना पर आधारित तथा अस्थाई हैं व अब निरन्तर ह्रास के कारण प्रयोग में न आने वाली भूमिगत संरचनाओं, रिसने तथा टैंकों आदि सतही जल संरचनाओं में गाद मिट्टी जमने से घटने वाली क्षमता के, निकलने के बाद सृजित वास्तविक सिंचाई क्षमता को प्रकट करते हैं।

ललित कला और साहित्य अकादमियों में रिक्त पद

9179. **श्री सचीन्द्र लाल सिंधा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी में बहुत से पद रिक्त पड़े हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन पदों को भरने के लिये उचित अनुभव वाले वर्तमान कर्मचारियों को अवसर दिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी में निम्नलिखित पद खाली हैं :—

पद का नाम	पदों की संख्या
ललित कला अकादमी	
मुख्य कार्यालय	
(i) कार्यक्रम अधिकारी (योजना)	1
(ii) सहायक सम्पादक (समकालीन)	1
(iii) सहायक (स्थापना)	1
(iv) प्रवर श्रेणी लिपिक/आशुलिपि-टाइपकार	1
(v) चपरासी—सन्देश वाहक—चौकीदार	1
(vi) बिजली मिस्त्री/पम्पड्राईवर	1
मद्रास कार्यालय	
(i) प्रवर श्रेणी लिपिक/आशुलिपि-टाइपकार	1
(ii) प्रवर श्रेणी लिपिक (लेखा)	1
(iii) अवर श्रेणी लिपिक	1
साहित्य अकादमी	
मुख्य कार्यालय	
(i) तकनीकी सहायक	1
(ii) चपरासी	1
क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई	
(i) चपरासी	1

(ग) और (घ) प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए बनाए गए भर्ती नियमों के अनुसार पद भरे जाते हैं। यदि विद्यमान कर्मचारी पद की निर्धारित योग्यताएं पूरी करते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में प्रौढ शिक्षा स्कूल खोलना

9180. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर अंचल के राज्यों में बहुत से पंजीकृत सामाजिक संगठनों ने इन राज्य सरकारों को प्रौढ़ शिक्षा स्कूल खोलने की योजनाएं पेश की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार, ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि ये राज्य सरकारें इन राज्यों में इन योजनाओं के प्रति उदासीन हैं;

(घ) यदि हां, तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं: और

(ङ) इन राज्यों में प्रौढ़ शिक्षा योजनाओं की गति देने के लिए राज्यवार आज तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्रों का अनुमोदन

9181. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र से, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए स्वयंसेवी एजेन्सियों से प्राप्त 206 में से 119 आवेदन-पत्रों को वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित कर दिया गया है जबकि पश्चिम बंगाल से प्रौढ़ शिक्षा के लिये 205 स्वयंसेवी संगठनों से प्राप्त आवेदनों को अभी तक नियमित तथा अनुमोदित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त प्रस्ताव प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी एजेन्सियों को वित्तीय सहायता देने की योजनाओं के अनुरूप नहीं भेजा गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त बात पश्चिम बंगाल सरकार के ध्यान में लाई गई हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकारी सहायता के लिए पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र से आवेदन करने वाली प्रौढ़ शिक्षा एजेन्सियों के नाम क्या हैं; और

(च) ये एजेन्सियां इन राज्यों में इस समय किन-किन क्षेत्रों में काम कर रही हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) वर्ष 1978-79 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेन्सियों को सहायता नामक योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए महाराष्ट्र की जिन 206 स्वैच्छिक एजेन्सियों ने आवे-

दन पत्र दिये थे, उनमें से 119 के परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र से अप्रैल, 1979 में दो और आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार ने केवल 205 स्वैच्छिक एजेन्सियों की सूची भेजी थी और इन एजेन्सियों को अनुदान देने के लिए राज्य सरकार को 45.73 लाख रुपये की राशि दे देने का अनुरोध किया था। इन परियोजनाओं को न तो सही ढंग से तैयार किया गया था और न ही योजना के अन्तर्गत यथा अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेज इनके साथ भेजे गये थे। अत: पश्चिम बंगाल सरकार को सलाह दी गई है कि वह प्रस्तावित कार्यक्रम को आरम्भ करने के लिए एजेन्सी की क्षमता के बारे में अपनी रिफारिश सहित तथा कार्य क्षेत्र सूचित करते हुए सभी प्रलेखों सहित निर्धारित तरीके के अनुसार इन प्रस्तावों को भेजे। राज्य सरकार को यह भी सूचित किया गया है कि आमतौर पर 30 केन्द्रों से कम वाली परियोजना को मंजूर नहीं किया जाता है। तथापि पश्चिम बंगाल सरकार ने अपैल, 1979 में हाल में 10 आवेदन पत्र भेजे हैं।

(ङ) और (च) उन स्वैच्छिक एजेन्सियों के नाम, जिन्होंने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सरकारों के माध्यम से आवेदन पत्र भेजे हैं, वर्तमान प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र सहित उनके नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं (अनुबन्ध)

[**ग्रन्थालय में रखा गया** देखिये संख्या एल० टी० 4389/79]

"फार्म फारेस्ट्री" योजनायें

9182. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारत में "फार्म फारेस्ट्री" योजना स्थापित करने में सहायता की है;

(ख) उन्होंने कितना पूंजी निवेश किया है और उक्त फार्म फोरेस्ट्री योजनाओं के द्वारा रोजगार के कितने अवसर पैदा किये गये तथा वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ग) उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जो फार्म क्षेत्र में उत्पादित कृषि तथा खाद्य पदार्थों के निर्यात में लगी हैं; और

(घ) फार्म फारेस्ट्री योजनाओं में रुचि रखने वाली ऐसी विदेशी कम्पनियों को दिये जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) ऐसी कोई विदेशी कम्पनियां नहीं हैं जिन्होंने फार्म वानिकी योजनाओं में भारत की सहायता की हो। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीत संस्थान अर्थात् पुनर्निर्माण और विकास (विश्व बैंक) हेतु अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों में दो सामाजिक वानिकी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है।

(ख) उत्तर प्रदेश सामाजिक वानिकी परियोजना में कुल पूंजी निवेश लगभग 430 लाख अमेरिकी डालर होगा। जिसमें से 50 प्रतिशत विश्व बैंक से होगा। परियोजना के बारे में इस समय वाशिंगटन में बातचीत चल रही है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में स्थापित की जायेगी। इससे कितने रोजगार का सृजन होगा उसकी ठीक मात्रा का पता बातचीत के समाप्त

हो जाने पर लगेगा । गुजरात सामाजिक वानिकी परियोजना का मूल्यांकन कर लिया गया है और पूंजी निवेश की मात्रा और सृजित रोजगार के ब्यौरों का पता विश्व बैंक से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही लगेगा ।

(ग) सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब जनता के लिए ईंधन की लकड़ी और ग्रामीण आवास और कृषि उपकरणों के लिए छोटी लकड़ी की जरूरतों को पूरा करना है। ऐसे कार्यक्रम से उत्पादों के निर्यात का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) अतः ऐसे कोई प्रोत्साहन नहीं दिये जाते हैं ।

किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभप्रद मूल्य देने सम्बन्धी योजना

9183. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गन्ना, गेहूँ, आलू, पटसन आदि के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और क्या उत्पादक को उसके उत्पाद के लाभप्रद मूल्य देने से इंकार करने की आगामी वर्षों में इस हरित क्रान्ति पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा; क्या सरकार किसानों के उनके उत्पादों के लिए लाभप्रद मूल्य देने की कोई योजना तैयार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) 1977-78 के दौरान अनेक कृषि जिन्सों का उत्पादन नए रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है और 1978-79 में इसके और अधिक होने की सम्भावना है। यह सुनिश्चित करने के लिए, कि उत्पादन और मूल्यों में उतार-चढ़ाव का उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उत्पादकों के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सरकार ने महत्वपूर्ण कृषि जिन्सों के लिए अधिप्राप्ति/न्यूनतम साहाय्य मूल्यों की घोषणा करने की नीति अपनाती रही है और साहाय्य खरीद भी कर दी है। निम्नलिखित तालिका के मार्च, 1977 से अधिकांश महत्वपूर्ण फसलों के अधिप्राप्ति/न्यूनमत साहाय्य मूल्यों में पर्याप्त रूप से वृद्धि कर दी गई है :

अधिप्राप्ति/साहाय्य मूल्य

(विपणन वर्ष के अनुसार)

(रुपये प्रति क्विंटल)

मद	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80
अधिप्राप्ति मूल्य				
गेहूं (सभी किस्में)	105	110	112.50	115
धान (मोटा)	74	77	85	
ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी	74	74	85	

1	2	3	4	5
साहाय्य मूल्य				
चना	90	95	125	140
जौ	65	65	67	
अरहर	घ० न०	घ० न०	155	
मूंग	घ० न०	घ० न०	165	
कपास	घ० न०	255	255	
पटसन	136	141	150	
मूंगफली (छिलका सहित)	140	160	175	
सरसों के बीज	घ० न०	घ० न०	225	245
सोयाबीन	घ० न०	145	175	
सूरजमुखी के बीज	150	165	175	
गन्ना	8.50	8.50	10.00	

नोट : 1976-77 और 1977-78 में 10 पैसे और 1979-80 में 11.7647 पैसे के प्रीमियम के साथ 8.5 प्रतिशत की वसूली से सम्बद्ध चीनी के कारखानों द्वारा देय न्यूनतम मूल्य ।

घ०न० = घोषित नहीं की गई ।

देश में मूल्य स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है और घरेलू खपत, नियमित निर्यात, सट्टा व्यापार के क्रियाकलापों पर नियन्त्रण करना और भण्डारण आदि के लिए ऋण की व्यवस्था को नियमित करने को प्रोत्साहित करने के लिए उचित कदम उठाये हैं। किसानों को उचित कीमतों पर आदानों की यथा संभव सप्लाई करने के लिए भी प्रयास किये गए हैं। उर्वरकों के मूल्यों में कमी कर दी गई है और प्रणाणित बीजों की लागत कम हो गई है। सरकार ने कृषि जिन्सों के उत्पादकों को उचित लाभ दिलाने के विभिन्न उपाय किये हैं और इस कार्य के लिए कोई नई योजना तैयार नहीं की जा रही है ।

जिला मुख्यालयों, राज्यों की राजधानियों और दिल्ली के बीच सीधी टेलीफोन ट्रंक सेवा

9184. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन एक्सचेंजों में सरकारी राजस्व की भारी मात्रा में हानि के समाचार को ध्यान में रखते हुए सरकार राजस्व की हानि को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सीधी टेलीफोन सेवा के लिए व्यवस्था कर रही है और यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) समूचे देश में जिला मुख्यालयों को राज्यों को राजधानियों तथा दिल्ली के साथ सीधी ट्रंक सेवा से कब तक जोड़ दिया जायेगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) राष्ट्रीय उद्देश्यों में एक उद्देश्य देशभर में सीधी टेलीफोन सेवा की व्यवस्था करना भी है । राजस्व के होने, न होने या हानि रोकने से इसका सम्बन्ध नहीं है ।

(ख) आशा की जाती है कि आगामी 15 वर्षों के दौरान उत्तरोत्तर समूचे देश में जिला मुख्यालयों को उनके राज्यों की राजधानियों और दिल्ली के साथ सीधी ट्रक सेवा द्वारा जोड़ दिया जायेगा ।

रामपुर और दिल्ली के बीच सीधा टेलीप्रिंटर सम्बन्ध

9185. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीधी टेलीप्रिंटर सुविधा के लिए बहुत से स्थानों से मांग की जा रही है;

(ख) रामपुर और दिल्ली के बीच सीधी टेलीप्रिंटर प्रणाली डेढ़ वर्ष पूर्व काट दी गई थी जिससे लोगों में रोष है; और

(ग) इस प्रणाली को फिर से कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) जनवरी, 1978 में रामपुर संयुक्त डाक-तारघर केन्द्रीय तारघर नई दिल्ली के बीच टेलीप्रिंटर कनैक्शन काटे जाने के निम्न कारण थे :—

(i) रामपुर संयुक्त डाक-तारघर पहले से ही लखनऊ केन्द्रीय तारघर, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और बरेली विभागीय तारघर के साथ टेलीप्रिंटर सर्किटों पर कार्य कर रहा था ।

(ii) रामपुर और नई दिल्ली के बीच सीधा परियात बहुत कम था और दिल्ली के लिए टेलीप्रिंटर व्यवस्था करने का औचित्य नहीं था ।

(ग) अपेक्षित मानदण्डों के अनुसार परियात में वृद्धि होने पर सीधी टेलीप्रिंटर व्यवस्था करने पर विचार किया जायेगा ।

बंगला देश से आये शरणार्थियों का पुनर्वास

9186. **प्रो० समर गुह** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री विभिन्न शिविरों में भूतपूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के बारे में 2 अप्रैल, 1979 के तारांकित प्रश्न संख्या 582 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम, परिवारों के आंकड़े क्या हैं जहां 62,670 परिवारों को पुनः बसाया गया है;

(ख) उन शिविरों के नाम व शरणार्थियों की संख्या क्या है जहां 5,648 परिवार और 567 अन्य परिवार पुनर्वास के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ग) विभिन्न शिविरों में इन शरणार्थियों को कितने वर्षों से रखा जा रहा है;

(घ) सरकार को उनको कब तक बसाने का विचार है और क्या इन शेष शरणार्थियों को पुनर्वास के लिये अन्दमान द्वीपसमूह में भेजा जाएगा; और

(ङ) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को पुनर्वास की प्रगति का घटनास्थल पर अध्ययन करने के लिए अन्दमान सहित विभिन्न पुनर्वास स्थल पर संसद सदस्यों का एक दल भेजा जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जानकारी विवरण 'एक' में दी गई है जो सभा की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) जानकारी विवरण 'दो' में दी गई है जो सभा की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) चूंकि सभी राहत शिविर बन्द कर दिए गए हैं, अतः इसका प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) इस समय कर्मी शिविरों और कार्यस्थल शिविरों में रह रहे विस्थापित व्यक्ति वास्तव में पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं जो भूमि उद्धार के बाद भूमि उपलब्ध होने पर प्रदान किया जाएगा। उन्हें दण्डकारण्य परियोजना में पोटेरु सिंचाई एवं पुनर्वास योजना के अन्तर्गत तथा कुछेक को अन्य राज्यों में, जैसा कि प्रत्येक के सामने दिया गया है, बसाये जाने की आशा है। चूंकि अन्य स्कीमों में बसाने के लिये और शरणार्थी नहीं बचेंगे, अतः अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में पुनर्वास प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

विवरण—एक

31-12-1978 की स्थिति के अनुसार नए प्रवासियों के पुनर्वास की प्रगति

क्र० सं०	राज्य	कृषि	लघु व्यवसाय	उद्योग	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1573	96	—	1669
2.	अरुणाचल प्रदेश	2902	—	—	2902
3.	आसाम	6784	6244	—	13028
4.	बिहार	1032	1417	—	2449
5.	कर्नाटक	644	—	—	644
6.	महाराष्ट्र	5352	506	—	4858
7.	मध्य प्रदेश	4400	1842	78	6320
8.	मणिपुर	145	—	—	145
9.	मेघालय	1938	212	—	2150
10.	उड़ीसा	6	253	—	259
11.	पंजाब	—	3	—	3
12.	त्रिपुरा	5675*	699	—	6374
13.	उत्तर प्रदेश	1399	445	328**	2172
14.	राजस्थान	573	335	—	908
15.	अण्डमान	774	—	—	774
16.	दण्डकारण्य	16120	892	—	17012
	योग	49317	12944	406	62667

* ये परिवार भूतपूर्व पाकिस्तान में अपनी सम्पत्तियों को हस्तांतरित करके त्रिपुरा में बस गए हैं।

* बर्मा प्रत्यावासी शामिल हैं।

विवरण—दो

15-3-1979 की स्थिति के अनुसार कर्मी शिविरों/कार्यस्थल शिविरों/स्थायी दायित्व गृहों में रह रहे भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए 5648 परिवारों तथा 567 अन्य परिवारों के विभाजन को दर्शाने वाला विवरण :

राज्य/कर्मी शिविर/कार्य स्थल का नाम		परिवारों की संख्या
(क)	**कर्मी शिविर :**	
	दण्डकारण्य	3542
	आन्ध्र प्रदेश	47
	उत्तर प्रदेश	200
	बिहार	133
	मध्य प्रदेश	118
(ख)	**कार्यस्थल शिविर :**	
	तावा परियोजना	1608
	योग	5648
(ग)	**स्थायी दायित्व परिवार :**	

क्रम संख्या	लोक दायित्व गृह का नाम	परिवारों की संख्या	पुनर्वास योग्य परिवारों की संख्या
1	2	3	4
1.	माना (मध्य प्रदेश)	1968	207
2.	अमताली (त्रिपुरा)	224	24
3.	बिरसी (महाराष्ट्र)	291	80
4.	बामुनीगांव (आसाम)	376	99
5.	रुद्रपुर (उत्तर प्रदेश)	342	157
	योग	3201	567

केन्द्रीय तथा राज्यों के समाज कल्याण बोर्ड

9187. **प्रो० समर गुह :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार केन्द्रीय तथा राज्यों के समाज कल्याण बोर्डों का गठन कितने समय के लिये करती है;

(ख) वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्डों द्वारा कितनी राशि खर्च की गई तथा विभिन्न राज्यों द्वारा खर्च की राशि के तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ;

(ग) केन्द्रीय तथा राज्यों के बोर्डों का पुनर्गठन कब किया जा रहा है और क्या पुनर्गठन के समय विभिन्न राज्यों में कार्यरत, मान्यताप्राप्त महिला संगठनों के प्रतिनिधियों को इन नये समाज कल्याण बोर्डों में शामिल किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों का गठन सामान्यत: तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है ।

(ख) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा राज्यवार 1977-78 के और 1978-79 के दौरान व्यय की गई राशि संलग्न विवरण में दर्शाई गई है ।

(ग) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है । पिछला गठन 22-4-1978 को हुआ था और अभी इसका पुनर्गठन नहीं होना है ।

राज्य बोर्डों का गठन उनकी अवधि समाप्त होने पर राज्य सरकारों द्वारा की जाती है । राज्यों, जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, के महिला संगठनों को, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, काफी प्रतिनिधित्व दिया जाता है ।

(घ) वर्तमान पश्चिम बंगाल राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड में निम्नलिखित संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं :—

(1) अखिल भारतीय महिला कान्फ्रेन्स

(2) पश्चिम बंगा गणतांत्रिक महिला समिति

(3) सिलीगुड़ी महिला समिति, तथा

(4) जातीय कल्याण कर्म परिषद ।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड में श्रीमती आरती दत्त और प्रोफेसर कनक मुखर्जी शामिल हैं ।

विवरण

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1977-78 के दौरान व्यय	1978-79 के दौरान व्यय
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	66.98	35.11
2.	असम	17.08	17.56
3.	बिहार	20.43	32.23
4.	गुजरात	33.25	73.47
5.	हरियाणा	9.44	11.02
6.	हिमाचल प्रदेश	8.20	10.26
7.	जम्मू और कश्मीर	6.65	8 96
8.	कर्नाटक	27.85	26.20
9	केरल	31.28	33.32
10.	मध्य प्रदेश	27.12	28.38
11.	महाराष्ट्र	52.85	50.53
12.	मनिपुर	3.66	6.67
13.	मेघालय	3.67	4.29
14.	नागालैंड	2.12	3.01
15.	उड़ीसा	20.38	36.38
16.	पंजाब	14.95	19.10
17.	राजस्थान	24.39	29.08
18.	तमिलनाडु	55.75	40.62
19.	त्रिपुरा	4.43	4.77
20.	उत्तर प्रदेश	34.74	74.18
21.	पश्चिम बंगाल	32.71	51.16
22.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.55	5.15
23.	अरुणाचल प्रदेश	3.02	7.04
24.	चण्डीगढ़	0.44	2.11
25.	दिल्ली	48.47	51.46
26.	गोवा, दमन और दीव	3.59	2.66
27.	पांडिचेरी	6.06	2.31
28.	मिजोरम	6.07	6.32
29.	सिक्किम	0.88	2.77
30.	लक्षद्वीप	0.72	3.95

चावल और गेहूं की औसतन उपज और खेती पर लागत

9188. **श्री सुधीर घोषाल**
श्री के० प्रधानी } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल और गेहूँ की प्रति एकड़ (राज्यवार) औसतन उपज और लागत कितनी है; और

(ख) इनकी अखिल भारतीय प्रति एकड़ औसतन उपज और खेती पर लागत कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 के लिये राज्यवार तथा अखिल भारत के चावल और गेहूं की प्रति एकड़ औसतन उपज विवरण — 1 में दी गई है । ऐसे राज्यों (जो 1975-76 और 1976-77 के दौरान इन फसलों के अन्तर्गत किए गये थे) की धान तथा गेहूं की प्रति हैक्टार खेती की लागत के अनुमान विवरण-2 में दिये गये हैं । यह उल्लेखनीय है कि खेती की लागत के अनुमान अखिल भारतीय स्तर पर तैयार नहीं किये जाते हैं ।

विवरण—1

राज्यवार/अखिल भारत के 1976-77 तथा 1977-78 के लिए चावल तथा गेहूं की प्रति हैक्टार औसतन उपज

(कि० ग्राम)

	चावल		गेहूं	
	1976-77	1977-78	1976-77	1977-78
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	1383	1491	594	686
असम	933	1014	1102	1154
बिहार	895	987	1270	1261
गुजरात	1218	1384	1475	1784
हरियाणा	2470	2605	2029	2099
हिमाचल प्रदेश	1117	1292	721	818
जम्मू तथा कश्मीर	1371	1679	840	840
कर्नाटक	1537	2082	638	672
केरल	1468	1514	—	—
मध्य प्रदेश	604	938	734	909
महाराष्ट्र	1351	1563	789	792
मणिपुर	1507	1675	—	—

1	2	3	4	5
मेघालय	1199	1224	ए	ए
नागालैंड	1019	1029	—	—
उड़ीसा	735	981	1776	1735
पंजाब	2583	3362	2432	2537
राजस्थान	1341	1286	1279	1424
तमिलनाडु	1846	2210	ए	ए
त्रिपुरा	1117	1222	ए	ए
उत्तर प्रदेश	922	1065	1350	1429
पश्चिम बंगाल	1143	1387	2040	2040
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1143	1059	—	—
अरुणाचल प्रदेश	886	900	ए	ए
दिल्ली	ए	ए	2135	2135
दादर तथा नगर हवेली	1474	1520	ए	ए
गोवा, दमन तथा दीव	1665	1706	—	—
मिजोरम	626	626	—	—
पांडिचेरी	2398	1934	—	—
अखिल भारत	1088	1317	1387	1477

यह राज्य गौण होने के कारण प्रति हैक्टार उपज की गणना नहीं की गई है।

विवरण—2

प्रमुख फसलों की खेती/उत्पादन की लागत की वृहत योजना के अन्तर्गत पैदा किये गये गेहूं तथा धान के उत्पादन की लागत के अनुमान

फसल	राज्य	वर्ष/प्रमुख (एम) या गौण (एस) नमूने	प्रति हैक्टार खेती की लागत
गेहूं	बिहार	1975-76 (पी) एम	1847.94
	हरियाणा	1975-76 एस	2396.55
		1976-77 (पी) एम	2953.79
	पंजाब	1976-77 (पी) एस	2611.89
		1977-78 (पी) एस	2722.36
	मध्य प्रदेश	1975-76 (पी) एस	1288.99
	राजस्थान	1975-76 (पी) एस	2064.46
	उत्तर प्रदेश	1975-76 (पी) एस	2586.67
	पश्चिम बंगाल	1975-76 (पी) एम	2460.68

1	2	3	4
धान	आन्ध्र प्रदेश	1975-76 एस	2193.49
		1976-77 (पी) एस	2498.77
	असम	1975-76 एम	1044.89
		1976-77 (पी) एस	1035.95
	कर्नाटक	1975-76 एस	2600.82
	उड़ीसा	1975-76, 1976-77 (पी) एस	1222.40
		एम	1373.52
	पश्चिम बंगाल	1975-76, 1976-77 (पी) एस	1908.46
		एम	2037.73

टिप्पणी : पी = ये अनुमान अस्थाई रूप में लगाये गये हैं, और ये अन्तिम नहीं हैं।

एम = इस फसल का अध्ययन प्रमुख नमूने के आधार पर किया गया था।

एस = ये अध्ययन छोटे आयामों के उप-नमूने के आधार पर किये गये थे और प्रमुख नमूने के नतीजों की तुलना में तदनुरूपी अनुमानों का उपयोग सतर्कता से करना है, क्योंकि ये कम विश्वसनीय हैं।

नलकूपों के लिए आवंटित धनराशि का उचित प्रयोग करने हेतु समिति

9189. **श्री सुधीर घोषाल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न राज्यों को गहरे नलकूप स्थापित करने के लिए आवंटित धनराशि का उचित उपयोग किया जाए, एक एजेंसी नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में उन कार्यों के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है जिनके लिए दो वर्षों में धनराशि आबंटित की गई थी ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि विभिन्न राज्यों को गहरे नलकूप लगाने के लिये आबंटित धनराशि का उचित उपयोग हो, कोई एजेन्सी नियुक्त नहीं की है। तथापि, कृषि मन्त्रालय का लघु सिंचाई प्रभाग सामयिक रिपोर्ट भेजने की प्रणाली, वार्षिक योजना सम्बन्धी विचार विमर्श, केन्द्रीय दलों के दौरों तथा क्षेत्रीय बैठकों, आदि के माध्यम से गहरे नलकूप लगाने सहित लघु सिंचाई कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा तथा देखरेख करता है।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य लघु सिंचाई निगम लि० द्वारा पश्चिम बंगाल में गहरे नलकूपों के बेधन की प्रगति निम्नवत है :—

1977-78	1978-79
79	127 (31-1-1979 तक)

कपूरथला और दिल्ली के बीच सीधी टेलीफोन सेवा

9190. **श्री इकबाल सिंह ढिल्लों**
चौधरी बलबीर सिंह
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव } : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता और पंजाब सरकार की ओर से कपूरथला और दिल्ली को सीधी टेलीफोन सेवा के साथ जोड़ने की बहुत अधिक मांग है;

(ख) क्या सरकार को भी इस बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या कपूरथला एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र है और उपरोक्त सुविधा के न होने के कारण व्यापारिक समुदाय को कठिनाई हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का कपूरथला को सीधी टेलीफोन सेवा के साथ दिल्लीसे जोड़ने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) से (घ) कपूरथला और दिल्ली के बीच सीधी टेलीफोन सेवा की सुविधा की मांग के लिये सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं लेकिन मौजूदा परियात के अनुसार इस स्तर पर सीधी टेलीफोन सेवा की व्यवस्था का औचित्य नहीं बनता है ।

केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या में वृद्धि

9191. **श्री इकबाल सिंह ढिल्लो**
चौधरी बलबीर सिंह } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम है;

(ख) यहि हां, तो इनकी प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) सरकार इनकी प्रतिशतता बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां । केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले की मांग को देखते हुए विद्यमान केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या कम जान पड़ती है ।

(ख) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना सम्बन्धित क्षेत्र में, मुख्यत: स्थानांतरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जाती है न कि देश में कुल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या के संदर्भ में ।

1979—84 के दौरान 100 केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है ।

घोण्डा (यमुनापुरी) दिल्ली में मूल सुविधाओं का अभाव

9193. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सी-ब्लाक, घोण्डा (यमुनापुरी) दिल्ली में बहुत से परिवार बस गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि वहां सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में दिसम्बर, 1978 में 59,00,530/- रुपये मार्च, 1979 में 1,40,636/- रुपये जमा किये थे । दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने यह कार्य आरम्भ कर दिया है और सड़कों पर लगभग 900 प्रकाश स्तम्भ खड़े किये जा चुके हैं ।

ललित कला अकादमी

9194. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ललित कला अकादमी, नई दिल्ली एक केन्द्रीय निकाय है;

(ख) यदि नहीं, तो इसका सरकार से क्या सम्बन्ध है;

(ग) गत तीन वर्षों में इस निकाय को वर्षवार कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(घ) इसके प्रशासकीय निकाय सदस्यों के नाम क्या हैं और इस निकाय का चयन अथवा नामांकन कैसे किया जा रहा है;

(ङ) गत दो वर्षों में ललित कला अकादमी द्वारा की गई गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस निकाय के विरुद्ध अनियमितताओं और कदाचारों की कोई शिकायतें की गई हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (छ) विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) और (ख) ललित कला अकादमी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है और भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है ।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता निम्नलिखित थी :—

(i) 1976-77	रु० 16,70,000
(ii) 1977-78	रु० 35,96,000
(iii) 1978-79	रु० 27,03,000

(घ) अकादमी के निम्नलिखित निकाय हैं :—

(i) महा परिषद्

(ii) कार्यकारी बोर्ड

(iii) वित्त समिति

महापरिषद् सर्वोच्च निकाय है । इसके सदस्य निम्नलिखित पद्धति के अनुसार निर्वाचित अथवा नामांकित किये जाते हैं :—

(i) महापरिषद् द्वारा सहयोजित हस्तकला एवं लोक कला के क्षेत्र से एक विशेषज्ञ;

(ii) राज्य ललित कला अकादमियों द्वारा मनोनीत व्यक्ति जो या तो कलाकार कला आलोचक अथवा कला इतिहासकार हैं;

(iii) प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से मान्यता प्राप्त कला सोसाइटियों और संगठनों के निर्वाचित प्रतिनिधि;

(iv) कलाकार निर्वाचन क्षेत्र से कलाकारों द्वारा निर्वाचित पन्द्रह कलाकार;

(v) महापरिषद् द्वारा निर्वाचित नौ श्रेष्ठ भारतीय कलाकार;

(vi) महापरिषद् द्वारा निर्वाचित तीन विख्यात कला आलोचक, कला इतिहासकार अथवा ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कला के लिए सराहनीय सेवा की है;

(vii) तकनीकी अध्ययन तथा प्रयुक्त कला के अखिल भारतीय बोर्ड का एक प्रतिनिधि;

(viii) संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि;

(ix) अखिल भारतीय वास्तुकला संस्थान द्वारा मनोनीत एक वास्तुकार; और

(x) अकादमी के पांच फेलो ।

(ङ) ललित कला अकादमी के गत दो वर्षों के प्रमुख कार्यकलाप निम्नलिखित हैं :—

प्रदर्शनियां

(क) **बहार जाने वाली**

(1) आस्ट्रेलिया में प्रदर्शित भारतीय भिति चित्रों की फेसीमाइल प्रतियां;

(2) XIV सो पौलो द्विवार्षिक में भाग लिया गया; और

(3) मास्को में भारतीय राष्ट्रीय प्रदर्शनी के भाग के रूप में दिखाये गये संग्रह ।

(ख) **बाहर से आने वाली**

(1) दिल्ली और लखनऊ में आयोजित रोमानियन चित्रकला प्रदर्शनी;

(2) दिल्ली में प्रस्तुत प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली चीजों के बारे में तैयार फिनलैंड से आए डिजाइनों की प्रदर्शनी;

(3) दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता में प्रदर्शित मध्ययुगीन युगोसिलव फ्रेस्कोज की प्रतियां जो बम्बई में भी दिखाई जाएगी;

(4) फ्रैंच उस्तादों की कृतियों की प्रतिकृतियां जो दिल्ली में और बाद में बम्बई, बंगलौर, मद्रास, पांडिचेरी और कलकत्ता में प्रदर्शित की गई;

(5) जापान से "इमेजिस आफ जापान" नामक 60 ग्राफिक्स की प्रदर्शनी; और

(6) रूसी कला की प्रदर्शनी—दिल्ली और कलकत्ता में प्रदर्शित 31 चित्र और 61 ग्राफिक्स ।

(ग) **भारत में**

(1) भारत में चौथी ट्रीनेल आयोजित की गई जिसमें 38 देशों द्वारा भाग लिया गया । ट्रीनेल के दौरान एक अन्तर विषयक सेमिनार आयोजित किया गया जिसमें भारत और विदेशों से 50 से अधिक विख्यात व्यक्तियों ने भाग लिया, इसके साथ-साथ एक अखिल भारत कला मेला आयोजित किया गया । इसमें 17 राज्य; अकादमियों/कला संगठनों/कलाकार दलों ने भाग लिया ।

(2) अकादमी के संग्रह से राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में भेजी गई चित्रों, रेखीयचित्र तथा वास्तुकला के चुनीन्दा संग्रह;

(3) चण्डीगढ़ नगर की रजत जयन्ती मनाने के लिए अकादमी के संग्रह से काफी वस्तुओं का वहां प्रदर्शन किया गया;

(4) दो मुख्य प्रदर्शनियां, एक "चित्र स्थल" जिसमें 46 कलाकारों के चित्र तथा रेखीयचित्र दिल्ली में तथा एक राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी जो अहमदाबाद में आयोजित की गई;

(5) स्वर्गीय श्री के० सी० एस० पानीकर के चित्रों की मद्रास में प्रदर्शन करने के बाद उनका दिल्ली में प्रदर्शन किया गया;

(6) गढ़ी स्टूडियो वर्कशाप में आयोजित कलाकार शिविरों में चित्र प्रदर्शित किए गए;

(7) 'प्वाइटस आफ व्यू' नामक अकादमी के स्थायी संग्रह को मद्रास तथा दक्षिण के अन्य स्थानों में प्रदर्शित किया गया। एक दूसरे सामग्री संग्रह को आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के 11 केन्द्रों में दिखाया गया; और

(8) 22वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का दिल्ली में आयोजन किया गया;

क्षेत्रीय केन्द्र मद्रास

अकादमी के प्रथम क्षेत्रीय केन्द्र का जिसमें एक गैलरी प्रांगण, एक पुस्तकालय तथा एक बिक्री भंडार शामिल है, अक्तूबर, 1978 के दौरान मद्रास में उद्घाटन किया गया। ये दक्षिण के चार राज्यों के कला कार्यकलापों का समन्वय करता है। इसने मद्रास में 7 प्रदर्शनियों और दो कला शिबिरों का आयोजन किया।

प्रकाशन

अकादमी ने मनकोड भीति चित्रों का एक पोर्टफोलियो, ललित कला (प्राचीन) पत्रिका सं० 18, समकालीन कला प्रकाशन निकाले और 'मूविंग फोकस' समकालीन सं० 24 और 25 तथा 26 और 27 छप रहे हैं। इसने 8 बहुरंगी प्रतिकृतियां भारतीय लघु चित्रों के पिक्चर पोस्टकार्डों का एक सैट और चौथी त्रैवार्षिकी की स्मारिका सूची का प्रकाशन भी किया है। ललित कला प्राचीन कला माला के अन्तर्गत पोर्टफोलियो, मुगल पेंटिंग, मेवाड़ पेंटिंग और गति गोविन्द के तीन पुनर्मुद्रण जारी किये गये।

कुमारास्वामी सेमिनार

ललित कला अकादमी ने संस्कृति विभाग के सहयोग से कुमारास्वामी शताब्दी सेमिनार आयोजित किया जिसमें 60 से अधिक विख्यात कला इतिहासकारों, अध्येताओं और कलाकारों ने भाग लिया।

सामान्य

(1) गांड़ी में स्टूडियो, कार्यशाला और उदयपुर में एक पेन्टर शिविर आयोजित किया गया था जिनमें स्थानीय कलाकारों के साथ-साथ भारत के विभिन्न भागों के कलाकारों ने भाग लिया।

(2) आर्ट हैरीटेज गैलरी के सहयोग से श्री घनराज भक्त और श्री एम० एफ० हुसैन के लिए फैलोशिप समारोहों का आयोजन किया गया;

(3) ललित कला वीथियों में अकादमी के प्रकाशनों की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। कला प्रकाशनों को लोकप्रिय बनाने के लिए इस प्रदर्शनी को 11 केन्द्रों में दिखाया गया था;

(4) अकादमी ने बंगलौर पुस्तक मेले में भाग लिया; और

(5) अकादमी ने कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पूर्वी प्रदेश के कलाकारों ने भाग लिया।

(च) और (छ) अकादमी के लेखों की परीक्षा महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व द्वारा की जाती है। सरकार के ध्यान में तकनीकी आपत्तियों के अतिरिक्त अनियमितताओं के कोई गंभीर मामले नहीं लाए गए हैं।

हिन्दी में पत्र

9195. **श्री लक्ष्मण राव मानकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित कालेजों और हिन्दी भाषी राज्यों को इस परम्परा के अनुसार कि उन्हें पत्र हिन्दी में भेजे जाने चाहिए कितने पत्र हिन्दी में भेजे गये; और

(ख) यदि उनकी संख्या नगण्य है, तो इसके क्या कारण हैं और राजभाषा नियमों के अनुसार हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में राजभाषा क्रियान्विति समिति

9196. **श्री लक्ष्मण राव मानकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गये नियमों के अनुसार एक राजभाषा क्रियान्विति समिति बनाई गई है;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है; और

(ग) उक्त समिति सम्भावत: कब तक बना दी जायेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) :) जी, हां, जैसा कि आयोग ने सूचित किया है, उन्होंने एक समिति स्थापित कर दी है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उटते।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में हिन्दी अधिकारी

9197. **श्री लक्ष्मण राव मानकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में किसी का कार्य करने के लिए कितने हिन्दी अधिकारियों, अनुवादकों, हिन्दी स्टेनोग्राफरों तथा हिन्दी टाइपिस्टों की नियुक्ति की गई है; और

(ख) यदि उक्त कर्मचारी नियुक्त नहीं किये गये हों तो उन्हें कब तक नियुक्त किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय के बहुत से कर्मचारियों को हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान प्राप्त है और उनमें से कुछ कर्मचारी आवश्यकतानुसार हिन्दी में अपना काम करते हैं। इसके अतिरिक्त अनुभाग अधिकारी (हिन्दी) आशुलिपिक (हिन्दी) तथा कनिष्ठ आशुलिपिक (हिन्दी) के प्रत्येक ग्रेड में एक-एक पद मंजूर कर दिया गया है। इन तीन पदों में से एक कनिष्ठ आशुलिपिक का पद इस समय भरा हुआ है।

राज्यों में गृह निर्माण की गतिविधियां बढ़ाया जाना

9198. **चौधरी हरी राम मक्कासर गोदारा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों पर गृह निर्माण गतिविधियों में तेजी लाने के लिए बार-बार जोर दिया गया है और रिक्त तथा अतिरिक्त जमीन पर भवन निर्माण के नक्शों की स्वीकृति के लिए अपेक्षित ब्यौरा और अनुदेश भेज दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में उन राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली में ही कोई न कोई बहाना लगा कर भवन निर्माण के अनेक नक्शे मंजूरी के लिए लम्बित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है और मंजूरी तत्काल देने के लिए नगर निगम को क्या परामर्श दिया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारें सामान्यतः भारत सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गनिर्देशनों को अपना रही हैं।

(ग) तथा (घ) जी, नहीं, दिल्ली में भी इन्हीं मार्गनिर्देशनों के अनुसार भवनों के नक्शे मंजूर किए जा रहे हैं।

गेहूँ, मक्का तथा मूंग की फसलों के लिये जमीन के जोतने के सम्बन्ध में कृषि विशेषज्ञों के विचार

9199. **चौधरी हरी राम मक्कासर गोदारा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना के कृषि विशेषज्ञों की इन सिफारिशों की ओर दिलाया गया है कि गेहूं, मक्का तथा मूंग आदि की फसलों के लिये भूमि की जुताई एवं हल चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है;

(ख) विश्वविद्यालय में तथा भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियों तथा वातावरण को ध्यान में रखते हुए बाहर के राज्यों में विभिन्न कृषि फार्मों में सभी अपेक्षित प्रयोग करने के पश्चात् की गई सिफारिशों के बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या उनका इन सिफारिशों का प्रचार करने का विचार है जिससे कि किसान अपना समय, शक्ति तथा धन बचा सकें, जो कि सभी कृषीय उत्पादकता का आवश्यक अंग हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान, सरकार को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, में चलाये गये कार्य की जानकारी है। इस विश्वविद्यालय के सस्यविज्ञान विभाग ने मक्का और गेहूं की फसलें बोने के लिये न्यूनतम जुताई पर पिछले आठ वर्षों से परीक्षण किये हैं। लुधियाना के इन परीक्षणों में, जहां मिट्टी हल्की बनावट की है, न्यूनतम जुताई और सामान्य जुताई के बीच उपज में कोई अन्तर नहीं पाया गया। बाद में, लुधियाना से करीब 50 किलोमीटर दूर नारायण गढ़ की भारी मिट्टियों में प्रयोग किये गये भारी मिट्टियों में भी परिणाम वहीं रहे। ये प्रयोग तीन वर्षों तक किये गये। वर्ष 1977-78 में एक गांव में किसानों के खेतों में सीमित संख्या में परीक्षण किये गये और परिणामों से यह निष्कर्ष पुष्ट हो गया।

सस्यविज्ञान विभाग ने कुछ प्रयोग 1977-78 में धान कट जाने के बाद धान के खेतों में गेहूं बोने के लिए न्यूनतम जुताई पर भी कुछ प्रयोग किये हैं। इन प्रयोगों में गेहूं की उपज सामान्य जुताई वाले खेतों की अपेक्षा मामूली सी अधिक थी किन्तु उपज की बढ़त महत्वपूर्ण नहीं थी। यही प्रयोग 1978-79 में फिर से किये गये और फसल का रूझान वैसा ही रहा। सही आंकड़े निकट भविष्य में उपलब्ध होंगे।

यह परिणाम यह जाहिर करते हैं कि जुताई केवल खर-पतवार नियन्त्रण के लिए चाहिए और बीज अंकुरण तथा पौधों की बढ़त के लिए यह जरूरी नहीं है। यदि उपयुक्त और सस्ते खर पतवार नाशक उपलब्ध हो जाते हैं तो न्यूनतम जुताई की धारणा एक सुखद स्थिति हो सकती है।

(ख) क्योंकि ये प्रयोग विभिन्न कृषि जलवायुओं की दशाओं में विस्तृत रूप से नहीं किए गए हैं अतः इस अवस्था में इसकी देश में अपनाये जाने की सामान्य सिफारिश करना कठिन हो

सकता है। विभिन्न परिस्थितियों में इसकी उपयुक्तता का पता लगाने के लिए यही परीक्षण विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थानों में भी किए जा सकते हैं।

इसी दिशा में कुछ कार्य कृषि महाविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में भी किया गया है। फसल विज्ञानियों द्वारा जुताई रहित/न्यूनतम जुताई कृषि प्रणाली पर अध्ययन किए गए हैं। कृषि इंजीनियरी महाविद्यालय में न्यूनतम जुताई की धारणा को कार्यान्वित करने के लिए बैलों द्वारा खींचने वाला एक "टिल-प्लांटर" विकसित किया गया है।

यह "टिल-प्लांटर" "हवेली" खेतों में गेहूं और चने के गैर-तैयार-शुदा खेतों में एक ही बार में मिट्टी की पपड़ी तोड़ देता है, खूटियां उखाड़ देता है, कूंड निकाल देता है और बुवाई कर देता है तथा उर्वरक लगा देता है। इस उपकरण की सिफारिश वर्ष 1978 में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की फार्म उपकरण व मशीनरी की कार्यशाला में नमूने के निर्माण के लिए की गयी है।

(ग) जुताई रहित/न्यूनतम जुताई प्रणाली को लोक प्रिय बनाने के लिए विचार तब किया जायेगा जबकि अधिक विस्तत क्षेत्रों में तथा विभिन्न कृषि जलवायुओं में इसके संतोषजनक परिणाम प्राप्त हो जायेंगे।

नई दिल्ली/दिल्ली में पटरी पर बैठने वाले खोंमचे वालों को हटाना

9200. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार दिल्ली तथा नई दिल्ली में पैदल पथों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बेचने वालों को रोकने में असफल रही है जिसके फलस्वरूप विशेषकर दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में यातायात में बड़ी कठिनाई होती है जहां पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है; और

(ख) क्या सरकार आम जनता की कठिनाई को दूर करने के लिए खोंमचा वालों के उचित प्रबन्ध करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि इसके क्षेत्र में फुटपाथों/पटरियों पर चीजें बेचने वालों को समय-समय पर हटा दिया जाता है तथा इसके क्षेत्र में पटरियों पर चीजें बेचने वालों की समस्या नियन्त्रणाधीन है।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इसके क्षेत्राधिकार में फुटपाथों/पटरियों पर चीजें बेचने वालों को हटा दिया जाता है परन्तु आबादकार बहुधा उसी स्थान पर आ जाते हैं।

(ख) सरकार ने दिल्ली प्रशासन को फुटपाथों/पटरियों पर आबादकारों/बिक्रेताओं के विरुद्ध अपने अभियान को तेज करने के लिए कहा है।

अतरांकित प्रश्न संख्या 7190 दिनांक 16-4-79 में शुद्धि करने वाला विवरण

कृषि और सिंचाई मंत्री श्री सुरजनसिंह बरनाला मैंने दिनांक 16-4-1979 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 7190 के उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था कि "प्रति व्यक्ति के लिए दूध की दैनिक उपलब्धि लगभग 107 ग्राम है"।

वास्तविक स्थिति यह है कि "प्रति व्यक्ति दैनिक दुग्ध उपलब्धि लगभग 120 ग्राम होने का अनुमान है"।

मेरे ध्यान में यह बात आई है, अत: मैं पहले दिये गए अपने उत्तर को ठीक करता हूं।

गोवा में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में

श्री एडीआर्डो फैलीरो (मारमागोआ) : उपाध्यक्ष महोदय, आज की कार्य सूची से पता चलता है कि उसमें गोवा में शनिवार को लादे गये राष्ट्रपति शासन का उल्लेख नहीं किया गया और न इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा ही सभा-पटल पर रखी गई है।

यह मामला पिछले सोमवार से चल रहा है पिछले सोमवार शशीकला की सरकार का पतन हो गया था और तब से माननीय सदस्यों ने यह मामला उठाया है तथा नियम 377 के अधीन भी चर्चा की मांग की गई है। सरकार ने मौन रखना उचित समझा। मेरा निवेदन यह है कि वृहस्पतिवार और शुक्रवार को सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। शुक्रवार को सरकार ने संसद की उपेक्षा करके गोवा में विधान सभा भंग करके राष्ट्रपति का शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश प्राप्त कर लिए। महोदय यह इस कारण बहुत ही अनुचित बातहै कि **प्रथमत:** यह है कि देश के एक भाग में उत्तर-दायी सरकार को हटाया गया है जबकि उत्तरदायी सरकार हमारे संविधान की आधार शिला है। **दूसरे में** इससे संघीय प्रणाली के सिद्धान्त तथा राज्यों की जिनमें संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल हैं। जिनमें विधान सभायें हैं, की स्वायतत्ता के सिद्धान्त का उल्लंघन होता है। उन्हें उत्तरदायी सरकार का हक है। **(व्यवधान)**

गोवा कोई कालोनी नहीं है। यदि हो भी फिर भी संसद को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। आप सभा के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के संरक्षक हैं आपको यह देखना है कि कार्यपालिका इनका उल्लंघन न करें। अत: मैं सरकार द्वारा की गई अनुचित कार्यवाही की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें। आपने अपनी बात पूरी कर ली है।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमने इस मामले पर पहले भी दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी थी। अब हम गलत ढंग से गोवा की विधान सभा भंग किये जाने के विरुद्ध हैं जबकि वहां वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावना और स्थगन प्रस्ताव रखना चाहते हैं। मैं एक पूर्व-उदाहरण देना चाहता हूं। आपको याद होगा कि मार्च, 1977 में जबकि इस सभा का सत्र चल रहा था। शेख अब्दुल्ला की सलाह पर काश्मीर विधान सभा भंग कर दी गई थी जबकि उनके दल को उस समय विधान सभा में बहुमत नहीं रहा था। हमारी पार्टी ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी

थी तथा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। अब हमने गोवा विधान सभा भंग किए जाने पर स्थगन प्रस्ताव दिया है जबकि वहां पर वैकल्पिक सरकार बनने की सम्भावना है। यह साधारण मामला नहीं है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है मुझे खेद है कि मैं इसे व्यवस्था के प्रश्न के अन्तर्गत स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री वायालार रवि (चिरपिकील) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 के नियम 51 को देखें ! इसमें कहा गया है :

> "यदि राष्ट्रपति, किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक से प्रतिवेदन मिलने पर अथवा अन्यथा सन्तुष्ट हों (क) कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन नहीं चलाया जा सकता है अथवा (ख) संघ राज्य क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक अथवा अनिवार्य है तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा इस अधिनियम के सभी उपबन्धों अथवा किसी उपबन्ध को ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझें लागू होने से स्थगित कर सकते हैं और ऐसे प्रासंगिक तथा आनुषंगिक उपबन्ध बना सकते हैं जिन्हें वे अनुच्छेद 239 के उपबन्धों के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लिए आवश्यक अथवा अनिवार्य समझते हैं।"

संविधान के अनुच्छेद 239 में क्या उल्लेख किया गया है ? इसमें दो तरह के संघ राज्य क्षेत्र हैं। एक है—गोवा पांडिचेरी तथा ऐसे अन्य संघ राज्य क्षेत्र दूसरे, लक्षद्वीप तथा इसी तरह के अन्य संघ राज्य क्षेत्र हैं। एक में निर्वाचित विधान सभा है और दूसरे में सीधा नियंत्रण है। संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या उल्लेख है। महोदय मैं अनुच्छेद 356 पढ़ता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हां।

श्री वयालार रवि : संविधान के अनुच्छेद एक में इस प्रकार कहा गया है :

यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा—

(क) उस राज्य की सरकार के सब या कोई कृत्य, तथा (राज्यपाल) में, अथवा राज्य के विधानमंडल को छोड़कर राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में, निहित, या तद्द्वारा प्रयोक्तव्य सब या कोई शक्तियाँ अपने हाथ में ले सकेगा।

उसी अनुच्छेद के उपखंड (3) के अधीन उद्घोषणा को संसद की प्रत्येक सभा के समक्ष रखा जाएगा और यदि इसे दो महीने के भीतर स्वीकृत नहीं किया जाता तो यह लागू नहीं होगा। अतः यह अनिवार्य है। उपखंड (3) के अधीन सरकार के लिए इसे सभा के समक्ष रखना अनिवार्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : अपने स्थान पर बैठ जाइये। मैं आपकी बात समझ गया हूं। आप गोवा

पांडिचेरी जैसे राज्यों का उल्लेख कर रहे थे। मिजोराम जैसे राज्य हैं। उन पर यह लागू नहीं होता। तब भी कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिन्हें सभा पटल पर रखा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि सरकार आज या कल उन्हें सभा पटल पर रख देगी।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : प्रधान मंत्री वक्तव्य दें। किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा पूरे देश पर नही लादनी चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री राम बिलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नैपाल की ओर खींचना चाहता हूं जहां हजारों की संख्या में भारतीय रुके हुए हैं। वहां पर जनतन्त्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। बी० पी० कोयराला जैसे लोगों को जेल में बन्द कर दिया गया है।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : बसु जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे। श्री बरनाला।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पशुओं के प्रति क्रूरता (पशुओं को पकड़ना) नियम, 1979

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं

(1) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 की उपधारा (4) के अन्तर्गत पशुओं के प्रति क्रूरता (पशुओं को पकड़ना) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 24 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 1056 में प्रकाशित हुए थे।

[**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए** संख्या एल० टी० 4377/79]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1979 का प्रारूप और ललित कला अकादमी के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकारण की समीक्षा

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1979 के प्रारूप (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 4378/79]

(2) निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए** संख्या एल० टी० 4379/79]

विदेशमंत्री द्वारा अपनी हाल की संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा का विवरण

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : 20 से 25 अप्रैल, 1979 की संयुक्त राज्य अमरीका की अपनी यात्रा के बारे में एक वक्तव्य।

[**ग्रन्थालय में रखा गया।** देखिए संख्या एल० टी० 4380/79]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (नौवां संशोधन) नियम, 1979

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : मैं श्री जुल्फिकार उल्लाह की ओर से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत उत्पाद-शुल्क (नौवां संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 21 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 617 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[**ग्रन्थालय में रखे गये।** देखिए संख्या एल० टी०-4381/79]

श्री मनीराम बागड़ी (मथुरा) : उपाध्यक्ष जी, आप सुन रहे हैं। इस तरह से कैसे काम चलेगा। (**व्यवधान**)।

गोआ, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में दिनांक 27 अप्रैल, 1979 को राष्ट्रपति का आदेश

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 51 के अधीन जारी किये गये गोआ, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में दिनांक 27 अप्रेल, 1979 के राष्ट्रपति के आदेश को अधिसूचित करने वाले आदेश की एक प्रति जो दिनांक 28 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 234 में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं।

[**ग्रन्थालय में रखा गया।** देखिए संख्या एल० टी० 4383/79]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश

श्री रामधन (लालगंज) : मैं अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति की पहली से बावनवीं बैठक के कार्यवाही सारांश की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मद्रास हवाई अड्डे पर इण्डियन एयरलाइन्स के बोइंग-737 के क्षतिग्रस्त होकर उतारने का समाचार

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं पर्यटन और नागर विमानन मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे अनुरोध करता है कि वह इस पर एक वक्तव्य दें।

"26 अप्रैल, 1979 को मद्रास हवाई अड्डे पर इंडियन एयर लाइन्स के बोइंग-737 के

क्षतिग्रस्त होकर उतरने के समाचार की ओर पर्यटन और नागर विमानन मंत्री का ध्यान दिलाया ।"

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : बड़े खेद के साथ मुझे इस सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि इन्डियन एयरलाइन्स का बोइंग 737 विमान वी० टी० =ई० सी० आर०, 26 अप्रैल, 1979 को अनुसूचित यात्री सेवा आई० सी०-530 (त्रिवेन्द्रम-मद्रास) का परिचालन करता हुआ लगभग 12.20 बजे मद्रास हवाई अड्डे पर उतरते समय धावन के दौरान रन-वे पर लक्ष्य स्थल से बहुत आगे निकल गया और उसे बहुत अधिक क्षति पहुंची। विमान में 61 यात्री तथा 6 वैमानिक कर्मचारी थे। सात यात्रियों तथा सभी 6 विमान कार्मिकों को, जिन्हें चोटें आई थीं, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जिन अन्य दूसरे यात्रियों को मामूली चोटें आई थीं, उन्हें एयरपोर्ट डिस्पेंसरी में ही प्राथमिक उपचार सुविधा (First-aid) प्रदान की गई। इन्डियन एयरलाइन्स से मिली हाल की सूचना के अनुसार, 5 विमान कार्मिकों, जिनमें दुर्घटनाग्रस्त विमान के कमाण्डर भी सम्मिलित हैं, तथा 2 यात्रियों का अभी भी इलाज चल रहा है और ऐसी आशंका की जाती है कि इनमें से कुछ के फ्रेक्चर भी हुए हैं। इन्डियन एयरलाइन्स इन व्यक्तियों का सारा इलाज का खर्चा उठाने के अलावा उनकी हर संभव देखभाल भी कर रही है।

दुर्घटना के बाद विमान की दोनों मुख्य 'अण्डर कैरिज असेम्बलिया' विमान से अलग हो गयीं और विमान 'फ्यूजेलेज' पर ही खड़ा है। दोनों इन्जन भी पंखों (विंग्स) से अलग हो गए थे और उन्हें भारी नुकसान पहुंचा था। दुर्घटना के कारण का पता लगाने तथा उसे हुई क्षति का मूल्यांकन करने के लिए विमान को एयरबैगों और जैकों की सहायता से वहां से उठाया जा रहा है।

बोइंग 737 विमान वी० टी० =ई० सी० आर० की डिलीवरी सिएटल में 30 अक्तूबर, 1974 को ली गई थी और वह 5 नवम्बर, 1974 को भारत पहुँचा था।

केप्टन वी० एन० अरोड़ा विमान के 'कमान्डर' थे तथा कैप्टन वी० के० कपूर इसके 'को-पायलट' थे।

इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना की जांच करने के लिए वायुयान नियम, 1937 के नियम 74 के अन्तर्गत नागर विमानन के सेवा-निवृत्त महानिदेशक, श्री एस० रामामृतम की अध्यक्षता में एक जांच समिति (Committee of enquiry) का गठन किया गया है समिति ने दुर्घटना-स्थल पर पहले ही कार्य करना आरम्भ कर दिया है। उन्हें दो महीने के अन्दर-अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये हैं। विमान के निर्माताओं अर्थात् बोइंग कम्पनी को भी दुर्घटना की सूचना दे दी गई है और वे अपना एक जांच दल भेज रहे हैं।

हमें इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि इन्डियन एयर लाइन्स की वर्तमान साधारण प्रक्रियाएं तथा उनके विनियामक प्राधिकरण यानि नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा इन प्रक्रियाओं की जांचें निर्धारित स्तर की होती हैं, एक विशेषज्ञ दल गठित करने का प्रस्ताव है, जो इन सब पहलुओं की जांच करेगा और इस बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक]

यहां कदाचित इस बात का उल्लेख करना भी असंगत नहीं होगा कि मद्रास हवाई अड्डे पर आग बुझाने वाले यंत्रों सहित समस्त विमान सुरक्षा मशीनरी ने उस रोज बड़े प्रभावी ढंग से कार्य किया और विमान में लगी आग को तुरन्त बुझाने तथा यात्रियों को बचाने में सफलता प्राप्त की।

मुझे विश्वास है कि यह सदन उन यात्रियों तथा विमान कार्मिकों के, जिनका कि अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना में मेरा साथ देगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, दिसम्बर में जो हैदराबाद में विमान-दुर्घटना हुई, उसमें यात्री बाल-बाल बच गये। उसके बाद कुछ और दुर्घटनाएं भी हुई हैं। 23-3-1979 को कलकत्ता जाने वाली एयरबस के प्रेशराईजेशन पेनल उसके उड़ान भरने के फौरन बाद उड़ गये। दिल्ली जाने वाले बोइंग 707 का केन्द्रीय द्वार खुला था, जबकि उसे खुला नहीं होना चाहिए था। इंजन की खराबी के कारण विमानों के समय पर न चलने की भी बहुत सी शिकायतें हैं। हैदराबाद दुर्घटना की जांच से स्पष्ट होता है कि 'लीडिंग एंज डिवाइस' के गलत काम करने की वजह से विमान विमानवाहित अंशतः अनियंत्रित स्थिति में था। और पर्याप्त चेतावनी व्यवस्था के अभाव में चालक ने गलत दोषनिवारक कदम उठाये। इससे इन्डियन एयरलाइन्स के विमान के रख-रखाव और नागर विमानन महानिदेशालय ने निरीक्षण तंत्र की क्षमता के प्रति संदेह पैदा होता है। हमारे दिमाग में दो महत्वपूर्ण बातें पैदा होती हैं।

नगर विमानन के वर्तमान महानिदेशक, एयर मार्शल जहीर ने हाल ही में एक गोष्ठी में कहा—"रख-रखाव की स्थिति चिन्ताजनक है। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत में होने वाली औसत प्राणघातक विमान दुर्घटनाएं, विश्व की औसत दुर्घटनाओं से 2 से 3 गुनी हैं और अमरीका में होने वाली दुर्घटनाओं से 10 गुनी हैं, यद्यपि इस देश में विमान सेवा अमरीका की विमान सेवा की कल्पना में बहुत कम है। इससे देश के नागर-विमान की प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा आघात पहुंचता है और यात्रियों में भय, तनाव तथा अनिश्चितता की भावना पैदा होती है।

मेरे पास एक सूची है, जिनमें विमान-दुर्घटनाओं की संख्या, उनकी प्रकृति और हताहत व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया गया है। इसमें यह कहा गया है : 1967 में 30 विमान दुर्घटनाएं हुईं, इनमें से 5 प्राणघातक सिद्ध हुईं और 9 व्यक्ति हताहत हुए; 1968 आंकड़े हैं—27 दूर्घटनाएं, 2 प्राणघातक तथा 3 हताहत; 1969 में 28 दुर्घटनाएं, 5 प्राणघातक और 49 हताहत; 1970 में 28 दुर्घटनाएं, 7 प्राणघातक और 51 हताहत; 1971 में, 32 दुर्घटनाएं, 5 प्राणघातक और 41 हताहत; 1972 में, 46 दुर्घटनाएं, 7 प्राणघातक और 25 हताहत; 1973 में 38 दुर्घटनाएं, 5 प्राणघातक और 60 हताहत; 1974 में 25 दुर्घटनाएं, 4 प्राणघामक और 5 हताहत; 1975 में, 17 दुर्घटनाएं, 3 प्राणघातक और 8 हताहत; 1976 और 1977 में, 32 दुर्घटनाएं हुईं, 4 प्राण-घातक और 108 हताहत; 1978 में मार्च 1978 तक 2 विमान दुर्घटनाएं, 2 प्राणघातक तथा 214 हताहत। **(व्यवधान)**

भारत में हम लोगों की यह विशेषता है कि हम अपने विमान दुर्घटना आयोगों की सिफारिशों

को कभी क्रियान्वित नहीं करते और निहित स्वार्थों तथा वर्गों के दबाव में आकर जांच को बगैर किसी निष्कर्ष के समाप्त हो जाने देते हैं।

व्यक्तियों के चयन के मामले में, अर्थात् इन आयोगों और समितियों के गठन के मामलों में, पद ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जो आज्ञाकारी हों तथा नौकरशाहों और सत्तारूढ़ लोगों के आदेशों का पालन करें, जैसे सेवा निवृत्त न्यायधीश, नागर-विमानन नौकरशाह, उपेक्षित राजनीतिज्ञ और ऐसे ही लोग। उनमें से बहुतों को नागर-विमानन के मूल सिद्धान्त की कोई जानकारी नहीं होती। उदाहरण के लिए, पिछले वर्ष हुई बोइंग 747 दुर्घटना के लिए जो जांच आयोग बनाया गया है उसमें एक भी 747 विमान-चालक या सिस्टम इंजीनियर या रेकेज मैन नहीं है। (व्यवधान)

मेरी जानकारी के अनुसार विमान दुर्घटनाओं के कम से कम प्रतिवेदन हैं। एक 3-1-1960 को तांक्सिग (नेफा) में हुई दुर्घटना के बारे में हैं; इसके बाद कलकत्ता हवाई अड्डे पर डेकोटा विमान की 26 अगस्त 1961 को हुई दुर्घटना के बारे में एक प्रतिवेदन हैं; इसके अलावा 8 जून, 1962 को पालम हवाई अड्डे पर फोकट फ्रैंडशिप विमान दुर्घटना के बारे में एक प्रतिवेदन है; पठानकोट में हियर डैकोटा विमान दुर्घटना के बारे में प्रतिवेदन है; इन्डियन एयर फोर्क्स एक्सीडैंट्स कमेटी का 1964 का प्रतिवेदन हैं, इसके अलावा 24 जुलाई, 1958 को एयर इंडिया बोइंग विमान दुर्घटना के बारे में प्रतिवेदन हैं; 19-2-66 को इम्फाल में आई० ए० सी० डेकोटा विमान दुर्घटना के बारे में प्रतिवेदन है। (व्यवधान)

इन सबको अलमारियों में बन्द कर दिया गया है तथा रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। यह मजाक है। इस कार्य पर धन लगता है। इसके बावजूद हम यात्रियों को अनिश्चितता की स्थिति में डाल देते हैं।

बनिहाल के समीप एक दुर्घटना हुई। एक दुर्घटना नागपुर में हुई और खुलना में एक फोकर फ्रैंडशिप विमान दुर्घटनाग्रस्त 19 मामले हैं। आपने कौन से मामले को निपटाया है? (व्यवधान) स्थितियों में सुधार करने का प्रयास कब किया गया है?

सामान को गलत तरीके से लादने के बारे में विमान चालक अक्सर शिकायत करते हैं। यदि कोई दुर्घटना हो जाये, तो तथ्यों को छिपाने के लिए, उसे जांच के पहले ही अलग हटा दिया जाता है। गलत तरीके से रखा गया सामान विमान के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। नागर विमानन महा-निदेशालय में बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है।

विमानों के डिजाइनों में बहुत परिवर्तन हो गया है लेकिन हमारे सपोर्टिंग यूनिट अभी भी पुराने और अपर्याप्त हैं। सच्चर समिति और टाटा समिति ने निर्दिष्ट सिफारिशें कीं, लेकिन कुछ भी नहीं बना। मैं पढ़कर सुनाता हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय : इन सबको पढ़ कर सुनाने की जरूरत नहीं; आप पहले ही बहुत समय ले चुके हैं; कृपया प्रश्न पूछिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 12 अक्तूबर, 1976 को हुई बम्बई दुर्घटना, कारवैल दुर्घटना के कारणों

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

की जांच के लिए न्यायमूर्ति एम० वी० भास्मे की अध्यक्षता में न्यायिक जांच का गठन किया गया था। उसके प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सिफारिशों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। उन्हें ताक पर रख दिया जाता है। सरकार अपने अनुकूल कार्यवाही करती है। एयर कारपोरेशन एक्ट, 1953 में क्या कहा गया है? धारा 30 में यह कहा गया है:

> "केन्द्र सरकार, समय-समय पर, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, वायु-परिवहन समिति गठित कर सकती है जिसमें एक सभापति होगा और उतने सदस्य हो सकते हैं, लेकिन ग्यारह से अधिक नहीं, जितने केन्द्र सरकार नियुक्त करे।"

क्या मंत्री महोदय सभा को इस बात की जानकारी देंगे कि वायु परिवहन परिषद 1962 में क्यों भंग कर दी गई और उसे बहाल क्यों नहीं किया गया? क्या यह सही है कि एक व्यक्ति के दबाव के कारण ऐसा किया गया? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई स्वतन्त्र विमान-सुरक्षा प्राधिकरण है। यदि ऐसा नहीं है, तो क्या आप ऐसा कोई प्राधिकरण बनायेंगे और सभा को आज और इसी समय यह आश्वासन देंगे कि वायु परिवहन परिषद को बहाल किया जायेगा और यदि नहीं तो क्यों नहीं।

प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि बोइंगों में कुछ अन्तर्निहित दोष और परेशानी पैदा करने वाली कुछ दूसरी चीजें हैं। मैं प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखूंगा और उनमें जो कहा गया है, उसे अभी नहीं बताऊंगा। हैदराबाद और मद्रास की विमान दुर्घटनाओं की दिलचस्प विशेषता, जिसका श्री कौशिक से बहुत सम्बन्ध नहीं है, यह है कि उन विमानों में भारी मात्रा में नकदी तथा सोने के जेवरात थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये दिल्ली में सत्तारुढ़ लोगों को उनकी सेवाओं के लिए थे। अन्यथा, जब वहां बैंक है तो लोग इतनी भारी मात्रा में नकदी दिल्ली क्यों लाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपा करके अपनी बात समाप्त कीजिए। विमान के अन्दर नकदी से विस्फोट नहीं होता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : होता है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : मैं अपने वक्तव्य में पहले कह चुका हूं कि विमान-सुरक्षा को लेकर हम सब चिंतित हैं। जल्दी-जल्दी होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि रख-रखाव प्रणाली तथा विनियमन प्राधिकरण, नागर विमानन महानिदेशालय के कार्य की जांच के लिए और अधिक समय नष्ट किये बगैर एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का मेरा प्रस्ताव है। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि कदम उठाये जायेंगे·····

श्री ज्योतिर्मय बसु : वायु परिवहन परिषद तथा विमान सुरक्षा प्राधिकरण।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : मैं इस बारे में व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं जानता कि 1962 में वह परिषद क्यों भंग कर दी गई; मैं मामले की जांच करूंगा। विमान सुरक्षा का जहां तक सम्बन्ध है, उस समय यह सोचा गया था एयर एक्ट के अन्तर्गत आने वाली बड़ी विमान दुर्घटनाओं की जांच उच्च न्यायालय के न्यायधीश की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा करायी जाये···(**व्यवधान**) इस प्रकार की दुर्घटनाओं के बार-बार होने को देखते हुए, विमान-चालक की सुरक्षा के लिए अनुसंधान

किया जाय। हम इस स्थिति पर पुनर्विचार करेंगे और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठायेंगे।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया मैं समझता हूं कि बहुत ही कैजुअल है और जो बाद में जवाब दिया है उसमें भी जितनी सीरियसनैस होनी चाहिए, उतनी नहीं है। पिछले दो साल में जितनी दुर्घटनायें हो रही हैं और जितना उनका नम्बर बढ़ रहा है उससे जितना सीरियस मामला है उस सीरियसनैस के साथ इस सवाल को नहीं देखा जा रहा है। मैं दो-तीन बातें मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

यह जो इनक्वायरी कमेटी बैठती है उसकी रिपोर्ट कई बार दो-दो साल तक नहीं आती हैं, और जब रिपोर्ट आती है तो उसको कानफीडेंशियल रखा जाता है। ऐसी क्या चीज है जो उसको कानफीडेंशियल रखा जाता है, जिसको पब्लिक नहीं किया जाता है? यही वजह है कि उन पर पूरा अमल नहीं होता। वासमा कमेटी ने दो साल बाद रिपोर्ट दी और उसमें भी यह लिखा कि 1973 में जो रिपोर्ट आयी थी उस पर अमल नहीं किया गया। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि टाटा कमेटी ने जो इंडिपेंडेंट परमानेंट इनक्वायरी कमीशन का सुझाव दिया था, और इस हाउस की ऐस्टीमेट्स कमेटी ने जो तीसरी लोक सभा में इस बात को कहा और चौथी लोक सभा में भी दो बार इसको रिपीट किया, इसके बाद टाटा कमेटी ने रिपीट किया कि परमानेंट तौर पर कमीशन बनाया जाय जिसमें ऐक्सपर्ट्स हों और टोटली इंडिपेंडेंट हो, उसके बारे में मंत्री महोदय ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? इसको इतनी बार कहने के बाद 1975 में शैल्व कर दिया गया रिकमन्डेशन मानने के बाद, और आज भी ऐडहाक बेसिस पर एक हाई कोर्ट का जज बैठा देते हैं जिसको इस बारे में कोई टैक्नीकल नालेज नहीं होती है। और डी० जी०सी०ए० खुद इनक्वारी करता है जो कि अपनी ही इनक्वायरी एक तरह से होती है। इसलिये इसको क्यों नहीं किया जा रहा है, जैसा कि सुझाव दिया गया है?

दूसरे इन्होंने कहा कि एयर सेफटी कमेटी बनाने वाले हैं। यह भी 1974 में कहा गया था कि एक हाई पावर्ड एयर सेफटी बोर्ड बनाया जायगा। इस सिफारिश के पांच साल बाद मंत्री जी कह रहे हैं कि वह इसको प्रोपोज कर रहे हैं और इसमें टाइम नहीं लगेगा। क्या यह मेन्टेनेंस के मामले में और मैनुफैक्चरिंग के बारे में ध्यान देंगे, या सिर्फ एक कमेटी होगी जो रिकमन्डेशन करेगी?

इस बार पायलट ने कहा है कि इसके अन्दर सैबोटाज है, इसके अन्दर टाइम बोम्ब रखा गया है। यह बहुत ही सीरियस मामला है और सिवाय इसके कि पायलट इंजीनियर्स के ऊपर कहते रहें और इंजीनियर्स पायलट को कहते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। तो यह जो सैबोटाज का मामला है इसका भी मंत्री महोदय ने कोई भी जिक्र नहीं किया अपने जवाब में। इसके बारे में वह क्या सोच रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हालत बहुत खराब है। इंटेलीजेंस हमारी कितनी वीक है यह इससे साफ होता है। अभी देश के अन्दर जो विदेशी ताकतें हैं चाहे अमरीका हो, चाइना हो, रशिया हो या पकिस्तान हो, यह ताकतें ऐस्पियोनाज का काम कर रही हैं। और अम्मू बोर्डर पर हमारी फौज के

[श्री विजय कुमार मल्होत्रा]

सैंकड़ों आदमी पकड़े गये । और हिन्दुस्तान की पुरानी प्रधान मंत्री परचेजेबिल रही हैं, वह भी रुपया लेकर के दूसरी चीजें कर सकती हैं । ऐसी हालत में ऐयरक्राफ्ट के मुताल्लिक इंटेलीजेंस के मामले में आप क्या कदम उठा रहे हैं ? और जो पिछली रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में आप हाउस के अन्दर कोई व्हाइट पेपर लायेंगे ? जो पिछली 11 रिपोर्ट आयी हैं उनके बारे में क्या कदम उठाने जा रहे हैं ? और मेंन्टेनेंस, मैन्फुैक्चरिंग कौसट ह्यूगन ऐरर के बारे में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं ? जिससे आप देश को आश्वस्त कर सकें कि ह्यूमेनली जो भी पौसिबिल है वह आप कर रहे हैं और तेजो से ऐक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं उसके बारे में आप कतने सीरियस हैं इस पर प्रकाश डालें ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पुरानी कमेटियों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है, उन कमेटियों की सिफारिशें क्या थीं और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है उसे सदन के पटल पर रखने में कोई आपत्ति नहीं है । जहां तक वासमा कमेटी का और उसके बाद में दूसरी घटनाओं से संबंधित कमेटियों का सवाल है उन्होंने जो सिफारिशें हैं की उन सिफारिशों पर पूरी तरह से या तमाम सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया है और उन सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है ।

एयर सेफ्टी कमीशन के बारे में, जैसा मैंने निवेदन किया कि पहले जब उसके बारे में किया गया था तो कुछ कारणों से स्थायी रूप से सेफ्टी कमीशन बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई थी। (व्यवधान) ऐसा लगता था कि चूंकि एयर क्राफ्ट एक्ट के अन्तर्गत ही अलग-अलग तरह की दुर्घटनाओं के लिए, जिस समय फैटल एक्सीडैंट होते हैं, उसके लिये समय-समय पर हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी नियुक्त कर के उसकी जांच की जा सकती है और दूसरी दुर्घटनाओं के लिये भी जांच करने के लिए समुचित सक्षम अधिकारी थे, इसलिए यह समझकर कि उस कमीशन के पास पूरे समय का काम नहीं होगा, इसलिए ही उसको अस्वीकार कर दिया गया था । जैसा मैंने कहा कि फिर उस मामले पर विचार कर रहे हैं और विचार करके समुचित रूप से कमीशन को फिर से गठित किया जाय, इस पर सरकार निर्णय लेगी ।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : दोनों अलग-अलग हैं, इन्वैस्टीगेशन कमीशन अलग है और सेफ्टी बोर्ड अलग है, दोनों के बारे में बतायें ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : जहाँ तक मेन्टिनैन्स आस्पैक्ट का सवाल है, जैसा मैंने निवेदन किया कि डी० जी० सी० ए० के सैक्रेटरी (वर्क्स) देख रहे हैं कि उसके सम्बन्ध में क्या है, किस तरह से और सुधारा जा सकता है, इस दृष्टि से भी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात पर विचार कर रहे हैं, लेकिन यह परमानैन्ट कमेटी नहीं होगी, इसलिये उसकी जरूरत नहीं है। अगर एयर सेफ्टी कमीशन की नियुक्ति हो जाती है तो वह न केवल दुर्घटनाओं की जांच करेगी बल्कि बाकी समय में वह यह भी देखेगी कि किस तरह से इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जाये । इस दृष्टि से भी शोध का काम करेगी। इसलिए एक कमेटी गठित करने की बात सोची जा रही है जो केवल मेन्टीनेन्स और अथौरिटीज के कार्यकलापों में इर्रेगुलैरिटी के बारे में समीक्षा करेगी ।

जहां तक सैबोटाज का प्रश्न है, इस समय उस सम्बन्ध में कुछ कहना प्री-मैच्योर होगा, लेकिन जो कमेटी नियुक्त की गई है, उसमें एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट भी एक सदस्य के रूप में रखे गए हैं और वह निश्चित रूप से इस बात का पता लगायेंगे कि वास्तव में कोई एक्सप्लोजन हुआ है या नहीं और उसकी रिपोर्ट आने के बाद समुचित रूप से कदम उठाये जायेंगे। यह मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि उस कमेटी से कहा गया है कि दो महीने में अपनी रिपोर्ट दे और उसके बाद तत्काल कार्यवाही की जायेगी।

जहां तक कमेटी में विलम्ब का सवाल है, हम तो यही कह सकते हैं कि जांच जल्दी से जल्दी पूरी की जाये, अगर जांच समय पर नहीं होती है और उसके लिये समय बढ़ाने की मांग करते हैं तो उसको अस्वीकार करना संभव नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश यह रहती है कि कमेटी की जांच निर्धारित समय पर पूरी हो।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तोड़ फोड़ का कुछ संदेह है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : मैंने कहा कि इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस अवस्था में दुर्घटना के कारण के बारे में कुछ कहना असामयिक होगा।

श्री श्याम सुन्दर लाल (बयाना) : लगातार एक्सीडैंट्स हो रहे हैं, जैसे कि पता लगा कि सैबोटाज का मामला है, पहला एक्सीडैंट दिसम्बर में हुआ और 5 महीने में दूसरा हो गया और दोनों खतरनाक हैं, दोनों जहाज तबाह हो गये और दोनों में बहुत लोग इन्जर्ड हुए हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक 11 आदमियों की कमर की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। रीढ़ की हड्डी टूट जाने के बाद आदमी नकारा हो जाता है, अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर ऐसा है, तो मंत्री महोदय उनकी क्या सहायता कर रहे हैं, उनको क्या फाइनेन्शियल-ऐड दे रहे हैं या उनके जीवन के लिए क्या सोच रहे हैं ?

जैसे कि पायलट ने बताया कि अन्दरटाइम बम रखा गया था, लेकिन जो चेयरमैन हैं लाल साहब , उन्होंने कहा कि अन्दर से नही, बाहर से हुआ है, अगर बाहर से भी हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारी सिक्योरिटी इतनी लापरवाह है कि बाहर से कोई भी आदमी सैबोटाज कर के जहाज को नुकसान पहुंचा जाये यह कहां तक ठीक है ? इसके लिए उन्होंने बताया कि प्रापर इन्क्वायरी सैट-अप कर दी, 3 आदमियों की कमेटी बना दी है, तो वहां पर जो सैबोटाज हुआ है, जहाज बम से उड़ाया है और जो कमेटी बनी है उसमें एक्सपर्ट हैं जहाज चलाने वाले, जहाज बनवाने वाले मैनेजमैंट करने वाले। इस जांच का पता लगाने के लिए सी० बी० आई जैसी जो क्रिमिनल 'चीजों' का पता लगाती है, उस तरह की कमेटी होनी चाहिए जो पता लगाये कि किस ने सैबोटाज किया और यह बाहर से हुआ या अन्दर से हुआ ? इन तमाम बातों का पता लगाना चाहिए।

इन पांच महीनों में हमारे दो जहाज तबाह हो गये हैं। हमारे पास जहाज तो पहले ही से कम हैं और यात्री ज्यादा है। अब दो जहाज और कम हो गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि

[श्री श्याम सुन्दरलाल]

सरकार यात्रा करने वाले पैसेंजर्ज के लिए क्या व्यवस्था कर रही है। क्या दूसरी जगहों की फ्लाइट्स को कैन्सल कर के जहाजों को वहां पर लगाया जा रहा है, या और जहाज लिये जायेंगे ? और जहाज लेने के लिए क्या व्यवस्था हो रही है, वे जहाज कहां से लिए जायेंगे ? कितना नुकसान हुआ है ? यह जांच कब तक हो पायेगी ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : जहां तक यात्रियों को आने वाली चोट का सवाल है, वह बात छिपी नहीं है, और जिस किसी यात्री का जो भी फ्रैक्चर हुआ है, सरकार की यह मंशा नहीं है कि उसको छिपाने की कोशिश की जाये। उनके उपचार की समुचित व्यवस्था की जा रही है। यह तो डाक्टरों की राय से पता चलेगा कि किस को किस तरह की चोट आई है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां तक चिकित्सा का प्रश्न है, उनकी किसी तरह से कोई उपेक्षा नहीं की जायेगी।

श्री श्याम सुन्दर लाल : जिन लोगों की वैकबोन टूट गई है, जो कमाने-खाने लायक नहीं रह गये हैं, उनको क्या सहायता दी जा रही है ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : जब डाक्टरों की रिपोर्ट आयेगी, तो इस पर विचार किया जायेगा। अभी इस सम्बन्ध में कुछ कहना आसान नहीं होगा।

जहां तक कमेटी का सवाल है, उसमें पांच सदस्य हैं। वे केवल जहाज चलाने वाले नहीं हैं। कमेटी के सदस्य ये है :—

(1) डा० एस रामामृतम् : भूतपूर्व डायरेक्टर जनेरल, सिविल एवियेशन। वह सिविल एवियेशन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर आफ रिसर्च एंड डेवेलपमेंट भी रहे हैं।

(2) डा० के० आर० के० राव, डी० सी० एस० ओ०, एक्सप्लासिव्ज रिसर्च एंड डेवेलपमेंट लैबोरेटरी।

(3) कैप्टन जेड़० ए० लालकाका, डिपुटी आपरेशन मैनेजर एयर इंडिया।

(4) श्री पी० वर्द्धराजन् डिजाइनर, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटड।

(5) श्री बी आर चौपड़ा, डी० डी० ए० एस०, सिविल एवियेशन डिपार्टमेंट।

इस प्रकार जिन लोगों को विशेष जानकारी हैं, उनको इस कमेटी में प्रापर रिप्रेजेन्टेशन देने की कोशिश की गई है।

श्री श्याम सुन्दर लाल: क्या सैबौटेज के बारे में पता लगाया जायेगा ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : हम यह पता लगाने के लिए हमारी जो सीक्रेट सर्विस है, उसका सहयोग लेंगे, कि क्या वहां सैबोटेज हुआ है; अगर हुआ है, तो किस तरह हुआ है और कौन उसके लिए जिम्मेदार है। इस बात की निश्चित रूप से जांच की जायेगी।

डा० विजय मंडल (वांकुश) : हमारे देश में यह एक अन्य बड़ी दुर्घटना है। यह वास्तव में ही चिन्ता की बात है कि इस प्रकार की विमान दुर्घटनायें बहुत जल्दी जल्दी होनी लगी हैं। 27-4-79 को तारांकित प्रश्न संख्या 920 के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि सरकार देश में विकसित देशों की तरह से विमान सुरक्षा बोर्ड बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी। बोर्ड विमान दुर्घटनाओं से बचाव के तरीके सुझायेगा। ऐसा समझा जाता है कि उन्नत देशों की तुलना में हमारे देश में सुरक्षा के

उपाय अच्छे नहीं हैं । हमारे देश में विमान-दुर्घटनाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। आधुनिक युग में विज्ञान ने बहुत प्रगति की है और ऐसे बहुत से तरीके विकसित किये गए हैं जिनके द्वारा विमान-दुर्घटना से बचने के लिए अग्रिम एहतियात संभव हो सके। विमान नष्ट होने से जो नुकसान होता है, उसे हम वहन नहीं कर सकते। यह खुशी की बात है कि इस विमान दुर्घटना विशेष में किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन विमान के नष्ट होने से देश को बहुत नुकसान हुआ है।

दुर्घटना के कारण के बारे में अलग-अलग बातें कही गई हैं। इस बात की अफवाह है कि तोड़-फोड़ इस दुर्घटना का कारण है, चालक के स्थान पर एक टाइम बम रखा गया। विस्फोट विमान के मद्रास में उतरने के केवल 10 मिनट पूर्व हुआ। इसके चालक, श्री अरोड़ा ने भी कहा कि यह तोड़-फोड़ का मामला है। सौभाग्य से विमान उतर गया और किसी की मृत्यु नहीं हुई।

मुझे समाचारपत्रों से पता चला है कि सरकार ने इसके कारणों की जांच शुरू कर दी है। मैं यह जाना चाहता हूं कि क्या सरकार को कोई अन्तरिम रिपोर्ट मिली है।

मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि विमान सुरक्षा के निदेशक श्री चालप्पा, जिन्होंने दुर्घटना स्थल का दौरा किया, ने फ्लाइट द्वारा रिकार्डर और कौक्रपिट डिवाइस रिकार्डर, जिन्हें दुर्घटना के कारण का संकेत देने के लिए चलाया गया था, को सुना और उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें खुफिया विभाग या स्थानीय पुलिस से कोई रिपोर्ट मिली है; क्या विमान पूरी तरह से ठीक था और उड़ान भरने से पहले उड़ने की अच्छी स्थिति में था; क्या उड़ान के पहले उसकी पूरी तरह से जांच की गई; क्या चालक ने या किसी दूसरे कर्मचारी ने इस विमान विशेष के कार्य के बारे में कोई संदेह व्यक्त किया था। मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि वे अंतरिक उपाय तुरन्त करना चाहते हैं। अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय विकसित देशों की तरह से इस देश में भी विमान सुरक्षा बोर्ड बनाने के मेरे प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : अंतरिम रिपोर्ट का जहां तक सम्बन्ध है, वह अभी सरकार को नहीं मिली है और इयनी जल्दी उसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। दूसरे विमान सुरक्षा के निदेशक ने जो कुछ भी जांच की है, उसे वह जांच समिति के सम्मुख रखेंगे, उनके लिए यह जरूरी नहीं है वह उसे सरकार के सामने प्रस्तुत करें ही। उनके पास जो कुछ भी प्रमाण हैं, वह उन्हें जांच समिति को प्रस्तुत करना होगा।

विमान की उड़ान क्षमता का जहां तक सम्बन्ध है, उसकी क्षमता पहले ही प्रमाणित कर दी गई थी।

बीमे का जहां तक सम्बन्ध है, उसके बगैर किसी भी विमान को नहीं चलने दिया जाता।

सुरक्षा-बोर्ड का जहां तक सम्बन्ध है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, मेरा विमान सुरक्षा बोर्ड बनाने का प्रस्ताव है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जायेंगे·····

डा० विजय मंडल : क्या चालक ने कोई संदेह व्यक्त किया ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : चालक ने विमान की क्षमता के बारे में कोई संदेह व्यक्त नहीं किया ।

लोक लेखा समिति

134वां, 135वां, 136वां, 137वां, 138वां, 139वां 145वां, 146वां, 147वां, 148वां और 149वां प्रतिवेदन

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ :

(1) कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग)से सम्बन्धित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वर्ष 1973-74, 1974-75 और 1975-76 के लेखों सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर 134वां प्रतिवेदन ।

(2) भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के वर्ष 1975-76 के प्रतिवेदन संघ सराकर (रेल) के रेल मंत्रालय से सम्बन्धित डी० सी० विद्युत टैक्शन सम्बन्धी पैराग्राफ 9 और 10 पर 135वां प्रतिवेदन ।

(3) भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के वर्ष 1976-77 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (रेल) के रेल मंत्रालय से सम्बन्धित पैराग्राफ 7, 21 और 32 पर 136वां प्रतिवेदन ।

(4) भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के वर्ष 1976-77 के प्रतिवेदन संघ सरकार (रक्षा सेवायें) से सम्बन्धित दो कमाडो में क्रय ठेकों सम्बन्धी पैराग्राफ 43 पर 137वां प्रतिवेदन ।

(5) भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के वर्ष 1976-77 के प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल) के निर्माण और आवास मंत्रालय से सम्बन्धित दिल्ली विकास प्राधिकरण सम्बन्धी पैराग्राफ 29 पर 138वां प्रतिवेदन ।

(6) नौवहन और परिवहन मंत्रालय से सम्बन्धित बम्बई पतन न्यास के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर 139वां प्रतिवेदन ।

(7) वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित संघ उत्पाद शुल्कों पर 55वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 145वां प्रतिवेदन ।

(8) वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित संघ उत्पाद शुल्कों पर 13वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा दी गई कार्यवाही के बारे में 146वां प्रतिवेदन ।

(9) भारत के नियंत्रक— महालेखापरीक्षक के वर्ष 1976-77 के प्रतिवेदन संघ सरकार

(सिविल) राजस्व प्राप्तियां खन्ड 2 प्रत्यक्ष कर के वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित पैराग्राफ 71 और 74(तीन) पर 147वां प्रतिवेदन ।

(10) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 1976-77 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (डाक और तार) के संचार मंत्रालय से सम्बन्धित तार, टेलीफोन और दूर मुद्रक/टेलीप्रिंटर, परिपथों के किराये तथा टेलेक्स/इंटलेक्स प्रभारों की बकाया राशियों और सीसा नलियों के क्रय सम्बन्धी पैराग्राफ 7 और 18 पर 148वां प्रतिवेदन ।

(11) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 1976-77 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां खन्ड 1 अप्रत्यक्ष कर के वित्त मत्रालय से सम्बन्धित संघ उत्पाद शुल्कों सम्बन्धी पैराग्राफ 38 पर 149वां प्रतिवेदन ।

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु (कटवा) : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वर्ष 1973-74 और 1974-75 के लेखा के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पांच वर्षों से भी अधिक अवधि के बाद प्रस्तुत किये गए हैं । लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में यह कहा गया है कि धन की फिजूलखर्ची की गई है और भारतीय कृषि अनुसंधान में कुप्रबन्ध है·····

उपाध्यक्ष महोदय : ये लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन हैं ।

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु : इस बारे में सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस पर चर्चा का समय नहीं है ।

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु : मैं इसे आपकी जानकारी में ला रहा हूं ।

प्राक्कलन समिति

34वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री मुख्तियारसिंह मलिक (सोनीपत) : मैं प्राक्लन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(1) कृषि और सिंचाई मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ग्रामीण नियोजन पर 34वां प्रतिवेदन ।

(2) निम्नलिखित प्रतिवेदनों से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश :—

(एक) विज्ञापन ओर दृश्य प्रचार निदेशालय पर 23वां प्रतिवेदन ।

(दो) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क पर 29 वां प्रतिवेदन ।

(तीन) विदेश मंत्रालय—भारतीय राजनयिक मिशनों के कार्यकरण पर 20वां प्रतिवेदन ।

(चार) पूर्ति पुनर्वास मंत्रालय(पुनर्वास विभाग) दण्डकारण्य परियोजना–अधिवासियों को छोड़कर चला जाना (1978) पर 30वां प्रतिवेदन ।

(पांच) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)—सीमा शुल्क पर 33वां प्रतिवेदन ।

(छः) कृषि और सिंचाई मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग)—ग्रामीण नियोजन पर 34वां प्रतिवेदन ।

(3) प्रक्रिया तथा सामान्य मामलों से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

51वां और 55वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :—

(1) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड—पटसन व्यापार तथा पटसन उद्योग द्वारा किये गए आर्थिक अपराधों पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 61वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 51वां प्रतिवेदन ।

(2) एयर इन्डिया—कार्य परिणाम तथा सम्बद्ध मामलों पर 52वां प्रतिवेदन ।

(3) एयर इण्डिया—वाणिज्यिक तथा कर्मचारी वृन्द सम्बधी मामलों पर 53वां प्रतिवेदन ।

(4) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह वन तथा बगान विकास निगम लिमिटेड पर 54वां प्रतिवेदन तथा शिकायतों सम्बन्धी उपसमिति की बैठकों के कार्यवाही साराश तथा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के उससे सम्बन्धित कार्यवाही सारांश ।

(5) सरकारी कम्पनियों में लेखापरीक्षकों की नियुक्ति पर 55वां प्रतिवेदन ।

(6) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड पर 50वें प्रतिवेदन से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

(7) 42वें, 52वें और 53वें प्रतिवेदनों से सम्बन्धित बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

31वां, 39वां, 40वां और 41वां प्रतिवेदन

श्री रामधन (लालगंज) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) ग्रह मंत्रालय—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार—पर 31वां प्रतिवेदन ।

(2) ग्रह मंत्रालय—मराठवाड़ा क्षेत्र में दंगे (महाराष्ट्र) पर 39वां प्रतिवेदन ।

(3) पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय—(पैट्रोलियम विभाग)—भारतीय तेल निगम लिमिटेड (रिफाइनरीस और पाइप लाइन प्रभाग) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन पर 40वां प्रतिवेदन ।

(4) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) —पूर्वोत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन तथा पूर्वोत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को छोटे ठेके दिये जाने के बारे में 41वां प्रतिवेदन ।

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संस्थान द्वारा नई औद्योगिकियों के लाभ से लघुक्षेत्र को लाभान्वित करने के बारे में दिनांक 25-4-1979 को तरांकित पश्न संख्या 869 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

रक्षा उत्पादन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : महोदय, 25-4-1979 को लोक सभा में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संस्थान के बारे में श्री सौगतराय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 869 पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में उस समय कार्य व्यस्तता के कारण मैंने निम्नलिखित उत्तर दिया था :

> "यह शीघ्र किया जायेगा । महानिदेशक, प्रो० मेनन को रोजमर्राह के काम में प्रयोगशालाओं में कार्य के सम्बन्ध में मार्गदर्शन नहीं करना होता है । वह केवल उनके समग्र कार्य की देखभाल करते हैं । हम महानिदेशक की नियुक्ति शीघ्र कर रहे हैं ।"

मुझे खेद है कि यह उत्तर सही नहीं था । सचिव, विज्ञान और औद्योगिकी और महानिदेशक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के दो पदों को पहले से ही मिलाकर एक कर दिया गया था और उसके परिणाम स्वरूप महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पद पर अलग से नियुक्ति करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) भारत-सोवियत संघ संयुक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय अन्तरिक्ष यात्री को अन्तरिक्ष में भेजने का समाचार

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : आपकी आज्ञा से मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामले उठाना चाहता हूं : दिल्ली के एक साप्ताहिक के नवनीतम संस्करण में, गहन राष्ट्रीय महत्व और हित का मामला प्रकाशित हुआ है। इसमें बताया गया है कि भारत के अन्तरिक्ष कार्यक्रम में, सोवियत यूनियन के संयुक्त प्रयास में एक भारतीय को अन्तरिक्ष में भेजने की योजना भी शामिल है । यह दोहरी सफलता होगी क्योंकि भारतीय अन्तरिक्ष यात्री न केवल अन्तरिक्ष में पहला एशिया निवासी होगा बल्कि तथाकथित तीसरे देशों में से भी पहला व्यक्ति होगा । साप्ताहिक के अनुसार, भारत के तीन व्यक्तियों को अन्तरिक्ष की परिस्थितियों में अभ्यस्त कराने की प्रारम्भिक प्रशिक्षण की तैयारी कर ली है । उपग्रह केन्द्र के लिये संयुक्त उड़ान करने और लौटाने से पहले चुने हुए दल को आगे चल

[श्री के० लकप्पा]

कर आगामी प्रशिक्षण के लिए सोवियत कज्ज़ाफिस्तान के उपग्रह केन्द्र में भेजा जायेगा। जैसा कि सदन को मालूम है, कि सोवियत यूनियन ऐसे संयुक्त प्रयास चैकोस्लावाकिया, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी और बल्गेरिया के कर्मीदलों के साथ कर चुका है। यह प्रसन्नता का विषय है कि भारत भी ऐसी उड़ानों में शामिल किया जायेगा। मगर यह खेद का भी विषय है कि भारतीय अंतरिक्ष मंत्री ने ऐसी महत्वपूर्ण उन्नत्ति से संसद और लोगों को अवगत नहीं कराया। इस मामले में, क्या अंतरिक्ष मंत्री जो कि स्वयं प्रधानमंत्री हैं, मामले के तथ्यों से सदन को परिचित करायेंगे और सदन को यह भी सूचित करेंगे कि संयुक्त सोवियत गणराज्य की अपनी आगामी यात्रा में, वह अन्तरिक्ष अवतरण की वास्तविक समय सारणी के बारे में मामले को उठाने का इरादा रखते हैं।

(दो) इम्फाल में सीमा सुरक्षा बल के कुछ जवानों के मारे जाने का समाचार

श्रीमती चन्द्रावती (भिवानी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय की ओर सदन का तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं :

26-4-79 को चार विद्रोही चार बी० एस० एफ० के जवानों को मार कर भाग गए व जीप व हथियार भी ले गए। यह बहुत चिन्ता का विषय है और आम नागरिकों में इससे असुरक्षा की भावना बढ़ेगी। दिन के वक्त यदि इम्फाल में यह घटना हो सकती है तो दूसरी जगह क्या हाल होगा? सरकार को शीघ्र ही ऐसे विद्रोही तत्वों को उभरने से रोकना चाहिए अन्यथा सारे देश की सुरक्षा ही खतरे में पड़ जायेगी।

(तीन) प्लाटधारियों द्वारा प्लाटों को अपने नामों में पंजीकृत न करा सकने के कारण दिल्ली विकास प्रधिकरण द्वारा प्लाटों पर उनके स्वामित्व को रद्द करने का समाचार

श्री श्याम सुन्दर लाल (बयाना) : महोदय, नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला उठाना चाहूंगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण एक नई नीति कार्यान्वित करके अपनी अधिकार सीमा के बाहर जा रहा है जिसके अन्तर्गत वह उन भूखण्डधारियों को अपने भूखण्डों से वंचित करने वाला है जिन्होंने वे भूखण्ड उस समय प्रचलित मूल्यों पर खुली नीलामी के जरिये खरीदे थे। 300 भूखण्ड धारियों को अपने भूखण्डों से सिर्फ इसलिए वंचित कर दिया गया है कि वे उन भूखण्डों को अपने नाम पंजीकृत नहीं करा सके। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन भूखण्डों का स्वामित्व एकाएक रद्द कर दिया है क्योंकि उन्होंने उन भूखण्डों को अपने नाम में पंजीकृत नहीं कराया है।

ऐसा करने के बाद, दिल्ली विकास प्राधिकरण, भूखण्डों के स्वामित्व को फिर से उन्हें देने के लिए, भूखण्ड के मूल्य का 50 प्रतिशत जुर्माने के रूप में मांग रहा है। उदाहरण के लिए, जिस भूखण्ड धारी ने 250 वर्ग मीटर के भूखण्ड के लिए 46,000 रुपये दिये हैं, उससे अब दिल्ली विकास प्राधिकरण 23,000 रुपये जुर्माने के रूप में देने के लिए कह रहा है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि ऐसे सैंकड़ों फ्लेट धारी हैं जिन्होंने अभी तक, अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी अपने फ्लेटों को पंजीकृत नहीं कराया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उनके

फ्लैट वापिस नही लिये हैं। फ्लैट को पंजीकृत र कराने के लिए उन पर ऐसा जुर्माना भी नहीं लिया जा रहा है।

यहां तक कि आपातकाल के 18 महीनों के तथाकथित एक सत्तावादी शासन में भी ऐसी मनमानी कार्यवाही नहीं की गई थी। पिछले 15 वर्षों के दौरान, पंजीकरण न कराने के लिए 1/- रुपया प्रति वर्ग गज की दर से नाम मात्र जुर्माना लगाया जा रहा था।

यह बात समझाई जानी चाहिए कि एक मध्यवर्गीय व्यक्ति, जो 46,000 रुपये में 250 वर्ग मीटर का भूखण्ड खरीद रहा है वह भूखण्ड का पंजीकरण कराने में कभी भी असावधानी नहीं करेगा। हो सकता है कि कुछ आर्थिक अड़चनों के कारण विलम्ब हो जाये। मगर उसका परिणाम यह नहीं. होना चाहिये कि उन पर हजारों रुपये का जुर्माना हो और उनके भूखण्डों को रद्द कर दिया जाये।

मेरा सुझाव है कि निर्माण और आवास के मंत्री महोदय, सभा में यह वक्तव्य दें कि भूखण्ड-धारियों के रद्द किये गए भूखण्डों को उनसे 1 रुपये प्रति वर्ग गज का नाम मात्र का शुल्क लेकर नियमित किया जायेगा।

हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम 27 अप्रैल, 1979 को श्री धनिक लाल मण्डल द्वारा पेश किये गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे :

"हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन का और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री रवि क्या आप बोलना चाहेंगे ?

श्री वयालर रवि (चिरयिंकील) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसकी विषयवस्तु बहुत कम है क्योंकि वह केवल उत्तर प्रदेश और हरियाणा प्रदेश के बीच क्षेत्र के समझौते के बारे में है साथ ही मैं बुनियादी समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिनको मंत्री महोदय ने छोड़ दिया है। जनता सरकार को ऐसा नहीं करना होगा।

महोदय, हरियाणा एक छोटा राज्य है जबकि उत्तरप्रदेश भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। आज, जनसंघ के आधार पर भी यह सबसे बड़ा राज्य है। इन दोनों राज्यों के बीच सीमा परिवर्तन का क्या तर्क है ? क्या माननीय मंत्री महोदय इसे स्पष्ट करेंगे ? जहां तक भाषा का संबंध है, दोनों राज्यों में हिन्दी बोली जाती है। यहां उद्देश्य प्रशासन को अधिक सुचारु रूप से चलाना है। मेरा बुनियादी प्रश्न यह है कि वह कैसे प्राप्त होगा। यदि यह लोगों की बेहतरी और राज्यों के बेहतर कार्य संचालन के लिए किया जाता है तो यह मनमाने ढंग से क्यों होता है ? क्षेत्रीय असन्तुलन आज देश की सबसे बड़ी समस्या है। विविध क्षेत्रों, राज्यों और स्वयं एक राज्य में ही क्षेत्रीय असंतुलन है। और फिर देश के भीतर भी क्षेत्रीय असंतुलन है। इस क्षेत्रीय असंतुलन को प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से सुलझना एक बड़ी समस्या है। यह राज्यों की सामर्थ्य पर निर्भर करता है। यह प्रशासनिक तंत्र के कार्यकरण और उसकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि राज्य में ही यथासंभव कितने साधनों को जुटा सकता है और केन्द्र से कितनी आर्थिक और वित्तीय सहायता की जा सकती है।

[श्री वयालार रवि]

इसलिए हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं---और यह सही भी है—कि एक छोटा राज्य बड़े राज्य की अपेक्षा अच्छा है। एक छोटा राज्य प्रशासन के लिए अधिक सुविधाजनक और बेहतरी और विकास के लिए भी अधिक व्यावहारिक है। यही कारण है कि एक बड़े जिले को दो या तीन छोटे जिलों में बांट दिया गया है। केरल में हमारे यहां नौ जिले थे। अब उसमें ग्यारह जिले हैं और एक और जिला बनाया जा रहा है। हमारे यहां आर्थिक प्रशासनिक सुविधा होगी और राज्य सरकार अपने आदेशों को राज्य में अधिक अच्छे ढंग से लागू कर सकेगी। मेरा विश्वास है कि यदि हम इस सिद्धान्त को जिले के स्तर पर लागू कर सकते हैं तो यही सिद्धान्त राज्य के स्तर पर लागू किया जा सकता है।

महोदय, क्षेत्रीय असंतुलन के मुख्य कारणों में से एक कारण, अधिक विस्तृत क्षेत्र और अधिक जनसंख्या होना है जिससे राज्यों की प्रशासनिक क्षमता नहीं होती है।

महोदय, आपको याद होगा कि सरदार के० एम० पाणिकर ने राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर विमति टिप्पण दिया था। उन्होंने विमति टिप्पण में कहा था कि हमेशा राज्य का छोटा क्षेत्र होना वांछनीय होता है और उनकी इच्छा थी कि उत्तर प्रदेश राज्य को दो भागों में बांट दिया जाये। श्री साठे एक स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग कर रहे हैं जिसके लिये वे कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश से और कुछ महाराष्ट्र से मांग रहे हैं। महोदय, यहां संसद में उत्तर प्रदेश से लगभग 84 या 85 सदस्य हैं। वे इस बारे में बहुत हंगामा करते हैं कि उनका राज्य पिछड़ा हुआ है। मैं उनके दावे का प्रतिवाद नहीं करता हूं। मगर ऐसा क्यों है ? उत्तर प्रदेश में छप्पन जिले हैं। मुझे संदेह है कि कोई भी मुख्य मंत्री अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर भी सकता है क्योंकि वहां कोई भी मुख्य मंत्री एक-दो वर्षों से अधिक समय तक नहीं रहता। उत्तरप्रदेश विधान मण्डल में 480 विधायक हैं। मुख्य मन्त्री समस्याओं की जटिलता को कैसे समझ सकता है जबकि वह राज्य के सभी जिलों का दौरा तक भी नहीं कर सकता है। जब राजनैतिक प्राधिकारियों को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को समझने में कठिनाई होती है तभी राज्य में क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा होता है। अतः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की प्रगति के हित को देखते हुए यह वांछनीय है कि इन राज्यों को छोटे राज्यों में बांट दिया जाये और उत्तर प्रदेश को पहले दो राज्यों में बांट दिया जाये। यही मुख्य बात है जो मैं इस सम्बन्ध में उठाना चाहता हूं अतः खण्डशः विधान करने की बजाय, राज्य को छोटे छोटे राज्यों में पुनर्गठित करने के लिये उन्हें एक व्यापक नीति प्रस्तुत करनी चाहिये।

महोदय, जो दूसरी बात मैं उठाना चाहूंगा वह भाषाई राज्यों के बारे में है। आज यदि हम उस पर फिर से विचार करें तो हमें खेद होगा कि राजनीतिक लाभ के लिये यह शोषण का मामला बन गया है। निस्संदेह, यह प्रशासन और सामंजस्य के लिए बहुत अच्छा है परन्तु राजनीतिज्ञों को इस बात का विचार करना चाहिए कि क्या इस भाषाई राज्य नीति को एक ऐसे राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है जिससे प्रदेश विशेष के निवासियों के सिद्धान्त पर हंगामा खड़ा किया जाये। प्रदेश विशेष के निवासी का सिद्धान्त इस देश के लिये एक अभिशाप हो गया है और यह देश की एकता के लिये एक खतरा बन गया है। प्रदेश विशेष के निवासी के सिद्धान्त का ऊंचे स्वर में

समर्थन किया जाता है क्योंकि हम भाषाई राज्यों के पीछे भारतीय समाज की लोकनीति, राजनैतिक आचार नैतिकता अथवा राजनैतिक अभिप्राय को नहीं समझ सकते।

परन्तु दुर्भाग्य यह है कि हम देखते हैं कि इस देश में किसी को ऐसी स्थितियों को उपयोग करने या दुरुपयोग करने से नहीं रोका जाता है। भाषा के प्रश्न को राजनैतिक प्रयोजनों के लिए शोषित किया जा रहा है और समय आ गया है जब हमें यह सब समाप्त कर देना चाहिए; हमें हमेशा के लिए इस प्रदेश विशेष की निकासी की बात बन्द कर देनी होगी। किसी भी भाषा के विरुद्ध मेरे मन में कोई विरोध का भाव नहीं है। परन्तु मैं आपकी जानकारी के लिये एक उदाहरण दूँगा। केन्द्रीय सरकार को इन सब चीजों से ऊपर होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम कि उस दिन जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरित किये जा रहे थे आप वहां थे अथवा नहीं। गृह मंत्री को इन बातों की जानकारी होनी चाहिए और इसीलिये मैं इनकी ओर उनका ध्यान दिला रहा हूं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में पुरस्कार देने की एक विशिष्ट रीति है। हम पहले राष्ट्रीय फिल्मों को पुरस्कार देते हैं। उसके बाद निदेशकों, अभिनेताओं और अभिनेत्रियों आदि की बारी आती है और तत्पश्चात प्रादेशिक फिल्मों की बारी आती है। वे केवल हिन्दी में नाम पुकारते हैं जो हमारे लोग नहीं समझ सकते हैं। प्रादेशिक फिल्मों के नाम पर कसूर और जुनुन जैसी फिल्मों को क्यों शामिल किया गया है ? यह मेरी समझ में नहीं आता। श्री अरविन्दन, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार, लगातार दूसरी बार दिया जा रहा है, उनका अपमान किया गया है। उन्हें अलग से पुरस्कार नहीं दिया गया और उन्हें थम्बू नामक मलयालम फिल्म पुरस्कार विजेता के साथ बुलाया गया। तो, यह हालत है। एक ऐसे निदेशक का ऐसा अपमान क्यों किया गया जिसे लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार मिला है? यह राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध है। यह मामला गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आता है और यह बहुत नाजुक मामला है। निश्चित रूप से हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। और जब हमने फिल्म समारोह के उच्चत्तम अधिकारी या निदेशक से सम्पर्क किया तो उन्होंने कहा, 'उसमें गलत क्या है?' क्या इसी तरह एक अधिकारी को व्यवहार करना चाहिये? सर्वश्रेष्ठ निदेशक को अलग से पुरस्कार देने के बजाय आप उसे मलयालम फिल्म को दिये जाने वाले पुरस्कार के साथ नत्थी कर रहे हैं। आप प्रादेशिक फिल्मों को किस प्रकार का प्रोत्साहन दे रहे हैं? क्या ऐसे मामलों में इस तरह बरताव किया जाना चाहिए, यह सहन नहीं किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह मंत्री स्वयं इसकी जांच करेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

समाप्त करने से पहले मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं कि आवश्यक परामर्श करने के बाद हम एक व्यापक विधेयक बना सकते हैं। राज्यों के पुनर्गठन के लिये तथा छोटे-छोटे राज्य बनाने के हेतु सरकार को सभी राजनैतिक नेताओं और संबंधित राज्यों से विचार-विमर्श करके एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा कदम उठाने से देश की एकता के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। राजनैतिक एकता और देश की प्रशासनिक क्षमता के लिए तथा विविध प्रदेशों और राज्यों के विकास

[श्री वयालार रवि]

एवं राष्ट्रीय एकता के लिये केवल इसी प्रकार का कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

लोकसभा मध्याह्न भोजन के बाद दो बजकर चौदह मिनट पर पुनः समवेत हुई।)

(श्रीमती पार्वती कृष्णन पीठासीन हुई)

हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) विधेयक जारी

श्री **गंगा सिंह** (मंडी) : सभापति महोदय, मैं हरियाणा एड उत्तर प्रदेश (आल्टरेशन आफ बाउंडरीज) बिल, 1978 का समर्थन करता हूं। दो राज्यों ने अपने सीमा-विवाद को पारस्परिक सहमति से एक पंच फैसले के द्वारा सुलझा लिया है, यह स्वागत करने योग्य बात है। लेकिन इस प्रश्न को सारे हिन्दुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए।

जहां तक यू० पी० का प्रश्न है, वह हिन्दुस्तान का सब से बड़ा प्रदेश है और उसकी आबादी दस से बारह करोड़ तक है। क्षेत्रफल के लिहाज से भी यह एक बहुत बड़ा प्रदेश है—वह इतना बड़ा प्रदेश है कि कई स्वतन्त्र राज्य भी उसके बराबर नहीं हैं। हिन्दुस्तान के तीन प्रधान मंत्री इस प्रदेश से हो चुके हैं। लेकिन अगर विकास की दृष्टि से देखा जाये, तो यह प्रदेश हिन्दुस्तान के पिछड़े हुए प्रदेशों में से एक है, और मैं समझता हूं कि इसके पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण इसकी लार्जनेस है—इतना बड़ा प्रदेश होने के कारण ही यह पिछड़ा हुआ है।

पहले यह मत था कि अगर बड़े-बड़े प्रदेश हों, तो प्रदेश की हुकूमत पर कम खर्च होगा, और वह पैसा विकास पर लगाया जा सकता है। लेकिन जब से हरियाणा, पंजाब और दूसरे छोटे-छोटे प्रदेश बने हैं, यह सिद्ध हो गया है कि विकास की दृष्टि से छोटा प्रदेश ज्यादा अच्छा होता है और उसमें विकास की गति अधिक होती है।

उत्तर प्रदेश में 57 जिले हैं और मैं समझता हूं कि किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए यह ह्यूमेनली पासिबल नहीं है कि वह ऐसे प्रदेश को एक डायनामिक लीडरशिप दे सके। कोई चीफ मिनिस्टर 57 जिलों के कलक्टरों को अच्छी तरह से पहचान भी नहीं सकता है—खास तौर से यू० पी० में जहां कोई भी चीफ मिनिस्टर दो साल से अधिक अपने पद पर नहीं रहता है, और इसलिए वह जिलों में अच्छी हूकुमत नहीं दे सकता है। जहां तक अच्छी हुकूमत का सवाल है, यह जरूरी है कि प्रदेश की सारी जनता के साथ और डिस्ट्रिक्ट कलक्टर और एस० पी० आदि जिलों के एडमिनिस्ट्रेटर्ज के साथ चीफ मिनिस्टर का पर्सनल कनटेक्ट और वाकफियत हो।

अगर आप जियोग्राफिकली देखें, तो उत्तर प्रदेश के चार पांच विभाग ऐसे हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल पृथक हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश के साथ लगा हुआ यू० पी० का पहाड़ी इलाका है। हिमाचल प्रदेश ने आलू और सेव की प्राडक्शन में बहुत उन्नति नहीं की है, लेकिन यू०पी०के पहाड़ी इलाके में उतना विकास और उन्नति हो पाई है। मैं समझता हूं कि अगर यू० पी० के पहाड़ी इलाके की एक

अलग स्टेट बना दी जाये, तो उसमें भी उतनी उन्नति और विकास होगा, जितना कि हिमाचल प्रदेश में हुआ है।

उत्तर प्रदेश में एक दूसरा इलाका बुन्देलखण्ड है, वह भी बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। इसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश भी एक पिछड़ा हुआ इलाका है। दूसरे इलाके कुछ सम्पन्न है लेकिन वे भी उतने सम्पन्न नहीं है, जितने कि वे होने चाहिए। मैं समझता हूं कि विकास की दृष्टि से यू० पी० का विभाजन होना चाहिए और उसकी जगह-पर छोटी-छोटी स्टेट्स बननी चाहिए। कोई भी चीफ मिनिस्टर इतने बड़े प्रदेश को अच्छी हुकूमत नहीं दे सकता है। आज-कल यू० पी० की अबादी दस करोड़ के करीब है। अगर उसको छोटे छोटे पाँच प्रदेशों में बाँट दिया जाये, तब भी एक प्रदेश औसतन दो करोड़ की आबादी का बन जायेगा।

मैं सुझाव देता हूं कि सरकार को सारे हिन्दुस्तान की प्रगति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में विकास की गति में तेजी लाने के लिए और वहां एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करने के लिए—पिछले दस बारह सालों से उत्तर प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है, एक मामूली सी ट्रांसफर कराने में भी वहां पांच साल लग जाते हैं—सरकार को सोच-विचार कर एक काम्प्रेहेंसिव बिल लाना चाहिए, जिस के द्वारा यू० पी० को छोटी छोटी स्टेट्स में विभाजित किया जा सके। जो मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि वह कोई कमीशन बिठाये, जो सारे देश के समन्वित विकास के लिए बड़ी-बड़ी स्टेट्स को विभाजित करके छोटी-छोटी स्टेट्स बनाने के सम्बन्ध में विचार करें।

सभापति महोदया : श्री वेंकट सुब्बा

श्री रामधन : मंत्री लोग क्यों बाहर जा रहे हैं और अन्दर आ रहे हैं।

सभापति महोदया : शायद वे अपना मोटापा दूर कर रहे हैं।

श्री पी० वेंकट सुब्बया (नादपाल) : सभापति महोदया, इस विधेयक को मुख्यतया उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमाओं में कुछ परिवर्तन करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। अनेक सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं से मैं सहमत हूं। यह उचित ही है कि चर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री यहां उपस्थित हैं। चर्चा में भाग लेने वाले अनेक सदस्यों ने प्रशासनिक तथा आर्थिक विकास के आधार पर उत्तर प्रदेश के विभाजन के लिए कहा है। हमें हमारे रा य स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय ब्रिटिश उपनिवेशवाद से विरासत में मिले है। उस समय उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा रा य था। अब भी इस प्रदेश से लोक सभा के लिए 85 सदस्य चुने जाते हैं। किसी रा य को बड़ा होने का प्रभाव देश की राजनीति पर पड़ता है। स्वतन्त्रता के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन चलता रहा है कि लोगों की भाषा के आधार पर रा यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। फजल अली के अधीन एक समिति का गठन किया गया था और समिति में कुछ सिफारिशें की थीं। यदि मुझे ठीक याद है तो सरदार पानिक्कर ने उत्तर प्रदेश के विभाजन के लिए एक विमत टिप्पण भी दिया था किन्तु अनेक कारणों से उसे स्वीकार नहीं किया गया था। दक्षिण में विशेष रूप से जो आंदोलन किया गया वह भाषा के आधार पर रा य बनाने के लिए किया गया था किन्तु आयोग के विचारार्थ विषयों

[श्री वेंकटेश्वर सुब्बया]

में यह कहीं उल्लेख नहीं है कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जायेगा। महत्वपूर्ण पहलू प्रशासनिक सक्षमता है। प्रत्येक राज्य की सीमाओं को निश्चित करने के लिये अनेक आयोगों की स्थापना की गई है। ऐसा ही एक आयोग हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमाओं को निश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। अनेक पंचाट दिये गये। एक पंचाट महाराष्ट्र-कर्नाटक पर महाजन पंचाट था। इस मामले में दीक्षित पंचाट उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए क्रियान्वित किया गया है। जब ये परिवर्तन किये जायेंगे तो उससे पूरी समस्या का हल नहीं निकलेगा। बुलन्दशहर और गुड़गांव जिलों तथा अन्य स्थानों के बीच यमुना सीमा बनाती है। जहां तक पंचाट का सम्बन्ध है वह ठीक है। जहां तक राज्यों के विभाजन या पुनर्गठन की बड़ी समस्या का प्रश्न है, इसे प्रशासनिक सुविधा और आर्थिक विकास पर आधारित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदया : कृपया विधेयक पर ही बोलिये।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : श्री बहुगुणा संकेत कर रहे हैं कि यह बिलकुल संगत नहीं है। मैं भी इस तथ्य से अवगत हूं किन्तु मुझे पहले किये गए भाषणों को ध्यान में रखना है। यह संक्रामक रोग है।

सभापति महोदया : आप अधिक बुद्धिमतापूर्ण ढंग से बोल कर मार्ग दर्शन कर सकते हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : यह स्वीकार करना होगा कि इस विधेयक में व्यापक पहलुओं को भी लिया गया है। मैं यह कह रहा था कि इस विधेयक में दीक्षित पंचाट को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस पंचाट को कार्यरूप देते हुए आपको और आगे जाना होगा और यह देखना होगा कि हरियाणा जैसे छोटे रा यों को सुदृढ़ किया जाए और उन्हें अधिक क्षेत्र दिया जाए ताकि वे अर्थक्षम हो सकें क्योंकि राजनीतिक रूप से सबसे अधिक अस्थिरता हरियाणा में है, छोटा राज्य होने के कारण इसके लाभ हैं किन्तु साथ ही एक छोटा आकार एक बड़ी समस्या भी है। यह रा य इन सभी वर्षों के दल-बदल का गढ़ बन गया है। इस सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि आप सीमाओं का इस प्रकार से समायोजन कीजिए कि हरियाणा भी अर्थक्षम रा य बन जाए और वहां राजनीतिक स्थिरता आ जाये। इसी सन्दर्भ में मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि सरकार इन बातों पर गहराई से विचार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक विकास के साथ राजनीतिक स्थिरता भी हो। जहाँ तक हरियाणा का सम्बन्ध है ऐसा तभी हो सकता है जब उसे अधिक अर्थक्षम बनाया जाए।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खजुराहो) : सभापति महोदया, अभी जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। कारण यह है कि अभी जो सीमा थी वह जिस तरह से यमुना नदी बहती थी उसी तरह से सीमा का निर्धारण था। इसमें कुछ कठिनाइयां पड़ीं और इसीलिए यह निश्चय हुआ कि ऐसा निर्णय लिया जाए जिससे कि सीमा पर जो जिले हैं या गांव हैं। उनमें कोई दिक्कत न पड़े। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि सीमा का ऐसा निर्धारण होना चाहिए जिससे जनता को सहूलियत रहे। जनता चाहती है कि जिले का मुकाम या प्रान्त की राजधानी उसके नजदीक रहे। जनता के लिए आने जाने के रास्ते भी सुगम

होने चाहिए। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

जब सीमा निर्धारण के बारे में चर्चा हुई है तो थोड़ी सी बातें भी इससे जुड़ जाती हैं। जैसा कि अभी और माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि अपने देश के जो प्रान्त हैं उनमें कुछ परिवर्तन होना जरूरी है। प्रान्तों का पुनर्गठन होना जरूरी है। पिछले दिनों जब प्रान्तों का पुनर्गठन हुआ तो उसमें कुछ दृष्टियां सामने रखी गईं। एक तो सुविधा की दृष्टि को माना गया। लेकिन आज के समय में जो पुनर्गठन है, मैं आपसे निवेदन करूं कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो—वे इतने बड़े क्षेत्र में हैं, इतने बड़े एरिया में हैं कि उनका प्रशासन ठीक ढंग से नहीं चल सकता।

दूसरे, विकास की दृष्टि से भी प्रान्तों का गठन जरूरी है। इस सम्बन्ध में अभी हरियाणा का उदाहरण भी दिया गया जो कि पुनर्गठन के बाद काफी तरक्की कर गया। विकास के लिए पैसे का जो निर्धारण होता है वह, जब बड़ा प्रान्त होता हैं, तो कम पड़ जाता है। इसलिए विकास की दृष्टि से भी इस पर एक न एक बार पुनः विचार करना बहुत जरूरी है। मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के टीकमगढ़ और झाँसी जिले मिले हुए हैं। झाँसी के कई गाँव टीकमगढ़ की सीमा पर पड़ते हैं और टीकसगढ़ के कई गांव झाँसी की सीमा पर पड़ते हैं जिसके कारण कई दिक्कतें सामने आती हैं। यह चर्चा बराबर चल रही है कि इन गांवों को या तो इधर लाया जाए या उधर ले जाया जाए। अधिकारी भी कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिससे जनता को कष्ट होता है। वे कह देते हैं कि सड़क के इधर के गांव उधर रहेंगे और उधर के गांव इधर रहेंगे। इन बातों की वजह से बुन्देलखण्ड के जो जिले हैं, जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं, उनका विकास नहीं हो रहा है। एक बुन्देलखण्ड विकास परिषद भी बनी थी जिसकी एक दफा बैठक हुई लेकिन कोई विचार नहीं हो सका। इसलिए जरूरी है कि छोटे प्रान्तों का गठन किया जाए। जब हम मानते हैं कि पिछड़े इलाकों का विकास करना है तो इस पर गौर होना चाहिए। इस दृष्टि से मैं इसका समर्थन करता हूं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को बुन्देलखण्ड के जिले हैं, जो कि पिछड़े हुए हैं, उनका अलग से प्रान्त जरूर बनना चाहिए। नेता लोगों को इस पर अवश्य विचार करना चाहिए।

सभापति : माननीय मंत्री महोदय। (**व्यवधान**)

श्री मुख्तियारसिंह मलिक (सोनीपत) : पांच मिनट का समय हमें भी इस पर बोलने के लिए दे दीजिए। पांच मिनट और लग जाएंगे, तो क्या कोई आफत आ जाएगी।

श्री भगत राम (फिल्लोर) : हमें भी इस पर बोलने के लिए टाइम दीजिए।... (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : अब और समय नहीं बढ़ाया जा सकता है। मैंने मंत्री महोदय को बुला लिया है।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : पांच मिनट में कौन सी मुसीबत आ जाएगी। हरियाणा और यू० पी० की सीमा के बारे में यह बिल है और हरियाणा और यू० पी० के मेम्बरों को आप ने बोलने के लिए टाइम नहीं दिया।... (**व्यवधान**)... मुझे यह बताइए कि पांच मिनट में क्या मुसीबत आ जाएगी!

सभापति : इससे पहले दिन जब इस विधेयक पर विचार किया जा रहा था तो क्या आधे घण्टे तक होता रहा। आज फिर जो नाम मेरे पास आए, उन सभी को मैंने बुला लिया है। आखिर में, यदि आप अचानक नाम भेज दें मैं आपको नहीं बुला सकती। मुझे खेद है।

श्री मुख्तियारसिंह मलिक : मैं इस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर के वाक-आऊट करता हूं।

(श्री मुख्तियार सिंह मलिक सदन से बाहर चले गये)

श्री भगत राम : क्योंकि आप ने टाइम नहीं दिया है और हमारी पार्टी का व्यूप्वाइन्ट नहीं आया है, हम वाक-आऊट करते हैं।

(श्री भगतराम तथा अन्य कुछ सदस्य सदन से बाहर चले गये)

सभापति : मंत्री महोदय।

गृह नंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : सभापति महोदया, जैसा कि मैंने अपना शुरू के भाषण में कहा था, यह विधेयक मध्यस्थता पंचाट पर आधारित है और इस पंचाट को दोनों सरकारों ने स्वीकार कर लिया है। अब हम इसे प्रभावी बना रहे हैं। माननीय सदस्यों ने राज्यों के पुनर्गठन तथा छोटे राज्यों की अच्छाइयों के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए इस अवसर का उपयोग किया है। माननीय सदस्य श्री बयालार रवि ने छोटे राज्यों के पक्ष में आर्थिक सक्षमता, प्रशासनिक सक्षमता, एकरूप विकास, राष्ट्रीय एकता आदि जैसी कुछ बातें बड़े जोरदार ढंग से कही हैं। अन्य माननीय सदस्यों ने भी ये बातें कही हैं किन्तु जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है, यह विधेयक हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच नदी सीमा के बारे में है और वह भी मध्यस्थता पंचाट पर आधारित है जिसे दोनों सरकारों ने स्वीकार कर लिया है। अतः राज्यों के पुनर्गठन के और बड़े राज्यों को पुनर्गठित करके छोटे राज्यों का रूप देने जैसा व्यापक प्रश्न इस समय संगत नहीं है।

जहां तक महाजन आयोग की रिपोर्ट का प्रश्न है उसे दोनों सरकारों अर्थात कर्नाटक और और महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। अतः उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जैसा कि गृह मंत्री ने पहली बार स्पष्ट किया था वह दोनों मुख्य मंत्रियों को बुलायेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वे रिपोर्ट को स्वीकार कर लें। जब रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जायेगा या इन दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों में कोई पारस्परिक समझौता होगा हम आवश्यक विधान लायेंगे।

सभापति महोदया : प्रश्न यह है—

"कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा में परिवर्तन तथा उससे सम्बन्धित अन्य विषयों के बारे में विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापसि महोदया : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। खण्ड 2 से 4 पर कोई शोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खन्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 5

सभापति महोदया : खण्ड 5 पर सरकार के 3, 4 और 5 तीन संशोधन हैं।

सभापति महोदया : अब खण्ड 5 को लिया जाये।

श्री धनिक लाल मण्डल : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"पृष्ठ 3, पंक्ति 4—

"1978" **के स्थान पर** "1979" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

पृष्ठ 4, पंक्ति 9,—

"1978" **के स्थान पर** "1979" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

पृष्ठ 4, पंक्ति 15,—

"1879" **के स्थान पर** "1979" **प्रतिस्थापन किया जाये।**

सभापति महोदया : प्रश्न यह है कि :—

"पृष्ठ 3, पक्ति 4,—

"1978" **के स्थान पर** "1979" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (3)

"पृष्ठ 4, पंक्ति 9,—

"1978" **के स्थान पर** "1979" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (4)

"पृष्ठ 4, पंक्ति 15,—

"1978" के स्थान पर "1979" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (5)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5, **संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5, **संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।**

खण्ड 6 **से** 11 **विधेयक में जोड़ दिए गए।**

सभापति महोदया : अब खण्ड 12 लिया जायेगा।

श्री धनिक लाल मण्डल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"पृष्ठ 8,—

पंक्ति 7 **के पश्चात** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये**—

"परन्तु ऐसा कोई प्राधिकरण नहीं किया जायेगा जो उस वित्तीय वर्ष की जिसमें नियत दिन पड़ता है, समाप्ति के बाद किसी अवधि के लिए प्रभावी हो।"

सभापति महोदया : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 8, —

पंक्ति 7 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए —

"परन्तु ऐसा कोई प्राधिकरण नहीं किया जायेगा जो उस वित्तीय वर्ष की, जिसमें नियत दिन पड़ता हो, समाप्ति के बाद किसी भी अवधि के लिए प्रभावी हो।" (6)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 13 से 36 विधेयक में जोड़ दिये गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खण्ड 1

संशोधन किया गया

"पृष्ठ 1, पंक्ति 6—

"1978" **के स्थान पर** "1979" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (2)

(श्री धनिक लाल मण्डल)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"उन्नीसवें" के स्थान पर "तीसवें" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

(श्री धनिक लाल मण्डल)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया ।

पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री धनिक लाल मण्डल : में प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कोसनगैस कम्पनी (उपक्रम का अर्जन) विधेयक
और
पटेल इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
और डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड
(प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हुमवती नन्दन बहुगुणा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कोसनगैस कम्पनी के उपक्रम के लोकहित में अर्जन के लिए, और इस प्रकार यह सुनिश्चित करने के लिये कि द्रवित पेट्रोलियम गैस की बोतलबन्दी, परिवहन, विपणन और वितरण के साधनों और स्रोतों के स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से वितरित हों जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से हित साधन हो तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

"कि परेल इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड के उपक्रमों का अर्जन होने पर्यन्त, समुदाय के जीवन के लिये अनिवार्य सेवा, अर्थात द्रवित पेट्रोलियम गैस की बोतलबन्दी, परिवहन, विपणन और वितरण को बनाए रखने की दृष्टि से, उक्त कम्पनियों के उपक्रमों का लोकहित में प्रबन्ध-ग्रहण करने और उससे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदया, पहले विधेयक का प्रयोजन लोकहित में कोसनगैस कम्पनी के उपयुक्त जिसका इस समय एकमात्र स्वामित्व गोकुल गैस प्रा० लि० के पास है, का अर्जन करना है । यह कम्पनी, जिसका प्रबन्ध गैर सरकारी हाथों में है, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा बम्बई स्थित अपनी शोधनशाला से सप्लाई की जाने वाली खाना पकाने की गैस की बोतलबंदी, परिवहन, विपणन और वितरण करती है।

दूसरे विधेयक का उद्देश्य लोकहित में दो अन्य गैर-सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनियों अर्थात परेल इन्वेस्टमेंटस एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्रा० लि० और डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लि० जो हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा अपनी विजाग शोधनशाला से सप्लाई की जाने वाली खाना पकाने की गैस की बोतलबंदी, परिवहन, विपणन और वितरण करती है, का अधिग्रहण करना है।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

सरकार की यह घोषित नीति है कि वह पैट्रोलियम गैस के वितरण के क्षेत्र में बिचौलियों को समाप्त करना चाहती है और इसके बेचने का कार्य तेल कम्पनी को, जो कि सरकारी क्षेत्र में हैं, सौंपना चाहती है ताकि उपभोक्ताओं को पैट्रोलियम गैस बिना किसी बाधा के और प्रभावी ढंग से मिल सके। इस नीति के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि कोसन गैस उपक्रम को अर्जित किया जाए और परेल इन्वेस्टमैंट एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध तब तक हाथ में लिया जाए जब तक कि इन्हें अर्जित नहीं किया जाता और उन्हें सरकार को सौंप दिया जाए।

मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि परस्पर सहमति से अधिग्रहण का प्रयत्न किया गया था और इसके लिए कोसनगैस के साथ वार्ता की गई थी। चूंकि किसी भी स्वीकार्य समझौते पर नहीं पहुंचा जा सका। सरकार के पास लोकहित में उपक्रम का अर्जन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जहा तक परेल इन्वेस्टमेंटस एण्ड ट्रेडिंग प्रा० लि० और डोमेस्टिक गैस प्रा० लि० के अधिग्रहण का सम्बन्ध है, उनकी अलग-अलग आस्तियां और देयताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई थी किन्तु यह जानकारी न मिलने के कारण अधिग्रहण के वित्तीय प्राभवों का निर्धारण करना सम्भव नहीं हो सका। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव है कि अभी इन दो कम्पनियों के उपक्रमों का केवल प्रबंध ही अपने हाथ में लिया जाए।

ये विधेयक छः सप्ताह से सदन के सम्मुख है और माननीय सदस्य विधेयक के उपबधों से भली प्रकार अवगत हैं।

श्रीमान, आपकी अनुमति से यह अनुरोध करता हूं कि सदन इन दो विधेयकों पर विचार करे और इन्हें स्वीकार करे।

सभापति महोदया : प्रस्ताव हुआ :

"कि कोसनगैस कम्पनी के उपक्रम के लोकहित में अर्जन के लिये, और इस प्रकार यह सुनिश्चित करने के लिये कि द्रवित पेट्रोलियम गैस की बोतल बंदी, परिवहन, विपणन और वितरण के साधनों और स्रोतों के स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से वितरित हों जिससे सामूहिकहित का सर्वोत्तम रूप से हित साधन हो तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

"कि परेल इन्वेस्टमेंटस एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड के उपक्रमों का अर्जन होने पर्यन्त, समुदाय के जीवन के लिये अनिवार्य सेवा, अर्थात् द्रवित पेट्रोलियम गैस की बोतलबन्दी, परिवहन, विपणन और वितरण को बनाए रखने की दृष्टि से, उक्त कम्पनियों के उपक्रमों का लोकहित में प्रबन्ध-ग्रहण करने और उससे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इसमें कुछ संसोधन हैं मैं देख रही हूं कि श्री विनायक प्रसाद यादव और श्री राम किशन सदन

में उपस्थित नहीं हैं।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मैं आशा कर रहा था कि मंत्री महोदय इस विधेयक के प्रयोजन पर कुछ प्रकाश डालेंगे किन्तु उनके भाषण से पता चलता है कि वह इस सदन से कुछ तथ्य छुपाना चाहते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : ऐसा आरोप लगाना बहुत अनुचित है।

श्री वयालार रवि : केवल एक वाक्य में इन्होंने यह कह दिया है कि वह कम्पनी की आस्तियों और देयताओं के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सके और दूसरे यह कि उन्हें अब तक इस विधेयक के वित्तीय प्रभावों के बारे में जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार आप इस सदन के माननीय सदस्यों से यह कह रही हैं कि वे इन कम्पनियों के अधिग्रहण के वास्तविक वित्तीय प्रभावों को जाने बिना इन विधेयकों को पारित कर दें।

मेरी यह बहुत इच्छा है कि इस विधेयक का समर्थन करूं—इसलिए नहीं कि इसमें गुण हैं बल्कि इसके प्रस्तावक को देखकर। सभापति महोदया, दो विधेयक इकट्ठे पेश किये गए हैं। मैं पहले विधेयक जो कोसनगैस कम्पनी के बारे में है, को लेता हूं। उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह कहा है कि—यदि मैं गलत कहूं तो मंत्री महोदय मुझे सही कर सकते हैं—

> "करार 4 सितम्बर, 1977 को समाप्त हो गया। कोसन गैस की साझेदारी 5 सितम्बर, 1977 को व्यापार को बंद करने के कारण समाप्त कर दी गई है।"

इसका अर्थ हुआ कि एस्सो स्टेंडर्ड, जिसका अधिग्रहण सभी विदेशी कम्पनियों के अधिग्रहण की नीति के अनुसार हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा किया गया था, के साथ एक करार था। तो इस कम्पनी के साथ विदेशी करार समाप्त हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि 1977 के बाद सरकार की इस कम्पनी के प्रति कोई बाध्यता नहीं रही। तो आप इस कम्पनी को उसके भाग्य के सहारे छोड़ सकते हैं। स्वाभावतः, मैं पूछना चाहता हूं कि : देयता के साथ, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, इस कम्पनी का अधिग्रहण करने का क्या प्रयोजन है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : महोदया, क्या मैं उत्तर दूं।

सभापति महोदय : आप अंत में उत्तर दे सकते हैं। आपको उत्तर देने का अवसर मिलेगा श्रीमान रवि, आप बोलिए।

श्री वयालार रवि : सभापति महोदया, यदि आप विधेयक देखें—और अध्याय दो, खण्ड 4 में स्पष्ट बताया गया है कि सरकार केवल दो देयताएं ले रही है। शेष देयताएं नहीं ली जा रही हैं। स्वाभाविक है कि देयताएं क्या हैं ? क्या न्यायालय का कोई आदेश अनिर्णीत पड़ा है या कोई कुर्की का आदेश क्रियान्वित किया जाना है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा—ये सब बातें बताई जानी चाहिए। मुझे आशा है मंत्री महोदय ने इन सब पहलुओं को देख लिया होगा। निस्संदेह, इन्हें स्पष्ट करने के लिए आपको काफी समय लगाना होगा किन्तु मुझे आशंका है कि कहीं बाद में लोक लेखा समिति की आलोचना न सहनी पड़े। मुझे प्रसन्नता है कि जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, आप उनका ख्याल

[श्री वायालर रवि]

कर रहे हैं। मुझे इसकी वास्तव में प्रसन्नता है।

अब आप खण्ड 5 (2) को लीजिए जो नियुक्त दिवस से पूर्व धारित कतिपय अधिकारों से सम्बन्धित है। इसका अर्थ यह हुआ कि आप कुछ दावों को रद्द करने का अधिकार अपने हाथ में रख रहे हैं।

खण्ड 10 भविष्य निधि और अन्य निधियों के बारे में है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैं जानना चाहता हूं कि इस कम्पनी ने भविष्य निधि, उपदान तथा कर्मचारियों को देय किसी अन्य लाभ के बारे में कोई चूक तो नहीं की। यदि कम्पनी ने इस बारे में कोई चूक की हो तो आपने खण्ड 4 में इसका कोई उल्लेख नहीं किया। आपने कर्मचारियों को देय भविष्य निधि की राशि का मात्र उल्लेख किया है। क्या इस कम्पनी को हाथ में लेना जनहित में है? इस कम्पनी का, जो कि बोतलबंदी, वितरण आदि का गैर-सरकारी व्यापार कर रही है अधिग्रहण किया जा सकता है। परन्तु तभी जब आप उन्हें द्रवित पैट्रोलियम सप्लाई करें। सरकार के पास विकल्प यह है कि कम्पनी को अपने आप समाप्त होने दे क्योंकि देयताएं अनेक हैं और उनसे कम्पनी बरबाद हो रही है। सरकार ने इस कम्पनी को बचाने में शीघ्रता किस लिए की है? क्या ऐसा कर्मचारियों के लिए किया गया है? यदि ऐसा है तो अच्छा है। हम इसका स्वागत करते हैं। यदि उनके लिए नहीं है तो किसके लिए यह किया गया है? इस पर मंत्री महोदय प्रकाश डाल सकते हैं। यही स्थिति अन्य कम्पनियों की है। इस सम्बन्ध में दो चीजें जरूरी हैं। एक है खाना पकाने की गैस, दूसरी है पैट्रोलियम उत्पाद। मैं देख रहा हूं कि विदेश मंत्री, श्री वाजपेयी इधर से उधर जाने के मंत्री बन कर रह गए हैं। वह नई दिल्ली और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच आ जा रहे हैं। कभी वह ईरान जाने के बहुत शौकीन थे। आपको पता है कि उन्हें तत्काल उनकी सलाह मिल जाती है किन्तु भाग्यवश वह अब वहां नहीं हैं।

आजकल पेट्रोलियम मंत्री भारत, लीबिया तेहरान, अबूधाबी आदि में काफी दौरा करते हुए दिखाई देते हैं, उनका इतने परिश्रम से यात्रा करना देश के हित में है किंतु मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब मैं 8 वर्ष का था, और स्कूल में पढ़ता था, उस समय वे कांग्रेस पार्टी में थे और उन दिनों देश में मिट्टी के तेल की भारी कमी हो गई थी उन दिनों हमें कक्षा में ही मिट्टी के तेल के लिए राशन की पर्ची मिलती थी और उससे मिट्टी का तेल खरीदने के लिए हमें लाइन में खड़े होना पड़ता था। उस समय सरकार के बचाव में श्री बहुगुणा यही कहते कि अभी नई-नई ही सरकार बनी है, और उन्हें इसे बाहर से मंगवाना होता है, इत्यादि। किन्तु मैं इस आधार पर विरोध करता हूं कि आप हमें 1949 की स्थिति में ले जा रहे हैं। इसका क्या कारण है?

आप 40 प्रतिशत खनिज तेल आसाम बम्बई हाई से प्राप्त कर रहे हैं। सोवियत रूस की ओर से चावल के बदले में खनिज तेल देने का प्रस्ताव भी आया है। लीबिया खनिज तेल देने को तैयार है। केवल तेहरान में ही गड़बड़ी है, किन्तु इसी से स्थिति नई सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गई है। केवल स्त्री-पुरुष ही नहीं वरन् लारियां और मोटर गाड़ियों की भी पेट्रोल और डीजल के लिए लाइन

में खड़े होना पड़ता है, केवल इसीलिए कि तेहरान में थोड़ी गड़बड़ी पैदा हो गई है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : कोसन गैस मिट्टी तेल या डीजल का काम नहीं करती है।

श्री वयालार रवि (चिरयिकील) : पेट्रोलियम और गैस की उपलब्धी और वितरण में संकट क्यों है ? क्या यह समुचित योजना के अभाव के कारण है ? कृपया स्पष्ट करें। मंत्री महोदय सदा यही कहेंगे कि ईरानी सरकार द्वारा सप्लाई न करने के कारण ऐसा हुआ है।

वयालार रवि : उन्होंने इसका उत्तर मंत्रालय की मांग के उत्तर में दे दिया है।

सभापति महोदय : महोदय कुकिंग गैस का आप से भी संबंध है और देश की प्रत्येक महिला संबंधित है।

सभापति महोदय : सभापति तो सभापति ही हैं।

श्री वयालार रवि : मंत्री महोदय ने कहा कि यदि कुकिंग गैस में किसी तरह की हेराफैरी संबंधी कोई शिकायत प्राप्त होगी तो वह सख्त कार्यवाही करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या कार्यवाही की है क्योंकि यह सब अभी तक जारी है। आपको आवश्यक कार्यवाही करनी होगी क्योंकि कुकिंग गैस ऐसी चीज है जो सरलता से ले जाई जा सकती है। बहुत से अविवेकी व्यक्ति हैं। अतः उनकी आप जांच करें मैं समझता हूं कि उत्पादन तो निश्चय ही हो रहा होगा, किन्तु उसे महानगरों में उपलब्ध भी किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां के लिए यह उपयोग की बहुत की महत्त्वपूर्ण वस्तु है। गैस की और अधिक उपलब्धता के लिए सभा में मांग की गई।

सभापति महोदय : मूल्य कम कराने के बारे में भी मांग की गई है।

श्री वयालार रवि : मूल्य बढ़ गये हैं। वस्तुतः हर चीज का मूल्य बढ़ गया है। इसलिए केवल गैस की ही बात नहीं है ? ? जनता सरकार इस बात पर गर्व कर सकती है और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मूल्य को कम करने सहित कांग्रेस के सभी कामों को उसने उलटा कर दिया है, उन्होंने कांग्रेस सरकार की पद्धति अपनाते हुए मूल्य सूचकांक तैयार किये हैं किन्तु इसमें खुदरा मूल्यों का बिल्कुल भी ध्यान रखा है जिनसे उपभोक्ताओं को नुकसान होता है। सत्ताधारी दल के एक भाग से व्यापारी राजनीतिक प्रश्रय पा रहे हैं, और इसीलिए आज उपभोक्ता पीड़ित हैं।

अतः मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह गैस की उपलब्धता के बारे में बतायें, गैस का मूल्य अनुचित स्तर तक घटाया जाएगा या नहीं और क्या वे मिट्टी के तेल पर से राशनिंग कब हटायेंगे इन सभी आलोचनाओं के बावजूद मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री पवित्र मोहन प्रधान (देवगढ़) : सभापति महोदया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय कोसन गैस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने की बहुत उत्सुक हैं, और एक अन्य कंपनी का प्रबंध हाथ में लेना चाहते हैं। ये दोनों कंपनियां तरल पैट्रोलियम गैस तैयार करती हैं। गैस बहुत से प्रयोजनों के लिए आवश्यक है। हमारा देश 31 वर्ष पहले स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता के बाद बहुत

[श्री पवित्र मोहन प्रधान]

प्रगति हुई और समाज की सर्वतोमुखी प्रगति हुई है। इस समय गैस इतनी अधिक आवश्यक हो गई है कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। दिल्ली में प्रत्येक परिवार और व्यक्ति गैस कनेक्शन पाने के लिए इस-उदत प्राधिकारी या संसद सदस्य के पास जा रहा है ताकि वह उसके मामले में माननीय मंत्री की सिफारिश करें। पिछले कई वर्षों से आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं और उन्हें क्रम से रखा जा रहा है, किन्तु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा, और मांग करूंगा कि वह तुरंत कार्यवाही करें ताकि गैस चूल्हे और गैस संबंधी सिलेंडरों का अधिक उत्पादन हो सके और लोगों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। माननीय मंत्री कुछ संसद सदस्यों से अप्रसन्न हो गए होंगे, किंतु हम भी क्या करें, हम भी तो विवश हैं, जब हम संसद के वाथियों से गुजरते है तो इसी सभा के अनेक कर्मचारी हमारे पास आते हैं, और अपने आवेदन-पत्र पर हमारी सिफारिश करवाते हैं, ताकि उनके मामले पर समुचित प्राधिकारी कार्यवाही करें। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इन दो विधेयकों को पेश करने में रूचि ली, जिनमें से एक रूग्ण एकक से प्रबंध को हाथ में लेने के बारे है और दूसरा एक एकक के राष्ट्रीयकरण के बारे में है। यह बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं पूरे दिल से इसका समर्थन करता हूँ।

राष्ट्रीयकरण की समस्या का जहां तक सम्बन्ध है मैं इस समय यही कहना चाहूंगा कि [illegible] स्थितियों को देखते हुए मैं इस समय समाजीकरण या राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं हूं, अभी तक अनेक उद्योग और धंधों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। जैसाकि पिछले दिन मैंने सभा में कहा था, और जिसे मैं फिर दोहराता हूँ कि 90 प्रतिशत राष्ट्रीयकृत और समाजीकृत उद्योग एवं धंधे घाटे पर चल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री पवित्र मोहन प्रधान : सरकार कुछ भी कहे---वह इसके बारे में कुछ भी सफाई के तौर पर कह सकती है, किंतु यह सच है कि 90 प्रतिशत राष्ट्रीयकृत और समाजीकृत उद्योग और धंधे घाटे पर चल रहे हैं। अतः इसे रोका जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह प्रबंधकों को लाभ दिखाने के लिए विवश करे। उस दिन माननीय प्रधानमंत्री ने कहीं यह विचार व्यक्त किया था कि यदि राष्ट्रीयकृत कंपनियों और उद्योगों के प्रधान उन्हें लाभ में नहीं चला सकते तो उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी के इस मांग और विचार को देश सहर्ष स्वीकार करता है। अपेक्षित परिणाम पाए बिना 'राष्ट्रीयकरण' या 'समाजीकरण' करने की मांग करने से समाज की आर्थिक समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता है। इन दोनों फर्मों का राष्ट्रीयकरण इसीलिए किया जाए, क्योंकि ये रूग्ण हैं, और समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। किंतु प्रबंध हाथ में लेने के बाद और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद ऐसे कठोर प्रयास किये जाने चाहिए जिससे अधिकाधिक उत्पादन हो सके और नुकशान होने न पाए।

स्थान ग्रहण करने से पूर्व एक बार फिर मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं और मांग करना हूं कि गैस के चूल्हे और गैस सिलिंडरों का अधिकाधिक उत्पादन किया जाए ताकि जनता की मांग पूरी की जा सके।

श्री विजयकुमार एन० पाटिल (धुलियां) : सभापति महोदया, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं, फिर भी मेरी कुछ शंकाएं हैं जिन्हें मंत्री महोदय अपने उत्तर में स्पष्ट करें।

सबसे पहली बात धारा 3 के अंतर्गत "उपक्रम के अंतरण और सुपुर्दगी" के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 10,000 रु० की राशि की अदायगी के बारे में हैं। मैं यह जानना चाहता हूं 10,000 रु० की इस राशि का किस आधार पर हिसाब लगाया गया है। 'नाममात्र' का अर्थ एक रुपए से अधिक कोई भी राशि हो सकती है। यह एक बात है।

दूसरी बात यह है कि मैं अपने पूर्व वक्ता अपने माननीय मित्र की इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए गए और शुरू किए उपक्रम घाटे में चलते हैं। इस संदर्भ में मैं राष्ट्रीय वस्त्र उद्योग द्वारा रुग्ण मिलों का प्रबंध संभालने के स्पष्ट उदाहरण की ओर संकेत करूंगा। ये मिलें पहले गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा संचालित की जा रही थी, और जब वे रुग्ण हो गईं तो कर्मचारियों की सहायता तथा कपड़े के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय वस्त्र उद्योग को ही आगे आना पड़ा। इसी प्रकार गैस का वितरण और उसकी भराई आदि दिन-प्रतिदिन की आवश्यक वस्तुएं हैं। इसीलिए कोसन गैस कंपनी और अन्य कंपनियों को अपने हाथ में लेना लोकहित में है, किंतु दूसरी बात यह भी है कि यद्यपि यह कंपनी बहुत बड़ी है, किन्तु जो दायित्व संभालता जा रहा है वह भी करोड़ों रुपये का है।

इसमें गाड़ियां आदि हैं। यहां एक देनदारी है। मैं नहीं समझता कि सरकार ने उन गाड़ियों की संख्या के बारे में मालूम किया है, जो इतनी पुरानी हो गई हैं, कि इनका विवरण नहीं किया जा सकता है क्योंकि आधुनिक युग में प्रत्येक पांच वर्ष के बाद मशीनें पुरानी पड़ जाती हैं और इसकी जांच करनी पड़ती है।

मैं, मंत्री महोदय से इस अवसर पर यह निवेदन करूंगा कि जब भी सरकार किसी उपक्रम को अपने हाथ में ले, तो उस उपक्रम में स्थानीय लोगों को भविष्य में रोजगार दिलाया जाए, क्योंकि समाचार पत्रों से यह जान पड़ा है, और लोगों ने भी, खासतौर से गुजरात के लोगों ने यह शिकायत की है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने उस राज्य में देहरादून और अन्य स्थानों के लोगों को रोजगार दिया है और स्थानीय लोगों को केवल चपरासी या चौकीदार के रूप में रोजगार दिया गया है। जब भी किसी सरकारी उपक्रम की किसी स्थान विशेष में स्थापना की जाती है, तो इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरी शंकाओं को दूर करेंगे।

श्री एन्थु साहू (बोलन गीर) : इस विधेयक पर चर्चा करने से पहले मेरी कुछ शंकाएं हैं। सरकार का यह अधिग्रहण किस लिए किया जा रहा है? क्या इससे उपभोक्ता को लाभ होता है? क्या इससे राज्य को फायदा है क्या इस निजी उद्यम को हाथ में लेने से अधिक राजस्व मिलेगा?

[श्री एन्थु शाहु]

उद्देश्य और कारणों के कथन में इसका जिक्र नहीं किया गया है और न मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर में भी मेरे प्रश्न का उत्तर मिलता है।

हम एक ऐसे कुएं में छलांग मार रहे हैं जिसकी गहराई आदि के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है अर्थात् क्या घाटे पर चल रही कम्पनी का अधिग्रहण करने से हम पर बोझ नहीं पड़ेगा ? क्या इसको अधिग्रहण करने से उपभोक्ताओं को हम और अधिक गैस कनैक्शन दे पाएंगे या क्या हम देश में गैस की कमी को पूरा कर पाएंगे ? यदि हम इसे लोकहित में अपने हाथ में ले रहे हैं, तो हमें यह जानना होगा कि किस उद्देश्य से हम इसे अपने हाथ में ले रहे हैं। हमें इसके बारे में अश्वस्त होना चाहिए। ऐसा करने से हमें जो लाभ होगा, उस पर हमें विचार करना चाहिए। उद्देश्यों के कथन में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि सरकारी उद्योगों पर जो धन राशि निवेश करते हैं उस पर लाभ बहुत कम होता है। सरकारी उद्यम ब्यूरों ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई है, और आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि सरकारी क्षेत्र के 28 उद्यम घाटे पर चल रहे हैं, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के अधीन कुछ उर्वरक यूनिटें हैं जो घाटे पर चल रही हैं। कल के समाचार पत्र में वित्त मंत्री को संबोधित कर पत्र लिखा गया है, जिसमें यह पूछा गया है कि यदि सरकारी क्षेत्र की यूनिटें घाटे पर चल रही हैं, तो इसका क्या परिणाम होगा और उनके सुधार के लिए क्या किया जा सकता है ? कुल निवेश 12,000 करोड़ रुपए का है यदि कुछ भी लाभ नहीं होता है तो फिर क्या होगा ? हमें और कर देने होंगे। विश्व में हम अधिकतम आयकर देते हैं। 50,000 रु० की आय पर हम 11,000 रुपए आय कर देते हैं, जबकि ब्रिटिश में 7,000 रुपए अमेरिका में 4,000 रुपए और जापान में 850 रुपए दिया जाता है। हम करोड़ों रुपए निवेश करते हैं किन्तु बदले में हमें कुछ नहीं मिलता और साथ ही हमारे ऊपर करों का और अधिक बोझ पड़ता है। यदि कम्पनियां घाटे पर चलती हैं हमें अधिक कर देना पड़ रहा है। इस तरह राष्ट्रीयकरण करने से हमें क्या लाभ होता है ? क्या हम केवल शौक के लिए ही राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं ? यदि हम कोई लाभ नहीं प्राप्त करते हैं, तो राष्ट्रीयकरण का प्रयोजन समाप्त हो जाता है। मुझे याद है कि जब डा० लोहिया जीवित थे तो उन्होंने कहा था सभी रूग्ण उद्योगों को अपने हाथ में ले लीजिए और उनका राष्ट्रीयकरण कर लाभ अर्जित कीजिए ताकि उसमें पर्याप्त लोग बेरोजगार न हो जाएं।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि यदि इस मदुरा रिफाइनरी को समय पर पूरा कर लिया जाए तो गैस कनैक्शन सम्बन्धी कठिनाई नहीं रहेगी। यदि यह पूरा हो गया तो दिल्ली वासी सीधे पाइप लाइन से गैस प्राप्त कर सकेंगे। और बड़ौदा के समान हर घर को गैस कनैक्शन मिलेगा। मैं वहां गया था, इसलिए मुझे बताया गया कि इसमें कुछ सांठ-गांठ चल रही है जिससे यह परियोजना निर्धारित समय में पूरी नहीं होगी। पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय की रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि इसे 1978-79 में पूरा हो जाना था किन्तु यह वास्तव में 1980 में पूरी हो जाएगी। यदि आप वास्तव

में गैस की समस्या को हल करना चाहते हैं, तो आप केवल गैस कम्पनियों का ही अधिग्रहण न करें बल्कि इस रिफाइनरी को भी पूरा करवाएं। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि वे कोसन गैस कम्पनी को अपने हाथ में ले रहे हैं, किन्तु साथ ही वे इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी कम्पनी का अधिग्रहण करने से हमारे धन का दुरुपयोग न हो।

मैं मन्त्री महोदय के इस कार्य का स्वागत करता हूं कि वे कुएं के बारे में जाने बिना ही उसमें कूद रहे हैं। मैं उनके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं, और कामना करता हूं कि भगवान उनकी रक्षा करे।

मुझे आशा है कि राष्ट्रीयकरण से वे गैस कनेक्शन की उपलब्धता के मामले में देश को आत्म-निर्भर बनाएंगे।

धन्यवाद।

श्री के० मायातेवर (डिंडीगल) : सभापति महोदय, जैसा कि श्री रवि ने कहा, यद्यपि मैं भी विधेयक का समर्थन नहीं करना चाहता, फिर भी मैं केवल इस कारण से विधेयक का समर्थन कर रहा हूं कि माननीय मन्त्री जब कांग्रेस पार्टी में थे और जब वह छात्र संगठन के नेता थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था।

मैं किसी बात को दबाए बिना यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के पीछे क्या उद्देश्य है? हम दो कम्पनियों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने में हमें किस प्रकार के दायित्व को वहन करना होगा, विधेयक में उसका कोई उल्लेख नहीं है। विधेयक में इन दोनों प्रबन्धों द्वारा किसी प्रकार की बकाया परिसम्पत्तियां या लाभ की राशि के बारे में भी कोई विवरण नहीं है। इन दिनों सरकार अत्यधिक रुग्ण कम्पनियों को बचाने के लिए अग्रसर है। सरकार उनके रुग्ण होने का कारण जानने का कष्ट नहीं करती है। इन दोनों कम्पनियों को हुए घाटे की वसूली के लिए उन्होंने क्या कार्यवाही की है।

मुझे बताया गया है कि सरकार ब्रिटेन की सरकार की जेब में 5 करोड़ रुपये डालने वाली है। 'जेब' से मेरा अर्थ है कि जो राशि दी जानी है वह जनता की है, और वह इन दो कम्पनियों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के बदले में भारत सरकार उन्हें दे रही है।

हम राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं। किन्तु कुछ माननीय सदस्य इस आधार पर इसका विरोध कर रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रम घाटे पर चल रहे हैं उनके घाटे में चलने के क्या कारण हैं? यह अधिकारियों के अकुशल प्रशासन तथा सरकार की क्षमता की कमी के कारण है जो सरकारी क्षेत्र में फैक्टरियों तथा उपक्रमों का संचालन कर रही है जहां तक इन मन्त्री महोदय का संबंध है, वे आयु की दृष्टि से दिन-ब-दिन युवा ही प्रतीत हो रहे हैं। दस वर्ष पूर्व मैंने इन्हें मद्रास से माम्ढालम, श्री नगर के एक समा में भाषण देते हुए देखा था, उस समय वे बुजुर्ग और वृद्ध दिखाई दे रहे थे। पर अब वे युवा दिखाई दे रहे हैं। युवा होने के बावजूद भी वह गुणों के आधार पर इसका राष्ट्रीय-

[श्री के० मायातेवर]

करण नहीं कर रहे हैं जबकि इस मामले में उन्हें यह करना चाहिए था। उनका यह इस प्रकार का आचरण है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे न केवल इसी प्रकार के रूग्ण उद्योगों का ही नहीं वरन अन्य पेट्रोलियम कम्पनियों का भी जो निजी क्षेत्र में हैं राष्ट्रीयकरण करें। गैस कम्पनियों और इस प्रकार के अधिकांश उद्योगों के स्वामी विदेशी हैं। स्वतंत्रता के तीस वर्ष बाद हमें विदेशी स्वामित्व की कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए।

मैं यह इसीलिए कह रहा हूं कि भारत भूमि से भारतवासियों का लगभग सभी सोना, चांदी और अन्य सम्पत्ति विदेशवासियों द्वारा पहले ही लूटी और चुराई जा चुकी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के तीस वर्ष बाद भी हम विदेशियों को वही सब करने की अनुमति दे रहे हैं जिसे भारतवासी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। सभापति महोदय, जैसा कि श्री रवि ने उचित ही कहा है कि पिछले एक महीने से हमें पेट्रोल, गैस और मिट्टी के तेल की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल रही है, मूल्य भी काफी बढ़ गए हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री के० मायातेवर : मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को तमिलनाडु सरकार की ओर से तथा तमिलनाडु के संसद सदस्यों की ओर से इस आशय का अभ्यावेदन भी मिला होगा कि मध्य वर्ग के लोगों को और मजदूरों को मिट्टी का तेल खरीदने के लिए तेज धूप में लम्बी लाइन में खड़े होना पड़ता है। अभी हाल में मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में दस दिन का दौरा किया, और मुझे मालूम हुआ कि बहुत से गांवों में मिट्टी का तेल है ही नहीं। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इस मामले की जांच करें और तमिलनाडु वासियों के लिए मिट्टी के तेल की पूर्ति के लिए पर्याप्त प्रबंध करें ताकि उनकी मांग पूरी हो सके।

अन्त में मैं वितरण के अधिकार प्रदान करने के बारे में संक्षेप में कहना चाहूंगा। इस समय वितरण अपने उम्मीदवार को दिया है, जो लखपति है। फिर मुफ्तलाल को दे रहे हैं, जो टाटा और बिड़ला से कम नहीं है। फिर श्री कृष्णन-टेनिस खिलाड़ी कृष्णान को वितरण दे रहे हैं। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु मुझे यह बताया गया कि इससे उसे और उसके परिवार की 9 लाख रुपए का लाभ होगा। चूंकि हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं इसीलिए किसी एक व्यक्ति के पास इतनी अधिक धनराशिसंचित होना उचित नहीं, सभापति महोदय, समाप्त करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि दोनों प्रबंधों को हाथ में लेने का वास्तविक या व्यावहारिक उद्देश्य क्या है। इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। इस बात का भी कोई उल्लेख नहीं है कि यदि सरकार इन कम्पनियों को अपने हाथ में न ले तो कितने कर्मचारियों और श्रमिकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। माननीय मंत्री अपने उत्तर में इसे स्पष्ट करें।

महोदय, साथ ही मुझे यह भी बताया गया कि पेट्रोल और मिट्टी का तेल सोवियत रूस से न मंगवा पाने का कारण यह है कि सोवियत रूस से दो जहाज रवाना तो हो चुके थे, किन्तु क्योंकि हमारे एक मंत्री चीन जा रहे थे और चीनी नेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे इसीलिए उन्होंने उन्हें वापस

बुला लिया। यह सब सरकार की गलत आंतरिक और बाह्य नीति के कारण हुआ। मैं एक बार माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे मिट्टी के तेल के अभाव से त्रस्त तमिलनाडु वासियों की मांग शीघ्र ही पूरी करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : यों तो मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। गैस आज के युग में बहुत आवश्यक है। गारहस्थिक, वाणिज्यिक और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इसकी भारी कमी के कारण सारे देश में लोगों को कतारों में खड़े रहना पड़ता है। इस दिशा में मंत्री महोदय ने जो इस कम्पनी के उपक्रम के अधिग्रहण का प्रयास किया है वह सारहनीय है। लेकिन सन्देह पैदा होता है कि यह कम्पनी जो बहुत दिनों तेक चली और सिक हो गई और बहुत दिनों तक एस्सो स्टैंडर्ड ईस्टर्न इन्कारपोरेटेड के साथ भी संविदा इसने किया बाटलिंग, परिवहन, विपणन और वितरण का और वहां भी नहीं चल सकी और फिर बाद में पांच सितम्बर 1977 को कारोबार बन्द होने पर विघटित हो गई तथा गोकुल गैस प्राइवेट लिमिटेड तब से कोसनगैस कम्पनी के एकमात्र स्वत्वधारी के रूप में कारोबार चला रही है, यह लाभ में चल सकेगी? बहुजन हिताय के उद्देश्य को लेकर, सामूहिक लाभ को सामने रखते हुए इस उपक्रम के अधिग्रहण का आपने प्रयास किया है, यह प्रशंसनीय है। लेकिन मैं चाहता हूं। कि मंत्री महोदय बताए कि इस कम्पनी के वे कर्मचारी जिनके चलते यह बीमार हुई, इसको फिर से नए ढंग से चलाने के लिए वह कौन-कौन से उपाय सोच रहे हैं और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कौन सी कार्रवाई करने जा रहे हैं? कम्पनी के जितने दायित्व हैं, लायाबिलिटीज हैं वे सब सरकार पर आ जाती है। घाटे के जो उपक्रम हैं उनको भारत सरकार चलाती रहेगी तो इसका बोझा जनता पर ही पड़ेगा, जनता की पाकेट से ही पैसा जाएगा और जनता के पैसे से ही क्षति पूर्ति करनी होगी। मेरा अनुमान है कि इस के बारे में भी मंत्री महोदय सजग होंगे। लेकिन दोषी व्यक्तियों को वहां से हटा करके फिर से इस कम्पनी में नई जान फूंकने का प्रयास भी उनकी तरफ से होना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत सी जो गड़बड़िया होती है उनको दूर करने के भी उपाय आपको करने चाहिये। उसके लिए आप क्या कहने जा रहे हैं इसको आपने उद्देश्यों और कारणों में स्पष्ट नहीं किया है। अधिग्रहण जो आप करेंगे उसके लिए आपको क्षतिपूर्ति करनी होगी। हिस्सेदारों या भागीदारों का जितना भी दायित्व है वह सरकार को लेना पड़ेगा। यह सब बोझा सरकार पर पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इस कम्पनी के संचालन के लिए, इसकी व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार की तरफ से कारगर कार्रवाई हो अन्यथा यह बीमार उपक्रम बीमार ही रह जाएगा और उसी तरह से रह जाएगा जिस तरह से बहुत से और उपक्रम हैं जिनका अधिग्रहण किया गया था और उनमें लाभ नहीं हुआ है। इस दिशा में सरकार सजग हो और जो दोषी अधिकारी है अधिग्रहण के बाद उनको हटाया जाए, इस ओर आपका विशेष ध्यान जाना चाहिये। इन लोगों को जो चोर दरवाजे होते हैं, वे मालूम होते हैं और उनके द्वारा इस प्रकार से गड़बड़ियां पैदा की जाती है, उनका बहुत से लोगों से लगाव रहता है जो अवांछनीय तत्व होते हैं, उनसे लगाव रहता है। इस वास्ते ऐसे लोगों को हटाना बहुत आवश्यक होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चितूर) : महोदय सरकार मुआवजा देने के बारे में एक नया विचार अपना रही है। वास्तव जो मुआवजा दिया जाता है, उसकी राशि 477.70 लाख रुपये हैं। मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है। यहां कहा गया है कि सरकार मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये दे रही है और दायित्व के रूप में 477.60 लाख रुपये दिखाती है। खंड 4 में आपने कुछ बातों से उत्पन्न उपक्रम के दायित्व के बारे में कहा है, आपका कहना है कि जमा राशियां उपभोक्ताओं से एकत्र की गई है। सरकार ने जमाराशियों के आंकड़े नहीं बताये हैं। जब तक पूरा विवरण नहीं बताया जाता तब तक हमारे लिये यह विश्वास करना संभव नहीं। ताकि दायित्व इतने अधिक है कि सरकार को वहन करने पड़ते हैं। एक अन्य बात गैस सिलैण्डरों प्रैशर रैगूलेटर्स, एजेन्ट्स आदि के बारे में है। एजेन्ट द्वारा कितनी धनराशि दी जाती है। क्या सरकार को वो जमा राशियां प्राप्त हो गई हैं और एजेन्टों ने और किस रूप में भुगतान किया ? मैं इन बातों को जानना चाहता हूं। साधारणतया वे जमा राशि ही देते हैं, अन्यथा वे और चीज देते हैं। खंड के उपखंड (ii) में बताया गया है।

"(ii) उपक्रम में नियत, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अथवा उपक्रम के बारे में उपदान की व्यवस्था।"

मेरे विचार से जिस तिथि को हमने कम्पनी का अधिग्रहण अथवा अर्जन किया है उस तारीख तक उपादान का भुगतान करने का दायित्व कम्पनी का है। कहा गया है कि हमें सभी उपादानों का भुगतान करना है। पता नहीं उपदान किस तारीख से देना है और उपदान का भुगतान किसे करना है। अत इसका भी स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये। जब तक इन सभी बातों की व्यवस्था विस्तार से नहीं की जाती तब तक हमारे लिये यह विश्वास करना संभव नहीं है कि इन दायित्वों का पतन सरकार को करना है।

वितरण के मामले में वितरण कार्य सरकार संभाल रही है। जैसा कि मेरे मित्र पहले कह चुके हैं वितरण के मामले में भी एक नीति बनाई जानी चाहिए। इससे अधिकाधिक लोग लाभान्वित होने चाहिये। यह सभी को ज्ञात है हमारे यहां शिक्षित लोग बेरोजगार हैं और सरकार को लाखों लोगों को रोजगार देना है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वितरण कार्य निर्धन लोगों को और शिक्षित बेरोजगारों को दिया जाना चाहिये। शहरों और गांवों में वितरण के बारे में भी मुझे एक बात कहनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैस की सप्लाई नहीं की जाती है। पहले सप्लाई की जाती थी परन्तु अब बन्द कर दी गई है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी गैस का वितरण फिर से आरम्भ किया जाये।

मैं एक अन्य सुझाव देना चाहता हूं। यदि कुकिंग गैस सप्लाई करना सरकार के लिए संभव नहीं है तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बायो गैस संयंत्र लगाना भी संभव नहीं है। जिससे ग्राम-वासियों को गैस सप्लाई की जा सके। मेरे विचार से यह सरकार के लिए संभव है। जब मैंने उत्तरी भारत का दौरा किया तो मैंने देखा कि वहां भारी मात्रा में गोबर उपलब्ध है और इसका बायो-गैस संयंत्र के लिये उपयोग किया जा सकता है। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि पेट्रोलियम उत्पादों की कमी को ध्यान में

रखते हुए क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बायो-गैस संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है। यह बल्कुल संभव है और ग्रामीण क्षेत्रों में बायो-गैस संयंत्र स्थापित करना सरकार के लिये बहुत सरल कार्य है। इससे लोगों को गैस उपलब्ध हो सकेगी।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : महोदया, जब यह कहा जाता है कि विधेयक सरकार द्वारा एक कम्पनी विशेष के अधिग्रहण के लिये लाया गया है और जब विधेयक के प्रस्तुत करने वाले श्री बहुगुणा प्रत्येक सदस्य से विधेयक का समर्थन चाहते है, तब मैं श्री रवि की मूल प्रतिक्रिया से सहमत हूं। विधेयक का अध्ययन करने के पश्चात् मुझे विधेयक के उपबन्धों पर गम्भीर आपत्ति है। मेरे विचार से विधेयक में बहुत से मामले ऐसे हैं। जिनका पूरी तरह स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये। जब तक उनका स्पष्टीकरण नहीं होता, हम पूर्ण रूप से इसका विरोध करते हैं।

रकम के संदाय के बारे में अध्याय तीन में कहा गया है कि :

"8 उपक्रम के धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार को अन्तरित किये जाने और उसमें निहित किये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार गोकुल गैस प्राइवेट लिमिटेड को दस हजार रुपये की रकम देगी।

यह 10,000 रु० की राशि बहुत अनोपकारी है और गोकुल गैस प्राइवेट लिमिटेड को बहुत कम राशि दी जा रही है। परन्तु खंड 8 से पूर्ण खंड 7 (2) में कहा गया है :

"7(2) जब उपक्रम के सम्बन्ध में उसके अधिकार तक और हित तथा दायित्व उपधारा (1) के अधीन सरकारी कम्पनी में निहित हो जाते हैं तब ऐसे उपक्रम के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के सभी अधिकार और दायित्य ऐसे निहित होने की तारीख से ही उस सरकारी कम्पनी के अधिकार और दायित्व समझे जायेंगे।"

इस कम्पनी का दायित्व क्या है। कम्पनी के दायित्वों का उल्लेख किया कि ज्ञापन के पैरा 2 में किया गया है। इसमें कहा गया है :

"विधेयक के खंड 4 (2) के अधीन उपक्रम के वे दायित्व जो उपभोक्ताओं से गैस सिलेण्डरों और प्रेशर रेगुलेटरों के उपयोग के लिये, और अभिकर्ताओं के संगृतीत निक्षेपों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये उपदान की व्याख्या और विविध लेनदारी की बाबत चालू दायित्वों तथा उपक्रम के उदभूत व्ययों की बात है (जो 477.60 लाख रुपये प्राक्कलित किये गये है। प्रथमतया केन्द्रीय सरकार का दायित्व तो जाते हैं···"

एक छोटी कम्पनी के अधिग्रहण करने पर सरकार का जो वास्तविक दायित्व बनता है उसकी राशि 477.60 लाख रुपये है जो कि बहुत बड़ी राशि है। जब तेल शोधनशाला तथा अन्य उपकरणों आदि के साथ कालटैक्स का अधिग्रहण किया गया था तब कुल मुआवजा 13 करोड़ रुपये दिया गया था और उसका भुगतान भी पांच किश्तों में किया गया। इस जैसी छोटी कम्पनी को इतना अधिक मुआवजा क्यों दिया जाना चाहिये। समस्त मामले के बारे में हमें कुछ बातों से संतुष्ट करना होगा। पहली बात कोसन गैस कम्पनी का विघटन से पहले के तीन वर्षों के तुलन पत्र है और शेष राशि है। दूसरी बात

[श्री सोगत राय]

गोकुल गैस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के तुलन पत्र हैं। इसके प्रश्चात एक प्रश्न उठता है। एस्सो कम्पनी का अधिग्रहण वर्ष 1977 में किया गया। इसके और एस्सो कम्पनी के बीच भागीदारों 1.9.77 को समाप्त हो गई तब इस विधेयक को लाने में दो वर्ष का समय क्यों लगा? यह पता चल न जाने के बाद कि सरकार कोसन गैस कम्पनी का अधिग्रहण करने जा रही है इसे अपनी कुल परिसम्पत्तियां गोकुल गैस प्राईवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति क्यों दी गई जिसे सरकार को मुआवाजा देना है। इसी कारण हमें कोसन गैस कम्पनी के विघटन सम्बन्धी दस्तावेज की एक प्रति और गोकुल गैस प्राइवेट लिमिटेड और कोसन गैस कम्पनी के बीच हुए समझौते की एक प्रति चाहिये। क्या गोकुल गैस प्राइवेट लिमिटेड के दायित्ववती है जो कोसन गैस कम्पनी के हैं? प्रश्न यह है कि सरकार एक कम्पनी का अधिग्रहण करना चाहती है और यकायक उसकी कुल परिसम्पतियां और दायित्व दूसरी कम्पनी को अतिरिक्त कर दिये जाते हैं और सरकार दूसरी कम्पनी का अधिग्रहण करती हैं और सभी दायित्वों और लेनदारों का भुगतान करती है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। इन मुद्दों पर हमें संतुष्ट करने के लिए मंत्री महोदय को या तो पूरे तथ्य बताने चाहिये या इस विधेयक को अनिर्णीत रखना चाहिये और सदन की प्रवर समिति को भेजना चाहिये।

मैं दायित्वों के भुगतान से सहमत हूं बशर्ते कि खंड 4 (9) में एक खंड इस प्रकार जोड़ा जाये :

"बशर्ते कि उपक्रम ने सरकार को सरकार द्वारा लिये गये दायित्वों के बराबर की परि-सम्पत्तियां भी हस्तांतरित की हों।"

इसमें सरकार को कोई अस्तियां नहीं मिलेंगी अपितु पूरा दायित्व सरकार को अन्तरित किया जाता है। एक गैस कम्पनी की आस्तियां क्या है? यह एक ऐसी कम्पनी है जो एल० पी० जी० तथा अन्य गैसें बेचती हैं और उसकी आस्तियां केवल उसके गैस सिलैण्डर ही है। गैस सिलेण्डरों का भी एक मूल्य है। यदि इस कम्पनी की आयकर विवरणियां देखी जायें तो स्पष्ट हो जाता है कि उनका मूल्य पांच छः वर्ष पहले ही बट्टे खाते डाल दिया था। और हो सकता है कि कम्पनी गत पांच छः वर्षों से कोई आय कर न दे रही हो क्योंकि कम्पनी ने सभी गैस सिलेण्डरों का मूल्य बट्टे खाते डाल दिया है। यह बात बहुत संदेहास्पद हो जाती है कि इस कम्पनी का अधिग्रहण क्यों किया जा रहा है। मैं इस कम्पनी के अधिग्रहण के बारे में विशेषतया जबकि एल० पी० जी० की बहुत कमी है और बम्बई में एल० पी० जी० की बहुत मांग है, मंत्री महोदय की चिन्ता समझ सकता हूँ। इस विधेयक में उपक्रम के अर्जन की व्यवस्था लोकहित में की गई है। परन्तु क्या ऐसा होना उचित है? पांच करोड़ की लागत से एल० पी० जी० तैयार करने वाली एक नई कम्पनी स्थापित की जा सकती है। यह तो एक वितरण एजेन्ट है। जिसके पास कुछ सिलेण्डर हैं, यह एल० पी० जी० भी तैयार नहीं करती है। इन सभी संदेहों को स्पष्ट किया जाना चाहिये। लोकहित में तो हम संसद में बहुत से छोटे-छोटे विधेयक पारित करते हैं।

गत सत्र में हमने वाणिज्यिक नौवहन के बारे में एक विधेयक पारित किया था। श्री चांदराम ने इसे प्रस्तुत किया था। हमने सोचा था कि इसमें कुछ नहीं है अतः उसे पारित कर दिया। इसके बाद पता चला कि समस्त वाणिज्यिक नौवहन अधिकारियों, नाविकों ने विधेयक के विरुद्ध हड़ताल

की, जिसे हमने सरकारी तौर पर अपना विरोध व्यक्त किये बिना ही संसद में पारित कर दिया था। ऐसे विधेयक के पारित होने में मैं अपना विरोध रिकार्ड कराना चाहता हूं। यह विधेयक मेरे विरोध के बावजूद भी पारित होते हैं या नहीं यह सरकार पर निर्भर करता है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन सभी मुद्दों को स्पष्ट करेंगे ताकि हमें संतोष हो सके कि हम ऐसे विधेयक का समर्थन करके उचित कार्य कर रहे हैं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर देने से पहले, गृहमन्त्री एक वक्तव्य देंगे।

प्रधान मंत्री और भूतपूर्व गृह मंत्री के परिवारों के सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : महोदय, मैंने राज्य सभा में 23 फरवरी, 1979 को जो वक्तव्य दिया था तथा कुछ आतारांकित प्रश्नों के लोक सभा में जो उत्तर दिये थे उनमें राज्य सभा में 10 अगस्त, 1978 को स्वीकृत हुये प्रस्ताव पर हुये वाद-विवाद को भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस अनुरोध के साथ भेजने के सरकार के नियति का उल्लेख किया गया है। कि वह उक्त वाद-विवाद में लगाये गये आरोपों में से किसी भी आरोप के बारे में, जो वर्तमान सरकार के मार्च 1977 में कार्य-भार संभालने के बाद के हैं, प्रधान मंत्री तथा भूतपूर्व गृहमंत्री के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला बनाता है या नहीं इसकी जांच करेंगे ताकि जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत औपचारिक जांच का औचित्य ठहराया जा सके। तदनुसार मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की जांच करें और इस बारे में परामर्श दें।

24 अगस्त, 1978 को प्रधानमंत्री द्वारा राज्य सभा में दिये गये वक्तव्य के पश्चात की परि-स्थितियों का संदर्भ देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने अपने उत्तर में कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ऐसा कार्य स्वीकार करने के औधित्य के प्रश्न पर विभिन्न राजनैतिक विचारधाराओं वाले लोगों में भारी मतभेद है। उन्होंने आगे कहा है कि यद्यपि जांच के लिए वह ऐसी प्रक्रिया अपनाते जो सभी को स्वीकार्य होती, फिर भी में नामोदिष्ट व्यक्ति के रूप में कार्य करता। मेरे विचार के बारे में धारणा बनाने के लिए प्रेस और लोग स्वतंत्र होते और संसद में भी मेरे विचारों के गुण-दोषों के आधार पर चर्चा हो सकती थी। अतः मुख्य न्यायाधीश ने महसूस किया कि भारत ने मुख्य न्यायाधीश के पद को सार्वजनिक विवाद का विषय बनाया जा सकता है जिससे इस उच्च पद की गरिमा को आधात पहुंचेगा। अतः मुख्य न्यायाधीश ने सुझाव दिया कि इस मामले को उन्हें सौंपने के बजाय सरकार इसे सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश को सौंपने पर विचार कर सकती है।

मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिये गए कारणों की सराहना करते हुए तथा उनकी इस चिन्ता का ध्यान रखते हुए कि कोई बात ऐसी न की जाये जिससे मुख्य न्यायाधीश का पद विवाद का विषय बने अथवा किसी भी रूप में उसकी गरिमा और स्तर को आघात पहुंचे, सरकार इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत न्यायाधीश को सौंपने के लिए सहमत हुई परन्तु महसूस किया कि यह अधिक उपयुक्त होगा कि यदि सेवा निवृत न्यायाधीश को सरकार द्वारा चयन किये जाने के बजाये मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीति किया जाए।

सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् मुख्य न्यायाधीश ने इस कार्य के लिए न्यायाधीश श्री वेधिलिंगम के नाम का सुझाव दिया। सरकार ने उसके अनुसार ही समस्त मामला न्यायाधीश वेधि-लिंगम के विचारार्थ भेज दिया है।

सभापति महोदय : श्री बहुगुणा।

व्यवधान **

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कोसन गैस कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन) विधेयक और परेल इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रबन्ध अधिग्रहण) विधेयक

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : पेट्रोलिय तथा पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता के बारे में सुझाव देने के लिए जहां मैं माननीय सदस्यों के प्रति कृतज्ञ हूं···(**व्यवधान**)

श्री बी० शंकरानन्द (चिकोडी) : केवल एक मिनट मंत्री महोदय के आरम्भ करने से पूर्व एक बात कहना चाहता हूँ ।

सभापति महोदय : नहीं। मंत्री महोदय आरम्भ कर चुके हैं श्री बहुगुणा, आप जारी रखिए (**व्यवधान**)XX

सभापति महोदय : एक वक्तव्य के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता।

हेमवती नन्दन बहुगुणा : जहां तक प्रश्न का सम्बन्ध है (**व्यवधान**)XX

सभापति महोदय : मेरे पुकारने से पहले आप पूछ सकते थे। (**व्यवधान**)XX

सभापति महोदय : श्री बहुगुणा, आप जारी रखिए। मैंने आपका नाम पुकारा है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों की विभिन्न राज्यों में सप्लाई के बारे में सुझाव देने के लिए मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। मै केवल इतना कहना चाहूँगा कि हम सप्लाई करने के लिए प्रयास करते रहे हैं। (**व्यवधान**)XX

सभापति महोदय : यह रिकार्ड में नहीं है। मुझे खेद हैं। मैंने श्री बहुगुणा को बुलाया है। उनका उत्तर रिकार्ड किया जाता है। मैंने कार्यवाही वृतान्त से नहीं निकाला है। मैंने श्री बहुगुणा को बुलाया है (**व्यवधान**)XX

सभापति महोदय : जिसे मैंने बुलाया है उसी का भाषण रिकार्ड किया जायेगा। श्री बहुगुणा आप जारी रखिये। आपका उत्तर रिकार्ड होगा। (**व्यवधान**)XX

हेमवती नन्दन बहुगुणा : आप जैसा आदेश दें।

सभापति महोदय : आपका उत्तर रिकार्ड किया जायेगा क्योंकि मैंने आपको बुलाया है। यदि विधिमंत्री बाहर जाते हुए कोई टिप्पणी करते है तो वह कार्यवाही वृतान्त में नहीं जायेगा। (**व्यवधान**)XX

सभापति महोदय : मैंने कहा है यदि विधिमंत्री बाहर जाते हुए कोई टिप्पणी करते हैं तो उनकी टिप्पणी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं की जाती है। कोई नियम ही नहीं है। मैंने श्री बहुगुणा को बुलाया है। (**व्यवधान**)XX

सभापति महोदय : जिसका नाम पुकारा जायेगा उसी का भाषण रिकार्ड होगा। श्री बहुगुणा आप जारी राखिए। (**व्यवधान**)XX

सभापति महोदय : श्री बहुगुणा, आप बोलिये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मेरी कठिनाई यह है कि मेरा विधेयक बहुत छोटा सा है। जैसाकि श्री सौगत राय ने कहा है, मै नहीं चाहता कि सदन किसी बात पर चर्चा हुये बिना ही उसे स्वीकार

XX कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया ।

कर ले। अतः यह अच्छा ही हुआ है कि बहुत सारे मुद्दे उठाये गये हैं। प्रश्न बहुत ही साधारण है। हमें विदेशी कम्पनियों से जो घरेलू तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बाटलिंग तथा विपणन, परिवर्तन और विपणन कार्य के लिए मध्यवर्ती कम्पनियां रखती थीं, एक विरासत मिली है। यह कार्य लगभग 28 लाख उपभोक्ताओं के लिए 10 में से 9 तेल कम्पनियों द्वारा किया जाता है और कोसन गैस कम्पनी के मामले में लगभग 5 लाख उपभोक्ताओं के लिये यह कार्य एक गैस सरकारी कम्पनी द्वारा किया जाता था। यहाँ एक मध्यवर्ती कम्पनी को एक भूतपूर्व कम्पनी द्वारा लाइसेंस दिया गया जो 5.7.78 को समाप्त हो गया।

जो वास्तब में राष्ट्रीय कृत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम के लिए एक दायित्व था क्योंकि यह कम्पनी एक ऐसी कम्पनी की उत्तराधिकारी कम्पनी थी जिसने ये विशेष प्रकार की रियासतें दी थीं, लाइसेंस दिया गया जो 5.7.78 को समाप्त हो गया। अतः यह मध्यवर्ती कम्पनी अन्य गैस का कारोबार करने वाली कम्पनियों से भिन्न बिचौलिए के रूप में कार्यकर्ताओं को जो आज लगभग 28 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को गैस सप्लाई करता है। अतः एक छोटी भागीदारी वाली फर्म अथवा एक या दो और भागीदारी वाली फर्में रखना उचित नहीं होता था। उनमें से कुछ जो इस स्थिति में थी, वे सभी जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था, हमने उन सभी का सदन की अनुमति से राष्ट्रीयकरण किया अथवा जिनके लेखों को आन्तिम रूप नहीं दिया जा सका उनके प्रबन्धक अधिग्रहण किया। एक माननीय सदस्य श्री एम्थु साहू ने कहा है कि हम अंधेरे कुयें में छलांग लगा रहे हैं। एक अन्य माननीय सदस्य ने भी ऐसा ही कुछ कहा है। हमारे पास कोसन गैस का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। इसीलिए हम इसका राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं।

परैल तथा डोमेस्टिक अथवा अन्य के पूरे हिसाब किताब उनकी आस्तियों तथा दायित्वों के बारे में उपलब्ध नहीं है। इसीलिए हम अभी उनके प्रबन्ध का अधिग्रहण कर रहे हैं। हम उनके बारे में भी विस्तृत सभी के साथ सदन में उपस्थिति होंगे। जब हम इसका राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं तब अन्तत राष्ट्रीयकरण करने के विचार से ही उन का भी अधिग्रहण हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि उन्हें भी उस पद्धति का ही अंग बनाया जाए जिसके अन्तर्गत एल. पी. जी. की घरेलू और औद्योगिक सप्लाई तेल कम्पनियों द्वारा सीधे की जाती है। हम इन दो छोटी कम्पनियों को राष्ट्रीयकृत कम्पनियों की परिधि से बाहर नहीं छोड़ना चाहते। कुछ सदस्यों का विश्वास है कि ये रुग्ण कम्पनियां थीं इसीलिये उनका अधिग्रहण किया जा रहा है। इन कम्पनियों ने अपना अधिग्रहण पंजीकृत कराया है। मैं पूरी विनम्रता के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने इसके न लिए जाने हेतु तथा उन्होंने शायद हो कोई ऐसा दबाव हो जो उन्होंने छोड़ा हो तथा इसे न लेने के लिए मुझ पर दबाव डालने के लिए लोगों की एक सेना बनायी। किंतु मेरी बात बिल्कुल साधारण थी। हम भारी मात्रा में गैस देते थे तथा वे इसे संभालते मात्र थे और बेचते थे तथा इस पर मुनाफा कमाते थे तथा इसे उपभोक्ता को देते थे और आखिरकार वे मध्यस्थों का लाभ क्यों देते थे ?

श्री वयालार रवि : उनका अनुबंध समाप्त हो गया है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : अनुबंध सराप्त हो गया है। जिस भूमि पर आज वे खड़े हैं, वह भूमि उनकी है। यह मूल्यवान भू-खण्ड है। उनके पास बोटलिंग प्लांट है, जो अब भी इस्तेमाल होता है। उनके पास अधिक संख्या में सिलैंडर हैं जो बहुत काम के हैं। उनके पास एक परिवहन व्यवस्था है, परिवहन उपकरण हैं, जो अब भी प्रासंगिक है।

श्री सौगत राय : उनकी पूंजी का कोई लेखा-जोखा यहां नहीं दिया गया है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जैसा कि मैंने पहले बताया, हमने वित्तीय विवरण में कोसन गैस के बारे में बताया है। हमने उनके जो ढूंढने की कोशिश की है वह यह है कि उनके पास उपलब्ध कुल सम्पत्ति कितनी है।

सिद्धात रूप से यह प्रतिपादित है। पहले यह मालूम करो कि क्या सम्पत्तियां हैं उसके बाद उन सम्पत्तियों का मूल्यांकन करो और मुआवजे का भुगतान करो; निश्चित रूप से मैं स्वयं पीछे हट जाऊँगा और कहूंगा कि मैं यह राष्ट्रीयकरण नहीं चाहता। किंतु मुझे यह स्वीकार करना होगा कि ऐसा करना उचित नहीं होगा। संविधान संशोधन में 'मुआवजा' शब्द को हटाकर उसके स्थान पर 'राशि' शब्द रखने का कोई उद्देश्य न होगा। हम उन्हें मुआवजा नहीं दे रहे हैं। हम तो केवल लोकोचित होने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हमारा बाजार मूल्य पर मुआवजे का भुगतान करने का विचार होता तो सारा मामला भिन्न होतातथा मैं इसका हिसाब उसी विशेष ढंग से लगाता। प्रतिक्षण मैंने यही लक्षित किया तथा देखा है कि हम एक उचित व्यक्ति के दृष्टिकोण से वास्तव में उन्हें जो कुछ दिया जाना चाहिए, उससे ज्यादा तो नहीं दे रहे। मैं उन्हें उनकी सम्पति अथवा भूमि अथवा उपकरण से बेदखल नहीं कर रहा। श्री रवि कह रहे थे : उनका अनुबंध समाप्ति के नजदीक आ रहा है; आपसे उन्हें एल० पी० जी० का दिया जाना बन्द कर देना चाहिए था। आप उन्हें एल. पी. जी. क्यों दे रहे हैं। यदि मुझे एल. पी. जी. की प्रक्रिया तथा उसे भरने तथा उसके बाद वितरण करने की सुविधाएं मिल जाती, यदि इस उद्देश्य के लिए मुझे नये सिलैण्डर खरीदने पड़ते और उपभोक्ताओं से नई राशि जमा मांगनी पड़ती, तो यह कैसी बात होती? हमें यह देखना है। मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि हमने सारगर्भित कार्य चाहा था। दूसरा बिन्दु यह था। आखिरकार, यद्यपि अनुबंध एक निश्चित अवधि के लिए था और जिन सम्पत्तियों पर उन्होंने अधिकार जमाया, वे उपभोक्ताओं के धन से बनाई गई थीं, घरेलू गैस उपभोक्ताओं के धन से। मुझे इस आदमी के साथ उपभोक्ताओं को संकट में नहीं डालना चाहिए, यदि मैं उन्हें कुछ नहीं दूंगा तो वह कहां से इन लोगों की राशि वापिस करेगा, क्योंकि सिलैण्डर आदि जैसी विभिन्न चीजों में धन निवेश किया गया था। यदि सदन की यह सलाह है कि मैं कोसन गैस को चलने दूं, तो कोसन गैस कम्पनी को यह जानकर प्रसन्नता होगी। 500,000 लोगों के लिए प्रचुर मात्रा की इस वस्तु का नियत्रण के लिए अनुमति देने में मुझे सैद्धातिक रूप से ठेस पहुंचेगी, क्योंकि इससे घरेलू उपभोक्ताओं तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं का अहित होगा। यदि यह मैं उन्हें बताऊं : कि मैं इसका अधिग्रहण नहीं कर रहा और पुराने नियम एवं शर्तें चलती रहेंगी, तो कोसन गैस कम्पनी वाले लोग सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे।

श्री वयालार रवि : नहीं, नहीं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : सम्पत्ति जब्त करने का क्या उद्देश्य है? मुझे खेद है कि हम

सम्पत्ति जब्त नहीं कर सकते। अतः एक निश्चित बिन्दु पर इसका मूल्यांकन किया है। यदि कोई मुझसे वर्तमान दर पर अपनी भूमि का मूल्य मांगे, तो वह इस राशि से ज्यादा होगा। उनके पास उस क्षेत्र में एक भूखण्ड है। भूमि का वर्तमान मूल्य बहुत ऊँचा है। आप जानते हैं बम्बई में भूमि का मूल्य क्या है। मैंने कहा : नहीं, हम आपके खाते में दिखाते गए मूल्य को लेंगे। अतः हमने यह पद्धति अपनाई और इसके विषय में विचार करने के लिए इसे ढूंढ़ निकालने का प्रयत्न किया। मैं नहीं जानता कि हमारी बहस कहाँ तक काम आयेगी, क्योंकि वे याचिका के साथ तैयार हैं। मैं सदन को बता रहा हूं कि वे न्यायालय में जाने के लिए तैयार हैं। वे मुझे बता रहे हैं कि उनके अनुसार यह सम्पत्ति जब्त करना है। मुझे भय है कि चीजों के बारे में मेरी टिप्पणियों का वे प्रयोग करेंगे। मैं सदन को यह सुनिश्चित कराना चाहता हूं। हमने यह मालूम कर लिया है कि क्या हो सकता है। क्योंकि अधिग्रहण किया जा रहा था जिसमें खातों के मूल्य के अनुसार हमने उनसे 28 लाख रु० और देने के लिए कहा था विधि मंत्रालय ने बताया, आप किसी चीज का अधिग्रहण उनसे वसूली के साथ नहीं कर सकते — यह कि मैं आपकी सम्पत्ति ले रहा हूं, अतः कृपया खेतों के मूल्य के अनुसार संतुलन पत्र के आधार पर तथा लिखे गये मूल्य के अनुसार हमें दें, और क्योंकि उनके अनुसार बाजार मूल्य इस रकम से बहुत ज्यादा था, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम उन्हें कुछ भी न दें। हम इन निश्चित चीजों की जिम्मेदारी लेकर उन्हें 10,000 रु० ज्यादा दें। कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से, आप किसी व्यक्ति से कोई चीज उसे कुछ भुगतान किए बिना नहीं ले सकते। अतः भुगतान दो ढंग से हैं :—

एक यह है कि देनदारियों को ले लिया जाए। श्री सौगात राय द्वारा लगाया गया हिसाब बिल्कुल ठीक है। इसे दिया गया है। किंतु जहां तक कोसन गैस का सम्बन्ध है, मैं आपको मूलभूत धारणा बता दूं कि ऐसे निश्चयात्मक क्षेत्र में जहां कि सारा काम तेल कम्पनियों द्वारा किया जाता है, ये रियायत प्राप्तकर्त्ता अथवा मध्यस्थ उद्योग में पिछली जमीदारी प्रथा के स्मृति-चिन्ह हैं जिन्हें उन विदेशी कम्पनियों ने शुरू किया था और कानून के अन्तर्गत इससे निपटने के लिए जो कूछ भी किया जाना सम्भव था, कर दिया गया है। कुछ माननीय मित्रों द्वारा राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध कुछ प्रश्न उठाये गए हैं। आधारभूत रूप से मैं उनसे असहमत हूं। मुझे खेद है कि मैं उनसे सहमत नहीं हो सकता कि राष्ट्रीयकरण का अर्थ सभी घाटों से है। एक भी तेल कम्पनी घाटे मेंनहीं चल रही।

सभापति महोदय : वे जानते थे कि आप सहमत नहीं होंगे अतः वे पहले ही बाहर चले गए हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मुझे दुःख है कि वे चले गए हैं। जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वह तेल व्यापार, तेल उत्पादन कारोबार के संचालन क्षेत्र के बीच से इस प्रकार का काम समाप्त कर देना चाहता हूं तथा क्योंकि ये सभी कम्पनियां तेल कम्पनियों के हाथों में है, हमने भी अपने हाथों में ले लिया है। इस प्रकार से घरेलू गैस तथा परेल के बारे में भी सोचा है कि हम उनके खातों को भी नहीं देख पाए हैं। इस प्रकार से हम प्रबंध अपने हाथ में ले रहे हैं–एक मामले में 750 रु० तथा दूसरे मामले में 125

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

रु० प्रतिमाह क्योंकि प्रबंध को अपने हाथ में लेने के लिए, आपको कुछ मुगतान करना पड़ेगा। दोनों कम्पनियों के ग्राहकों के लिए 750+250=1000 रु० ज्यादा नहीं है जो शायद लगभग 25,000 ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं। इस व्यवसाय से इससे भी अधिक राशि हो सकती है। किंतु हम निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे। किंतु यदि प्रतिपक्ष मुझे कुछ सलाह देता है, तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं। माननीय सौगत राय चले गए हैं। यदि श्री वयालार रवि कुछ सलाह देना चाहें तो मैं प्रतीक्षा करने का इच्छुक हूं—मैं यह विधेयक वापस लेता हूं तथा काम को चलने देता हूं। मैं उनका अनुसरण करूंगा।

बायो-गैस के बारे में, मैं कोई बुरी बातें नहीं कह रहा। उनके द्वारा संग्रहित किया गया धन तथा जिन लोगों को उन्होंने अपना सब डीलर नियुक्त किया है, तथा जिस ढंग से उन्होंने उनके साथ व्यवहार किया है, जिस ढंग से उन्होंने धन वसूल किया है, ये सभी बातें हमारे ध्यान में आ चुकी हैं तथा वर्तमान कानून के अन्तर्गत हम ऊपर दर्शाये गए ढंग से उसे अपने हाथ में ले सकते हैं—उनके संतुलन पत्र और कुल सम्पत्तियों का अर्जन कर सकते हैं। उनकी अमुक-अमुक संतुलन पत्र के आधार पर, हमने सभी चीजों को अपने हाथ में लेने के लिए मात्र 10,000 रु० दिए हैं। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि हम घाटे में नहीं हैं। जहां तक बायो-गैस का सम्बंध है वास्तव में उनकी देखरेख मेरे साथी कृषि मंत्री करते हैं। इस देश में उर्जा मंत्रालय विभिन्न प्रकार के मंत्रालयों में बंटा हुआ है।

श्री पी० राजागोपाल नायडू (चित्तर) : मेरा प्रश्न यह है कि इसे कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं होना चाहिए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं आपसे सहमत हूं। हमारी उर्जा आवश्यकताओं के लिए बाओ-गैस एक अच्छा साधन है। मुझे पूरी आशा है कि सरकार आवश्यक कदम अवश्य उठायेगी। सौर उर्जा, अणु उर्जा, तथा सभी उर्जाओं का इस्तेमाल अवश्य होना चाहिए।

श्री वयालार रवि : मंत्री महोदय ने बताया कि पूरी तरह से यह राष्ट्र के हित में है तथा हम इसे मंजूर करने के लिए तैयार हैं। किंतु यह बताना हमारा कर्तव्य है कि इससे यह भ्रम उत्पन्न हुआ है कि कम्पनी सरकार पर छलपूर्ण चेष्टा कर रही है और सारा उत्तरदायित्व सरकार पर थोपने का प्रयास कर रही है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैंने पहले ही कहा है, कि वे रखना चाहते हैं।

श्री वयालार रवि : दूसरे, मैं जानता हूं कि क्या कम्पनी द्वारा भविष्य निधि तथा ग्रेच्युटी के धन का गबन है, यदि ऐसा है, तो क्या आप उन पर इस जुल्म के लिए मुकदमा चलाएंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : एकदम मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने भविष्य निधि का गबन किया है। लेकिन भविष्य निधि आदि के दायित्वों पर ध्यान रखा गया है और मजदूरों को हानि नहीं उठानी पड़ेगी। अन्य पहलुओं के विषय मैं मैं श्रम मंत्री से यह पता लगाऊंगा कि कानून के अनुसार धन को भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा करा दिया गया है।

श्री वयालार रवि : यदि उन्होंने यह धन जमा नहीं कराया है, तो क्या उन पर मुकदमा चलाया जाएगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह कार्य श्रम मंत्रालय का है ।

सभापति महोदय : मैं दोनों विधयकों पर विचार करने के प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखती हूं

प्रश्न यह है :

"कि कोसन गैस कम्पनी के उपक्रम से लोकहित में अर्जन के लिए और इस प्रकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि द्रवित पेट्रोलियम गैस की बोतलबन्दी, परिवहन, विपणन और वितरण के साधनों और स्थानों के स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से वितरित हों जिससे सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से साधन हो तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपलब्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब मैं दूसरे विधेयक का विचार सम्बन्धी प्रस्ताव रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि परेल इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमोस्टिक गैस प्राइवेट लमिटेड के उपक्रमों का अर्जन होने पर्यन्त, समुदाय के जीवन के लिए अनिवार्य सेवा, अर्थात द्रवित पेट्रोलियम गैस की बोतलबंदी, परिवहन, विपणन और वितरण को बनाए रखने की दृष्टि से, उक्त कंपनियों के उपक्रमों का लोकहित में प्रबंध-ग्रहण करने और उसे संबंधित या उनके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कोसनगैस कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम कोसन गैस कम्पनी (उपक्रम का अर्जन) विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करते हैं :—

इसमें कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :—

"खण्ड 2 से 20 विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्ड 2 से 20 विधेयक में जोड़ दिए गए । खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा उद्देशिका और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक पास किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि विधेयक पास किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

परेल इन्वेस्टमैंट एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेट (प्रबन्ध का अधिग्रहण) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम परेल इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड एण्ड ोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रबन्ध-ग्रहण) विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करते हैं।

इसमें संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 16 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 16 विधेयक जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा उद्देशिका और विधेयक का नाम विधेयक में जोड दिए गए।

हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पास किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक पास किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक ारम्भ करते हैं। इसके लिए 6 घण्टे का समय निर्धारित किया गया है। मैं चाहूंगा कि सामान्य र्चा के लिए 4 घण्टे; खण्डवार विचार के लिए डेढ़ घण्टे तथा तीसरे वाचन के लिए आधा घण्टा खा जाए। क्या सभी सदस्य इस बात पर सहमत हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : सहमत हैं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय।

श्री जी०एम० बनातवाला : पोन्नानी : सभापति महोदय, मैं नियम 343 के अन्तर्गत एक यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। जैसा कि आप मानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम ें संशोधन करने के लिए एक विधेयक सदन द्वारा पहले ही किया जा चुका है जो चर्चा अधीन है। ह एक गैर-सरकारी विधेयक है और मैंने सदन में उस पर विचार किये जाने का प्रस्ताव किया है ाज्यसभा द्वारा भी यह विधेयक पास किया जा चुका है। मेरे द्वारा पेश किया गया यह गैर सरकारी वेधेयक विशेषरूप से एक महत्वपूर्ण पहलू से सम्बंध रखता है जिसे वर्तमान विधेयक में भी, मिले ंत्री महोदय अभी पेश करना चाहते हैं, शामिल किया गया है।

गैर सरकारी विधेयक में जो मुद्दा उठया गया वह विशेष रूप से 'विश्वविद्यालय' शब्द की रिभाषा के सम्बन्ध में है। 'विश्वविद्यालय' शब्द का मैंने जो संशोधन विधेयक पेश किया है उसमें एक निश्चित ढंग से परिभाषित किया गया है। वह पहले ही सभा में चर्चा के अधीन है तथा उस पर चर्चा ारी है। इसी प्रकार से 'विश्वविद्यालय' शब्द को एक अलग ढंग से विधेयक में परिभाषित किया गया जिस पर अभी मंत्री महोदय सदन द्वारा विचार करना चाहते हैं। अतः मैं कहना चाहता हूं कि यदि त्री महोदय के इस विधेयक पर चर्चा की गई तो इससे उस विधेयक पर गम्भीर प्रतिक्रियायें होंगी जो हले से ही सदन के विचाराधीन है। अतः मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं।

मेरे विधेयक में दिए गए सूत्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को पुनःस्थापित करने से सम्बन्धित है ऐसा मामला उस अधिनियम में नहीं है जो मंत्री महोदय अब सभा के विचारार्थ पेश करना चाहते हैं। अतः यदि इस सरकारी विधेयक को लिया जाता है, तो यह अनेक नियमों को आकृष्ट करता है, जिनमें से एक को मैंने पहले ही हवाला दे दिया है।

इस सरकारी विधेयक पर चर्चा मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए गैर सरकारी विधेयक पर चर्चा तथा उसके भाग्य की प्रत्याशा रखता है। अतः मुझे कहना पड़ रहा है कि सरकार का यह प्रस्ताव अनुचित और दोषपूर्ण है। सरकार की इस स्थिति विशेष में रोकथाम के रूप में एक राजनैतिक प्रपंच के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक लाने के लिए अचानक निद्रा भंग हुई है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप की पुनः स्थापना के महत्वपूर्ण बिन्दु इस्तेमाल सरकार राजनैतिक लाभ के लिए करना चाहती है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि स्थति का प्रयोग राजनैतिक शोषण के लिए किया जा रहा है। बर्तमान सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले, मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया था कि वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक लाना चाहते हैं। अतः मंत्री महोदय ने आजमगढ़ उप-चुनाव पर दृष्टि रखते हुए सदन में यह विशेष वक्तव्य दिया था।

अब जबकि सदन में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को पुनःस्थापित करने के लिए एक गैर सरकारी विधेयक पर पहले ही चर्चा हो रही है, मन्त्री महोदय मेरे गैर-सरकारी विधेयक के भाग्य तथा चर्चा की पूर्वाशा लिए एक गुप्त प्रयास के साथ पुनः इस सदन में आये हैं। यदि वर्तमान सरकारी विधेयक स्वीकृत होता है, तो मैं निवेदन करता हूं कि इसकी पहले से ही विचाराधीन विधेयक पर गम्भीर प्रतिक्रिया होगी। जब मेरा विधेयक पहले से ही विचाराधीन है तथा जब यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को उसका अल्पसंख्यक स्वरूप देना चाहता है, मैं निवेदन करता हूं उसके द्वारा इस विधेयक में वांछित प्रस्तावों के विभिन्न सभी खण्डों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

इसलिए, मैं पूरे जोर के साथ निवेदन करता हूं 'सभा के विचारार्थ पहले ही पेश किए गए गैर-सरकारी विधेयक पर आगे चर्चा अवरुद्ध करने का यह घृणित, अनुचित और अन्यायपूर्ण प्रयास किया जा रहा है।

अतः मेरा पहला निवेदन यह है कि चूंकि एक ऐसे महत्वपूर्ण पहलू पर, जो वर्तमान विधेयक के सभी खण्डों को प्रभावित करता है, एक गैर-सरकारी विधेयक पहले ही विचाराधीन है, इसलिए इस सरकारी विधेयक को तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि वह गैर-सरकारी विधेयक निपटा नहीं दिया जाता। गैर-सरकारी विधेयक का क्षेत्र भी काफी विस्तृत है यह बात समझी जानी चाहिए कि गैर सरकारी विधेयक विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप देना चाहता है। इसमें अनुच्छेद 30 ए के अन्तर्गत सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव है। यदि सदन इसे स्वीकृति दे देता है तो उसके बाद यह वर्तमान सरकारी विधेयक पर जिसे मंत्री प्रस्तुत करना चाहता है, दुष्प्रभाव डालेगा, विश्वविद्यालय के अधिकार और प्रशासन के सम्बंध में प्रायः सभी खण्ड प्रभावित होंगे।

दूसरा जो मुद्दा मैं उठा रहा हूं वह यह है कि गैर-सरकारी विधेयक पर चर्चा चल रही है। अनेक सदस्य पहले बोल चुके हैं और अन्य बोलना चाहते हैं। यह विधेयक जैसा कि मैंने बताया, सदन के

[श्री जी० एम० बनातवाला]

विचाराधीन गैर-सरकारी विधेयक के भविष्य और उस पर चर्चा की पूर्वाशा के सिवाय और कुछ नहीं है। अतः इस पर नियम एवं प्रक्रिया का नियम 343 की व्यवस्था लागू होती है।

तीसरा जो मुद्दा मैं आपके समक्ष रख रहा हूं वह यह है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत गैर-सरकारी विधेयक आपकी प्रकृति में महत्त्वपूर्ण एवं अद्वितीय है।

यह वह विधेयक है जिस पर राज्य सभा द्वारा पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। इसलिए यह विधेयक पहले ही अनेक विधायी प्रक्रियाओं से गुजर चुका है। विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था। इस पर राज्य सभा में बहस हुई थी। राज्य सभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। वह अपनी राय व्यक्त कर चुकी है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को बाहल किया जाना चाहिए। पहले ही विधेयक पर विचार किए जाने के लिए इस सदन में एक प्रस्ताव पेश कर चुका हूं, प्रस्ताव विचाराधीन है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस विशेष पहलू के संबंध में मेरे गैर-सरकारी विधेयक की अनेक प्रक्रियाओं के माध्यम से परीक्षा की जा चुकी है; यह पहले ही कई अवस्थायें पार कर चुका है और यह कानून बनने वाला है।

सभापति महोदया, आप महसूस करेंगी कि इस सभा के उस हर सदस्य ने इसे गैर-सरकारी विधेयक का समर्थन किया जिसने 20 अप्रैल को इस पर पुनः बहस शुरू होने पर बहस में भाग लिया था। इस बात को ध्यान में रखते हुये वर्तमान विधेयक रोका जाना चाहिए कि गैर-सरकारी विधेयक कई अवस्थायें पार कर चुका था। दूसरे सदन द्वारा यह पारित भी कर दिया गया है और इस विशेष सदन में भी यह पारित होने के अन्तिम चरण में है। यह अत्याधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सरकार ने अपने राजनैतिक प्रचार तथा अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिए इस सदन का शोषण करने का प्रयास किया है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक पर, जो कार्य सूची में दर्ज हैं और जिसे मंत्री जी पेश करना चाहते है बहस स्थगित रखी जानी चाहिए। इसे पेश करके सदन की कार्यवाही को नहीं रोका जा सकता है जो गैर सरकारी विधेयक के बारे में पहले ही जारी है और विधेयक राज्य सभा में स्वीकार भी किया जा सका है। यह अत्याधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सरकार ने देश के अल्पसंख्यकों की एक महत्वपूर्ण मांग की पूर्ति की दिशा में रोड़ा अटकाने का प्रयास किया है और वह इस विचित्र दिशा में बढ़ी है। इसलिए मैं कहता हूं कि वर्तमान विधेयक पर बहस तथा आज की कार्य सूची में शामिल विधेयक पर मतदान से गम्भीर प्रतिक्रियायें होगी और शायद मेरे गैर-सरकारी विधेयक सम्बन्धी कार्यवाहियों में भी बाधा पड़ सकती है। इस मुद्दे का और आगे विश्लेषण किया जाना चाहिए। मेरा विधेयक वह विधेयक है जो राज्य सभा द्वारा पहले ही पारित किया चुका है। इसलिए इस विधेयक पर आज कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इस विधेयक की बहस को उस समय तक रोका जाना चाहिए जब तक कि गैर सरकारी विधेयक के भाग्य का निर्णय नहीं हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहसकरने के लिए इस सदन को अनुमति प्रदान करेंगे जो मैंने उठाया है। आज गैर-सरकारी विधेयक के बारे में इस सदन की कार्यवाहियों को रोकने के प्रयास किये जा रहे हैं। यह प्रयास गुप्त प्रयास है, इस प्रयास से इस सदन की प्रक्रियाओं का अपमान होता है यह प्रयास सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों की महत्वपूर्ण मांग को जरा भी आदर न देने का प्रयास है। अतः अध्यक्ष महोदया मैं आपसे इस अवसर का सामना करने तथा यह घोषणा करने के लिए सानुरोध निवेदन करूंगा कि इस विधेयक के विचार-विमर्श को उस समय तक रोका जाना चाहिए

जब तक कि गैर-सरकारी विधेयक पर बहस पूरी नहीं हो जाती है तथा इस सदन द्वारा इसके भाग्य का निर्णय किया जाता है। हम गैर-सरकारी विधेयक सम्बन्धी कार्य को इस ढंग विशेष से कम नहीं कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे महत्वपूर्ण गैर-सरकारी विधेयक पर जिसे राज्य सभा ने पास कर दिया है, कार्यवाही के विषय में किए जा रहे गलत प्रयास का समर्थन नहीं करेंगे। धन्यवाद,

श्री वयालार रवि (चिरियंकील) : सभापति महोदया, मैं आप का ध्यान नियम-प्रक्रिया के नियम 66 तथा 67 की ओर आकर्षित करता हूं। नियम 66 में इस प्रकार व्यवस्था है :

"कोई विधेयक जो सभा में लम्बित किसी अन्य विधेयक पर पूर्णतः या अंशतः निर्भर है, उस विधेयक के पारित हो जाने की पूर्वाशा में जिस पर कि वह निर्भर है, सभा में पुरःस्थापित किया जा सकेगा :

परन्तु दूसरा विधेयक सभा में विचार किये जाने तथा पारित किये जाने के लिए केवल तभी लिया जाएगा जब कि पहला विधेयक सदनों द्वारा पारित किया जा चुका हो और राष्ट्रपति द्वारा उस पर अनुमति दी जा चुकी है।"

नियम 67 में इस प्रकार व्यवस्था है :

"जब कोई विधेयक सभा में लम्बित हो, तब किसी समान विधेयक की सूचना, चाहे वह लम्बित विधेयक के पुरःस्थापन से पूर्व या पश्चात प्राप्त हुई हो, लम्बित सूचनाओं की सूची में से यथास्थिति निकाल दी जाएगी अथवा उसमें दर्ज नहीं की जाएगी जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें।"

दो प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। पहला प्रश्न श्री बनातवाला द्वारा उठाया गया है। मेरे माननीय मित्र ने एक प्रश्न उठाया है कि एक विधेयक जो राज्य सभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है वह अब इस सदन में लम्बित है और वह पहले ही बहस के लिए लिया जा चुका है। इसलिये यह नियम 66 तथा इसके परन्तुक के अन्तर्गत आता है। परन्तुक में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था है कि इस विधेयक पर विचार, दूसरे विधेयक पर निर्णय लेने के बाद ही किया जाएगा क्योंकि वे समान है।

विषय की नाजुकता का प्रश्न भी है जो अल्पसंख्यक समुदाय तथा उनकी मांगों से संबंधित है। यदि आप विधेयक की जांच करते हैं तो उद्देश्यों और कारणों के कथन में इस प्रकार कहा गया है :

"अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में 1965 और 1972 में संशोधन किए गए थे, उसी समय से इन संशोधन अधिनियमों द्वारा किए गए परिवर्तनों के बारे में मुसलमानों के एक बड़े वर्ग में असंतोष उत्पन्न हो गया था। उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि इन संशोधन अधिनियमों से विश्वविद्यालय का मूल स्वरूप बदल गया है और उसकी स्वायत्तता कम हो गई है।

संसद के भीतर और बाहर इस बात की बार-बार मांग की गई है कि विश्वविद्यालय के मूल स्वरूप को और इसके लोकतंत्रात्मक कार्यकरण को फिर से बहाल किया जाए।

इसलिए एक समिति गठित की गई थी और इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। उस

[श्री बयालार रवि]

आधार पर, गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक पुरःस्थापित किया गया था और राज्य सभा में पारित किया गया था तथा उसी को श्री बनातवाला द्वारा इस सदन में पुरःस्थापित किया गया है। उस विधेयक में वे विचार व्यक्त किये गये हैं जो इस विधेयक में किये गये हैं। परन्तु मैं नहीं जानता हूं कि यह विधेयक अल्पसंख्यक की भावनाओं को कैसे निरूपित करता है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विधेयक पर अब कैसे बहस हो सकती है जबकि दूसरा विधेयक लम्बित है और इस पर बहस पूरी नहीं हुई है क्योंकि नियम में इस प्रकार व्यवस्था है :

"परन्तु दूसरा विधेयक सभा में विचार किये जाने तथा पारित किए जाने के लिए केवल तभी लिया जाएगा जबकि पहला विधेयक सदनों द्वारा पारित किया जा चुका हो और राष्ट्रपति द्वारा उस पर अनुमति दी जा चुकी हो।"

श्री बनातवाला का विधेयक पारित नहीं किया गया है। केवल बहस शुरू हो चुकी है और केवल इसके पारित हो जाने तथा इसको राष्ट्रपति की अनुमति दिये जाने के बाद इस विधेयक पर विचार किया जा सकता है क्योंकि वे समान हैं।

माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा संचालित विधेयक न केवल इस देश के अल्प संख्यकों की भावनाओं तथा विचारों को ठेस पहुंचाता है.....

सभापति महोदय : विधेयक के गुण-दोषों की गहराई में मत जाइये। यह तो केवल व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बयालार रवि : बड़ी अच्छी बात है कि आप मेरी भूल सुधार रहे हैं। यह प्रक्रिया नियमों के विरुद्ध हैं। हमें नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए और इसे ले लीजिए।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मंत्री जी नियम 74 (1) के अन्तर्गत यह प्रस्ताव कर रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाए। सदन में असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि इस प्रस्ताव को पेश करने में मंत्री जी के मूल इरादे पर शंका व्यक्त की जा रही है।

यदि आप को याद हो तो मूल रूप में यह विधेयक दो वर्ष पहले 1977 में सदन में पुरःस्थापित किया गया था जिस पर मंत्री महोदय नियम 74 (1) के अन्तर्गत विचार कराना चाहते हैं। तब से इस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अल्प-संख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री मीनू मसानी ने इस बात पर त्यागपत्र दे दिया था कि इस विधेयक को तैयार करते समय उनके साथ परामर्श नहीं किया गया था।

बाद में दूसरा विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित तथा पारित किया गया था और फिर इस सदन में लाया गया तथा जिस पर अब बहस हो रही है। इसलिए न केवल नियम 66 लागू होता है बल्कि मंत्री महोदय के मूल इरादे भी प्रश्नगत हैं। इरादा दुर्भावपूर्ण दीखता है क्योंकि विधेयक पर दो वर्ष तक इसके पुरःस्थापन के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। अतः हम इस अवस्था में विधेयक पर विचार करने का विरोध करते हैं क्योंकि मूल इरादा उसी समय से दुर्भावपूर्ण है जब से

श्री बनातवाला का विधेयक सदन में लम्बित है।

मंत्री जी ने अपने तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्प संख्यक स्वरूप को बहाल करने की निश्चित रूप से अगवानी की है। इसलिये यह हमारी दलील है कि इस विधेयक पर विचार करने के लिये अनुमति उस समय तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि श्री बनातवाला द्वारा पेश किया गया गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक पर इस सदन में बहस नहीं हो जाती है तथा वह पारित नहीं हो जाता है तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है। उस विधेयक को रोकने में तथा दूसरे विधेयक, जिस पर देश भर से अल्पसंख्यक व्यक्तियों द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद भी दो वर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, को लाने में मूलभूत रूप से न केवल नियमों बल्कि मंत्री महोदय के इरादे पर भी शंका व्यक्त की जा रही है इस विधेयक पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मुझे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना है कि व्यवस्था का प्रश्न जो आपके समक्ष उठाया गया था उसमें बिल्कुल भी सार नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप नियम 66 को ध्यानपूर्वक पढ़े। इसको इस प्रकार पढ़िये :

> "कोई विधेयक जो सभा में लम्बित किसी अन्य विधेयक पर पूर्णतः या अशतः निर्भर है, उस विधेयक के पारित हो जाने की पूर्वाशा में जिस पर कि वह निर्भर है, सभा में पुरःस्थापित किया जा सकेगा।"

अब जब एक विधेयक सदन में लम्बित है यदि आप इसका विश्लेषण करते हैं, तो दूसरा विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता है। परन्तु चूंकि माननीय सदस्य श्री सौगतराय ने बताया कि यह विधेयक जो अब सदन में है, बहुत पहले 1978 में पुरःस्थापित किया गया था।

सभापति महोदय : लगभग एक वर्ष पहले।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मई, 1978 में यह विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया था। उस समय श्री बनातवाला का विधेयक सदन में लम्बित नहीं था। उसी तरह से राज्य सभा में भी विधेयक पर बहस नहीं की गई थी। इसलिये नियम 66 लागू नहीं होता है। नियम 66 के अन्तर्गत श्री बनातवाला द्वारा यथा उल्लिखित 'पूर्वाशा' यहां लागू नहीं है क्योंकि विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया था और हमने सामान्य क्रम से विधेयक पर विचार करने तथा पारित करने के लिए कार्रवाई की है। अब उसने विधेयक की पूर्वाशा की है, मैं पहले ही सदन में पुरःस्थापित कर चुका है। विधेयक दूसरे न्यायालय में है सरकार के न्यायालय में नहीं है। यह मेरा विनम्र निवेदन है।

श्री वयालार रवि : नियम 66 के परन्तुक के बारे में क्या है ?

श्री जी० एम० बनातवाला : कम से कम निर्णय रोक लिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : इस बीच आप सारे विधेयक पर बहस करे।

श्री जी० एम० बनातवाला : आप सारी बात को रोक सकते हैं। परन्तु आप को सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए।

श्री वयालार रवि : परन्तुक.....

सभापति महोदय : आप बोल चुके हैं। यह आपके बोलने तथा मंत्री के उत्तर देने का प्रश्न नहीं है। यह बहुत लम्बे समय तक नहीं चल सकता है। मंत्री महोदय के उत्तर ने आपको सन्तुष्ट नहीं किया।

श्री वायालर रवि : आपको भी नहीं किया।

सभापति महोदय : यह देखना मेरा काम है.....

श्री वी० शंकरानन्द (चिकोड़ी) : मुझे विश्वास है कि आप सन्तुष्ट नहीं हैं।

सभापति महोदय : इतना अधिक विश्वास न करें, मैं अभी जटिलताओं को समझने की कोशिश कर रहा हूँ।

श्री जी० एम० बनातवाला : सभा को स्थगित कर दीजिए और मामले पर सोचिये। आप चेम्बर में इस पर विचार कर सकते हैं। आज की शेष कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

सभापति महोदय : मैंने आपकी बात धैर्यपूर्वक सुनी। कृपया आप भी धैर्य रखें।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं आपको अधिक समय दे रहा हूँ। इस पर अगले सप्ताह कार्यवाही करें। इस शुक्रवार को मेरा विधेयक समाप्त हो जाएगा। कोई आसमान तो गिरने वाला नहीं है।

सभापति महोदय : श्री बनातवाला, मैं आपकी तथा दूसरों की बात बड़ी देर से तथा धैर्य से सुन चुका हूँ। अब मैंने इस प्रश्न की जांच कर ली है। जबकि विधेयक जो मंत्री महोदय द्वारा पुरः-स्थापित किया गया है, वह विस्तृत हैं, परन्तु दूसरा विधेयक अर्थात् गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक केवल दो मुद्दों तक सीमित है.....

श्री जी० एम० बनातवाला : यह सीमित नहीं है.....

सभापति महोदय : आप विधेयक के गुणावगुण की जांच नहीं कर सकते हैं। मैं भी विधेयक के गुणावगुण की जांच नहीं कर रहा हूं। परन्तु यह एक विस्तृत विधेयक है और दूसरा नहीं है। (**व्यवधान**) श्री बनातवाला; जिस धारा पर आप चर्चा करना चाहते हैं वह इस विधेयक में किसी भी हालत में शामिल नहीं है। वे समान नहीं हैं। वह विशेष धारा इस विधेयक में शामिल नहीं हैं। जब सदन में गैर-सरकारी सदस्य के कार्य के समय यह विधेयक आया तो इस पर बहस जारी रही; तथा जारी रह सकती है।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं सदन के कार्य को रोकने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैं यहां आप के साथ सहयोग करने को हूँ.....

सभापति महोदय : मैं भी आपके साथ सहयोग कर रहा हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला : वर्तमान विधेयक जिसको मंत्री महोदय पेश कर रहे हैं वह 'विश्व-विद्यालय' शब्द के संशोधन के बारे में है। मेरा विधेयक भी शब्द 'विश्व विद्यालय' के संशोधन के बारे में है.....

सभापति महोदय : परिभाषा।

श्री जी० एम० बनातवाला : 'विश्वविद्यालय' शब्द की परिभाषा । अब मैं निवेदन करता हूं कि (1)·····

सभापति महोदय : परन्तु वे समान नहीं है ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं भी सरकारी विधेयक के लिए संशोधन दे चुका हूं कि क्योंकि मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है । यदि आप 'विश्वविद्यालय' की परिभाषा के संबंध में सरकारी विधेयक पर मेरे संशोधन की जांच करेंगे तो आप पाएंगे कि यह गैर-सरकारी विधेयक में मेरे द्वारा दी गई परिभाषा के समान हैं । संशोधन सं० 1 है । इसलिये सारी बहस का एक पूरा कलंक है तथा बहस स्वरूप में पूर्वाभासी है । इसका मेरे विधेयक पर भी प्रभाव पड़ेगा जो शुक्रवार को फिर आने वाला है ।

दूसरा मुद्दा यह है कि मेरा विधेयक सीमित नहीं है । जब आप 'विश्वविद्यालय' शब्द की उस ढंग से परिभाषा करेंगे जिस तरह से मैंने अपने गैर-सरकारी विधेयक में की है । तो वह परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 30, खण्ड (1) के अन्तर्गत आ जाती है । अनुच्छेद 30 (1) का आह्वान होते ही माननीय मंत्री द्वारा अपने वर्तमान विधेयक में उल्लिखित प्रत्येक खण्ड, प्रभावित होता है क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप की बहाली का सही-सही अर्थ है कि शासकीय अधिकार, प्रशासन के अधिकार, मुसलमानों में निहित होंगे मुद्दा यह है । इसलिये प्रत्येक खण्ड प्रभावित होता है जो इस सरकारी विधेयक में आता है । इसलिये मैं कहता हूं कि शब्द 'विश्वविद्यालय' की केवल परिभाषा के लेने से ही मेरा विधेयक काफी विस्तृत है, तथा प्रभाव में, प्रत्येक खण्ड पर अनुच्छेद 30 (1) के माध्यम से इसकी अपनी प्रतिक्रियायें होती हैं जिन पर अब इस सरकारी विधेयक में बहस होगी । इसलिये मैं पूछता हूँ कि वह इसको कैसे पेश करने जा रहा है ? क्या आज हम मेरे संशोधन शब्द 'विश्वविद्यालय' की परिभाषा के संबंध में बैठने तथा बहस करने जा रहे हैं तथा फिर शुक्रवार को निर्णय लेंगे ? यह सब पूर्वाशा तथा स्वरूप में बहुत असंतोषजनक है । मैं नहीं मानता हूँ कि जो आपने कहा है ठीक हो·····

सभापति महोदय : आप ऐसा सोच सकते हो । फिर भी मैं समझती हूं कि जो मैंने कहा वह ठीक है ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं 'विश्वविद्यालय' की परिभाषा के लिए संशोधन दे चुका हूं । यह वही है जो मेरे गैर-सरकारी विधेयक में दिया गया है·····(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : श्री सौगत राय, आप श्री बनातवाला को जो वह कह रहे हैं उसे पूरा क्यों नहीं करने देते ? आप उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, जैसे कि वह आपके विरोधी हों । उन्हें टालने दें ।

श्री जी० एम० बनातवाला : सभापति महोदय, यहाँ दो मुख्य प्रश्न है । आप बहुत शांतिपूर्वक विचार करे तथा उनके बारे में निर्णय लें ।

(1) आप कहते हैं कि मेरे विधेयक में शब्द 'विश्वविद्यालय' की एक विशिष्ट परिभाषा है ।

इस सरकारी विधेयक में भी परिभाषा हैं ।

सभापति महोदय : परन्तु दोनों समान नहीं है।

श्री जी० एम० बनातवाला : सरकारी विधेयक के संबंध में पहले ही मेरा यह संशोधन है कि शब्द 'विश्वविद्यालय' की परिभाषा मंत्री जी जिस तरह से चाहते हैं उस तरीके से न करके जिस तरीके से मैं चाहता हूँ उस तरीके से की जाए। मैंने जो संशोधन दिया है वह बिल्कुल इसके समान हैं। इसलिये.....

सभापति महोदय : किसके समान ?

श्री जी० एम० बनातवाला : गैर-सरकारी विधेयक के समान जो मैंने पेश किया है। मेरा संशोधन देखिये। सारी बहस पूर्वाभासी हो जाती है। यहां मेरे विधेयक के भाग्य की पूर्वाशा की जा रही है। वह कैसे हो सकता है ? यह एक बात है। जब आप खण्ड-वार विचार के लिये लेते हैं। तो शब्द 'विश्वविद्यालय' की परिभाषा का खण्ड भी आता है तब ये मुझे अपना संशोधन पेश करना होगा.....

सभापति महोदय : उस समय आप ऐसा कर सकते हो। इस समय हमें सामान्य बहस करने दो।

श्री जी० एम० बनातवाला : इस पर गुरुवार को विचार होने वाला है। आपने केवल 6 घंटे आवंटित किये हैं। 6 घंटे शुक्रवार से पहले ही समाप्त हो जाएंगे।

सभापति महोदय : हम सामान्य बहस करेंगे। जब हमें संशोधन प्राप्त होते हैं तो उस अवस्था में आप इस मुद्दे पर बहस कर सकते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : इसलिये सभापति महोदया, मेरा विधेयक प्रतिबन्धित तथा सीमित विधेयक नहीं है। जैसे ही गैर-सरकारी विधेयक में दिये गये तरीके से 'विश्वविद्यालय' की परिभाषा की जाएगी तो संचालन, शासन अधिकार तथा प्रशासन के संबंध में जो मुसलमानों में निहित होंगे, अनुच्छेद 30 (1) के उपबन्ध लागू होंगे। इसलिए न्यायालय की स्थापना, कार्यकारी परिषद की स्थापना तथा प्रत्येक बात जिन पर विचार किया गया है प्रभावित होंगे।

सभापति महोदय : यह अनुच्छेद 30 को आकर्षित नहीं करता है।

श्री जी० एम० बनातवाला : सारी बहस यह देखने के लिए है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय को अनुच्छेद 30 (1) से संरक्षण मिलता है; जो सारे मामले का मूल प्रश्न है जिसकी मेरे विधेयक में चर्चा की गई है। जिस पर यहां बहस की तथा मेरे विधेयक के भाग्य की पूर्वाशा करते हुए फिर बहस होगी। इसलिए में आपको दलील पेश करता हूं, कि...(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : इस समय मेरा संदेह दूर नहीं हुआ है। हम इस पर सोचेंगे। अब हम विधेयक पर सामान्य बहस करे।

श्री वयालार रवि : आज इसे लिया गया है और समय आवंटित किया गया है। उसके अनुसार यह अगले कार्य दिवस पर ही पारित होगा। स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि गैर-सरकारी

सदस्य के विधेयक के भाग्य का क्या होगा ? नियम 66 (2) लागू नहीं होता है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री बनात वाला के गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक के भाग्य का क्या होगा ?

श्री जी० एम० बनातवाला : आज यह निर्णय लेने के बाद आप शब्द 'विश्वविद्यालय' की परिभाषा की कैसे अनुमति प्रदान करोगे।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : कृपया आप अनुच्छेद 30 (1) देखिए जो इस प्रकार है :

"धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।"

अब जहां तक श्री बनातवाला का विधेयक का संबंध है यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए अल्पसंख्यक स्वरूप को बहाल करना चाहता है। उसका अर्थ है कि अल्प संख्यक का प्राधिकार या अधिकार अपनी रुचि के अनुसार इस संस्था का प्रशासन करना है जबकि मंत्री जी का विधेयक, जिसे आप विस्तृत कहते हैं—जहां तक विधेयक के आकार का संबंध है यह विस्तृत है—अल्पसंख्यक के स्वरूप को तथा इसका प्रशासन करने के अल्पसंख्यक के अधिकार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

माननीय मंत्री महोदय डा० चन्दर द्वारा पुरःस्थापित वर्तमान विधेयक में विश्वविद्यालय के प्रशासन से संबंधित कुछ खण्ड हैं। यदि विधेयक अनुच्छेद 30 (1) के अन्तर्गत आता है तो प्रशासनिक ढांचा उससे भिन्नन होगा जिसकी परिकल्पना की गई है। इसलिए एक बार हम इस विधेयक को ले लेते हैं और उसका आज ही निपटान कर देते हैं तो उसके विधेयक का क्या होगा ? इस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। (**व्यवधान**)

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (आगरा) : सभापति महोदया :

सभापति महोदय : क्या आप इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी : जी हां।

सभापति महोदय : ठीक है। अपनी बात कहिए। ज्यादा बोल कर आप खुश होते हैं तो बोल लीजिए।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने पहले ही बताया है कि यह विधेयक पीछे पुरःस्थापित किया जा चुका था। इसलिए नियम 66 तथा 67 लागू नहीं होते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि श्री बनातवाला के विधेयक का इस विधेयक के पुरःस्थापन के कारण प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ता है यह तो इससे भी अधिक विस्तृत है। वह पहले ही संशोधन पेश कर चुके हैं। (**व्यवधान**) वह प्रस्तावक को इस विधेयक को पुरःस्थापित करने से कैसे रोक सकते हैं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : उन्हें व्यवस्था का प्रश्न समाप्त करने दें। मुझे उनकी बात सुननी होगी। उन्हें अपनी बात कहने दें। मैं कम सुनती हूं। समय निकलता जा रहा है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी : महोदया, मेरा निवेदन था कि वह पहले ही 'विश्वविद्यालय' की

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

परिभाषा के लिए संशोधन पेश कर चुके हैं।

तब, विधेयक के अन्य उपबन्ध स्वत: ही उसके अनुकूल नहीं होंगे क्योंकि अनुच्छेद 30 लागू होगा। लेकिन, एक व्यापक विधेयक पेश करके प्रस्तुतकर्त्ता के हित को कैसे नुकसान पहुंचाया जायगा। यदि उसका संशोधन पारित हो जाता है तब इसका भी वही प्रभाव होगा अर्थात् विधेयक को उसी रूप में पारित कर दिया जायगा जिसमें उसने इसे प्रस्तुत किया है।

सभापति महोदय : मैं काफी भ्रम में पड़ गया हूं। आपका तात्पर्य है कि यदि मंत्री जी के विधेयक में श्री बनातवाला संशोधन पेश किया जाता है तो उसका भी वही प्रभाव पड़ेगा जो इस विधेयक से पड़ा है। आप यही कहना चाहते हैं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी : मेरा कहना यह है कि इसका भी वही प्रभाव पड़ेगा जो मूल विधेयक को पारित करने से हुआ है। और उसके हित का भी इससे हनन नहीं होता है। मेरा तात्पर्य यह है चूंकि यह एक व्यापक विधेयक है यह कोई मिलता-जुलता विधेयक नहीं है और इसलिए नियम 66 तथा 67 के प्रावधान यहाँ बिल्कुल लागू नहीं होते। मेरा यही कहने का तात्पर्य है।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : सभापति महोदया मंत्री जी द्वारा बताये गये नियम 66 का निचोड़ भी यही है कि किस विधेयक पर पहले विचार किया जाये। यह प्रासांगिक प्रश्न है। जब माननीय मंत्री जी ने नियम 66 के बारे में बतलाया कि इसमें इस बात को नहीं बताया गया है कि किस विधेयक पर पहले विचार किया जाना चाहिए। यदि उस बात को ध्यान में लिया जाना है तो श्री बनात वाला का व्यवस्था का प्रश्न सही है।

सभापति महोदय : जिस बात का निर्णय किया जाना है वह यह है कि क्या विधेयक पूरी तरह या आंशिक रूप से दूसरे विधेयक पर आधारित है। यदि ऐसा है, तो तब विचार करने की बात आती है।

श्री सौगतराय (बैरकपुर) : अब प्रश्न विश्वविद्यालय की प्राथमिक परिभाषा का आता है। इसलिए हमारा यह कहना है कि एक विधेयक दूसरे पर आधारित है। (**व्यवधान**)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : अब आप जिस विधेयक पर चर्चा करने जा रहे हैं उसके कुछ प्रशासनिक पहलू हैं। लेकिन यदि हम श्री बनातवाला के विधेयक को स्वीकार कर लेते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप बना रहेगा तथा अल्पसंख्यक स्वरूप के स्वीकार करने के परिणामस्वरूप ही अल्पसंख्यकों द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन चलाने का प्रश्न उठता है।

सभापति महोदय : इस प्रश्न के बारे में मंत्री महोदय क्या कहना चाहते हैं।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : समस्त विषय अल्पसंख्यक स्वरूप पर आधारित है। श्री बनातवाला जी के द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन के स्वीकार करने के बाद भी इससे संसद के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना

भारत के मुसलमानों द्वारा नहीं की गई थी। इसलिए इसका प्रशासन इस विचार से नहीं चलाया जा सकता है कि संसद इसमें कोई दखल नहीं दे सकती। श्री बनातवाला जी का सुझाव है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन से सम्बन्धित सभी अधिकारों को यह सदन खो देगा···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : श्री बसु ने यह प्रश्न उठाया है कि इस विधेयक में कुछ ऐसी बातें हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप के प्रतिकूल होंगी। आप श्री बनातवाला के विधेयक के क्या परिणाम होंगे, इसका विचार किये बिना इनका उत्तर दें।

डा० प्रताप चन्द्र चंद्र : जैसा कि वर्तमान स्थिति है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है।

उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि यह संस्थान हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 (घ) (1) के क्षेत्राधिकार में नहीं आती हैं। जैसी कि वर्तमान स्थिति है इस सदन पर उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय लागू होते हैं अतः यह सदन वर्तमान अधिनियम के सम्बन्ध में कार्यवाही करने तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए नियम बनाने में बिल्कुल सक्षम हैं। वास्तविकता यह है कि इस सदन में कुछ विधेयकों पर चर्चा चल रही है केवल इससे ही इस सदन का सामान्य अधिनियमों तथा अन्य सांविधियों के उपबन्धों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के अधिकार खत्म नहीं होता है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अपने इस फैसले में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है जो संविधान के अनुच्छेद 3 (घ) (1) के अन्तर्गत आता है। (**व्यवधान**)

मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि जो कुछ श्री चित्त बसु केवल प्रत्याशी ही कर रहे हैं तथा मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। श्री बसु केवल प्रत्याशा ही कर रहे हैं कि श्री बनातवाला के विधेयक पर इस सदन का क्या फैसला होगा। यह केवल प्रत्याशा ही है। उससे पहले, यह विधेयक बहुत पहले 12 मई, 1978 को पेश किया गया था। इस विधेयक का सम्बन्ध न केवल विश्वविद्यालय की परिणाम से है बल्कि इसका सम्बन्ध विश्वविद्यालय के ढांचे तथा स्वरूप और शक्तियों तथा उद्देश्यों के विविध अन्य पहलुओं से है। प्रशासन सहित अन्य बातों को भी इसमें लिया गया है। वस्तुतः अल्पसंख्यक आयोग ने इस विधेयक पर अपनी टिप्पणी दी है किन्तु आयोग ने यह बात कभी नहीं उठाई कि इसे संसद से पारित नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर अल्पसंख्यक आयोंग ने कुछ संशोधन भी सुझाये हैं जिनमें से बहुत से सुझावों को मैंने स्वीकार कर लिया है तथा मैंने अपने विधेयक में भी संशोधन पेश किये हैं। इसलिए महोदया इस उद्देश्य से मेरा विधेयक न केवल व्यापक है बल्कि इसकी उच्चतम न्यायालय के फैसले से भी पुष्टि की गई है तथा यह सदन इस विधेयक पर कार्यवाही करने के लिए बिल्कुल सक्षम है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह नहीं है कि सदन सक्षम है या नहीं। प्रश्न अब सिर्फ सदन की सक्षमता के बारे में नहीं है। वह प्रश्न जिसके बारे में हमें फैसला करना है कि क्या यह विधेयक अन्य विधेयक की पूर्व घटित विधेयक है क्या इस पर कार्यवाही करना हमारे लिए उचित है। सामान्य रूप से सदन की सक्षमता विचारार्थ विषय नहीं है।

डा० प्रताप चंद्र चन्द्र : यह किसी अन्य विधेयक की पूर्व घटित विधेयक नहीं है। श्री बसु ने यह प्रश्न उठाया है।

सभापति महोदय : यह प्रश्न आपने उठाया है।

डा० प्रताप चन्द्र चंद्र : यह किसी अन्य विधेयक का पूर्व घटित विधेयक नहीं है।

सभापति महोदय : ठीक है। आपका यह तर्क है।

डा० प्रतापचंद्र चंद्र : इस विधेयक में ही हुई परिभाषा दूसरे विधेयक में दी गई परिभाषा से नहीं मिलती है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : वह भटक रहे हैं तथा मैं उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : यदि उनके कहने का यही तरीका रहा तो आप इस मामले में कुछ नहीं कर सकते इसी प्रकार वह आपके कहने के बारे में कुछ नहीं कर सकते। उसे कहने दीजिये।

डा० प्रतापचंद्र चंद्र : इस विधेयक का सम्बन्ध विश्वविद्यालय के उद्देश्यों, विशेष तौर से शिक्षा सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा मुसमलमानों के विकास आदि से है। ये सब बातें अन्य विधेयक की विषय वस्तुओं में नहीं हैं। यह कैसे ? उस जैसा हो सकता है यह समान नहीं है। यह अन्य विधेयकों का पूर्व भासित कैसे है। यह पूर्व भासित नहीं है। न्यायालय के बनाने तथा वर्तमान अधिनियमों में संशोधन करने के बारे में अनेक खण्ड हैं जिनके विरोध में देश भर में बहुत से आन्दोलन हुए हैं। जो अधिनियम अब लागू हैं उसके विरुद्ध देश भर के मुसलमानों ने विरोध किया। इसलिए हम इन सब बातों को बदलना चाहते हैं तथा इसे एक विधि पुस्तक में रखना चाहते हैं। इसलिये यह किसी भी तरह श्री बनातवाला जी के विधेयक के समान नहीं है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भिन्न हैं। जैसा कि मैंने कहा है मेरा विधेयक 12 मई, 1978 को पेश किया गया।

सभापति महोदय : यह प्रश्न उठाया गया था कि इस पर पहले ही चर्चा हुई है।

श्री जी० एम० बनातवाला : हमें इस प्रकार सोचना चाहिए। यदि हम इस विधेयक पर विचार करना शुरू करते हैं तथा इस खण्ड पर विचार करते हैं तो तब क्या होगा ? मेरा संशोधन, जिसकी मैंने सूचना दी है आयेगा। तब उस संशोधन पर चर्चा होगी।

चर्चा स्वभावत: पूर्वाभासी है मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे गैर सरकारी विधेयक में भी वही परिभाषा दी गई है। माना कि यह सदन मेरे संशोधनों जिनमें विश्वविद्यालय की परिभाषा की गई है अस्वीकार कर देता है और सरकारी विधेयक में दी गई परिभाषा को स्वीकार कर लेता है तब क्या यह सदन गैर-सरकारी विधेयक में दिये गये मेरे उसी संशोधन पर दो या तीन दिन के अन्दर चर्चा करेगा और समस्त कार्यवाही को दोहरायेगा ? यह केवल दो या तीन दिनों की बात है इसके बाद विश्वविद्यालय की परिभाषा के बारे में हुई समस्त कार्यवाही को दोहराया जायेगा तथा मेरे गैर-सरकारी विधेयक पर दोबारा मतदान होगा क्योंकि मेरे द्वारा पेश किये गये संशोधन पर एक मतदान आज होगा। इसी प्रकार की बातों पर शुक्रवार को मतदान होगा। इतना अधिक पूर्वानुमान कैसे हो सका। क्या यह सदन किसी मामले में अपने निर्णय की दो या तीन दिन में ही अवहेलना करेगा ? ये बातें हैं जो बहुत ही प्रासंगिक हैं तथा इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार अपनी बुद्धिमत्ता से काम करे

तथा आगामी शुक्रवार तक प्रतीक्षा करें। एक विधेयक पहले ही चर्चाधीन है। सरकार इस पर ईमानदारी से कार्यवाही करें हमें सीधे-तरीके से चलना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री बनातवाला निहित उद्देश्य की बात न कहिए।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं निहित उद्देश्य की बात नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री जी० एम० बनातवाला : आप मुझसे उठाये गये प्रश्न के पक्ष में निर्णय दें क्योंकि "विश्वविद्यालय" शब्द की परिभाषा बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। आज आप चर्चा की प्रत्याशा न करें। मेरे गैर-सरकारी विधेयक पर पहले हो चुकी है। विषय वही विश्वविद्यालय शब्द की परिभाषा के बारे में है। इस बारे में मेरा संशोधन भी है। इसे आज नहीं लिया जा सकता है तथा यह दोबारा चर्चा के लिए नहीं आ सकता है यदि इसे चर्चा के लिए आज लाया जायेगा। अन्यथा आप हमें अपना यह विनिर्णय दें कि इस सदन में एक ही बात पर जितनी बार माननीय सदस्य चाहे बार-बार चर्चा हो सकेगी आज मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने सदन की मुख्य-मुख्य बातों को सुन लिया है तथा मैं सभापति, सरकार तथा सभा का सहयोग चाहता हूं।

सभापति महोदय : हमने इस पर काफी समय लगाया है। मैंने सम्पूर्ण विषय को पढ़ लिया है। मैंने हर व्यक्ति की सभी मुख्य बातों को ध्यान से सुना है तथा मैंने प्रासंगिक विनियमों को भी पढ़ा है जिन्हें मैंने सभापति का आसन ग्रहण करने से पहले पढ़ा नहीं था—और मैं देखती हूं कि दोनों विधेयक एक समान नहीं है तथा उनकी परिभाषा में भी भेद है।

श्री सौगतराय : उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस प्रकार कहता है·····

सभापति महोदय : मैंने आपके द्वारा उठाये गये प्रश्नों को ले लिया है।

श्री सौगतराय : उच्चतम न्यायालय का विनिर्णय में कहा गया है कि अनुच्छेद 30 (1) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर लागू नहीं होता है। श्री बनातवाला जी की विश्वविद्यालय शब्द की परिभाषा इस निर्णय का भी उल्लंघन करने की कोशिश करती है। मूल विधेयक उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार है। समस्त प्रश्न उच्चतम न्यायालय के निर्णय से सम्बन्धित है तथा क्या आप यह कहेंगे कि दोनों विधेयक संविधान के अनुच्छेद 30 (*i*) के बारे में एक-दूसरे पर आधारित हैं।

सभापति महोदय : यही कारण है कि मेरा यह कहना है कि यह समान नहीं है। अब हम चर्चा जारी रखें।

श्री सौगतराय : विधेयक की क्या स्थिति है ?

सभापति महोदय : उसके विधेयक पर शुक्रवार को चर्चा होगी।

श्री जी० एम० बनातवाला : विश्वविद्यालय शब्द की परिभाषा के बारे में क्या है ?

सभापति महोदय : नहीं, नहीं ? वह शुक्रवार को लाया जायगा अब, मंत्री·····

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

(श्री धीरेन्द्र नाथ बसु पीठासीन हुए)

महोदय यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में भारत के एक बड़े अल्पसंख्यक समुदाय, मुसलमानों के प्रति की गई अनियमितता को खत्म करने के लिये एक मुख्य विधान है। यह विश्वविद्यालय प्रख्यात परम्परा की एक उत्तम संस्था है। इस विधेयक के अधिकार क्षेत्र को समझने के लिये मैं इस विश्वविद्यालय के इतिहास की कुछ मुख्य बातों को संक्षिप्त में उल्लेख करूंगा।

विश्वविद्यालय की केन्द्र बिन्दु मुहम्मडन, एंग्लो आरियंटल कालेज था जिसे एम० ए० ओ० कालेज अलीगढ़ के नाम से पुकारा जाता था जिसके संस्थापक भारत के महान शिक्षाविद तथा देश भक्त सर सैयद अहम्मद खां थे। इसकी स्थापना सन् 1973 में की गयी थी। उस समय मुस्लिम विश्व-विद्यालय की स्थापना के लिए पहली योजना बनायी गयी लेकिन उस समय विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गयी थी बल्कि एक महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसमें सभी वर्गों के विद्यार्थियों को दाखिल किया जाता था और यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि इस महाविद्यालय का पहला स्नातक हिन्दू था। इसके अध्यायक भी विभिन्न समुदायों के थे तथा इसका मुख्यध्यापक एक ईसाई था। इस महाविद्यालय की स्थापना के लिये विभिन्न वर्गों के लोगों से सर सैयद अहमद खां को चंदा इकट्ठा किया तथा सर सैयद अहमद खां को इस बात का गर्व था कि यह महाविद्यालय एक विशेष किस्म का नहीं है जो किसी एक ही वर्ग के लोगों की आवश्यकता को पूरा करता हो।

इसका दृष्टिकोण वास्तव में धर्म निरपेक्ष था तथा यह जानना एक बड़ी रुचि की बात है कि बाद में इस संस्थान की कार्यप्रणाली में कुछ संशोधन करने की कोशिशें की गयी। लेकिन सर सैयद अहमद खां एक व्यापक दृष्टिकोण रखते थे तथा वे विभिन्न वर्गों के क्षात्र विभिन्न वर्गों के अध्यापक इस विद्यालय में लाये और विभिन्न समुदायों से धनराशि इकट्ठा की। वह यह चाहते थे कि इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में बदल दिया जाए। सन् 1893 में एम० ए० ओ० महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में बदलने को एक प्रस्ताव लाया गया लेकिन सर सैयद अहमद खां की मृत्यु से इसको बड़ा धक्का लगा। अहमद साहब की मृत्यु के पश्चात प्रधानाध्यापक श्री थिओडरे बेक ने स्वयं सैयद स्मारक निधि बनायी जिसका उद्देश्य एम० ए० ओ० महाविद्यालय की एक विश्वविद्यालय में बदलने का था।

तब विश्वविद्यालय के नियोजक या समर्थकों तथा सरकार के बीच संघर्ष चलता रहा। शायद जैसा उस समय कानून था नियोजक सरकार की मान्यता प्राप्त किये बिना या विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये कोई अधिनियम पारित कराये बिना विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आगे चलकर बहुत से पक्ष जो इस विद्यालय के पीछे काम कर रहे थे, वे इस बात से नाराज हो गये कि विश्वविद्यालय की स्थापना में सरकार की ओर से देरी हो रही थी। 12 अगस्त सन् 1913 में मानवीय श्री आर० बाबू, आई० सी० एस० ने एक अर्ध सरकारी पत्र लिखा

जिसमें यंग मुहम्मडन रिवरल पार्टी की टिप्पणियां का अनुवाद दिया गया था, इस अनुवाद में से एक पैरा उधृत करता हूं जो इस प्रकार है :

> "यदि सरकार उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करती है तो उन्हें पाश्चात्य विज्ञान को उर्दू में पढ़ाने जाने के लिये तथा सब को औद्योगिक शिक्षा देने के लिये स्वयं एक अलग विश्व-विद्यालय की स्थापना करनी चाहिए।"

मैंने जिस महत्वपूर्ण कागजात का हवाला दिया है मैंने उसे जाकिर हुसैन शिक्षात्मक अध्ययन केन्द्र योजना, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एक योजना के अन्तर्गत प्रकाशित "विश्वविद्यालय शिक्षा का विकास 1916 से 1920" नामक पुस्तक के पृष्ठ 143 से उद्धरित किया है। इससे यह पता लगेगा कि उस समय कानून की जैसी स्थिति थी उसके अनुसार-मुस्लिम समुदाय के लिये एक अलग विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकता बिल्कुल सम्भव था। तथा सरकार से किसी प्रकार की सहायता की भी इसके लिये कोई आवश्यकता नहीं थी जैसा कि इस यंग मुहम्मडन लिवरल पार्टी ने ऐसा करने के लिए स्वीकार किया है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नियोजकों ने यह सोचा कि यदि सरकार पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के लिये जोर डाला जाये तथा विश्वविद्यालय की स्थापना किसी कानून द्वारा की जाये तो अच्छा रहेगा। नियोजकों में दो विशिष्ट व्यक्ति थे जिनके नामों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा---उनमें एक व्यक्ति थे सर मुहम्मद शफी जो बाद में वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य हो गये तथा वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 1920 के मूल विधेयक को प्रस्तुत करने वाले थे। दूसरे व्यक्ति हमारे महान नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और आपको याद होगा कि वह सन् 1951 में स्वतंत्र भारत के हमारे शिक्षा मंत्री थे। इस मूल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में एक विशेष अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया था तथा मौलाना आजाद उस समय शिक्षा मंत्री थे। मैंने इन दो बातों का उल्लेख केवल यह दिखाने के लिये किया है कि 1920 में पारित किये गये अधिनियम तथा 1951 में पारित संशोधन विधेयक में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नियोजकों की विचारधारा वास्तव में प्रतिबिम्बित थी। इसलिये हम इसे यह समझ सकते हैं कि 1920 में पारित अधिनियम तथा 1951 का संशोधन विधेयक मुस्लिम समुदाय की आकांक्षाओं से परे नहीं जा सके क्योंकि उन दो वर्षों में शिक्षा मंत्री अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की विचारधारा के मूल नियोजकों में थे। मेरे इस बात पर जोर देने का कारण यह है कि मैं इस विधेयक द्वारा 1951 के संशोधन के समय विद्यमान वास्तविक स्थिति को फिर वापिस लाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिये यही मैं करने की कोशिश कर रहा हूं।

मैं इसकी गहराई या इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, मैं यह बता देना चाहता हूँ कि जब यह 1920 का विधेयक विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तावना में साफ-साफ बताया गया था कि विधेयक क्यों पेश किया गया था। प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया था। कि तत्कालीन सरकार अर्थात् ब्रिटिश सरकार का विचार निःसंदेह तथा अध्यापन तथा आवासी मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करने का था। ऐसी नहीं है, किसी समुदाय ने किसी चीज की स्थापना की है लेकिन सारी

[डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र]

बात मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करने की थी। प्रस्तावना में आगे यह विस्तार से कहा गया हैं।

यद्यपि अलीगढ़ में अध्यापन और आवासी मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना तथा उसे नियमित करना और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटियों को जिनका नाम क्रमशः मुहम्मडन एंग्लो ओरियंटल महाविद्यालय, अलीगढ़ तथा मुस्लिम विश्वविद्यालय ऐसोसिएशंन था, को भंग करना तथा उपर्युक्त विश्वविद्यालय को मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापना समिति तथा उपर्युक्त सोसाइटियों के समस्त अधिकारों तथा परिस्थितियों का स्थानांतरण करना व्यावहारिक है···। दूसरे शब्दों में आरियंटल महाविद्यालय भंग कर दिया गया तथा इसकी सम्पत्ति को नये विश्वविद्यालय को, जिसे सरकार ने कानून बनाकर स्थापित किया था, स्थानांतरित कर दिया गया और 1920 के अधिनियम की धारा 3 संस्था को वास्तव में निगमित किया गया था :—

"···एतद्द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नामक एक निकाय का गठन किया गया।"

इससे पता लगता है कि इस विश्वविद्यालय की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर स्थापना की थी जिसे सर मुहम्मद शफी ने प्रस्तुत किया था जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विचार के मूल नियोजकों में से एक थे।

हालांकि प्रबन्धों के बारे में यह व्यवस्था की गयी थी कि मुसलमान के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के न्यायालय का सदस्य नहीं हो सकता।

जहाँ तक प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य का संबंध हैं, यद्यपि यह व्यवस्था की गई थी कि मुसलमान के अलावा कोई अन्य व्यक्ति सभा (कोर्ट) का सदस्य नहीं बन सकता, किन्तु विश्वविद्यालय में अन्य निकाय यथा, कार्यकारिणी परिषद् तथा शैक्षणिक परिषद् भी थे गैर-मुस्लिम भी जिनके सदस्य बन सकते थे। इस तथ्य को छोड़कर कि सभा के सदस्य मुस्लिम ही होंगे, सभा पर अनेक प्रतिबंध थे। मूल अधिनियम में उन प्रतिबंधों का उल्लेख किया गया है। मैं समय की बचत के लिये आपको अधिक नहीं, उसके कुछ ही उदाहरण दूंगा।

गर्वनर जनरल विश्वविद्यालय के विधि-निदेशक (लॉ डायरेक्टर) थे तथा विधि निदेशक को धारा 13 के अधीन यह अधिकार था। कि वह उन व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निर्देश दें, विश्वविद्यालय उसके भवन, प्रयोगशाला, सामग्रियों, शिक्षण तथा अन्य कार्यों का निरीक्षण करवा सकता है। और यदि सभा विधि निदेशक की अपेक्षाओं के अनुकूल कार्यवाही न करे, तो वह सभा द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण और आभ्यावेदन पर विचार करने के बाद ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जैसाकि वह उचित समझे। सभा को उन निर्देशों की अनुपालना करनी होगी। इस प्रकार सभा जो केवल मुस्लिम सदस्यों से मिलकर बनी थी, को निरंकुश अधिकार प्राप्त नहीं थे तथा उसके अधिकार विधि निदेशक जो कि उस समय एक अंग्रेज महाशय थे, के अधिकारों द्वारा, परिसीमित हो जाते थे। इसी प्रकार एक निरीक्षक मंडल (विजिटिंग बोर्ड) की भी व्यवस्था की गई थी। इस निरीक्षक मंडल को भी पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे, जो लिखित आदेश द्वारा अधिनियमों, कानूनों तथा अध्यादेशों के प्रतिकूल सभा की

सभी कार्यकाहियों को रद्द कर सकता था। यह निरीक्षण मंडल जिन व्यक्तियों से मिलकर बना था। उसमें गैर-मुस्लिम व्यक्ति भी शामिल हो सकते थे। इस प्रकार कई प्रावधान ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि यद्यपि अधिनियम को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम का नाम दिया गया, विश्वविद्यालय के प्रशासन को चलाने का पूर्ण अधिकार केवल मुसलमानों के हाथ में नहीं था। विश्व-विद्यालय का कोई भी छात्र बन सकता था। इस प्रावधान को छोड़कर कि अध्यादेश द्वारा मुस्लिम महिलाओं को सामान्य व्याख्यानों तथा विशेष अध्ययन कक्षाओं में उपस्थिति की छूट की रियायत देकर उनके लिए अध्ययन के विशिष्ट पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए, विश्वविद्यालय बिना स्त्री-पुरुष जगते अथवा सम्मुदाय के भेदभाव के, रूप के लिए खुला था। यह स्थिति 1928 में थी। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यद्यपि अधिनियम को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम का नाम दिया गया था—तथा इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के लोगों को शिक्षा प्रदान करना, ही था; तथापि यह विश्वविद्यालय केवल मुस्लिम समुदाय तक ही परिसीमित नहीं था, बल्कि यह अन्य सब लोगों के लिये भी खुला था। अधिनियम के उद्देश्यों में भी यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित था कि विश्वविद्यालय की द्वारा प्राप्त अधिकारों के निम्नोक्त लक्ष्य होंगे, अभी प्राच्य एवं इस्लाम के अध्ययन को प्रोत्साहन देना, मुस्लिम धर्मशाला एवं दर्शन की शिक्षा प्रदान करना तथा नैतिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण प्रदान करना। इस तरह आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में प्राच्य विद्या का अध्ययन भी शामिल था, जो कि इस्लाम के अध्ययन से पृथक है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस विश्वविद्याल य में अन्य धर्मों को भी वाद-विवाद एवं अध्ययन का विषय बनाया जा सकता था। अतः यह कहना सही नहीं होगा कि यह विश्वविद्यालय पूर्णतः अल्पसंख्यक समुदाय तक ही परिसीमित रखा गया था।

जहां तक विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन के प्रयोजन का प्रश्न है, विश्वविद्यालय का स्वरूप इतना धर्मनिरपेक्ष था। कि उसमें प्राच्य विद्या के अध्ययन को भी शामिल किया गया था, तथा विश्वविद्यालय के अध्ययन के उद्देश्यों में कोई भेदभाव नहीं किया गया था।

जब हम स्वतंत्र हुए तथा यह संविधान अंगीकार किया गया। तो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के साथ-साथ इस संस्थान को भी राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में मान्यता प्रदान की गई। संस्थानों की उस सूची में, जिनके लिये संसद को कानून बनाने का अधिकार है, यह संस्थान भी शामिल है—संसद को वे कानून बनाने के व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें कि इस संस्थान के प्रशासन संबंधी अधिकारों का भी संबंध है—1951 में जब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे, 1920 के मूल अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के लिये एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। 1920 के अधिनियम की धारा के अर्न्तगत मुसलमानों को धर्म की शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य था किन्तु मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा उसे हटा दिया गया। उसके स्थान पर एक नई धारा 8 की उपस्थापना की गई। जिसके अर्न्तगत यह घोषणा की गई कि विश्वविद्यालय के द्वार सभी वर्गों, जातियों तथा समुदायों के लिए खुले रहेंगे, बशर्ते इस धारा से यह न समझा जाए कि उनके लिए, धर्म संबंधी शिक्षा के लिए कोई आपत्ति है, जो कि उसे प्राप्त करना चाहते हैं। अतएवं इसे पूर्णतः स्वैच्छिक बना दिया गया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के समय में

[डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र]

ही दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया कि सभा की सदस्यता के लिए केवल मुसलमानों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। 1920 के अधिनियम की धारा 23 में अन्तर्विष्ट इस आशय की व्यवस्था को, कि सभा का मुसलमान के अलावा अन्य कोई व्यक्ति सदस्य नहीं हो सकता, हटा दिया गया। इसलिए हिन्दू तथा अन्य धर्मों के व्यक्ति भी नई सभा के सदस्य बन सकते थे। यह निर्णय स्वागत योग्य था। तथा यह धर्मनिरपेक्षता के उस दृष्टिकोण के बिल्कुल अनुकूल था। जिसे भारत ने अपनाया, और जिसे उसने अपने नये संविधान में प्रतिष्ठापित किया। उन परिवर्तनों का जो मौलाना आजाद के शिक्षा मंत्री होने के समय किए गए, कोई विरोध नहीं हुआ।

विश्वविद्यालय में, 1965 में गम्भीर बदअमनी फैली, जिसके फलस्वरूप उपकुलपति नवाब अलीभावर जंग पर आक्रमण किया गया। उपकुलपति ने विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा भारत के राष्ट्रपति ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के लिए 29 मई 1965 को एक अध्यादेश जारी किया। जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय सभा तथा कार्यकारिणी परिषद् जो अधिकांशतः निर्वाचित निकाय थे को मनोनीत निकायों का स्वरूप प्रदान कर दिया गया। बाद में अध्यादेश को मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 1965 के रूप में रखा गया। उस समय भी मंत्री श्री छागला अल्पसंख्यक समुदाय के ही थे। इसका अत्याधिक विरोध किया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ साथी न्यायालय में गए तथा अन्त में उच्चतम न्यायालय में जाकर उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के संसद के अधिकार को ही चुनौती दे दी, क्योंकि उनके विचार में संस्थान के अल्पसंख्यक स्वरूप के प्रति स्पष्ट रूप से यह एक स्पष्ट हस्तक्षेप था। अभिप्राय यह है कि वे इस अधिनियम को अनुच्छेद 30 (1) की परिधि में रखना चाहते थे, जिससे कि इस विश्वविद्यालय का प्रबन्ध तथा प्रशासन वे अपनी इच्छानुसार चला सकें। उन्होंने संसद द्वारा पारित इस अधिनियम को इस आशय से चुनौती दी कि यह अधिनियम संसद के अधिकार से परे था। उसके विस्तार में जाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। किन्तु विभिन्न तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार के बाद उच्चतम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह सत्य था कि विश्वविद्यालय का केन्द्रीय स्वरूप निश्चय ही मौहम्मडन एंग्लो ओरियंटल कालेज था, किन्तु विश्वविद्यालय की स्थापना उस समय की विद्यायिका के अधिनियम के परिणाम स्वरूप हुई थी, यह विश्वविद्यालय विधान की ही उत्पत्ति थी, मुसलमानों द्वारा उसकी संस्थापना पार नहीं की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि मुसलमान अपना एक अलग विश्वविद्यालय बनाने के लिये स्वतंत्र हैं। वस्तुतः जैसा कि आप जानते हैं संसद द्वारा किसी अधिनियम के पारित किये बिना भी विश्वविद्यालयों की संस्थापना की गई थी। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसी अधिनियम के पारित करने से पहले ही बना हुआ था। महाराष्ट्र में एस० एन० डी० टी० विश्वविद्यालय तथा विश्व भारती को इससे पूर्व कि कोई अधिनियम पारित किया जाता, विगत में ही विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त था। प्रतिबंध केवल 1956 में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम द्वारा लगाया गया। जिसके अनुसार 1956 के बाद विश्वविद्यालय बनाने के लिये प्रांतीय अथवा केन्द्रीय विद्यायिका का कोई अधिनियम अवश्य होना चाहिए अथवा गुरुकुल कांगड़ी जैसी कुछ संस्थाओं को विश्वविद्यालय समझा जाये, ऐसी घोषणा की

जानी चाहिए। यह प्रतिबंध पहली बार 1956 में हमारे सामने आया। इसके पूर्व बिना सरकार के हस्तक्षेप के विश्वविद्यालय की संस्थापना की जा सकती थी। किन्तु जहां तक प्रस्तुत विषय का प्रश्न है ऐसे स्वरूप का कोई विश्वविद्यालय पहले संस्थापित नहीं किया गया था। उच्चत्तम न्यायालय का निर्णय यहां मेरे पास हैं किन्तु इस समय में उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय में अत्याधिक क्षोभ और असन्तोष व्याप्त था इसलिये सरकार ने तत्कालीन मंत्री जनाब फखरूद्दीन अली अहमद को इस मामले की जांच के लिये एक समिति नियुक्त करने का अनुरोध किया। उन्होंने बेग समिति को नियुक्त किया तथा इस समिति ने कुछ सुझाव प्रस्तुत किये, जिनमें से कुछ पर प्रस्तुत विधेयक की संरचना करते समय हमने विचार किया है। 1972 में पुन: एक संशोधन करने वाला अधिनियम पारित किया गया तथा उस अधिनियम के अर्न्तगत विश्वविद्यालय की स्वायतता को और भी कम कर दिया गया। इसने विश्वविद्यालय के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप के विरोध में आग में घी का कार्य किया। मुझे स्मरण है कि उस समय में कांग्रेस संगठन से संबद्ध था और तब हमने गया मैं अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की एक बैठक की थी। हमारे नेता श्री सी० बी० गुप्ता ने विश्वद्यिालय की आन्तरिक स्वार्थत्तता को कम करने के सरकार के निर्णय के विरोध में एक प्रस्ताव पेश किया था। मुझे उस प्रस्ताव का समर्थन करने का सम्मान प्राप्त हुआ था। इसलिये यह बात नहीं है कि केवल इसी समय में यह विद्या विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूँ बल्कि, विश्वविद्यालय की मूलभूत स्वतन्त्रता तथा निर्वाचित निकाय के माध्यम से स्वयं ही उसके प्रबन्ध संचालन और उसमें मनोनीत लोगों के शामिल करने के उसके अधिकारों में हस्तक्षेप करने पर मैंने सरकार का उस समय भी विरोध किया था। मुझे इस बात पर काफी प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय की स्वायतता को बहाल करने तथा विश्वविद्यालय में कुछ ऐसे परिवर्तन कराने का मुझे पुनः सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिनसे कि न्यूनाधिक वही स्थिति बन जायेगी जो कि अधिनियम में 1951 के संशोधन के बाद मौजूद थी।

मुझे यह कहते हुए हर्ष का अनुभव होता है कि जब अल्पसंख्यक आयोग द्वारा इस विधेयक पर विचार किया गया, तो वह अपने प्रतिवेदन के 16वें पृष्ठ पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जो कि मैं पहले ही सभा पटल पर रख चुका हूं।

> "हमारा अभिमत है कि विधेयक विश्वविद्यालय को उसकी स्वायतता तथा उसके कानून बनाने के अधिकारों को वापिस लौटाने के प्रति एक स्वागत योग्य कार्य होगा। इसके साथ-साथ विश्वविद्यालय की सभा, कार्यकारिणी परिषद् तथा वित्त समिति की संरचना की वही स्थिति बहाल की जायेगी, जो कि 1951 में संशोधन अधिनियम के बाद थी। हमारे विचार में ये परिवर्तन एक स्वायत्त संस्थान की कसौटी पर पूरी तौर पर खरे उतरते हो।"

इस उद्धरण को मैंने अपनी उस अवधारणा को प्रमाणित करने के लिए पढ़ा है जो कि मैंने उद्देश्यों और कारणों के कथन के अर्न्तगत रखे हैं। जिन्हें कि हम मुस्लिम समुदाय को लौटाना चाहते हैं और जो कि 1951 के बाद उनके अधिकार क्षेत्र में थे। कुल मिलाकर अल्पसंख्यक स्वरूप से मेरा यही अभिप्राय है। अल्पसंख्यक स्वरूप से हमारा प्रयोजन यह नहीं है कि संसद को, इस संस्थान के संबंध में यहां तक कि उसके प्रशासन से संबंधित कोई कानून बनाने के इसके अधिकार से बंचित कर दिया

[डा० प्रताप चन्द्र, चन्द्र]

जायेगा। विगत में 1920 में इस संसद से पूर्ववर्ती संसद ने निश्चय ही इस संस्थान संबंधी कानून बनाये थे तथा इस संसद ने भी 1951 में तथा पुनः 1965 में तथा 1972 में कानून बनाये। संसद को यहां तक कि विश्वविद्यालय के प्रशासन के संबंध में भी कानून बनाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका अभिप्राय फिर संसद में ही एक प्रकार का अविश्वास हो जायेगा। अतएव मैं कहना यह चाहता हूं कि अल्पसंख्यक स्वरूप से हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि अध्यापन एवं शिक्षण के उसके विशिष्ट स्वरूप को उससे छीन लिया जाये। वस्तुतः उस संशोधन में जो कि मैंने प्रस्तुत किया है मैंने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि विश्वविद्यालय के अधिकारों, कार्य क्षेत्र एवं उद्देश्यों में यह अवश्य शामिल होना चाहिए कि वह "भारत के मुसलमानों के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उत्थान को विशेष रूप से प्रोत्साहन प्रदान करे" यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन है। जिसका मैंने प्रस्ताव रखा है। मूल अधिनियम में प्राच्य एवं इस्लाम के अध्ययन का प्रावधान तो पहले से ही था किन्तु उसी के साथ इस सभा की स्वीकृति के अधीन में यह खंड उसमें और जोड़ना चाहता हूं "भारत के मुसलमानों के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उत्थान को विशेष रूप से प्रोत्साहन प्रदान करना।" अल्पसंख्यक स्वरूप से हमारा क्या प्रयोजन है? संविधान में इसे परिभाषित नहीं किया गया है इसके लिये स्वयं विश्वविद्यालय ने चैटर्जी समिति नामक एक समिति नियुक्त की थी जिसने 1961 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय गणपूर्ति नहीं है।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : श्री बनातवाला को इस बात पर खेद है कि यह विधेयक उनके नियंत्रण से परे हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप गणपूर्ति पर बल दे रहे हैं?

श्री जी० एम० बनातवाला : जी हां? मैं दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। घंटी बजाई जाये। माननीय मंत्री महोदय अपना स्थान ग्रहण करें। अब गणपूर्ति हैं। माननीय मंत्री महोदय अपना भाषण जारी रखें।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं विश्वविद्यालय के स्वरूप विषयक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा कर रहा था। यह कहा गया है कि उसका अल्पसंख्यक स्वरूप उसे वापिस लौटा दिया जाना चाहिये। हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि "अल्पसंख्यक स्वरूप" का आखिर अर्थ क्या है? जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारे संविधान में अल्पसंख्यक स्वरूप की परिभाषा नहीं दी गई है किसी कानून में भी उसकी व्याख्या नहीं की गई है। इस विश्वविद्यालय के स्वरूप और उसकी परम्परा के प्रश्न पर एक समिति के सामने विचार किया गया था और उस समिति का नेतृत्व श्री चैटर्जी ने किया था। चैटर्जी समिति का प्रतिवेदन अपने आप में विश्वविद्यालय का ही अपना प्रलेख है, उस अर्थ में यह सरकारी समिति नहीं है। उस समिति के समक्ष अनेक लोगों ने इस आशय से अपने विचार प्रकट किये हैं कि उनका अल्पसंख्यक समुदाय से क्या अभिप्राय है। कुछ ने कहा कि समुदाय विशेष को प्रतिनिधित्व दिया जाये अथवा छात्रों का स्थान समुदाय के आधार पर आरक्षित किया जाना चाहिये। कुछ अन्य लोगों ने कहा कि अध्यापकों की नौकरी में समुदाय विशेष के आधार पर चयन किया जाये। चैटर्जी समिति ने इन सब विभिन्न सुझावों पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि इन कृतिम सुझावों के

आधार पर इस संस्थान के अल्पसंख्यक स्वरूप को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। चैटर्जी समिति के अनुसार इस संस्थान के अपलसंख्यक स्वरूप का अर्थ है :— मैं उस प्रतिवेदन के पृष्ठ 142 से उद्धरण प्रस्तुत करता हूँ :

> "इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ की सच्ची व सजीव परम्पराओं का विशिष्ट स्वरूप कैसा होना चाहिये ? हमारी राय में विश्वविद्यालय शिक्षा के सच्चे उद्देश्यों के रूप में उन सब बातों के साथ-साथ, जिन्हें कि मान्यता दी जानी चाहिये इस विश्वविद्यालय को हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के सोशलिष्ट प्रतिमानों तथा वस्तुतः मानवता की विश्वव्यापी संस्कृति के प्रति मुस्लिम समुदाय के योगदान के अध्ययन को विकसित करना चाहिये। सभ्यता के इतिहास का अध्ययन करते समय इस बात से कोई भी किसी बहाने इन्कार करने का साहस नहीं कर सकता कि इस्लाम ने ऐतिहासिक रूप में तथा सम्प्रति हमारे अपने ही युग में इस राय को अपना आधारभूत और महत्वपूर्ण योगदान दिया है।"
>
> "यह वह सजीव परम्परा है, वह गत्यात्मक शक्ति है जिसे हम सुरक्षित रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह इस विश्वविद्यालय में फले फूले।"

चैटर्जी समिति के अभिमत का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ तथा निवेदन करता हूं कि इस विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप का अर्थ यही होगा कि हमारी राष्ट्रीय संस्कृति की जटिल संस्थान के प्रति मुस्लिम समुदाय का क्या योगदान रहा है, इसका इस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया जाये तथा उसे विशिष्ट महत्त्व प्रदान किया जाये तथा ऐसा करने के लिये अन्य समुदायों के योगदान का भी अध्ययन स्वाभाविक रूप से किया जायेगा। इस पूरे विषय के सम्बन्ध में संकुचित दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता तथा उस अर्थ में यह निस्सन्देह अपने प्रारंभ में भी एक साम्प्रदायिक विश्वविद्यालय के रूप में नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया है मोहम्मडन एंडलो ओरियन्टल कालेज में गैर-मुस्लिम अध्यापक हुआ करते थे। निधियां भी कुछ सीमा तक गैर-मुस्लिम लोगों द्वारा दी जाती थीं। यह कहना कि यह इस रूप में एक अल्पसंख्यक संस्थान माना जाये कि संसद को इस संस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन के संबंध में कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं होगा, विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप के बारे में एक संकुचित दृष्टिकोण होगा।

श्रीमान्, जो विभिन्न समितियां इस संस्थान के संबंध में नियुक्त की गई थी वे इस कानून के अंतर्गत विश्वविद्यालय शब्द की क्या परिभाषा होगी; इस पर सहमत न हो पाई। बेग समिति, जिसका मैंने पहले हवाला दिया है; का विचार था कि विशेष प्रावधान यह होना चाहिये कि इस विश्वविद्यालय को भारत के अल्पसंख्यकों द्वारा संस्थापित समझा जायें। 'समझा जाये' शब्द के प्रयोग का अर्थ यह हुआ कि बेग समिति इस बात से पूर्णतः संतुष्ट नहीं थी कि विश्वविद्यालय की संस्थापना वास्तव में अल्पसंख्यकों द्वारा की गई थी; किन्तु बेग समिति ने इसे 'समझा जाये' शब्द का प्रयोग किया और आप यह जानते हैं कि शब्द 'समझा जाये' का अर्थ यही होगा कि जो बात सत्य नहीं है उसे सत्य मान लिया जाये। 'समझा जाये' का यही अभिप्राय है। यह बात कुछ-कुछ वैसी अवश्य है, किंतु वास्तव में वैसी है नहीं।

[डा० प्रताप चन्द्र, चन्द्र]

तब एक और समिति, स्वयं विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान उपकुलपति, श्री खुसरो के नेतृत्व में नियुक्त की गई। उस समिति के अनुसार 'विश्वविद्यालय' का अर्थ है वह विश्वविद्यालय जो भारत के मुसलमानों द्वारा संस्थापित किया गया। यह अर्थ स्वाभाविक रूप में उस तथ्य के विरोध में जाता है जो कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था और हम इसलिये उस अर्थ को स्वीकार नहीं कर सके। अल्पसंख्यक आयोग ने भी 'विश्वविद्यालय' शब्द पर विचार किया था तथा उसमें विश्वविद्यालय की निम्नोक्त व्याख्या की है :—

"विश्वविद्यालय से अभिप्राय भारत के मुसलमानों द्वारा संस्थापित तथा उनकी स्वेच्छा से संचालित वह शैक्षणिक संस्थान है जिसे 1920 के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में निगमित एवं नामित कर लिया गया है।"

और अन्त में मेरे माननीय मित्र श्री बनातवाला ने भी एक विधेयक प्रस्तुत किया है जिसमें 'विश्वविद्यालय' शब्द की परिभाषा दी गई है तथा यहां संशोधन का प्रस्ताव भी रखा है। मैंने इन सब तथ्यों का उल्लेख यह प्रमाणित करने के लिये किया है कि बात इतनी सामान्य नहीं है। बेग समिति की राय में इसके लिये कुछ परिभाषा थी तो खुसरो समिति के कुछ दूसरे ही शब्द थे; अल्पसंख्यक आयोग की दृष्टि में कुछ और परिभाषा थी तथा श्री बनातवाला के मत में कुछ दूसरे शब्दों की परिधि है। उन्होंने इस संबंध में कुछ संशोधन भी रखा है। इस सब से यही पता चलता है कि विश्वविद्यालय को संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अन्तर्गत समाविस्ट करने की कार्यवाही कोई सरल काम नहीं है तथा यह तभी किया जा सकता है जबकि उच्चतम न्यायालय अपने उस सर्वसम्मत निर्णय को बदले जो कि पहले उसमें दिया था और जब तक यह नहीं किया जाता, शब्दों के साथ खिलबाड़ मात्र करने से उस संस्थान को अल्पसंख्यक स्वरूप प्रदान करना संभव नहीं होगा। हममें तो केवल इसी तथ्य को मान्यता देने का प्रयास किया है जो कि वास्तव में विद्यमान था तथा हमने यही कहा है कि 'विश्वविद्यालय' से हमारा अभिप्राय उस संस्थान से है जिसका जन्म मौहम्मडन एंग्लो ओरियंटल कालेज, अलीगढ़ के रूप में हुआ था। जिसे भारत के मुसलमानों ने संस्थापित किया था तथा जिसे 1920 में इस अधिनियम में निगमित कर लिया गया। इस विषय में यही हमने किया है। जैसा कि मैंने अपनी व्याख्या में संक्षेप में कहा है, इससे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वास्तविक मूल स्वरूप का पता चल जाता है। कुल मिलाकर बात यही है कि इस संस्थान की परिभाषा करने से हम अपने देश के विशाल मुस्लिम समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं या नहीं ? इस विषय के संबंध में ये अनेक प्रतिनिधि मंडलों से मिला है तथा उनके साथ इन मुद्दों पर चर्चा की थी जब मैं संसद में यह विधेयक पेश कर चुका था, इसके बाद अल्पसंख्यक आयोग के विचार सरकार को उपलब्ध किये गये तथा सरकार ने उन अनेक सुझावों को स्वीकार कर लिया है जो कि आयोग द्वारा सुझाये गये थे तथा वे सुझाव उन सरकारी संशोधनों के रूप में प्रस्तुत हैं जो कि मैं पेश करने जा रहा हूं। उससे अल्पसंख्यक आयोग के इस आशय की आलोचना का शोधन हो सकेगा :—

"विधेयक सभा को उस सीमा तक स्वायतता तथा शक्तियां प्रदान करता है जितनी के देश के किसी अन्य विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं है किंतु विधेयक सभा को लोकतान्त्रिक स्वरूप प्रदान नहीं करता।"

कुछ संशोधन पेश करते हुए हम अल्पसंख्यक आयोग द्वारा सुझाये गये शब्द के उस अर्थ की परिधि में ही सभा को लोकतान्त्रिक स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद भी इस सभा से संबद्ध मेरे कुछ मित्र मुझसे मिले हैं तथा मैं कुछ और संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे सभा को जितना भी अधिक से अधिक संभव हो, लोकतान्त्रिक स्वरूप प्रदान किया जा सके। इसलिये मैं उसमें एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का प्रस्ताव रख रहा हूँ। जिससे कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों की प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न संकायों, विभिन्न प्रकार के अध्ययनों तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विशेष विधेयक के अन्तर्गत जो कुछ हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे संस्थान का अल्पसंख्यक स्वरूप अपने सही अर्थों में सुनिश्चित किया जा सकेगा तथा सही अर्थों से मेरा अभिप्राय यही है कि मुस्लिम धर्म, सभ्यता और उसकी संस्कृति का अध्ययन किया जायेगा तथा उस महान धर्म का भारतीय सभ्यता और संस्कृति तथा विश्व सभ्यता और संस्कृति के प्रति क्या योगदान रहा इसका काफी व्यापक एवं विस्तृत अध्ययन किया जायेगा और यही उस संस्थान का सच्चा अल्पसंख्यक स्वरूप होगा और तथ्यों और शब्दों से मात्र खिलवाड़ नहीं होगा और न ही विश्व-विद्यालय के प्रशासक के संबंध में संसद से उसका कानून बनाने का अधिकार लिया जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूँ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 का और संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 का और संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए। जिसमें 15 सदस्य हों, इस सभा से 10 सदस्य अर्थात् :—

(1) श्रीमती अकबर जहां बेगम

(2) डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र

(3) श्री अहमद एम० पटेल

(4) श्री डी० बी० पाटिल

(5) श्री मोहम्मद शफी कुरैशी

(6) श्री वयालार रवि

(7) डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद

(8) श्री के० पी० उन्नीकृष्णन

(9) श्री अब्दुल अहीद वकील

(10) श्री जी० एम० बनातवाला

[श्री जी० एम० बनातवाला]

राज्य सभा से और 5 सदस्यों की संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की संख्या समस्त संख्या का एक तिहाई हो गई :

"कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी, कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के सम्बन्ध में इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पाँच सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

श्री सौगत राय : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) विधेयक पर बोलते हुए मुझे अत्यधिक सम्मान एवं कुछ घबराहट का आभास हो रहा है।

सर सैयद अहमद द्वारा संस्थापित और भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन की देन यह महान संस्था भारत के मुसलमानों की अत्यधिक प्रिय संस्था है। न केवल भारत में अपितु सारे विश्व में यह संस्था मुसलमानों के अध्ययन के एक केन्द्र के रूप में सुविख्यात है। यह मध्यकालीन इतिहास के खास तौर से मुगल काल के अध्ययन का सबसे बड़ा केन्द्र है। यह अरबी, फारसी और उर्दू सहित प्राच्य भाषाओं के अध्ययन का सबसे बड़ा केन्द्र है। कोई भी बात जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में घटती है वह कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोहाटी से गुजरात तक भारत के सारे मुसलमानों के लिए घटती है। जब कोई घटना घटती है तो हमें एक जिम्मेदार पार्टी के सदस्य के रूप में चिंता होती हैं और उसी जिम्मेदारी की भावना के साथ मैं इस विधेयक पर कुछ बातें कह रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से यह बात कहूँगा कि यह विधेयक, जिसे कि मंत्री महोदय सामने लेकर आए हैं एक निश्चित सुधार है और इससे मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 में की गई गलतियों में से कुछ को निश्चित तौर पर सुधारा जायेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अल्पसंख्यकों की भावनाएं ज्यादा प्रभावित हुई थी जिनसे जनता पार्टी लाभान्वित हुई है यदि सीमा से ज्यादा धर्म निरपेक्ष होने की गलती कांग्रेस द्वारा न की गई होती तो अल्पसंख्यकों ने अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा विश्वास प्रदर्शित किया होता तो उन्होंने 1977 के चुनावों के दौरान जनता पार्टी के प्रति प्रदर्शित किया। इस बिल ने कुछ सुधार तो किया है परन्तु पर्याप्त सुधार नहीं किया है। यद्यपि इससे भारत के मुसलमानों की आकांक्षाओं और भावनाओं को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है लेकिन यह भारत के मुसलमानों की आकांक्षाओं को पूरी तरह तुष्ट नहीं करता है। यदि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 को पास किए जाने के बाद इसके इतिहास का संक्षेप में उल्लेख करूं तो जान पड़ेगा कि उस अधिनियम में कई संशोधन किए गए थे। 1965 तक, विधेयक के स्वरूप के सम्बन्ध में उस तरह का कोई विवाद नहीं था। अब 1965 में, संसद का अधिनियम आया और तभी विवाद उत्पन्न हुआ। सारा मामला न्यायालय को सौंपा गया। जिस प्रश्न का मैंने पहले इस सदन में उल्लेख किया था वह अनुच्छेद 30 (1) के सम्बन्ध में भी है जिसमें कहा गया है :

"धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।"

सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रश्न यह था कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यकों की एक संस्था कहा जा सकता है और इस कारण इसकी व्यवस्था का कार्यभार उन्हीं को सौंपा जा सकता था। सर्वोच्च न्यायालय ने सारे मामलों की जाँच की और उसने निर्णय दिया कि धारा 30 (1) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर लागू नहीं होती है। तब प्रश्न यह पैदा हुआ; तब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्या था ? भारत के मुसलमानों को अपने शैक्षिणक संस्थानों की स्थापना करने के लिए प्राप्त हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22(1) 23 इसमें आयी जिसके अनुसार किसी भी निजी व्यक्ति को विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। भारत के मुसलमानों ने तब क्या विचार किया था जब उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक निधि बनाई थी, जब उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धन दिया था, जब उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए सम्पत्ति प्राप्त की ? संसद के एक अधिनियम द्वारा, अब यह एकमात्र उनके अधिकारों तक सीमित एक संस्था नहीं रह गई है। इसे एक अल्पमत समुदाय की संस्था नहीं माना जा सकता है इसलिए, एक असंगत स्थिति उत्पन्न हो गई। एक ओर तो, न्यायालय ने यह कहा था कि 'शैक्षणिक संस्थान' को जैसा कि संविधान में परिभाषित किया गया है, उस में विश्वविद्यालय को भी शामिल किया जाएगा। दूसरी ओर, उच्चतम न्यायालय के निर्णय में कहा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को धारा 30 (1) के नियमों के तहत एक अल्पसंख्यक संस्था नहीं कहा जा सकता। सरकार द्वारा इसके समाधान के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया कि और मुझे खेद है कि इस संशोधन विधेयक से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में इस विवादास्पद स्थिति का समाधान करने के लिए काई व्यवस्था नहीं की गई हैं। 1972 में अलीगढ़ मुस्लिम बिश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक लाया गया, जिससे भारत के अल्पसंख्यकों में भारी असन्तोष व्याप्त हो गया। मूलत: यह असन्तोष पहली बार पैदा हुआ है जब केन्द्रीय सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामलों में अतिलंघन करने वाली शक्तियां प्राप्त करने का प्रयास किया। अलीगढ़ गुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा उपकुलपति की नियुक्ति का प्रश्न विश्वविद्यालय के विजिटर जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं के विवेक पर छोड़ दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप पूरी तरह समाप्त हो गया था। सभी व्यवस्था नामांकन से की गयी। मुसलमानों ने उसके खिलाफ विद्रोह किया और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, उन्होंने इसके विरुद्ध विश्व भर में अपना असन्तोष व्यक्त किया।

इस विधेयक से विश्वविद्यालय की कुछ स्वायतता पुन: स्थापित होती है, लेकिन जैसा मैंने कहा है ऐसा केवल एक मर्यादित सीमा तक ही स्थापित होती है। मैं मंत्री द्वारा लाए गए उस विधेयक के खण्ड 22 के उपखण्ड (11) का उल्लेख करना चाहूंगा। जिसमें न्यायालय का हवाला दिया गया है, जो कि विश्वविद्यालय का मर्म है। यदि आप इसको देखेंगे तो आप पायेंगे कि न्यायालय में मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य सम्मिलित हैं। यदि आप गणना करें कि किन सदस्यों की संख्या है तो आप पाएंगे कि न्यायालय में निर्वाचित सदस्यों की तुलना में मनोनीत सदस्य अधिक संख्या में हैं।

[श्री सौगत राय]

यदि आप मंत्री द्वारा लाए गए विधेयक के खण्ड 22 (13) को देखें—यह कार्यकारिणी परिषद के सम्बन्ध में है—तो आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक ढंग कार्य प्रणाली को क्षति पहुंचायी जा रही है क्योंकि कार्यकारी परिषद के तीन चौथाई से भी ज्यादा सदस्य मनोनीत सदस्य. पदेन सदस्य विभाग के प्रमुखों के प्रतिनिधि हैं जो चक्रानुक्रम में मनोनीत किये जाते हैं।

यह सच है कि यह विधेयक विश्वविद्यालय के अकादमिक निकायों में छात्रों की भागीदारी को स्वीकार करता है। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि जब निर्वाचित सदस्यों की तुलना में मनोनीत सदस्यों की संख्या ज्यादा है तो विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक ढंग से काम किये जाने को पूरी तरह पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि मैंने पहले ही शुरू में कहा था कि यह विधेयक भारत के मुसलमानों की आकांक्षाओं को पूरी तरह संतुष्ट नहीं करता है और कर सकता है—क्योंकि न्यायालय और कार्यकारी परिषद दोनों ही सर्वोच्च निकायों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का मूल स्वरूप लोकतांत्रिक नहीं है इसका मनोनीत और तदर्थ स्वरूप मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय मेरे निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में सारी स्थिति की समीक्षा करें।

मंत्री महोदय ने अल्पसंख्यक आयोग का उल्लेख किया है। मैं अल्पसंख्यक आयोग के बारे में विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। मैं उस पत्र का भी उल्लेख नहीं करना चाहूंगा जो श्री मीनू मसानी ने प्रधानमंत्री को उस समय लिखा था जब उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था। अल्पसंख्यक आयोग के भूतपूर्व सभापति श्री मीनू मसानी द्वारा अपने त्यागपत्र के सम्बन्ध में दिए तर्कों में से एक मुख्य मुद्दा यह था कि जब मंत्री महोदय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक का प्रारूप तैयार कर रहे थे तब उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग को विश्वास नहीं किया था। अल्पसंख्यक आयोग के सभापति श्री मीनू मसानी का त्यागपत्र यह एक मुख्य कारण था। वास्तव में श्री मीनू मसानी ने अल्पसंख्यक आयोग के बारे में दूसरी खामियों को भी बताया है जैसे संवैधानिक स्वरूप का अभाव जिसे कि अब सरकार छयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा करना चाहती है, सम्भवतः यह पेश किया जा चुका है और जिसे शीघ्र ही संसद द्वारा स्वीकृत किया जाना है। परन्तु श्री मीनू मसानी का आधारभूत अभिप्राय यह था कि अल्पसंख्यक आयोग, जिससे कि देश के अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण की सुरक्षा करने और देखभाल करने की आशा की गई थी, उससे इस बारे में समुचित रूप से विचार-विमर्श नहीं किया गया था। मंत्री महोदय ने अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया है। मैं चाहूंगा कि वह अल्पसंख्यक आयोग की पूरी रिपोर्ट को पढ़ें। अल्पसंख्यक ने भी वही दलील दी है कि, सम्पूर्ण स्वायतता को एक निश्चित सीमा तक पुनः बहाल किया जा चुका है, फिर भी विभिन्न उपबन्ध विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली में लोकतांत्रिक ढंग मुहैया नहीं किया गया है। यही मुद्दा है जो मैं सामने रखना चाहता हूं। यह भारत के अल्पसंख्यकों की एक प्रमुख संस्था है, यह भारत में इस्लाम सम्बन्धी अध्ययन की प्रमुख संस्था है; क्या इसका स्वरूप ऐसा नहीं होना चाहिए जो वास्तव में लोकतांत्रिक हो, जो सही अर्थों में लोगों की प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता हो ?

मंत्री महोदय इस विधेयक को मई 1978 में लाए थे। क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि साल

भर तक इस विधेयक को ताक पर क्यों रखा गया। इसको आगे न लाए जाने के क्या कारण थे ? मैं यहाँ उनको याद दिलाना चाहूंगा कि, क्या मई 1978 और अप्रैल 1979 के मध्य अलीगढ़ की दुनिया बदल गई है ? हाल के इतिहास अलीगढ़ गम्भीर हत्याकाण्डों का साक्षी रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग पहले की तुलना में आज कहीं ज्यादा चिन्तित है। जमशेदपुर और अलीगढ़ के दंगों के बाद अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रभाव आज कहीं ज्यादा वास्तविक हो गया है।...(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : अपने हृदय को टटोलें।

श्री सौगत राय : अपने हृदय को हम टटोल चुके हैं। कांग्रेस ने गलतियां की होगीं, लेकिन यह जनता पार्टी के लिए उचित नहीं है कि वह हमारी गलतियों को बताए। हम अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप कर चुके हैं और वे इनका काम उठा रहे हैं। इससे उनको हमेशा गलती करने का अधिकार नहीं मिल जाता। अलीगढ़ और जमशेदपुर में हुए दंगे अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों की रक्षा कर पाने में जनता पार्टी की अक्षमता के पर्याप्त प्रमाण हैं। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता।

मैं जनता पार्टी की दोहरी सदस्यता के प्रश्न को उठाना नहीं चाहता जो कि देश के उप प्रधान मंत्री, श्री चौधरी चरणसिंह द्वारा उठाया जा चुका है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं शिक्षा मंत्री की आलोचना नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वह एक ईमानदार शिक्षा शास्त्री हैं और जनता किस्म के राजनीतिज्ञ नहीं हैं। वे सद्प्रयोजन से इस विधेयक को लाए हैं। गत एक वर्ष में जो कुछ हुआ है उसने भारत के अल्पसंख्यकों के दृष्टिकोण को कठोर बना दिया है। अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशों और भारत के अल्पसंख्यकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में समुचित रूप से संशोधन किया जाना चाहिए। इसीलिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय की परिभाषा के प्रश्न पर नवीन दृष्टिकोण के साथ विचार किया जाना चाहिए। चाहे हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को एक ऐसा विश्वविद्यालय माने जो संसद के अधिनियम के तहत स्थापित किया था क्या हम इसे भारत के मुसलमानों द्वारा अपनी इच्छा से स्थापित एक ऐसी संस्था के रूप में माने जो मुस्लिम आंग्ल प्राच्य विद्यालय अलीगढ़ के रूप में प्रारंभ की गई थी और बाद में जिसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में नियमित किया गया था।

श्रीमान जी, मैं शिक्षा मंत्री की नेकनीयती पर सन्देह नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि वे एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं। वह एक अच्छे व्यक्ति हैं परन्तु आज भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भारत के सत्ताधारी दल की नेकनीयती पर शक कर रहे हैं। यही कारण है देश के अल्पसंख्यकों की भावनाओं की संतुष्टि के लिए आवश्यकता से अधिक दी गई रियायतें दी गई हैं और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम भारत के अल्पसंख्यकों की भावनाओं और मांगों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया की एक कसोटी हैं यही कारण है कि मैं मंत्री महोदय से उस विधेयक के सम्बन्ध में जल्दबाजी न करने के लिए कह रहा हूं।

जैसा कि उस सदन में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि दूसरे सदन में एक संशोधन

[श्री सौगत राय]

पारित किये जाने के बाद और इस सदन में लाया गया और जिस पर अभी विचार चल रहा है, मंत्री महोदय उसे लाये हैं। उससे कोई नेकनीयत जाहिर नहीं होती। यह ठीक है कि दूसरे कारणों की वजह से विधेयक को विचारार्थ रखे जाने में इतना ज्यादा विलम्ब हुआ। परन्तु, जैसी स्थिति आज जनता पार्टी के सामने है तथा जनता पार्टी के भीतर जो तनाव है उसे ध्यान में रखते हुए मसले की नए सिरे से जांच की जानी है। इसीलिए मैं मंत्री महोदय से इस बात पर जोर दे रहा हूं कि वे विधेयक के सम्बन्ध में इतनी जल्दबाजी न करें। उनको वैसी ही गलती न करनी चाहिए जो हमने की। उन्हें भारत के लोगों की खासतौर पर भारत के उन अल्पसंख्यकों की भावनाओं का आदर करना चाहिए जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बढ़ते हुए प्रभाव, उसकी बढ़ती हुए शक्ति, शैक्षणिक संस्थानों, आकाश वाणी, दूरदर्शन में, सशस्त्र सेनाओं में, पुलिस में, पुलिस आरक्षी दल में, विभिन्न कानूनी व्यवसायों में, सरकारी अभियोकताओं और सरकार के शक्ति स्थानों में बढ़ते हुए प्रवेश और प्रभाव से चिन्तित हैं। उन्हें इस विधेयक पर नए सिरे से विचार करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपना चाहिए जो कि विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप और भारत के अल्पसंख्यकों द्वारा यथावांछित 'विश्वविद्यालय' शब्द की परिभाषा के प्रश्न पर नए सिरे से विचार करेगी।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय सभापति महोदय···

श्री पी० एम० सईद : आप अंग्रेजी में क्यों नहीं बोलते ?

श्री हरिकेश बहादुर : इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। परन्तु मैं हिन्दी में बोलूंगा। मैं बहुत ही सरल हिन्दी में भाषण करने जा रहा हूं।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हमारे देश की एक राष्ट्रीय विरासत है। हमारे देश के महान नेताओं ने जिन्होंने देश को आजादी दिलाई जिन्होंने हमेशा ही राष्ट्रीयता का कार्य किया और जिन्होंने देश के जन-जन में राष्ट्रीयता की भावना भरी, ऐसे महान व्यक्तियों ने इस विश्वविद्यालय का निर्माण भी कराया था। इनमें जो व्यक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह सर सैयद अहमद खां साहब हैं जो महान भारतीय थे। उन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों को भारत की दो आंखें बताया था। उन्होंने बराबर कोशिश की कि हमारे देश में हिन्दू मुस्लिम एकता बनी रहे, दोनों ही वर्ग के लोग और अन्य वर्गों के लोग मिल-जुलकर रहें, राष्ट्र में सद्भावनापूर्ण भावना का प्रचार हो तथा सभी मिल-जुलकर राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करें। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर सर सैयद अहमद खां साहब ने इस महान विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी महान प्रेरणा तथा प्रयास से यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। इस बात को भी स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है कि जब इस विश्वविद्यालय को बनाना था उस समय हमारे देश के मुसलमानों ने उनके नेतृत्व में इस विश्वबिद्यालय के निर्माण के लिए कार्य किया था और उन्होंने इस विश्वविद्यालय को बनाने की मांग की, इसके लिए सरकार से मंजूरी ली, चन्दा इकट्ठा किया और दूसरे समूहों के लोगों का भी सहयोग ले कर इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया। जब से यह विश्व-विद्यालय निर्मित हुआ है तब से आज तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता चला आ रहा है, राष्ट्र के अन्दर

जहां सदभाव और एकता का प्रयास करता रहा है वहां पर इसने देश के महान विद्वानों और महान राजनीतिज्ञों को भी जन्म दिया है। ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों के नामों का मैं उल्लेख करता हूं तब मैं डा० जकिर हुसैन साहब और श्री फखरुद्दीन अली अहमद साहब का नाम लिए बगैर नहीं रह सकता हूं जिन्होंने इस महान भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था और भारतीय जनता की महान सेवा की थी। ये दोनों व्यक्ति इस विश्वविद्यालय से विशेष रूप से सम्बद्ध रहे हैं।

इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण व्यक्ति इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रहे हैं, जैसे अली यावर जंग का नाम उल्लेखनीय है। आज भी बहुत से लोग हैं जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं अ ार कोई व्यक्ति यह कहता है कि इस विश्वविद्यालय ने साम्प्रदायिक भावना का प्रचार किया, उसको बढ़ावा दिया। क्योंकि इतिहास साक्षी है कि पिछली घटनाएं जो अलीगढ़ में हुई, एक साम्प्रदायिक दंगा हुआ था। वही इस बात के लिये व्यापक प्रमाण है कि वहां के छात्रों ने, अध्यापकों ने साम्प्रदायिक एकता और सद्भावना की स्थिति पैदा की और साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने का कार्य किया तथा यह देखने की कोशिश की कि यह दंगा जल्द से जल्द समाप्त हो और सब लोग मिलकर एक साथ रहें। कुछ असामाजिक तत्वों ने इस तरह की स्थिति पैदा की थी, लेकिन उससे निपटने के लिये वहाँ के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। मैं कहना चाहता हूं कि इतने बड़े विश्वविद्यालय जिसको बनाने में हमारे देश के अल्पसंख्यकों का बहुत बड़ा हाथ था और आज भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रत्येक मुसलमान भाई यह मानता है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय एक मन्दिर है शिक्षा का, उसे एक संस्थान मानता है जहां से उसे प्रेरणा मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मुसलमान भाई की भावनायें उस विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं और उस विशेष भावना की विशेष रूप से कद्र करनी चाहिए क्योंकि हम जब तक दूसरे की भावनाओं की कद्र नहीं करेंगे हमारी भी भावनाओं की कोई कद्र नहीं करेगा।

सभापति जी, मैं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का छात्र था, वहां के छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूं। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में मेरे प्रवेश के पहले एक प्रश्न खड़ा हुआ था कि हिन्दू शब्द इस विश्वविद्यालय से निकाला जाय कि नहीं। जब यह सवाल आया कि इसको निकाला जाय तो एक बड़ा आन्दोलन हुआ और नतीजा यह हुआ कि सरकार हिन्दू शब्द को नहीं निकाल सकी। जब कि वास्तविकता यह है कि उस विश्वविद्यालय का नाम काशी विश्वविद्यालय है। उसमें हिन्दू शब्द नहीं है। डा० लोहिया ने देश के कोने-कोने में घूमकर इस बात का प्रचार किया विश्वविद्यालय की ईंट तक निकाल कर लोगों के सामने रखी उसमें काशी विश्वविद्यालय लिखा हुआ था। जो सरस्वती के चिन्ह में एक नीचे लिखी हुई बात है उसमें भी लिखा गया का० वि० वि० और बगल में लिखा हुआ है बनारस यूनिवर्सिटी। लेकिन अब उसका नाम फिर हिन्दू विश्वविद्यालय कर दिया गया है। इसी हिन्दू शब्द को हटाने के लिये जब एक बार सवाल आया था तो बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ और पूरे उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में आन्दोलन हुआ। तो नतीजा यह हुआ कि हिन्दू शब्द नहीं हटा सके। इसलिए सरकार को बाध्य होकर हिन्दू शब्द नहीं हटाना पड़ा। जब हम इस बात को देख सकते हैं कि मैजोरिटी का सेंटीमेंट जिस बात से जुड़ा हुआ है उसके खिलाफ कोई कार्य नहीं करना

[श्री हरिकेश बहादुर]

चाहिए, तो क्या जिस कार्य से, जिस संस्था से माइनारिटीज का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है उसके खिलाफ भी हम कैसे जा सकते हैं ? हमें उसके खिलाफ जाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि सरकार ऐसा नहीं कर रही है और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कांग्रेस के जमाने में एक बहुत ही खतरनाक काम हुआ था, लोगों ने इस बात की कोशिश की थी कि माइनारिटीज के ऊपर एक ऐसा दबाव डाला जाय, उनके अधिकार को इस प्रकार से छीन लिया जाय जिससे कि उनके सेंटीमेंट्स को धक्का लगे। नतीजा भी उसका उन्हें मिला है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे उस विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक चरित्र कायम रखा जाय, जैसे कि मैंने कुछ उदाहरण दिये हैं।

संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अन्तर्गत माइनारिटीज को मदरसा चलाने का अधिकार है, हायर सेकेन्डरी स्कूल चलाने का अधिकार है, इंटर कालेज चला सकते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि विश्वविद्यालय का मैनेजमैंट अपने हाथ में न लें। मैनेजमैंट को उनके हाथ में सौंपा जाना चाहिये और यह भी कहना चाहता हूं कि प्रबन्ध की दृष्टि से उनको जरूर मैनेजमेंट देना चाहिये। साथ ही उस संस्था को राष्ट्रीय संस्था के रूप में कायम करना चाहिए और संसद को अधिकार होना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर वह कानून बना सके। क्योंकि संसद से बड़ी संस्था इस देश में कोई नहीं है और इस देश की इंच-इंच भूमि पर, प्रत्येक संस्था पर संसद का अधिकार है क्योंकि इस देश की जनता ने ही जिसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक शामिल हैं, सभी ने मिलकर इस संस्था का निर्माण किया है।

सभी का इस संस्था में विश्वास है, सभी अपने प्रतिनिधियों को यहाँ भेजते हैं और यहाँ से कानून बनाये जाते हैं।

उसी प्रकार अलीगढ़ विश्वविद्यालय हमारी राष्ट्रीय संस्था है और इसके लिए अल्पसंख्यक भी यह चाहते हैं, उनके भी हम नुमाइन्दे हैं, हम उनकी बात भी आपके सामने रखना चाहते हैं वह चाहते हैं कि इस संस्था का अल्पसंख्यक चरित्र कायम रखा जाये और संसद को इस बात का अधिकार हो कि इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर कानून बना सके। हम इस बात में पूरा विश्वास करते हैं कि देश में साम्प्रदायिक एकता और सद्भाव होना चाहिए। यही बात हमारे देश का प्रत्येक इन्सान चाहता है जो कि देश की तरक्की और खुशहाली चाहता है और इन्सानियत के उसूल में विश्वास करता है। सभी चाहते हैं कि हम सब मिल-जुलकर रहें, साम्प्रदायिक सद्भाव कायम रहे, साम्प्रदायिक एकता रहे और हमारे देश को खुशहाली और तरक्की की तरफ ले जाये।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का योगदान हमारे देश के तमाम विश्वविद्यालयों की अपेक्षा कहीं ज्यादा है, यह महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, इसकी गरिमा का ख्याल रखते हुए हमें इस विश्वविद्यालय की प्रगति के लिये हमेशा प्रयास करना चाहिए और इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि इस विश्वविद्यालय के चरित्र में इस प्रकार का कोई परिवर्तन हम न करें जिससे कि हमारे देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे।

मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इन बातों को ध्यान में रखेगी और प्रयास करेगी कि हमारा यह विश्वविद्यालय भविष्य में फले-फूले और विकसित हो और इसका अल्पसंख्यक चरित्र कायम रहे।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सईद मुर्तजा (मुजफ्फर नगर) : जनावे सदर, मैं आपका मश्कूर और शुक्रगुजार हूं कि आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर मुझे बोलने का मौका दिया। इसके साथ-साथ मैं अपने एजूकेशन मिनिस्टिर का भी शुक्रगुज़ार हूं कि उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी का बिल लाने की कोशिश की और जो हम लोगों की दरख्वास्त थी, जो हमारी मुश्किलातें थीं, उनको भी काफी उन्होंने सुना और हमें सहूलियतें देने का वायदा किया और कुछ वह इस बिल में लाये भी है। मुझे उम्मीद है कि हम जो तरमीम पेश करेंगे वह उनका उसमें हजाफा फरमायेंगे, जैसे वह फराकदिल हैं, जैसे कि उनकी आदत है और जैसे कि वह अच्छे इन्सान हैं।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक वाहिद यूनिवर्सिटी है जिससे कि तमाम रूए-जमीं के मुसलमान ताल्लुक रखते हैं। 11 करोड़ मुसलमान, हालाँकि कोई जाहिल से जाहिल मुसलमान भी हो वह भी यही समझता है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हमारा दीन-ईमान है, जो बेचारा एक लफ्ज भी न पढ़ा हुआ हो, वह भी अलीगढ़ के नाम पर अपनी जान देना चाहता है। वह कहता है कि अलीगढ़ पर अगर कोई बात हो गई तो चाहे हमारी जान चली जाये लेकिन हम अलीगढ़ के मामले को किसी तौहीन या किसी और नजरिये से नहीं देखना चाहते।

इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि हम छौटे हैं या बड़े हैं, अकसरित छोटे आदमी की बात माना करती है। मैं इस डिटेल में न जाते हुए अपने मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह मुसलमानों की इस वाहिद नुमाइन्दा यूनिवर्सिटी का ख्याल रखें, आपकी यूनिवर्सिटीज हिन्दुस्तान में सैकड़ों हैं, यह सिर्फ एक वाहिद यूनिवर्सिटी है, इसमें लफ्ज के हेरफेर में न जाइये, आप बड़े भाई हैं, हम छोटे हैं, टैक्निकल बातों में मत जाइये, हमारी इस बात को पूरा कर दीजिये। सुप्रीम कोर्ट ने जो बीच में बाधा डाल दी वह ऐसी चीज नहीं है जिससे जो हम चाहते हैं, उसमें रुकावट पड़ सके। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि सुप्रीमकोर्ट के फैसले को···(भाषण समाप्त)

सभापति महोदय : माननीय सदस्या बुधवार 2 मई 1979 को अपना भाषण पुनः जारी रखेंगे। सभा 2 मई, 1979 के मध्याह्नपूर्व बुधवार 11 बजे प्रातः तक के लिए स्थगित होती है।

6 बजे लोक सभा मध्याह्न पश्चात बुधवार, 2 मई 1979/12 वैशाख, 1901 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : आकाशदीप प्रिन्टर्स, 20 दरियागंज, नई दिल्ली-11002.